दसम माला, खण्ड 33, अंक 7

मंगलवार, 2 अगस्त 1994
11, श्रावण 1916 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 13.9.95

( खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं )

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

2 अगस्त, 1994 के लोक सभा के वाद-विवाद के

हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

| पृष्ठ संख्या | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| 3 | नीचे से 4 | JPC, CBI | जे0पी0सी0,सी0बी0आई0 |
| | तथा 14 | JPC | जे0पी0सी0 |
| 9 | नीचे से 16 | JPC | जे0पी0सी0 |
| 100 | 2 | प्रो0 (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन | प्रो0 सावित्री लक्ष्मणन |
| 114 | 14 | श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुला | श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल |
| 123 | 9 | (युवा एवं खेल विभाग) | (युवा कार्य एवं खेल विभाग) |
| 184 | 14 | श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल | श्री धर्मण्णा मोंडाय्या सादुल |
| 225 | 15 | श्री शरद दिघे | श्री शरद दिघे |
| 232 | नीचे से | श्री चाक्को जारी का लोप कीजिए । | |
| 250 | नीचे से 11 तथा | उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, आदि के अन्तर्गत अधिसूचना को मंत्री महोदय के विभाग से अलग पढ़िए । | |
| | नीचे से 9 | (श्री मुमुल वासनिक) | श्री मुकुल वासनिक |

## विषय-सूची


म माला, खंड 33,    11 वां सत्र, 1994 /1916 (शक)

ंक 7, मंगलवार,    2 अगस्त, 1994/11 श्रावण 1916 (शक)



| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्र... और बैंक संव्यवहार में | | 1-15 |
| अ... नियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई | | |
| सि...रिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के संबंध में | | |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | | 15-52 |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 121-140 | |
| अतारांकित प्रश्न संख्या : | 1283-1291, 1293-1383 और 1385-1452 | 52 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | | 246-259 |
| विधेयकों पर अनुमति | | 259 |
| कार्य मंत्रणा समिति | | 260 |
| बयालीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत | | |
| मंत्रियों द्वारा वक्तव्य | | |
| (एक) देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति | | 260-263 |
| श्री बलराम जाखड़ | | |
| (दो) बोकारो इस्पात संयंत्र में औद्योगिक दुर्घटना | | 263-264 |
| श्री सन्तोष मोहन देव | | |
| समिति के लिए निर्वाचन | | 264 |
| केन्द्रीय रेशम बोर्ड | | |
| नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें (संशोधन विधेयक), पुरः स्थापित | | 265 |
| नियम 377 के अधीन मामले | | |
| (एक) विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्गो सेवाएं और कार्गो विमान सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता | | 265 |


+ किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|


**श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील**

(दो) आवश्यक मामलों में मानव अंग प्रतिरोपण के लिए अनुमति देने हेतु एक विधान बनाने की आवश्यकता — 266

**श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल**

(तीन) शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की वर्तमान परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करने और उत्तर पुस्तिकाओं का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता — 266

**श्री पी॰ पी॰ कालिया पेरूमल**

(चार) 1993-94 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए केरल राज्य को 1994-95 के दौरान दी गई धनराशि का उपयोग करने के आदेशों को पुन: मान्य ठहराने की आवश्यकता — 266

**प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन**

**भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक विचार के लिए प्रस्ताव** — 267-273

श्री उमराव सिंह — 267

डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र — 269

**नियम 193 के अधीन चचा** — 274-299

**देश के अनेक भागों में बाढ़ के कारण हुई जान माल की भारी हानि**

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस — 274

श्री ई॰ अहमद — 276

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर — 279

श्री ओस्कार फर्नान्डीज — 280

श्री छीतू भाई गामीत — 282

श्री ए॰ वेंकट रेड्डी — 283

श्री पी॰ सी॰ थामस — 284

श्री एस॰ बी॰ सिदनाल — 286

श्री पी॰ सी॰ चाक्को — 289

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन — 291

श्री दिलीप सिंह भूरिया — 294

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स — 295

# लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

## लोक सभा

**मंगलवार, 2 अगस्त 1994/ 11, श्रावण, 1916 (शक)**

**लोक सभा 11 बजे म॰ पू॰ पर समवेत हुई**

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

---

**प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के संबंध में :**

**.....(व्यवधान).....**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : महोदय, अब तक कुछ नहीं हुआ।

**.....(व्यवधान).....**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : कई दिनों से सभा का कार्य नहीं हो रहा है और सभी जानते हैं कि ऐसा सरकार द्वारा सभा के सामने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के कारण हो रहा है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, इस सभा द्वारा संयुक्त संसदीय समिति का गठन प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप करने पर किया गया था जिसमें राष्ट्र को स्पष्ट रूप से वचन दिया था कि संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा और दोषी व्यक्ति को चाहे वह कितने भी उच्च पद पर आसीन क्यों न हो, माफ नहीं किया जाएगा। उस आधार पर, सभी दलों के सदस्यों से गठित समिति, जिसमें शासक दल का बहुमत था ने 18 महीने तक बैठकर और चर्चा करके यदा-कदा कुछ मतभेद सयंजनों को छोड़कर दें एक सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

महोदय, हमने यह उम्मीद की थी कि सरकार प्रधानमंत्री की स्पष्ट बचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निर्णय लेगी और संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को प्रभावी बनाएगी। हमारे अनुसार सरकार के पास संयुक्त संसदीय समिति के निष्कर्षों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन जब हम की गई कार्यवाही प्रतिवेदन पर विचार करते हैं, तो यह प्रतीत होता है कि मंत्रालय संबंधी दायित्व की अवधारणा सहित प्रमुख क्षेत्रों में जो कुछ भी कहा गया है वह पूर्णतः अस्वीकार्य है। हमने बहुत निराशा और चिन्ता के साथ यह देखा है कि सरकार ने समिति के निष्कर्षों और उसकी सिफारिशों की आलोचना करने का रास्ता अख्तियार कर लिया है और वह भी इस तरीके से और इस भाषा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है जैसा कि मेरे अनुभव से किसी भी संसदीय सरकार की प्रणाली में नहीं सुना गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसकी पहल कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं

कि आप पिछले सात दिनों से इसकी पहल कर रहे हैं। प्रतिदिन आप विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुला रहे हैं लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया पूर्णत: नकारात्मक है। सरकार तोते की तरह बार-बार दोहरा रही है कि उनके दिमाग खुले हुए हैं, किस संबंध में खुले हुए हैं, यह हम नहीं जानते। सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, सरकार द्वारा एक भी बैठक नहीं बुलाई गई है और हम नहीं जानते कि सरकार का वास्तव में क्या रवैया है।

महोदय, हम समिति की कार्यप्रणाली की उपयुक्त प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। आप कृपया याद करें कि जब आपने विभिन्न विषयों से निपटने के लिए स्थायी समितियां गठित की थी जैसे कि विभिन्न मंत्रालयों के बजटीय अनुदान जिन पर कि सभा में चर्चा नहीं की जाती है, तब हमने आपको पूर्ण समर्थन दिया था। मैं नम्रता पूर्वक यह कहता हूं महोदय, कि हम संसदीय प्रणाली को मजबूत करने में सरकार की पूरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। समिति प्रणाली की प्रतिष्ठा उसी में है कि समितियों में हम दलगत रवैया नहीं अपनाते हैं।

अब महोदय, हम बहुत अनिच्छा से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, कि सरकार के इसे रवैये ने वर्षों से चली आ रही इस समिति प्रणाली जिसमें कि अब स्थायी समितियां भी शामिल हो गयी हैं, संसदीय प्रणाली तथा समिति प्रणाली का मजाक बना दिया है। संसद के सदस्य होने के नाते हम स्थायी समितियों तथा अन्य संसदीय समितियों के द्वारा उपयुक्त सुझाव देकर सरकार की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं लेकिन जहाँ तक कि इन समितियों की रिपोर्ट का संबंध है, सरकार इनके प्रति ढुलमुल दृष्टिकोण अपना रही है। इसलिए, इन परिस्थितियों में हम उस पर अपना विरोध तथा आपत्ति व्यक्त करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं।

महोदय, अपने और अपने दल के बारे में बोलते हुए, मैं यह विश्वास करता हूं कि अन्य नेता भी मुझसे सहमत होंगे कि हमने आगे संसदीय समितियों से सम्बद्ध न होने का निर्णय लिया है। हम समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं अन्यथा यह प्रतीत होगा कि हम संयुक्त संसदीय समिति के लिए सरकार की स्पष्ट अवज्ञा को अनदेखा कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं पहले श्री शरद यादव को बोलने की अनुमति दूँगा और फिर मैं सरकार को यदि वह चाहे बोलने की अनुमति दूँगा।

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, आज सदन में बहुत अफसोस और तकलीफ के साथ हम अपनी बात रखने के लिए तैयार हुये हैं। श्री सोमनाथ बाबू ने इस सदन की सर्वोच्चता, गरिमा और इस संसद की राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है। उसके बारे में सब तरह से प्रयास का जिक्र किया। हम लोग आपके साथ बैठकरके लगातार इसका हल निकालने की कोशिश में लगे रहे हैं लेकिन इसका कोई रास्ता निकालते निकालते हम इस मकाम पर पहुंचे हैं। सरकार ने एक ज्वांयट कमेटी गठित की जो लगातार 18 महीने बैठी रही और 500 घंटे इसमें खर्च किये गये और यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से इस सदन में रखी और उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट को जिस प्रकार से यहां यह कहकर रखा कि इसमें 85 प्रतिशत बातें सरकार मानती है लेकिन केवल जो ठोस चीज़ है, उसके चलते आज हिन्दुस्तान में जो भ्रष्टाचार की संस्कृति पनप रही है और जो भ्रष्टाचार चारों तरफ देखा जाता है, सुना जाता है और महसूस किया जाता है लेकिन हिन्दुस्तान का यह सर्वोच्च सदन कुछ कर सकने में बेबस

है, मजबूर है। तब हम लोगों ने कहा कि इसमें तीन-चार चीजों को जोड़ दें तो यह रिपोर्ट तथ्यों के साथ औ मज़बूती के साथ एक बेहतर रिपोर्ट बन जायेगी और हिन्दुस्तान के लोगों के बीच में एक मैसेज चला जायेगा।

अध्यक्ष जी, यह सदन इस देश की जनता के प्रति जिम्मेदार है और उस दृष्टि से यह कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है, एक्ज़ीक्यूटिव में होने के नाते जिम्मेदार है जिसे इस देश की सार्वजनिक सम्पत्ति की रखवाली करने और उसे बचाने का अधिकार है। जे॰ पी॰ सी॰ ने बड़ी ही सभ्य भाषा में कुछ मंत्रियों के नाम लिये हैं, जो दोषी हैं और हमने कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये। साथ ही जो बड़े अफसर हैं, आरबीआई के गर्वनर, डिप्टी गर्वनर हैं तथा जिनके रहते यह इतना बड़ा घोटाला हुआ है, एक्शन लें लेकिन आपने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया बल्कि यह कहकर छुट्टी पा ली कि इनको रिटायरमेंट दे दी गयी है ओर इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती है। जनता के बीच में यह मांग उठी और वे महसूस करती है तथा हमारे अंदर की जो आत्मा है वह भी यह महसूस करती है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट में उन अफसरों को छोड़ दिया गया और यह कहा गया है कि वे रिटायर हो गये हैं और इनको छोड़ दिया गया है।

तीसरी बात संसदीय समिति ने साफ की कि जो इतना बड़ा घोटाला है उसका निर्माण करने का काम विदेशी बैंकों ने किया है। चार बैंकों का नाम संसदीय समिति ने लिया और यह भी कहा कि इनके लाइसेंस कैन्सल करने चाहिए। हमने सरकार से कहा कि लाइसेंस कैन्सल मत करो, सस्पेन्शन कर दो।

**श्री मुरली देवरा** (मुम्बई दक्षिण) : समिति ने नहीं कहा कि लाइसेन्स कैन्सल कर दो।

.....(व्यवधान).....

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह मानते हैं कि जो विदेशी बैंक थे उन्होंने स्कैम का निर्माण नहीं किया ? मैं कहता हूं कि आप JPC में थे ? .....(व्यवधान).....

**श्री मुरली देवरा :** समिति ने ऐसा कहा यह मत कहिए। .....(व्यवधान).....

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस रिपोर्ट का क्रम संख्या 49, पैरा 172 देखें। इसमें लिखा है कि :–

"इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि उनमें से प्रत्येक के द्वारा की गई अनियमितताओं की सीमा को ध्यान में रखते हुए इन बैंकों को यथोचित दंड, जिनमें उनका लाइसेन्स रद्द करने भी शामिल है, दिया जाए।"

**श्री शरद यादव :** अध्यक्ष जी, मैं विवाद में नहीं जाना चाहता। समूचा देश और पूरा सदन जानता है कि विदेशी बैंकों के द्वारा ही इतना बड़ा घोटाला हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कहा कि इसका सस्पेन्शन करो जिससे दुनिया में खबर जाए कि हिन्दुस्तान 80 करोड़ लोगों का देश है। सरकार ने इस पर कुछ काम नहीं किया। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि गोल्ड स्टार के मामले में "सेबी" के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक टुथफुल रिपोर्ट दी और JPC ने कहा कि बहुत जल्दी से सात महीने में CBI को इस मामले में खोजबीन करके तथ्यों को सदन के सामने रखना चाहिए। अध्यक्ष जी, ऐक्शन टेकन प्रोग्राम के नाम पर "सेबी" के चेयरमैन का ट्रांसफर योजना आयोग में कर दिया जिसने ट्रुथफुल और ड्युटीफुल काम किया था। मेरा निवेदन यह है कि सिस्टम को चेन्ज करने का काम जो कहा गया था, उस में भी ठीक रास्ता और ठीक बात सरकार

ने मानने का काम नहीं किया। सब उल्टा किया। अध्यक्ष जी, यह सदन देश की जनता के प्रति जिम्मेदार है और इस सदन के लिए सरकार जिम्मेदार है। हम इस सदन में खड़े रहे, इस सदन में बैठे रहे, इस सदन के बाहर JPC के 30 सदस्य जिनमें से 15 सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, मैं कहूंगा कि उन्होंने भी बहुत मेहनत करके आम सहमति में मदद की।

लेकिन हमारे जो मैम्बर थे, उन सबने 18 महीनों तक, हिन्दुस्तान की जनता की गाढ़ी कमाई के साथ जो कुछ हुआ, उस पर सब तरह से मेहनत करके रिपोर्ट देने का काम किया, 500 घंटे काम किया और उस रिपोर्ट के सदन में आने के बाद, उस पर किसी तरह की कार्यवाही न हो, हमारी एक्जीक्यूटिव की जो जिम्मेदारी है, एकाउन्टेबिलिटी है, उस जिम्मेदारी को आज कोई भी आदमी लेने को तैयार न हो, किसी बड़े ऑफिसर को आपने भले ही रिटायर कर दिया, उसके आगे आप कोई बात मानने को तैयार न हों, प्रधानमंत्री से लेकर पी एस यूज में जितने मिनिस्टर हैं, उनके नीचे जो लोग काम करते हैं, जे॰ पी॰ सी॰ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 3600 करोड़ रुपये की जो हिन्दुस्तान की जनता की सार्वजनिक सम्पत्ति है और आपके नीचे है, उसे पूरे का पूरा इस्तेमाल करने के लिये दलालों के हवाले करके स्कैम करने का काम किया गया है। लेकिन उसके बाद आप किसी तरह से संबंध स्थापित करने का काम नहीं कर रहे हैं। आप इस रिपोर्ट के आने बाद सिर्फ इसकी रस्म अदाई करना चाहते हैं, इस रिपोर्ट को सदन में इस तरह रखकर क्या हम लोग ऐसे ही वापस चले जायेंगे। इससे अध्यक्ष जी, कमेटी सिस्टम के अंतर्गत जे॰ पी॰ सी॰ की यह रिपोर्ट जिस आम-सहमति और आमराय से दी गयी, उसका जिस तरह से अंत हुआ, जिस तरह से हश्र हुआ, क्या उसके चलते हम हिन्दुस्तान की जनता को यह विश्वास दे सकते हैं कि हम एक मजबूत लोकतंत्र में रहते हैं, लोकशाही में काम करते हैं और लोकतंत्र को इस देश में मजबूत करना चाहते हैं, लोकतंत्रीय संस्थाओं को इस देश में मजबूत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोकतंत्रीय संस्थाओं को मजबूती देने का काम करिये।

क्या आज आप किसी मजबूरी में यहां नहीं खड़े हैं, यह मजबूरी आपके चलते हैं और आपकी मजबूरी क्या है, उस मजबूरी को आप बताने का यहां काम करो। मैं महसूस करता हूं कि इस मजबूरी के कारण प्रधानमंत्री से लेकर आप सब लोग इससे इंवौल्व हैं। यदि कोई मंत्री अकेला इंवौल्व होता और प्रधानमंत्री स्वयं इसमें आकंठ डूबे नहीं होते तो शायद आज रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही हो गयी होती। गोल्डस्टार और फेयरफैक्स के मामले में समिति की सिफारिशों के आधार पर, जिस तरह चिदम्बरम साहब ने इस्तीफा दिया, उस पर भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की। जब हम कहते हैं कि आप इस रिपोर्ट को वापस लो तो आप रिपोर्ट लेने को तैयार नही हैं लेकिन हमारी मांग सिर्फ रिपोर्ट को वापस लेने की नहीं है, हमने आपको कुछ ठोस सुझाव दिये थे और कहा था कि जो हमारी एक्जीक्यूटिव के मैम्बर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिये। यदि हमारे ठोस सुझावों को यह सरकार मानती है तो एक्शन टेकन रिपोर्ट पर कोई कारगर कार्यवाही हो जाती है, कोई सारगर्भित कार्यवाही हो जाती है, लेकिन सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है और कहती है कि रिपोर्ट वापस नहीं हो सकती।

पिछली बार आपने, अध्यक्ष जी, देखा होगा कि जब इलैक्टोरल रिफॉर्म बिल सदन में लाया गया था, उसी तरह कितने बिलों को इस सरकार ने वापस ले लिया लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार ने लगता है प्रैस्टिज ईश्यू

बना लिया है और वह अड़ गयी है। यदि हिन्दुस्तान की जनता की कमाई के साथ, सार्वजनिक सम्पत्ति के साथ इतना बड़ा घोटाला हो जाये और हम लोग उस पर किसी तरह की कार्यवाही न करें, सरकार रिपोर्ट को वापस न लेने पर अड़ जाये और कहे कि हम वापस नहीं करेंगे, फिर हमारे सामने क्या रास्ता रह जाता है और हम किस तरह अपनी जिम्मेदारी को इस संसद में निभायें। आप इसे लोकतंत्रीय सिस्टम का फेल्यौर कहकर यहां से बचना चाहें, निकलना चाहें, अध्यक्ष जी, इसके लिये हम तैयार नहीं हैं। इसके लिये हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, इस संसद के भीतर और संसद के बाहर भले ही हमें लड़ना पड़े, हम वह करेंगे। क्या आप चाहते हो कि इस संसद में हमारी कोई हिस्सेदारो न रहे ? क्या आप चाहते हो कि इस संसद में अपनी मनमानी करके जो चाहे वैसा कर लें, क्यों आप इंस्टालमेंट में रिपोर्ट लाना चाहते हो, हमारा इंस्टालमेंट में रिपोर्ट लाने में विश्वास नहीं है। पिछले चार दिनों से हम बेहद तंग आ चुके हैं, परेशान हो गये हैं। हम नहीं चाहते कि संसद हमेशा बंद रहे या हम लोग संसद में इंस्टालमेंट में काम करें और अध्यक्ष जी रात-दिन आपके सामने आकर खड़े रहें।

इन सब बातों को देखते हुये, अध्यक्ष जी, हमें यह महसूस होता है कि जो आपने पार्लियामेंटरी कमेटीज बनायी है, मैं आपके पास बारबार बैठा हूं और कहा है कि आपने जो कमेटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, वह कमेटी सिस्टम आपकी सोच और आपका सपना है, आपका वह बेहतर सपना था लेकिन उस सपने पर आज जिस तरह से काम हो रहा है, हमको लगता है कि इस पर भी आप हमसे वैसे ही दस्तखत करायेंगे जैसे जे० पी० सी० के लोगों से दस्तखत कराये थे। इसलिये इन पार्लियामेंटरी कमेटीज में बैठकर हम लोग और सिर खपाना नहीं चाहते, देश की जनता के सामने, इतने बड़े घोटाले के बाद, सरकार का जो रूख सामने आया है, उस पर ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर आई-वाश करके यदि आप यहां से निकलना चाहते हैं।

हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए इन कमेटियों से हमारी पार्टियों के, नेशनल फ्रण्ट और लैफ्ट फ्रण्ट के जितने भी सदस्य हैं, वह सब लोग इन कमेटियों से इस्तीफा देते हैं। इस सदन में हम लोग अन्तिम तौर पर यह कहना चाहते हैं कि यदि आप इस रिपोर्ट को वापस नहीं करते हो तो फिर इस पर विचार करके इस सदन से भी विदा लेकर हम लोग हिन्दुस्तान की जनता में जायेंगे ओर कहेंगे कि आप यहां पर हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं निभाने दे रहे हो और फिर हिन्दुस्तान की सड़कों पर इसकी लड़ाई होगी और आपके गुनाहों को गांव, खेत, खलिहान और झोपड़ी में बसने वाले लोगों के बीच बेनकाब किया जायेगा।

इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भी सरकार के सामने मौका है। इसको सरकार अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाये, यह देश का सवाल है, उनकी छवि का भी सवाल है। थोड़ी हिम्मत से, मजबूती से आप फैसला करने का काम करें और यह रिपोर्ट वापस करें। इस रिपोर्ट में जो सारी बात है, जो बेहतर बात है, जो सब्सटेंशियल पोरशन है, उसको स्वीकार करें। हिन्दुस्तान में लोकतंत्र को, लोकशाही को हम मजबूत करें ताकि दुनियां में हमारा चेहरा साफ हो सके और देश की जनता हमको ठीक कह सके, हमारे प्रति उसका आदर और भाव बन सके, नहीं तो खैरनार और शेषन हिन्दुस्तान की जनता में घूम-घूमकर नेता बनने का काम कर रहे हैं। हमारी क्रैडिबिलिटी खत्म हो रही है, यह इसका कारण है। इसलिए यह काम आप करें और इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें। अध्यक्ष जी, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, शुक्ला जी, प्रतिष्ठा से

देश नहीं चलता है, सच्चाई स्वीकार करने से देश चलता है। हम इस रिपोर्ट पर बहस करने से मना नहीं करते, लेकिन इस रिपोर्ट को आप ...* यहां पोचा बनाकर लायेंगे, यहां निर्गुण बनाकर लायेंगे तो इस पर हम कतई तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इसको आप सगुण बनायें, इसको आप सारगर्भित बनायें ताकि हिन्दुस्तान की जनता भी कहे कि हां, ठीक काम हुआ है, अब आइन्दा कोई इस तरह का काम नहीं करेगा। आप इस तरह की रिपोर्ट लाने की कोशिश करें।

अन्त में, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन से फिर अपील करता हूं, इस सदन में हम महीने भर आपके साथ बहस करना चाहते हैं। फ्लड का मामला है, शुगर का मामला है, घोटाले पर घोटाले हैं, CAG की रिपोर्ट आती है, लोग कार्रवाई नहीं करते, PAC की रिपोर्ट आती है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हो हर चीज को आपने पैरेलाइज कर दिया है। आज मौका है कि आप बड़ा दिल करके .....(व्यवधान)..... आप चिल्ला कर हमारी आवाज बन्द नहीं कर सकते। हो सकता है, आप अपनी संख्या से यहां हमारी आवाज बन्द कर दें लेकिन हिन्दुस्तान की जनता की आवाज आप बन्द नहीं कर पाओगे, इसका खामियाजा आपको भुगतान पड़ेगा। यदि आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हो, आप भ्रष्टाचार और हिन्दुस्तान की सम्पत्ति को, लूट को अपनी संस्कृति मानते हो और यहां बैठकर हमको हूट आउट करके नहीं बोलने देना चाहते हो, हो सकता है आप यहां हमारी आवाज दबा दो लेकिन यह आवाज दबने वाली नहीं है, हिन्दुस्तान की जनता इसका जरूर फैसला करेगी। उसने पहले भी फैसला किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर अपील करता हूं, विनती करता हूं और करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप इसको अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें और सदन में हमको एक महीने अटैण्ड करके इसमें हिस्सेदार होने दें, आप हमें यह मौका देने का काम करें ताकि यह संसद हिन्दुस्तान के लोगों की आशा और आकांक्षा का आईना बन सके। इसके लिए सरकार को इस आवेदन पर खड़े होकर रैस्पोण्ड करना चाहिए और हिन्दुस्तान की जनता के सामने एक नया रास्ता खोलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी बात को कहने का मौका दिया।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि वे बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। मेरे बायीं और बैठे सदस्य भी बोलना चाहते हैं, उन्हें उनका वक्तव्य भी धैर्य से सुनना चाहिए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, संसद में एक असाधारण परिस्थिति पैदा हो गई है। मैं 1957 से संसद के साथ सम्बद्ध रहा हूं और मैंने अधिकांश समय प्रतिपक्ष में बिताया है। आज भी व्यवहार करते समय प्रतिपक्ष संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखे, इस बात पर हम बल देते रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने वर्षाकालीन सत्र के पहले दिन कहा था, हमें इस बात का दुख है, हमें पीड़ा है, संसदीय पद्धति की विश्वसनीयता में और उस पद्धति में संसदीय समितियों की रिपोर्टों के बारे मे सरकार का जो नकारात्मक रवैय्या है वह भी आता है,

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उससे लोगों के मन में संसदीय व्यवस्था के बारे में एक अविश्वास पैदा हुआ है। उस दिन तो यह रिपोर्ट नहीं आई-थी। हमें कल्पना नहीं थी कि ऐसी रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन इस रिपोर्ट के आने से पहले देश की जनता यह अनुभव करने लगी थी, इस विचार को व्यक्त करने लगी थी की संसद अपने दायित्व का ठीक तरह से पालन नहीं कर रही है। हम से पूछा जाने लगा था कि हम संसद में करते क्या हैं ? जब कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जांच नहीं होती, जांच होती है, तो कार्रवाई नहीं होती, लीपापोती होती है।

सदन में इतने दिनों से गतिरोध चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके आभारी हैं। आप बार-बार प्रयत्न कर रहे हैं कि गतिरोध का हल निकलना चाहिए, यह सदन चलना चाहिए और आपने प्रतिपक्ष और सरकार को बैठाने की, रास्ता निकालने की कोशिश की है, मगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। क्योंकि नहीं की गई है ? क्या सरकार और प्रतिपक्ष के बीच में हमेशा आप ही माध्यम बनेंगे ? क्या सीधा संवाद नहीं होगा? क्या सरकार ने सीधा संवाद करने की सारी संभावनाएं रद्द कर दी हैं ? फिर संसदीय पद्धति चलेगी कैसे ? लोक तंत्र कैसे चलेगा ? हर मामले में अध्यक्ष महोदय, आपको डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप अपना योगदान दे रहे हैं, इसके लिए हम सब आभारी हैं।

आखिर सरकार इस बात पर तो विचार करे कि कौन सी ऐसी चीज है जिसने सारे विपक्ष को एक कर दिया है। आज छोटे-छोटे दलों से, जो उत्तरपूर्व से आते हैं, और दक्षिण से आते हैं, उन सभी से अलग-अलग राय ली गई थी। सब एक स्वर से कह रहे हैं कि जे० पी० सी० की रिपोर्ट पर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आई है वह ठीक नहीं है। सरकार को उसे वापस लेना चाहिए। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। किस तरह की रिपोर्ट आई है ? जब जे० पी० सी० बनी अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि प्रतिपक्ष की ओर से हम लोगों ने मांग की थी कि चेयरमैन प्रतिपक्ष का होना चाहिए क्योंकि एक बार संसदीय समिति में जाने के बाद हम दल के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। यह महत्वपूर्ण विषय है। घोटाला है। शताब्दी का सबसे बड़ा घोटला है। 5 हजार करोड़ रुपए कहां गए ? इसमें आम आदमी फंसा हुआ है। छोटे-छोटे लोगों ने शेयर खरीदे और उनके सारे शेयर मिट्टी के मोल बिके। किसने इतना बड़ा घोटाला किया ? आपने संसदीय समिति की मांग को स्वीकार किया। सत्ता पक्ष ने स्वीकार किया, मगर सुझाव दिया गया कि प्रतिपक्ष का चेयरमैन होना चाहिए, क्योंकि सभी जानते थे कि इस पर जो चर्चा होगी, इसमें जो निर्णय होगा, वह दूरगामी निर्णय होगा और कुछ लोगों के सिरों को सड़क पर लुढ़काने की भी नौबत आ सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य श्री राम निवास मिर्धा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। हमने कोई आपत्ति नहीं की। उनमें हमारा विश्वास है। कांग्रेस का बहुमत था। क्योंकि दल के आधार पर हम नहीं चलते हैं। जो प्रमाण आए, जो तथ्य आए और गवाहियां ली गई, आपने स्वयं संसदीय समिति से थोड़ा हटकर, लीक से हटकर, मंत्रियों को समिति के सामने उपस्थिति होकर, अपनी बात कहने का मौका दिया। जब समिति बनी, तो प्रधान मंत्री ने सदन से कहा था कि दोषी के खिलाफ कार्यवाई होगी। 18 महीने परिश्रम हुआ। देश में, विदेश में चर्चा हुई। रिपोर्ट आ गई, लेकिन रिपोर्ट पर जो ऐक्शन टेकन रिपोर्ट आई है, सरकार स्वयं समझ रही है कि ऐसी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिये थी। इसलिये कुछ शब्दों को निकालने की बात हुई। इसके अलावा इस प्रस्ताव पर भी चर्चा हो रही है कि इस रिपोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट मान लिया जाये और एक दूसरी

रिपोर्ट आ जाये क्योंकि सरकार समझ रही है कि गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो स्पष्ट रूप से यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिये। उस दिन प्रधानमंत्री जी ने आपके द्वारा आहूत बैठक में कहा था कि हमारा खुला दिमाग है। खुला दिमाग और खाली दिमाग दोनों में अन्तर है। दिमाग खुला है और आप आ जाइये .....(व्यवधान). ....

**श्री विलास मुत्तेमवार** (चिमूर) : लेकिन बंद दिमाग का क्या करें ?

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** बंद दिमाग **उघडून पहायचे**। मैं मराठी में बोल रहा हूं तो आप क्यों हंस रहे हैं .....(व्यवधान)..... मैंने मराठी में कहा है कि बंद दिमाग को खोल कर देखना पड़ेगा, मगर बंद दिमाग से काम नहीं चलेगा। यह संयुक्त विरोध और प्रबल विरोध का सरकार पर असर हुआ है। सरकार का पक्ष दुर्बल है यह सरकार को अनुभूति हुई है। अब सरकार एक कदम और आगे बढ़ सकती है।

अध्यक्ष महोदय, यहां श्री चिदम्बरम जी बैठे हुए हैं। उन्होंने बेकार इस्तीफे का प्रस्ताव रखा। वह भी बने रहते। समिति की रिपोर्ट आ जाती और समिति खिलाफ कह भी देती तब भी टस से मस नहीं होते और शंकरानन्द जी के मार्ग पर चलते, मगर भले आदमी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा तत्काल मंजूर हो गया। प्रधानमंत्री किसी से इस्तीफा मांगेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद इस प्रक्रिया में उनसे इस्तीफा न मांग लिया जाये। शंकरानन्द जी ने सदन में जो कुछ कहा, वह हम को आश्चर्य में डालने वाला है। उन्होंने कहा कि मैंने जो गड़बड़ की है, वह मैंने नियमों के अनुसार की है और कुछ मंत्रियों ने नियमों का उल्लंघन करके गड़बड़ की है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तब मेरे खिलाफ कैसे हो सकती है ? उन्होंने जो कुछ कहा, मैं उसका निचोड़ बता रहा हूं। मैं उनके शब्दों को उद्धृत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार हमारे सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक जीवन को खोखला कर रहा है। यह लोकतंत्र के खतरे में डाल देगा। क्या राजनीति सत्ता धन कमाने का साधन है ? तरह-तरह के आरोप बाहर लगाये जा रहे हैं। राजनेताओं का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये हम बड़ी पीड़ा से मांग करते हैं कि कोई एक उदाहरण स्थापित करो, मोह छोड़ दो और सत्ता से चिपटे रहने की बात छोड़ दो। सत्ता तो चली जायेगी, मगर इस देश के जीवन को और सार्वजनिक जीवन को किस तरह से शुद्ध रखना, पूरा शुद्ध तो नहीं रह सकता है, लेकिन ज्यादा गंदे होने से रोकना तो चाहिये और यह मौका है। जे॰ पी॰ सी॰ कि रिपोर्ट ने एक मौका दिया था। यह एक सर्वसम्मत रिपोर्ट थी। आप कार्यवाही कर सकते थे। अभी भी कर सकते हैं। हम उसी के लिय आपको प्रेरित करना चाहते हैं संसदीय समिति की सिफारिश के प्रति उपेक्षा का यह पहला मामला नहीं है। माफ करिये, रेलवे कनवैंशन कमेटी थी, जाफर साहब बैठे हुए हैं, लोग कहते हैं कि मंत्रिमंडल में एक ही शरीफ है। मैं दूसरों पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। रेलवे कन्वैशन कमेटी की सर्वसम्मत रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई, क्यों ? लोग पूछते हैं कि आप समितियों में क्या करते हैं ? समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट की भी अगर कद्र नहीं होगी तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो पायेगी ? मैं मानता हूं कि सरकार कह सकती है कि हमें स्वीकार करने में ये कठिनाइयां हैं। समिति में सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, लेकिन सदन में तो ऐसा नहीं हो सकता है।

या तो व्हिप इशू किया जाएगा या अन्य बन्धन लगाए जायेंगे, तो समिति की रिपोर्ट का महत्व और बढ़ना चाहिए। यह रिपोर्ट आ गई है। सर्वसम्मत रिपोर्ट है। अब सरकार गिना रही है कि हमने कितनी सिफारिशें स्वीकार की हैं। इस पर भी मतभेद है। किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई। याद रखिए जब तक किसी मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाएगी, तो लोग कैसे समझेंगे कि भ्रष्टाचार के निराकरण के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। लोग यह नहीं समझेंगे। खाली सरकार आफिसरों के ऊपर ही बात सीमित नहीं रहनी चाहिए। मैं किसी अपराध की बात नहीं कह रहा हूं। क्या नैतिक दायित्व नहीं है ? वित्त मंत्री जी अच्छे वित्त मंत्री हैं। हमें उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई सन्देह नहीं है। मगर वित्त मंत्रालय सारे के सारे घोटाले में विफल हुआ है। जब जांच चल रही थी, तब वित्त मंत्री जी बराबर रिजर्व बैंक के गवर्नर का समर्थन करते थे। उस समय भी हमने आपति की थी। रिपोर्ट से प्रभावित हो कर और रिपोर्ट की सिफारिशों का लोहा मानकर डा० मनमोहन सिंह ने स्वयं इस्तीफा दे दिया था। श्री चिदम्बरम का इस्तीफा मन्जूर हो गया, लेकिन डा० मनमोहन सिंह का मन्जूर नहीं हुआ। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उनके बिना कांग्रेस पार्टी के आर्थिक सुधार नहीं चलेंगे। एक बड़े सिद्धान्त के लिए डा० मनमोहन सिंह का इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता था। डा० मनमोहन सिंह की प्रतिष्ठा बढ़ती और पार्टी की प्रतिष्ठा भी बढ़ती। जब डा० मनमाहेन सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो उनका इस्तीफा वापिस कर दिया गया तो शंकरानन्द का इस्तीफा कैसे हो ? कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे, पता नहीं क्या हो। कहां जाएगा, सार्वजनिक जीवन ?

**अध्यक्ष महोदय,** मुझे डर है कि JPC की रिपोर्ट के बारे में जो एक्शन-टेकन रिपोर्ट आई है, सरकार की जो प्रतिक्रिया है, उसके बाद अब किसी संसदीय समिति में दल से ऊपर उठ कर काम करना असंभव होगा। इसका आरम्भ हो गया है। पब्लिक-एकाउन्ट्स कमेटी शक्कर के घोटाले के बारे में जांच कर रही थी। फूड सैक्रेटरी को समिति के सामने पेश होने के लिए बुला लिया गया था .....**(व्यवधान)**..... वह तथ्य है। आज जब हम सब समितियों से त्याग-पत्र देने का फैसला कर रहे हैं तो सरकार समितियों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है, क्या हम इसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं ? पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के रास्ते में रुकावट पैदा की जा रही है। मैं कांग्रेस के सदस्यों की कठिनाई समझ रहा हूं। अगर उन्हें बुला-बुला कर शुक्ला जी कहेंगे कि सारा बंटाधार करा दिया, यह क्या गुड़ का गोबर कर दिया, तो उस में सदस्य क्या करेंगे। .....**(व्यवधान)**..... शक्कर का गोबर।

**अध्यक्ष महोदय :** समितियां कैसे चलेंगी। मैं पुरानी बात कह रहा हूं, इस प्रसंग को छोड़ रहा हूं, क्योंकि आपसे टकराने की मेरी मुद्रा नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** असल में अगर आपने कोई बात बोली है और कोई करैक्शन करना चाहता है, तो कर सकता है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे समाप्त करने के बाद।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है।

**श्री राम विलास पासवान :** करैक्शन करेंगे, तो और फसेंगे। .....**(व्यवधान)**.....

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** पब्लिक एकाउन्टस कमेटी की शुगर इम्पोर्ट के बारे में पहले रिपोर्ट आई थी। गम्भीर आरोप लगाए गए थे। बाहर से ऊंची कीमत पर शुगर खरीदी गई थी। हमने जांच की। दल का कोई भेद नहीं था। मैं चेयरमैन था। हमने सिफारिशें की थी। अब कल्पनाथ राय जी दावा करते हैं कि हम उन्हीं सिफारिशों पर चल रहे हैं। लेकिन हमने उसमें सिफारिश की थी कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। CBI ने जांच की। CBI ने जांच करने के बाद उस समय के शुगर मंत्री, श्री सुख राम, को दोषी ठहराया। मैं सदन के पटल पर वह रिपोर्ट रखने के लिए तैयार हूं। वह रिपोर्ट जब तक मैं चेयरमैन था, जब तक पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी थी, हमारे सामने नहीं आने दी गई। अभी भी नहीं आने दी गई, मगर सरकार को पता था उस रिपोर्ट के बारे में। क्या सुख राम जी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया गया और अब वे किसी दूसरे घोटाले में फंसने की तैयारी कर रहे हैं हम नहीं चाहते कि वह फंसे। लेकिन अब पी० ए० सी० में कौन जाना चाहेगा ? जाकर क्या करना चाहेगा ? मैंने प्रधान मंत्री से उस दिन कहा कि क्या आपने सीबीआई की रिपोर्ट देखी ? अब इस समय जेपीसी की एक्शन टेकन रिपोर्ट आई है। कई जगह कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच कर रही है। क्या जांच कर रही है ? जांच करेगी तो क्या उसकी फाईडिंग्स पर अमल किया जाएगा ? हमारा यह विश्वास हिल गया है और यह तीन साल चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम है। घोटाले पर पर्दा डालने का रवैया अपनाया गया है। इसका नतीजा है यह सारा विरोध और यह पूरा आक्रोश। आपको याद होगा, जिस दिन सत्र आरंभ हुआ था हमने कहा था हम लोग गर्जना भी चाहते हैं और बरसना भी चाहते हैं। आपने कहा था कि क्या इकट्ठा होगा; इस सरकार ने ऐसी हवा चलाई है, सबको सदन के अंदर इकट्ठा कर दिया है। बादल कभी-कभी इकट्ठे हो जाते हैं हवा के प्रभाव से और इसका परिणाम यह है कि गतिरोध और बढ़ता जा रहा है। हमें भी इस परिस्थिति में और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। नान्या: पथ: विद्यते अद्यनाय। कोई रास्ता नहीं है। एक असहयोग का रास्ता है, समितियों से त्याग-पत्र देने का रास्ता है और आगे कौन सा कदम हो, इस पर हम सोचकर आपको सूचित करने के लिए विवश होंगे। आप अपना प्रयत्न जारी रखिए। मगर इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है इसलिए ऐसा लगता है कि रास्ते अलग-अलग हो रहे हैं। .....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :** कृपया मंत्रीजी को बोलने दें। .(व्यवधान).

**रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :** महोदय, श्री वाजपेयी जी ने अपने वक्तव्य के दौरान मेरे नाम का तथा रेलवे अभिसमय समिति का उल्लेख किया है। महोदय, रेलवे अभिसमय समिति की रिपोर्ट सभा के सामने है। माननीय सदस्य उसे एक बार फिर देख सकते हैं। हमने रेलवे अभिसमय समिति की रिपोर्ट को सम्मान दिया है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि रेलवे अभिसमय समिति ने कहा हो और जो कि सरकार द्वारा निर्णय लेने में बाधा बना हो। एक विशेष मुद्दे जिस पर कि श्री वाजपेयी जी अधिक प्रकाश डाल सकते हैं, यह केवल रेलवे अभिसमय समिति ही नहीं है, बल्कि मैंने संसद के सदस्यों को भी आमंत्रित किया है और यहां तक कि मैं स्वय भी विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के पास गया और मैंने उनसे कुछ भी नहीं छिपाया। जो कुछ भी है, मैंने उस बारे में प्रत्येक के साथ बराबर विचार विमर्श किया है।

इसे मैं कार्यवाही वृतान्त में शामिल करना चाहूँगा कि यह रेलवे मंत्रालय है जिसने रेलवे मंत्रालय की परामर्शदारी समिति के अनेक समूहों का गठन किया जहाँ विपक्ष के सदस्य संयोजक हैं और उसने इन समूहों को रेलवे के सभी पहलुओं के कार्यकरण की जांच करने की अनुमति दी है। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई अन्य मंत्रालय भी है जो कि रेलवे से अधिक पारदर्शी है। .....(व्यवधान)..... इस तरह से किसी के व्यक्तित्व पर प्रहार करना सही नहीं है। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

**श्री राजवीर सिंह** (आंवला) : मेरा प्वाईंट आफ आर्डर है। .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको आपके व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

**श्री राजवीर सिंह** (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने आर० सी० सी० कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर श्री वाजपेयी जी की बात पर खुलासा करने की कोशिक की है। मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं। क्या मंत्री जी इसका जवाब देंगे ? सदन के पटल पर रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें यह है कि एबीबी इंजिन न खरीदे जाएं, लेकिन वह सर्वसम्मति की रिपोर्ट है। .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

.....**(व्यवधान)**.....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल को बोलने की अनुमति दूंगा।

**श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** (अमरावती) : महोदय, माननीय श्री वाजपेयी जी ने कहा है कि एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है और यह सही है।

इस समय संसद के सामने प्रश्न प्रतिवेदन में निहित विषय की जाँच और इसके गुण-दोष का अध्ययन करने का नहीं है। सरकार के प्रतिवेदन वापस न लेने के रुख के कारण और विपक्ष के प्रतिवेदन पर चर्चा न करने के रुख के कारण एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में, मैं यह समझता हूं कि न तो विपक्ष को और न ही सरकार को इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना चाहिए और इस मामले को दिशा निर्देश हेतु अध्यक्ष महोदय पर छोड़ देना चाहिए।

महोदय, कौल और शकधर द्वारा लिखित 'संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार' के पृष्ठ सं० 692 में यह स्पष्ट दिया गया है। कि समिति और सरकार के बीच असहमति होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, और वास्तव में सही स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। मैं इसे पढ़ूँगा। इसमें कुछ समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस पढ़ने के लिए अनुमति देंगे जिससे यह चीज स्पष्ट हो जाए। इसमें लिखा है :

"सरकार सामान्यतया संसदीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर लेती है और उन्हें कार्यरूप में परिणत

करती है। यदि किसी सिफ़ारिश के सम्बन्ध में सरकार की राय समिति की राय से भिन्न हो, तो सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह समिति को वे कारण बतायें, जिनके आधार पर उसने सिफ़ारिश को स्वीकार किया या लागू नहीं किया। फिर समिति उस विषय पर विचार करती है और यदि आवश्यक समझा जाये तो उस सम्बन्ध में एक और रिपोर्ट सभा में पेश की जाती है।"

महोदय, पिछली बार, मैंने यह सुझाव दिया था कि इसे संसद के समक्ष, सभा के समक्ष लाया जा सकता है और इस पर यहाँ चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति इस समय अस्तित्व में नहीं है। पुस्तक में इससे आगे लिखा है :-

लोक लेखा समिति, 1952-53, की चौथी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सरकार ने इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया और अपने विचार समिति के सामने रखने से पहले ही 11 अगस्त, 1953 को एक वक्तव्य सभापटल पर रखा। समिति ने अध्यक्ष से कहा कि वह इस सम्बन्ध में आगे मार्गदर्शन करे। अध्यक्ष ने यह निदेश किया कि सभी मन्त्रालयों को एक परिपत्र भेजा जाये और उसमें यह कहा जाये कि जिन मामलों में सरकार किसी समिति द्वारा की गयी सिफ़ारिशों को कार्यरूप में परिणत करने की स्थिति में न हो, और सरकार के पास समिति की सिफ़ारिश से असहमत होने के कारण हों, तो सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार, सम्बद्ध मन्त्रालय को अपने विचार समिति के सामने रखने चाहियें और समिति यदि आवश्यक समझे तो, उस विषय पर सरकार की राय पर विचार करने के बाद एक और रिपोर्ट सभा को दे सकती है।

पुनः, वही स्थिति यहाँ उत्पन्न हो गई है। चूँकि संयुक्त संसदीय समिति इस समय आस्तित्व में नहीं है, अतः इस पर चर्चा करने और इससे आगे विचार करने के लिए सरकार के पास भेजने का अधिकार इस सभा को है। इस पुस्तक में इससे आगे लिखा है :

"जब कभी समिति और सरकार के बीच मतभेद दूर न किया जा सके तो वह मामला मार्गदर्शन के लिये अध्यक्ष को भेज दिया जाता है।"

यहाँ भी, यही स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ, मैं समझती हूँ, यह सभा इस मामले को और आगे दिशा निर्देश हेतु अध्यक्ष महोदय को सौंप देना चाहिए, यद्यपि यहाँ जो भी कहा जा रहा है, यह संपूर्ण संयुक्त संसदीय समिति का विचार नहीं है। मैं नहीं जानती कि विपक्ष जो भी कह रहा है, वही संयुक्त संसदीय समिति का भी विचार है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करती कि यह संयुक्त संसदीय समिति का विचार है। लेकिन तर्क करने के लिए, यदि हम यह मान भी लें कि यह संयुक्त संसदीय समिति का विचार है, तब भी ऐसे गत्यावरोध में प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट है और जहाँ तक दिशा निर्देश देने का संबंध है, कोई गतिरोध नहीं है। अतः मैं पुनः सभा और सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएँ, बल्कि इस मामले को आगे दिशा निर्देश हेतु अध्यक्ष महोदय को सौंप दें।

***श्री पवन कुमार बंसल*** (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज विभिन्न संसदीय समितियों से तीन माननीय नेताओं द्वारा अपने आप को पृथक करने की घोषणा से मुझे दुख हुआ है, यह बात इस पक्ष के मेरे मित्रों को दुखी करती है और देश में उन सभी लोगों को भी दुखी करेगी जो संसदीय संस्थाओं और संसदीय व्यवहार को सुदृढ़

करने के समर्थक हैं।

महोदय, दो वर्ष पहले जब आपने विभिन्न विभागों से संबंधित स्थायी समितियों का गठन करने की पहल की थी, तो सरकार ने इस पर तुरन्त सकारात्मक ढंग से उत्तर दिया था और इस महत्त्वपूर्ण मामले में स्थायी समितियों में आधे से अधिक सभापति विपक्षी नेताओं में से बनाने के लिए सहमत हो गई थी।

महोदय, यह बात लोकतांत्रिक संस्थाओं और संसद की भूमिका मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करती है। यह हमारा अनुभव है कि अनेक वर्षों से संसद, समयाभाव के कारण, सभा में अनेक अनुदानों की मांगों पर वास्तविक रूप से चर्चा नहीं कर पाती थी। महोदय, ये स्थायी समितियां अपवाद स्वरूप कार्य करती रही हैं और सरकार ने जैसा कि यह संसद के विचार को उच्च प्राथमिकता देने के लिए वचनबद्ध है, इन प्रतिवेदनों को स्वीकार किया है और इन्हें सही भाव से ग्रहण किया है।

महोदय, गत चार-पाँच दिन के दौरान, हमने जो कुछ देखा है उसे असाधारण स्थिति ही कहा जा सकता है। लेकिन, महोदय मैं यह कहे बिना नहीं रुक सकता कि संसद की भूमिका एक प्रहरी की तरह है और कार्यपालिका के कार्यों को निरीक्षण करने की भूमिका निभाना है लेकिन इसके साथ ही संसद की भूमिका सरकार को दिशा निर्देश देने की भी है। एक बार, महोदय, मुझे अवश्य ही ईमानदारी से कहना चाहिए हम यह भूमिका अदा करने में विफल रहे हैं। महोदय, यह विगत काल में घटित हुआ है कि अनेक अवसरों पर विपक्ष और सत्तापक्ष के माननीय सदस्य इस सभा के समक्ष विधेयक, संकल्प और प्रतिवेदन के रूप में आए किसी चीज के सभी पहलुओं पर सहमत नहीं हुए और, महोदय, ऐसे भी अवसर आए हैं जब अनेक विधेयकों पर जोरदार ओजपूर्ण चर्चाएं हुई हैं और एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विधेयक जो लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया था, संसद ने उसे अस्वीकार कर दिया। यह मामला कुछ समय के लिए संसद की कार्यसूची से बाहर रह गया, यद्यपि बाद में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। महोदय, मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस समय इस बात का कोई विरोध नहीं किया गया था, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी कि विपक्ष के हमारे मित्र सभा के विचार-विमर्श में भाग नहीं लेंगे बल्कि उन्होंने उस समय इस विधेयक पर मतदान किया था। महोदय, पिछले सत्र में, इस समय के सभा के समक्ष जो विधेयक था, उसके संबंध में कोई आम सहमति नहीं हुई थी। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह सदस्यों के साथ आगे चर्चा करेगी, इसे अस्थगित रखा गया और अब विधेयक को स्थायी समिति को भेज दिया गया है, उस समिति का जो भी निर्णय होगा, उसके संबंध में समिति के प्रतिवेदन का सरकार स्वागत करेगी।

महोदय, यहाँ हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ घोटाला मसले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के अनुसरण में, सरकार हमारे समक्ष एक की गई कार्यवाही प्रतिवेदन पेश कर रही है। महोदय, मैं अत्यन्त नम्रता के साथ इस विचार का खण्डन करने के लिए कुछ पीछे जाना चाहूँगा जिसे घोटाले के बारे में दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया है और मैं अपने अधिकार के साथ पूरा जोर देते हुए यह कहना चाहूँगा कि यह सरकार के सिवाय कोई नहीं था जिसने घोटाले पर ध्यान दिया और इसे तुरन्त समाप्त करने के लिए कदम उठाए। .....**(व्यवधान)**.....

**श्री श्रीकान्त जेना** (कटक) : यह गलत है।

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : फिर संयुक्त संसदीय समिति का गठन क्यों किया गया था ?

**श्री श्रीकान्त जेना :** यह इस शताब्दी का एक और मजाक है, श्री बंसल जी।

**श्री पवन कुमार बंसल** (चंडीगढ़) : मैं इस तथ्य को नहीं भूला हूं कि सरकार ने प्रेस में वक्तव्य जारी नहीं किया था, बल्कि प्रेस ने यह वक्तव्य अपने-आप प्रकाशित किया था यह बात हमें तथ्य से दूर नहीं ले जाता और यह हमें सच्चाई से दूर नहीं ले जाता। महोदय, यह वित्त मन्त्रालय में घटित हुआ था जिसके विरुद्ध उंगली उठाये जाने की मांग की गई थी और मांमले का पता लगाया गया था। यह बात किसी भी सरकार के लिए उपयुक्त नहीं है कि जब उसे किसी मामले की, बीमारी की जानकारी हो तथा वह पहल कर रही हो, ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए उपाय करने पर विचार कर रही है जो आगे बदतर हो सकते थे, वह यह कहने के लिए प्रेस में जाए कि वे यह कार्यवाही कर रहे हैं और वह कार्यवाही कर रहे हैं और वे इसका पता लगा चुके हैं। उसी दिन से सरकार ने इस पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था और पूर्ण विनम्रता के साथ मैं यह कह सकता हूं यदि सरकार ने उस समय कार्य न किया होता, तो इस घोटाले का आकार और अनुपात बहुत अधिक होता। यही वह सरकार है जिसने इसका पता लगाया। सरकार ने इसे समाप्त किया।

महोदय, मैं दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों के प्रति अत्यधिक आभारी हूं और मैं कामना करता हूं कि हमें की गई कार्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए यह अवसर और वातावरण मिले। इस पर उनके कुछ भी मतभेद हों, मैं समझता हूँ कि इस ओर ध्यान दिलाना किसी भी माननीय सदस्य का अधिकार है और इस आधार पर हम सरकार को निदेश दे सकते हैं और मैं कहता हूं कि यह हमें ही सुनिश्चित करना होगा कि विचार-विमर्श के दौरान हम इस पर प्रकाश डालें और उत्तेजना पैदा न करें।

यदि हमने ऐसा किया होता तो हम प्रतिवेदन में त्रुटियों की ओर ध्यान दिला पाते। मैं एक बात कहूँगा कि सरकार द्वारा पेश कोई भी की गई कार्यवाही प्रतिवेदन इस पर अन्तिम शब्द नहीं हो सकता। यह मेरा विचार है क्योंकि कार्यवाही एक लगातार प्रक्रिया है। आप इस प्रतिवेदन में लगे परिशिष्ट देखें।

इस रिपोर्ट के पृष्ठ 79 में कुल 41 मामलों की सूची दी गई है, जिनमें सरकार ने शिकायत दर्ज की है। उसका क्या होगा। वह निश्चित रूप से सरकार के अधिकार में नहीं आता। हमें अपनी कानूनी व्यवस्था की जानकारी है। कानून अपने तरीके से चलता है। किसी मामले के अन्त में क्या होता है, इस सरकार, विपक्ष के किसी सदस्य का किसी व्यक्ति को भी नियंत्रण नहीं होता। अगर कल को जांच पड़ताल के पश्चात् न्यायालय कोई निर्णय लेता है, तो भी मेरे विचार में सरकार को ऐसी स्थिति में इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की जाये, इसका पता लगाने के लिए इस सभा में आना पड़ेगा।

मैं इस मामले पर एक क्षण के लिए भी कोई उपदेश देने का साहस नहीं करूंगा। मैं वह कार्य करने में सक्षम नहीं हूं। मैं इतना वरिष्ठ भी नहीं हूं कि वह भूमिका स्वयं अदा कर सकूं। लेकिन मेरे विचार में चूंकि वे ऐसा कह रहे हैं, इसलिए कोई भी सरकार विपक्ष की बात केवल इसलिए नहीं मान लेती कि ऐसा कह रहे हैं। मेरे पास श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस वक्तव्य पर कि वे केवल तभी संतुष्ट होंगे जब मंत्रियों के विरूद्ध

कार्यवाही की जायेगी, प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए वास्तव में शब्द नहीं हैं। वे सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं ? क्या उनके पास मंत्रियों के विरुद्ध कोई अकाट्य प्रमाण है ? कोई भी व्यक्ति इस बात के पीछे किसी व्यक्ति पर शक जाहिर नहीं कर सकता न यह कह सकता है कि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध यह आरोप है। माननीय मंत्री सभा में आये थे। उन्होंने सभा में अपनी बात रखी अब उससे यह निष्कर्ष निकाला जाये कि उक्त मंत्रियों के नौकरशाहों तथा बैंकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये, ऐसा तो कोई बच्चा भी नहीं कहेगा। हम संसद में बैठे हुए हैं। सरकार अपने स्थान पर हैं विपक्ष अपने स्थान पर हैं, अत: यहां आप जो भी कार्यवाही करते हैं अंतत: आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। विपक्ष का कोई सदस्य उठकर यह कैसे कह सकता है कि अमुक व्यक्ति को त्यागपत्र देना चाहिये। .....(व्यवधान).....

**श्री हरिन पाठक** (अहमदाबाद) : सभा को गुमराह मत कीजिये। रिपोर्ट यह कहती है कि यह दोषी व्यक्ति हैं।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

## अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को प्रवेश

*121. **श्री राम विलास पासवान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश में कथित अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण नीति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह)** : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, कुछ छात्र संगठनों ने कुलपित को एक संयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने विद्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल को कार्यप्रणाली के संबंध में सामन्य प्रकृति की कुछ शिकायतें की हैं। इन शिकायतों का संबंध छात्रों द्वारा चुने गये कॉलेजों/पाठ्यक्रमों के बजाय उन्हें दूसरे कॉलेज और पाठ्यक्रम आवंटित करने, कुछ कॉलेजों द्वारा प्रवेश मना कर देने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रवेश के प्रभारी प्राधिकारियों द्वारा असहयोगात्मक रवैया अपनाए जाने से है।

विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि अनुसूचित जाति और अनूसूचित जनजाति के छात्रों को कॉलेजों/पाठ्यक्रमों का आवंटन पंजीकरण फार्मों में उनके द्वारा उल्लिखित कॉलेज/पाठ्यक्रमों के विकल्पों एवं योग्यता के आधार पर किया जाता है और यदि किसी उम्मीदवार को योग्यता के आधार पर अपनी पसन्द का कॉलेज नहीं मिल पाता तो उसे किसी ऐसे कॉलेज में प्रवेश दे दिया जाता है जिसमें उनके वांछित पाठ्यक्रम के लिए स्थान उपलब्ध हो, प्रवेश के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिकायत के निवारण

के लिए, विश्वविद्यालय ने प्राक्टर की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय शिकायत समिति का गठन किया है। छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के शीघ्र और कारगर निवारण को सुनिश्चित करने हेतु विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए एक उप-प्राक्टर की नियुक्ति की गई है।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश के संबंध में सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और अनुवीक्षण के लिए सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके :–

(i) विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेलों का गठन किया गया है;

(ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल का गठन किया गया है;

(iii) इस नीति के कार्यान्वयन में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा जिन कार्यनीतियों का अनुपालन किया जा रहा है, उनकी समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक अनुवीक्षण समिति का गठन किया है; और

(iv) विश्वविद्यालयों को समय-समय पर इस नीति का अनुपालन करने का स्मरण कराया जाता है और कुलपतियों/रजिस्ट्रारों की समय-समय पर समीक्षा बैठकों में आरक्षण नीति के सम्बन्ध में चर्चा की जाती है।

[अनुवाद]

## "वायु प्रदूषण"

*122. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

**श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली तथा अन्य महानगरों में फेफड़े, सांस की बीमारियां और टी. बी. के रोगियों की संख्या तुलनात्मक रूप से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन कराया गया है अथवा कराए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का क्या अनुवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) यह सत्य है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि फेफड़ों अथवा सांस की बीमारियों का एक कारण है। तथापि, वायु प्रदूषण के कारण तपेदिक नहीं होता है लेकिन वायु प्रदूषण में वृद्धि के कारण तपेदिक के लक्षणों में वृद्धि हो सकती है। सीसे जैसे कतिपय प्रदूषकों से सांस की बीमारियां नहीं होती हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर यमुनापार तथा सिरी फोर्ट में रहने वाले लोगों के संबंध मे "परिवेशी वायु गुणवता तथा मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव" विषय पर अक्तूबर, 1989 से सितम्बर, 1990 तक एक महामारी-विज्ञान संबंधी अध्ययन किया है। इस अध्ययन के निष्कर्ष यह पुष्टि करने के लिए निर्णायक नहीं हैं कि बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में फेफड़ो की बीमारियां, सांस की तकलीफें तथा तपेदिक के मामले अपेक्षाकृत अधिक होते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से "निर्धारित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में एकीकृत पर्यावरणीय रोग विज्ञान अध्ययन" आरम्भ किया है। यह अध्ययन सभी ऐसे निर्धारित 22 समस्याग्रस्त क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा जो वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के मामले में अन्य महानगरों से अधिक प्रदूषित है। वापी (गुजरात), चेम्बुर (महाराष्ट्र), ग्रेटर कोचिन (केरल) और अंगुल-तालचेर (उड़ीसा) में ये अध्ययन किए जा रहे हैं। अध्ययन में अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषित जोनों से सूचना का संग्रहण तथा विश्लेषण, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करना, जनसंख्या आंकड़े और लोगों के स्वास्थ्य का स्तर और सिफारिशों के साथ अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। अध्ययन की अवधि तीन वर्ष है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य को होने वाले खतरों (सांस संबंधी बीमारियों) के बारे में बल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान दिल्ली तथा इम्पीरियल कॉलेज ऑव साइंस, टैक्नोलॉजी एवं मेडिसिन, लंदन द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से एक और अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) सरकार ने वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :--

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्रावों एवं उत्सर्जन के लिए न्यूनतम मानक अधिसूचित करना।

(2) इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने और उद्योगों को भीड़-भाड़ वाली जगह से अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की व्यवस्था।

(3) 1995 से नए वाहनों में उपयोग के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में सीसा रहित पेट्रोल व्यवस्था शुरू करना।

(4) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित करना।

[हिन्दी]

## नई चीनी मिलें

*123. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार कितनी कम्पनियों/मिलों ने औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है;

(ग) उन मिलों के आवेदन पत्रों को निपटाने हेतु क्याकदम उठाए जा रहे हैं जिन्हें राज्य सरकारें पहले

ही स्वीकृति दे चुकी हैं; और

(घ) इन मिलों को कब तक लाइसेंस जारी कर दिए जायेंगे ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)** : (क) जी, नहीं। चालू चीनी मौसम 1993-94 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान, 30.6.1994 तक सहकारी क्षेत्र में चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा 25 आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) से (घ) देश के विभिन्न राज्यों में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना के लिए 30.6.1994 को औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 290 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 282 आवेदन पत्रों की जांच, जांच समिति द्वारा की जा चुकी है। जांच के बाद खाद्य मंत्रालय की सिफारिशें लाइसेंसिंग समिति के विचारार्थ उद्योग मंत्रालय को भेज दी गई हैं। शेष 8 आवेदन-पत्र अभी भी खाद्य मंत्रालय में विचाराधीन हैं। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद, मिलों को आशय-पत्र/लाइसेंस जारी करने के लिए उद्योग मंत्रालय की लाइसेंसिंग समिति द्वारा सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र में चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों, जारी किए गए आशय-पत्रों और लंबित आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

## विवरण

### सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों, जारी किए गए आशय-पत्रों और लंबित आवेदन-पत्रों की राज्यवार संख्या

(30.6.1994 को)

| क्रम सं० | राज्य | सहकारी क्षेत्र में प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या | जांच समिति द्वारा विचार किए गए आवेदन-पत्रों की संख्या | जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या | खाद्यमंत्रालय में विचारार्थ लंबित आवेदन-पत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उत्तर प्रदेश | 10 | 10 | 1 | - |
| 2. | महाराष्ट्र | 232 | 225 | 17 | 7 |
| 3. | हरियाणा | 5 | 5 | 1 | - |
| 4. | गुजरात | 13 | 13 | 2 | - |
| 5. | पंजाब | 11 | 11 | - | - |
| 6. | बिहार | 6 | 6 | - | - |
| 7. | तमिलनाडु | 3 | 3 | - | - |
| 8. | कर्नाटक | 9 | 8 | 4 | 1 |
| 9. | असम | 1 | 1 | - | - |
| | जोड : | 290 | 282 | 25* | 8 |

## आवश्यक वस्तुओं का आवंटन

*124. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राजेश कुमार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य ने गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल और पॉमोलीन की कितनी-कितनी मात्रा की मांग की और इन्हें इनकी कितनी-कितनी आपूर्ति की गई;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने अपना कोटा बढ़ाने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** (क) से (घ) गेहूं और चावल के आवंटन अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ये आवंटन मांग, मौसमी उपलब्धता, संगत आवश्यकताओं, उठान की प्रवृत्ति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं।

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी के मासिक आवंटन 1.10.1986 को परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के एक-समान मानदण्ड के आधार पर किए जा रहे हैं। ये मानदण्ड 1.2.1987 से लागू हैं। तद्नुसार, समस्त देश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए लगभग 3.35 लाख मीटरी टन चीनी प्रति मास आवंटित की जा रही है। इसके अलावा सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके लेवी चीनी के मासिक कोटे के अनुपात में त्यौहार कोटे के रूप में लगभग एक लाख मीटर टन चीनी प्रति वर्ष निर्मुक्त करती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई किए जाने वाले खाद्य तेलों की मात्रा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आयातित तेल (पामोलिन) की उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी तेल के बल्क आवंटन अतीत में किए गए आवंटन के आधार पर प्रतिमास किये जाते हैं। 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यों को वार्षिक अतिरिक्त आवंटन किए गए हैं जोकि समूचे राष्ट्रीय आधार पर 3% पर आधारित है।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में 1993-94 के दौरान गेहूं और चावल की मांग, आवंटन और उठान के संबंध में सूचना क्रमशः संलग्न विवरण क और ख में दी गई है, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि राज्यों/संघ

---

*इसमें सहकारी क्षेत्र से संबंधित महाराष्ट्र के 3, गुजरात का 1, बिहार का 1 और कर्नाटक का 1 मामला शामिल नहीं है, इस पर निर्णय लाइसेंसिंग समिति द्वारा अस्थगित किया गया।

राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाई गए खाद्यान्नों की मात्रा उनको आवंटित की गई मात्रा से कम रही है। एक विवरण ग संलग्न है जिसमें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लेवी चीनी के मासिक कोटे और चीनी के त्यौहार कोटे के बारे मे सूचना दी गई है। एक विवरण घ संलग्न है जिसमें 1993-94 के दौरान मिट्टी के तेल और खाद्य तेल (पामोलीन)के आवंटन और उठान के बारे में सूचना दी गई है।

## विवरण—क

**1993-94 के दौरान केन्द्रीय पूल से चावल (सा॰ वि॰ प्र॰) की मांग, आवंटन और उठान (अनन्तिम)**

चावल (हजार मीटरी टन में)

| क्रम सं॰ | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मांग | आवंटन | उठान |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2546.0 | 2282.5 | 2172.9 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 124.2 | 124.2 | 87.4 |
| 3. | असम | 685.2 | 510.8 | 397.3 |
| 4. | बिहार | 317.0 | 299.2 | 86.4 |
| 5. | गोवा | 67.2 | 54.0 | 39.8 |
| 6. | गुजरात | 414.0 | 414.0 | 238.9 |
| 7. | हरियाणा | 40.0 | 36.0 | 16.2 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 93.1 | 80.6 | 77.2 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 484.6 | 434.4 | 163.0 |
| 10. | कर्नाटक | 887.0 | 828.5 | 597.3 |
| 11. | केरल | 2604.0 | 1825.0 | 1578.3 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 538.1 | 490.8 | 190.9 |
| 13. | महाराष्ट्र | 872.0 | 858.0 | 578.0 |
| 14. | मणिपुर | 138.5 | 120.0 | 49.5 |
| 15. | मेघालय | 190.5 | 126.0 | 111.2 |
| 16. | मिजोरम | 120.0 | 103.2 | 98.4 |
| 17. | नागालैंड | 132.05 | 112.6 | 94.9 |
| 18. | उड़ीसा | 464.4 | 464.4 | 185.3 |
| 19. | पंजाब | 18.0 | 18.0 | 5.2 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 20. | राजस्थान | 84.7 | 84.6 | 18.4 |
| 21. | सिक्किम | 60.0 | 54.0 | 42.7 |
| 22. | तमिलनाडु | 941.6 | 878.8 | 856.7 |
| 23. | त्रिपुरा | 194.4 | 194.4 | 146.8 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 738.4 | 535.6 | 232.5 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 1166.0 | 967.2 | 528.9 |
| 26. | अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह | 36.0 | 36.0 | – |
| 27. | चण्डीगढ़ | 6.2 | 3.6 | 2.4 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 6.45 | 6.0 | 1.1 |
| 29. | दमन और दीव | 6.9 | 6.0 | 1.2 |
| 30. | दिल्ली | 240.0 | 240.0 | 143.0 |
| 31. | लक्षद्वीप | 6.3 | 6.3 | 3.3 |
| 32. | पांडिचेरी | 24.0 | 24.0 | 3.4 |
| | जोड : | 14246.8 | 12218.7 | 8748.5 |
| | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल | 18.0 | 18.0 | 18.5 |
| | रक्षा | 148.2 | 148.2 | 110.1 |
| | भूटान | 22.2 | 22.2 | 7.5 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 14435.2 | 12407.1 | 8884.6 |

## विवरण-ख

1993-94 के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं (सा॰ वि॰ प्र॰) की मांग, आवंटन और उठान (अंनन्तिम) को बताने वाला विवरण।

गेहूं **(हजार मिटरी टन में)**

| क्रम सं॰ | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मांग | आवंटन | उठान |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 235.00 | 172.60 | 117.00 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 13.70 | 7.20 | 6.50 |
| 3. | असम | 438.00 | 260.00 | 231.80 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 31. | लक्षद्वीप | 0.50 | 0.50 | Neg. |
| 32. | पांडिचेरी | 9.00 | 9.00 | Neg. |
| | जोड़ | 12904.08 | 9368.10 | 5723.20 |
| | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल | 30.00 | 30.00 | 27.20 |
| | रक्षा | 141.00 | 140.00 | 101.60 |
| | भूटान | 20.40 | 20.40 | 11.70 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारत) | 13095.48 | 9558.50 | 5863.70 |

## विवरण-ग

लेवी चीनी के कोटे, 5% की तदर्थ अतिरिक्त वृद्धि और त्यौहार कोटे को बताने वाला विवरण :

(आंकड़े मीटर टन में)

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मासिक सामान्य कोटा | 5% की मासिक तदर्थ वृद्धि (अगस्त, 91 से मार्च, 1994 तक (अनुमेय) | प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 25281 | 1264 | 7614 |
| 2. | अंडमान निकोबार | 247 | 12 | 74 |
| 3. | अरूणाचल प्रदेश | 314 | 16 | 94 |
| 4. | असम | 9617 | 481 | 2896 |
| 5. | बिहार | 33459 | 1673 | 10078 |
| 6. | चण्डीगढ़ | 372 | 19 | 112 |
| 7. | दादर और नगर हवेली | 51 | 3 | 14 |
| 8. | दिल्ली | 8721*+1200 = 9921** | 436 | 2316 |
| 9. | गोवा | 500 | 25 | 150 |
| 10. | दमन | 24 | 1 | |
| 11. | दीव | 15 | 1 x | 12 |
| 12. | गुजरात | 16194 | 810 x x | 4878 |
| 13. | हरियाणा | 6386 | 319 | 1924 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 2019 | 101 | 608 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 2884 + 252 = 3136 @ | 144 | 868 |
| 16. | कर्नाटक | 17769 | 888 | 5350 |
| 17. | केरल | 11953 | 598 | 3600 |
| 18. | लक्षद्वीप | 71 | 4 | 22 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 25031 | 1252 | 7536 |
| 20. | महाराष्ट्र | 29938 | 1497 | 9014 |
| 21. | मणिपुर | 694 | 35 | 208 |
| 22. | मेघालय | 662 | 33 | 200 |
| 23. | मिज़ोरम | 261 | 13 | 78 |
| 24. | नागालैण्ड | 426 | 21 | 128 |
| 25. | उड़ीसा | 12393 | 620 | 3730 |
| 26. | पांडिचेरी | 305* | 15.2 | 64 |
| 27. | कराइकल | 73 | 3.7 | 18 |
| 28. | माहे | 15 | 0.7 | 4 |
| 29. | यनम | 7 | 0.4 | 2 |
| 30. | पंजाब | 7945 | 397 | 2392 |
| 31. | राजस्थान | 16914 | 846 | 5092 |
| 32. | सिक्किम | 165 | 8 | 50 |
| 33. | तमिलनाडु | 22547 | 1127 | 6790 |
| 34. | त्रिपुरा | 1001 | 50 | 302 |
| 35. | उत्तर प्रदेश | 52926 | 2646 | 15936 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 25888 | 1294 | 7796 |
| | जोड़ | 334520 | 16654 | 99950 |

*इसमें मई, 1990 और इससे आगे दिल्ली के सम्बन्ध में कोटे में 1032 मीटरी टन की और पांडिचेरी के सम्बन्ध में 108 मीटरी टन की वृद्धि शामिल है।

**इसमें जुलाई, 1993 से बढ़ाई गई 1200 मीटरी टन की मात्रा शामिल है।

@इसमें फरवरी, 1994 से बढ़ाई गई 252 मीटरी टन की मात्रा शामिल है।

## विवरण-घ

1993-94 के दौरान मिट्टी के तेल के आवंटन और उठान तथा पामोलिन तेल के आवंटन और उठान

(मात्रा मीटरी टन में)

| क्रम सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मिट्टी का तेल आवंटन | मिट्टी का तेल उठान | पामोलिन आवंटन | पामोलिन उठान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 594223 | 590946 | 7000 | 4600 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 9391 | 9279 | 150 | 10 |
| 3. | असम | 249181 | 250431 | 200 | 30 |
| 4. | बिहार | 518590 | 512524 | 364 | 50 |
| 5. | गोआ | 27132 | 27147 | 1050 | 758 |
| 6. | गुजरात | 790313 | 792720 | 6000 | 4500 |
| 7. | हरियाणा | 154532 | 153013 | 400 | 22 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 38471 | 37637 | 800 | 667 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 88206 | 68142 | 500 | – |
| 10. | कर्नाटक | 448427 | 448954 | 2700 | 893 |
| 11. | केरल | 267647 | 268083 | 9077 | 4994 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 411534 | 409971 | – | 65 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1497302 | 1501671 | 2600 | 2380 |
| 14. | मणिपुर | 21367 | 21518 | 200 | 200 |
| 15. | मेघालय | 15448 | 15497 | 200 | 53 |
| 16. | मिजोरम | 6134 | 6137 | 200 | 120 |
| 17. | नागालैण्ड | 10184 | 10180 | 652 | 514 |
| 18. | उड़ीसा | 173952 | 171765 | 1000 | – |
| 19. | पंजाब | 322461 | 319255 | – | – |
| 20. | राजस्थान | 285702 | 281779 | 1400 | 130 |
| 21. | सिक्किम | 7481 | 7445 | 300 | 250 |
| 22. | तमिलनाडु | 666903 | 662931 | 1500 | 149 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | त्रिपुरा | 21493 | 21077 | 200 | – |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 971517 | 966813 | 1200 | – |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 745094 | 742921 | 2167 | 1586 |
| 26. | अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | 3041 | 3703 | 100 | 100 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 20928 | 18435 | 100 | – |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 3108 | 3099 | 100 | 90 |
| 29. | दमन और दीव | 2944 | 2884 | 250 | 168 |
| 30. | दिल्ली | 238540 | 239748 | 4000 | 1218 |
| 31. | लक्षद्वीप | 876 | 465 | 250* | 237 |
| 32. | पांडिचेरी | 14720 | 14184 | 225 | 208 |

*इसमें अप्रैल 1994 से जुलाई, 1994 की अवधि के लिए किए गए अग्रिम आवंटन के रूप में 100 मीटर टन की मात्रा शामिल है।

[अनुवाद]

## पर्वतीय क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क

***125. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से अविकसित तथा अल्पविकसित क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी लाइनों के सर्वेक्षण तथा निर्माण पर, पृथक-पृथक राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन कार्यों के लिये कितना योजना और वित्तीय परिव्यय रखा गया है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मंडल में रेल लाइन के सर्वेक्षण हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) अब तक सर्वेक्षण न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) सर्वेक्षण कब तक करा लिया जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) जी हां,**

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में राज्यवार सर्वेक्षण तथा नयी लाइनों के निर्माण पर अलग-अलग खर्च की गई राशि :

**1. नई लाइनों का निर्माण**

| राज्य | लाइन | 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च की गई राशि |
|---|---|---|
| --- | --- | |
| हिमाचल प्रदेश | नंगल डैम-ऊना | 13.74 करोड़ रु॰ |
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू-ऊधमपुर | 34.14 करोड़ रु॰ |
| उत्तर प्रदेश | रामपुर-काठगोदाम | 14.05 करोड़ रु॰ |
| पूर्वोत्तर राज्य | धरमनगर-कुमारघाट | 26.94 करोड़ रु॰ |
| | लाला बाजार-बैराबी | 24.44 करोड़ रु॰ |
| | बाल्लीपाड़ा-भालूकपोंग | 5.22 करोड़ रु॰ |
| | सिलचर-जिरीबाम | 27.69 करोड़ रु॰ |
| | आगगुड़ी-तुली | 1.40 करोड़ रु॰ |
| | पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुल | 85.69 करोड़ रु॰ |
| म॰ प्र॰ | सतना-रीवा | 13.91 करोड़ रु॰ |
| उड़ीसा | कोरापुर-रायगड़ा | 233.91 करोड़ रु॰ |
| | तालचेर-सम्बलपुर | 1.00 करोड़ रु॰ |
| | उड़ीसा राज्य के लिए कुल | 234.91 करोड़ रु॰ |

**2. सर्वेक्षण**

7वीं, पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वेक्षण पर राज्यवार किया गया खर्च इस प्रकार है :-

| राज्य | 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खर्च की गई राशि |
|---|---|
| हिमाचल प्रदेश | 67.89 लाख रु॰ |
| उत्तर प्रदेश | 37.74 लाख रु॰ |
| पूर्वोत्तर राज्य | 115.6 लाख रु॰ |
| उड़ीसा | 38.00 लाख रु॰ |
| बिहार | 22.64 लाख रु॰ |

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान इन प्रयोजनों के लिए योजना तथा वित्तीय परिव्यय :

1. पहाड़ी क्षेत्रों खासतौर पर कम विकसित और अविकसित क्षेत्रों में नई लाइनों के निर्माण की योजना:

(क) 8वीं योजना के दौरान जिन लाइनों को पूरा करने की योजना बनाई गई है, वे इस प्रकार हैं:-

| राज्य | लाइन | लक्ष्य |
|---|---|---|
| म० प्र० | सतना-रीवा (50 कि० मी०) | पूरी हो गयी है। |
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू-ऊधमपुर (56 कि० मी०) | 96-97 |
| उ० प्र० | रामपुर-काठगोदाम (87 कि० मी०) | पूरी हो गयी है। |
| उड़ीसा | कोरापुट-रायगड़ा (164 कि० मी०) | 94-95 |
| | तालचेर-सम्बलपुर (172 कि० मी०) | 95-96 |
| कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा | कोंकण रेलवे (760 कि० मी०) | 95-96 |

(ख) ऐसे क्षेत्रों में वे लाइनें जिनकी प्रगति आठवीं योजना में होगी, इस प्रकार है:-

| राज्य | लाइन | लक्ष्य |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | पनवेल-करजत (15 कि० मी०) | 97-98 |
| जम्मू और कश्मीर | ऊधमपुर-श्रीनगर (195 कि० मी०) | 99-2000 |
| उड़ीसा | दैतारी बांसपानी (147 कि० मी०) | 98-99 |
| | खोरदा रोड-बोलनगीर (289 कि० मी०) | 99-2000 |

(2) वे सर्वेक्षण कार्य जो आठवीं योजना में अभी चल रहे हैं और शुरू किये गए हैं, इस प्रकार हैं :

1. बिहार में दुमका से मन्दारहिल तक
2. उ० प्र० में रामनगर चौखुटिया तक
3. त्रिपुरा में कुमारघाट से अगरतल्ला तक
4. असम में मुरकोंगसेलक से पासीघाट तक
5. कर्नाटक में कुर्ग के रास्ते तेल्लीचेरी और मैसूर
6. हिमाचल प्रदेश में बानुपल्ली-बिलासपुर तक
7. बिहार में रांची-हजारीबाग-गया तक
8. केरल में अंगमाली तक विस्तार सहित एरूमली तथा साबरी के रास्ते कोट्टयम से यूनालूर तक
9. कर्नाटक में बेलूर के रास्ते खादूर-चिकमगलूर-सकलेसपुर तक
10. कर्नाटक तथा तमिलनाडु में सत्यमंगलम के रास्ते चामराजनगर से मेटटपालेयम तक

(3) ऐसी लाइनों के निर्माण पर 8वीं योजना में अभी तक इस प्रयोजन के लिए खर्च की गई राशि तथा

1994-95 में मुहैया कराया गया परिव्यय इस प्रकार है:-

| राज्य | लाइन | 94-95 तक 8वीं योजना में मुहैया करायी गई राशि (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|
| म॰ प्र॰ | सतना-रीवा | 29.95 रु॰ |
| महाराष्ट्र | पनतल-करजत | 3.64 रु॰ |
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू-ऊधमपुर | 114.36 रु॰ |
| | ऊधमपुर-श्रीनगर | 1.00 रु॰ |
| | जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए कुल | 115.36 रु॰ |
| उ॰ प्र॰ | रामपुर-काठगोदाम | 54.90 रु॰ |
| उड़ीसा | दैतारी-बांसपानी | 34.50 रु॰ |
| | कोरापुट-रायगड़ा | 170.02 रु॰ |
| | तालचेर-सम्बलपुर | 133.76 रु॰ |
| | खोरदा रोड-बोलंगीर | 1.00 रु॰ |
| | उड़ीसा राज्य के लिए कुल | 339.28 रु॰ |
| पूर्वोत्तर राज्य | धरम नगर-कुमारघाट | 5.41 रु॰ |
| | लालाबाजार-बैराबी | 5.34 रु॰ |
| | बल्लीपाड़ा-भलुकपोंग | 3.80 रु॰ |
| | सिलचर-जिरीबाम | 4.26 रु॰ |
| | आमगुड़ी-तुली | 11.56 रु॰ |
| | पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुल | 30.37 रु॰ |
| कर्नाटक महाराष्ट्र और गोवा | कोंकड़ रेलवे | 1800.00 रु॰ (लगभग) |

**नोट : उपर्युक्त विवरण में 8वीं योजना के अंतर्गत दर्शाये गए आंकड़ों में 90-91 तथा 91-92 की दो वार्षिक योजनाओं का परिव्यय भी शामिल है.**

1995-96 तथा 1996-97 के लिए वित्तीय परिव्यय अभी निर्धारित नहीं किये गए हैं.

(घ) जी हां.

(ङ) निम्नलिखित लाइनों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं :-

(i) हर्बतपुर और कलसी के रास्ते-ऋषिकेश-देहरादून-यमुना बैराज (82 कि॰ मी॰)

(ii) दौराला-हस्तिनापुर-बिजनौर/धामपुर-कोटद्वार (95 कि॰ मी॰) तक

(iii) (कंसराव के रास्ते) ऋषिकेश-देहरादून तक

(iv) देहरादून-कर्णप्रयाग (125 कि॰ मी॰)

(च) संसाधनों की तंगी।

(छ) फिलहाल सर्वेक्षण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## केन्द्रीय विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा

*126. **श्री मुहीराम सैकिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में लगभग तीन वर्ष पहले कम्पयूटर शिक्षा योजना शुरू की गई थी तथा इस संबंध में विद्यार्थियों से बड़ी राशि एकत्र की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षेत्रवार एकत्र की गई राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह योजना अकस्मात बंद कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या इस योजना को अकस्मात बंद करने के बाद विद्यार्थियों को कोई राशि वापस करने की व्यवस्था की गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :** (क) से (च)

भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्कूलों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता जानकारी और अध्ययन परियोजना केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 1984-85 से कार्यान्वित की जा रही है। इन विद्यालयों में कोई अन्य कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम नहीं है। तथापि, वर्ष 1991-92 में कुछ कम्प्यूटर फर्मों ने केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों को कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन को एक योजना की पेशकश की थी। इस योजना के अंतर्गत, छात्रों द्वारा फीस देने पर केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के लिए केंद्रीय विद्यालय परिसर में प्रयोगात्मक आधार पर कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। मांग का निर्धारण करने के लिए दस स्कूलों के छात्रों से, जहां कम्प्यूटर शिक्षा प्रारंभ करने का प्रस्ताव था, जनवरी, 1992 में प्रारंभिक विकल्प मांगे गये थे और फीस एकत्र की गई। तथापि, प्रशासनिक कारणों से योजना को कार्यरूप नहीं दिया जा सका और छात्रों से एकत्र की गई फीस को वापस करने के संबंध में पून, 1992 में आदेश जारी किए गए। एकत्र की गई 20,00,031 रुपये की राशि में से 18,49, 735/-रुपये पहले ही वापस कर दिए गए हैं और शेष राशि को वापस करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

## अलाभकारी रेल मार्ग

127. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

**श्री हरिकेवल प्रसाद :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के विभिनन डिवीजनों के अंतर्गत रेल मार्गों की आर्थिक लाभप्रदता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन डिवीजनों के अंतर्गत कौन-कौन से रेल मार्ग अलाभकारी हैं ; और

(घ) इन रेल मार्गों को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) सभी शाखा लाइनों की अर्थक्षमता या अन्यथा के निर्धारण के लिए प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है।

(ख) 1992-93 के लिए की गई इस प्रकार की समीक्षा के अनुसार उत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों पर 16 शाखा लाइनें अलाभप्रद पायी गई हैं जिनसे 17.51 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ग) और (घ): विवरण संलग्न है।

### विवरण

**1. उत्तर रेलवे पर अलाभप्रद शाखा लाइनों के नाम :**

**(हानि हजार रुपयों में)**

| क्र॰ सं॰ | शाखा | लाइन का नाम | मंडल | 1992-93 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ब॰ ला॰ | रोहतक-गोहाना | दिल्ली | 31,01 |
| 2. | ब॰ ला॰ | गोहाना-पानीपत | दिल्ली | 40,20 |
| 3. | ब॰ ला॰ | बटाला-कादियां | फिरोजपुर | 73,30 |
| 4. | ब॰ ला॰ | वेरका-डेरा बाबा नानक | फिरोजपुर | 3,23,33 |
| 5. | छो॰ ला॰ | पठानकोट-जोगिन्दर नगर | फिरोजपूर | 2,83,95 |
| 6. | ब॰ ला॰ | फगवाड़ा-जैजों दोआबा | फिरोजपुर | 1,59,98 |
| 7. | मी॰ ला॰ | गढ़ी-हरसरू-फर्रुखनगर | बीकानेर | 22,12 |
| 8. | मी॰ ला॰ | रतनगढ़-सरदार शहर | बीकानेर | 18,72 |
| 9. | मी॰ ला॰ | लालगढ़-श्रीकोलायतजी | बीकानेर | 30,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10. | ब॰ ला॰ | डलमऊ-दरयापुर | लखनऊ | 23,37 |
| 11. | छो॰ ला॰ | कालका-शिमला | अम्बाला | 3,50,13 |
| 12. | मी॰ ला॰ | पिपर रोड-बिलाड़ा | जोधपुर | 61,78 |
| 13. | मी॰ ला॰ | समदड़ी-मुनाबाव | जोधपुर | 2,27,60 |
| 14. | मी॰ ला॰ | मकराना-परबतसर | जोधपुर | 28,50 |
| 15. | मी॰ ला॰ | भिलडी-रानीवाड़ा | जोधपुर | 51,17 |
| 16. | ब॰ ला॰ | राजा-का-साहसपुर-संभल-हातिस सराय | मुरादाबाद | 24,82 |
| | | जोड़ | | 17,51,00 |

**(ii) इन लाइनों को अर्थक्षम बनाने के लिए किए गए उपाय :**

(क) कर्मचारियों की संख्या में कमी निम्नानुसार यह लक्ष्य हासिल किया गया :-

(1) स्टेशनों को ठेकेदार परिचालित हाल्टों में डाउन ग्रेड करना।

(2) 'केवल एक इंजन' की प्रणाली शुरू करना जिससे खंड पर किसी समय केवल एक गाड़ी रह सकती है। इससे ब्लाक संचालन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और इस प्रकार कर्मचारियों की आवश्यकता में कमी आती है।

(3) केवल दिन के समय चलने वाली गाड़ियों सहित गाड़ी सेवाओं में कटौती करना और रविवार तथा अवकाश, आदि के दिन गाड़ियां रद्द करना।

(4) खंड पर चलने वाली गाड़ियों में चल टिकट परीक्षकों/बुकिंग क्लर्कों द्वारा यात्री टिकट जारी करना।

(ख) निम्नलिखित द्वारा अवसंरचना में कमी :

(1) साइडिंगों को उखाड़ना।

(2) सिगनल उपस्करों को उखाड़ना।

[अनुवाद]

## शीरे का मूल्य

***128. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शीरे पर से नियंत्रण हटाने के बाद विभिन्न राज्यों में इसके औसत मूल्य क्या-क्या हैं ;

(ख) शीरे की बिक्री से एक लाख टन गन्ने की पिराई करने वाली चीनी मिल को औसतन कितना लाभ हुआ है; और

(ग) कितनी मिलों ने शीरे की बिक्री का 50 प्रतिशत लाभ गन्ना उत्पादकों को दिया है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :** (क) मौसम 1993-94 के दौरान 31.3.1994

तक 188 चीनी फैक्ट्रियां, जिनके विवरण उपलब्ध हैं, द्वारा शीरे की बिक्री से प्राप्त लेवी चीनी की क्षेत्रवार औसत वसूली दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) चीनी फैक्ट्रियों का लाभ/घाटा विभिन्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे-गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता, प्लांट एवं मशीनरी का आकार, आयु और स्थिति, तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमता, गन्ना मूल्य, चीनी एवं उपोत्पादन से बिक्री वसूली आदि। अत: केवल शीरे की बिक्री से प्राप्त औसत लाभ को अलग नहीं माना जा सकता है।

(ग) शीरे सहित उपोत्पादन की बिक्री से प्राप्त आय को चहनी उत्पादन की अधिसूचित लागत की गणना करते समय ध्यान में रखा गया है। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उपर्युक्त उत्पादन लागत पर आधारित अतिरिक्त वसूली को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 से खंड 5क के प्रावधानों के अनुसार गन्ना उत्पादकों और चीनी फैक्ट्रियों के बीच बांटा जाना है।

## विवरण

मौसम 1993-94 के दौरान 31.3.94 तक शीरे की बिक्री से प्राप्त लेवी चीनी की क्षेत्रवार औसत वसूली :

| लेवी चीनी क्षेत्र | औसत वसूली रुपये/क्विंटल |
|---|---|
| पंजाब | 122.46 |
| हरियाणा | 64.72 |
| राजस्थान | 135.00 |
| पश्चिमी उत्तर प्रदेश | 94.86 |
| मध्य उत्तर प्रदेश | 81.30 |
| पूर्वी उत्तर प्रदेश | 107.97 |
| मध्य प्रदेश | 205.05 |
| दक्षिण गुजरात | 164.69 |
| सौराष्ट्र | 210.23 |
| दक्षिण महाराष्ट्र | 117.26 |
| उत्तर भहाराष्ट्र | 142.28 |
| मध्य महाराष्ट्र | 138.48 |
| बिहार | 102.74 |
| उड़ीसा, असम, नागालैण्ड | 245.27 |
| पश्चिमी बंगाल | |
| आन्ध्र प्रदेश | 135.27 |
| कर्नाटक | 150.52 |
| तमिलनाडु और पांडिचेरी | 106.87 |
| केरल, गोआ और कॉस्टल कर्नाटक | 250.00 |

## चट्टानों पर बनी मूर्तियां

*129. **श्री रवि राय :**

**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1994 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अजन्ता, एलोरा और औरंगाबाद की चट्टानों पर बनी विश्व प्रसिद्ध मूर्तियां इस क्षेत्र में तीव्र औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप पर्यावरण में आई गिरावट और वायु प्रदूषण के कारण खराब हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :** (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अजन्ता एलोरा की गुफाओं के बारे में 8 जुलाई 1994 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित समाचार को पहले ही देख लिया है। विकृत पर्यावरण ओर वायु-प्रदूषण के कारण कोई खराबी नहीं आई है। तथापि, इन स्मारकों के जीर्ण होने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, जिसकी रोकथाम संरक्षण के उपायों द्वारा की जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चित्रों का रासायनिक संरक्षण करने तथा चट्टानों के जोड़ों को मिलाने एवं चट्टानों की सतह को जल-रोधी बनाने और जलनिकास की आवश्यक व्यवस्था करने के कार्य किए हैं।

## चीनी उद्योग

*130. **डा॰ बसन्त पवार :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण संबंधी योजनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित योजना से राज्यवार कौन-कौन से एकक लाभान्वित होंगे ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** (क) से (ग) केन्द्र सरकार (विज्ञान एवं तकनीकी विभाग) ने प्रभावी ढंग से चीनी का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय चीनी उद्योग में वर्तमान चीनी उत्पादन तकनीकी सुधारों पर एक चीनी तकनीकी मिशन का गठन किया है। मिशन मोड़ परियोजना 5 वर्षों में पूरी की जानी है और इसकी अनुमानित लागत 225 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत प्रारंभ में तकनीकी सुधारों और कमजोर वित्तीय एककों का आधुनिकीकरण की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध करने के लिए देश में विभिन्न भागों में 30 चीनी फैक्ट्रियां चुनी जाएंगी।

इसके अतिरिक्त खाद्य मंत्रालय चीनी फैक्ट्रियों को चीनी उद्योग के विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए

चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। 30.6.1994 तक प्रदान की गई सहायता का विवरण निम्न-प्रकार है :-

| | | स्वीकृत राशि | संवितरित राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | गन्ना विकास योजनाएं | 422.49 | 255.01 |
| 2. | आधुनिकीकरण/पुनःस्थापन परियोजनाएं | 441.64 | 377.90 |
| 3. | अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायक अनुदान | 30.10 | 12.54 |
| | **जोड़** | **894.23** | **645.45** |

[हिन्दी]

## साक्षरता दर

***131. श्री पंकज चौधरी :**

**श्री जनार्दन मिश्र :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1951 और 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यवार साक्षरता दर कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या साक्षरता दर में निरंतर वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत दशक के दौरान पुरुष साक्षरता दर की तुलना में महिला साक्षरता दर में अधिक वृद्धि हुई है;

(ङ) महिला साक्षरता में हुई इस उपलब्धि के लिए कौर-कौन जिम्मेदार हैं; और

(च) न्यूनतम साक्षरता स्तर से नीचे वाले राज्यों को अखिल भारतीय साक्षरता स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :** (क) से (ग) देश में साक्षरता दर वर्ष 1951 से लगातार बढ़ी है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है:-

| वर्ष | साक्षरता दर | साक्षरता दर में दस वर्षीय वृद्धि |
|---|---|---|
| 1951 | 18.33 | - |
| 1961 | 28.31 | 9.98 |
| 1971 | 34.45 | 6.14 |
| 1981 | 43.56 | 9.11 |
| 1991 | 52.21 | 8.55 |

वर्ष 1951 तथा 1991 की जनगणना के अनुसार राज्यवार साक्षरता दर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

टिप्पणी: 1. वर्ष 1951, 1961 तथा 1971 के लिए साक्षरता की दरें पांच वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या से संबंधित हैं। वर्ष 1981 तथा 1991 की साक्षरता दरें, सात वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या से संबंधित हैं।

2. वर्ष 1981 की दरों में असम को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां 1981 में जनगणना नहीं की जा सकी थी। वर्ष 1991 की जनगणना दरों में जम्मू व कश्मीर शामिल नहीं हैं क्योंकि वहां 1991 की जनगणना अभी की जानी है।

(घ) जी हां, सात वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में महिला साक्षरता दर वर्ष 1981 में 29.75% से बढ़कर वर्ष 1991 में 39.42% हुई है जो कि 9.67 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान, पुरुष साक्षरता दर में 7.76% की वृद्धि हुई, साक्षरता प्रतिशत 56.37 से 64.13 हो गया।

(ङ) पिछले दशक के दौरान महिला साक्षरता की दरों में जिन कारणों से वृद्धि हुई है उनमें मुद्रित तथा गैर-मुद्रित सामग्री के माध्यम से महिलाओं में साक्षरता की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता के बारे में अधिकाधिक जागरूकता पैदा करना, विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से लड़कियों के स्कूलों में दाखिले तथा उन्हें पढ़ाई में बनाए रखने पर अधिक बल देना, आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के माध्यम से अतिरिक्त महिला.शिक्षकों की नियुक्ति, लड़कियों तथा महिलाओं को गतिशील बनाने तथा विशेषकर उन जिलों में, जहां पूर्ण साक्षरता अभियानों को शुरू किया गया है, कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए विभिन्न कदम उठाना, अभियानों में विभिन्न कार्यों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता पर बल देना, 9-14 आयु वर्ग में निरक्षरों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल देना तथा महिला समाख्या तथा समेकित बाल विकास योजना आदि कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार देने तथा उनकी साक्षरता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

(च) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, स्कूल बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, जिसका लक्ष्य 1995 तक 15-35 आयु वर्ग में 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, देश में निरक्षरता दूर करने के लिए एक बृहत कार्यक्रम का अंग है। जिसमें शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों संघशासित क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए गए हैं। पूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के जिलों को शामिल करने की दिशा में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे साक्षरता कार्यक्रमों में लड़कियों तथा महिलाओं की गतिशीलता तथा सहभागिता को भी साथ-साथ सुनिश्चित किया जा सकेगा।

## विवरण

राज्यवार साक्षरता दर :

| क्रम सं॰ | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | साक्षरता दर | |
|---|---|---|---|
| | | 1951 | 1991 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| भारत | | 16.6* | 52.21* |
| | राज्य | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 13.2 | 44.09 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | उ॰ न॰ | 41.59 |
| 3. | असम | 18.3** | 52.89 |
| 4. | बिहार | 12.2 | 38.48 |
| 5. | गोवा | 22.9+ | 75.51 |
| 6. | गुजरात | 23.0 | 61.29 |
| 7. | हरियाण | उ॰ न॰ | 55.85 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 7.7 | 63.86 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | उ॰ न॰ | उ॰ न॰ |
| 10. | कर्नाटक | 19.3 | 56.04 |
| 11. | केरल | 40.7 | 89.81 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 9.8 | 44.20 |
| 13. | महाराष्ट्र | 20.9 | 64.87 |
| 14. | मणिपुर | 11.4 | 59.89 |
| 15. | मेघालय | उ॰ न॰ | 49.10 |
| 16. | मिजोरम | उ॰ न॰ | 82.27 |
| 17. | नागालैंड | 10.4 | 61.65 |
| 18. | उड़ीसा | 15.8 | 49.09 |
| 19. | पंजाब | 15.2++ | 58.51 |
| 20. | राजस्थान | 8.9 | 38.55 |
| 21. | सिक्किम | 7.3 | 56.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 22. | तमिलनाडु | 20.8 | 62.66 |
| 23. | त्रिपुरा | 15.5 | 60.44 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 10.8 | 41.60 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 24.0 | 57.70 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | |
| 1. | अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह | 25.8 | 73.02 |
| 2. | चंडीगढ़ | उ० न० | 77.81 |
| 3. | दादरा और नगर हवेली | 4.0 | 40.71 |
| 4. | दमन और दीव | उ० न० | 71.20 |
| 5. | दिल्ली | 38.4 | 75.29 |
| 6. | लक्षद्वीप | 15.2 | 81.78 |
| 7. | पांडिचेरी | उ० न० | 74.74 |

टिप्पणी: *जम्मू व कश्मीर, अरूणाचल प्रदेश (एन० ई० एफ०ए०) तथा पांडिचेरी को शामिल नहीं किया गया है।

**मेघालय तथा मिजोरम को शामिल किया गया है।

+दमन व दीव को शामिल किया गया है।

++हरियाणा, चंडीगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश को स्थानान्तरित किए गए कुछ क्षेत्र शामिल किए गए हैं।

+ जम्मू व कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इस राज्य में वर्ष 1991 के दौरान जनगणना नहीं की गई थी।

**[अनुवाद]**

## पर्यावरणीय शिक्षा

***132. श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्कूलों और कालेजों की पाठ्यचर्या में पर्यावरणीय पाठ्यक्रम को शामिल करने का निर्देश दिया था, और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने हेतु इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :** (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने, 22 नवंबर, 1991 को निर्देश दिया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर्यावरणीय पर पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए

विश्वविद्यालयों से अपेक्षा करेगा और यह कि विश्वविद्यालय कालेज शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण को एक अनिवार्य विषय बनाने की व्यवहार्यता पर विचार करेंगे। स्कूल स्तर पर, आदेश में, श्रेणीकृत रूप में अनिवार्य पर्यावरणीय शिक्षा आरंभ करने के लिए राज्य सरकारों तथा शिक्षा बोर्डों से अपेक्षा की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, आयोग ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि वे अवर स्नातक स्तर पर बुनियादी पाठ्यक्रमों में पर्यावरण संबंधी कैप्सूल को शामिल करें तथा विभिन्न विषयों के पाठ्य-विवरणों में पर्यावरणीय पहलुओं को भी शामिल करें। पर्यावरण पर लगभग 150 पृष्ठों की एक पुस्तक तैयार की जाएगी तथा उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले निर्देशों को आगे कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालयों को परिचालित की जाएगी। कालेज स्तर पर, अनिवार्य पर्यावरणीय शिक्षा के संबंध में निर्देशों के क्रियान्वयन को प्रभावी रूप से मानीटर करने के लिए, आयोग इस पहलू पर कार्य करने के लिए एक प्रकोष्ठ (सैल) स्थापित करने के लिए भी सहमत हो गया है। इस विषय पर एक मॉडल पाठ्य-विवरण विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दिया गया है, उनसे अकादमिक स्टाफ कालेजों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पर्यावरण संबंधी निवेश प्रदान करने के लिए भी कहा गया है।

सामान्यतया, पर्यावरण शिक्षा स्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों में पर्यावरण की दृष्टि से प्रासंगिक संकल्पनाओं और तथ्यों को शामिल करके प्रदान की जाती है। तदनुसार वर्ष 1993-94 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपर प्राथमिक स्तर तक की स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या तथा पाठ्य-पुस्तकों की पुनरीक्षा करने तथा छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना पैदा करने के वास्ते अन्य उपाय करने के लिए 6.85 करोड़ रुपये की राशि की सहायता प्रदान की गई थी। चालू योजना के दौरान, इस प्रक्रिया का माध्यमिक तथा सीनियर माध्यमिक स्तरों तक भी विस्तार करने के लिए 10.00 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह वित्त पोषण केंद्रीय प्रायोजित योजना "स्कूल शिक्षा हेतु पर्यावरणीय अनुस्थापन" के जरिए किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (रा॰ शै॰ अनु॰ प्र॰ परि॰) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए स्कूली शिक्षा की सभी स्तरों की पाठ्यचर्याओं और पाठ्य पुस्तकों की पुनरीक्षा पहले ही कर ली है।

[हिन्दी]

## इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र

***133. डा॰ साक्षी जी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र खोले गए हैं,

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन देशों में खोले गए है;

(ग) क्या भविष्य में कुछ और अध्ययन केन्द्र खोलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 1994-95 के दौरान देश में 20 और केन्द्र खोलने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

## रेल यातायात में वृद्धि

*134. **श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि की तुलना में रेल यात्रियों की संख्या और माल आवागमन में हुई वृद्धि का जोन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आय में तुलनात्मक वृद्धि कितनी हुई है; और

(ग) रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) गत छः महीनों (जनवरी से जून 1994) के दौरान पिछले तीन वर्षों की तदनुरूपी अवधि की तुलना में यात्री और माल यातायात का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

### यात्री यातायात (जनवरी-जून)

| रेलवे | प्रारंभिक यात्रियों की संख्या (मिलियन) | | | | 1994 की तुलना में कमी बेशी का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1991 | 1992 | 1993 |
| मध्य | 519 | 569 | 425 | 480 | -7.51 | -15.6 | +12.9 |
| पूर्व | 284 | 275 | 258 | 272 | -4.23 | -1.09 | +5.43 |
| उत्तर | 206 | 192 | 199 | 152 | -26.2 | -20.8 | -23.6 |
| पूर्वोत्तर | 77 | 67 | 55 | 56 | -27.3 | -16.4 | +1.82 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 11 | 11 | 11 | 10 | -9.09 | -9.09 | -9.09 |
| दक्षिण | 160 | 149 | 152 | 169 | +5.63 | +13.4 | +11.2 |
| दक्षिण मध्य | 87 | 77 | 67 | 65 | -25.3 | -15.6 | -2.99 |
| दक्षिण पूर्व | 87 | 84 | 79 | 84 | -3.45 | nil | +6.33 |
| पश्चिम | 577 | 607 | 557 | 578 | +0.17 | -4.77 | +3.77 |
| **जोड़** | **2008** | **2031** | **1803** | **1866** | **-7.07** | **-8.12** | **+3.49** |

## माल यातायात (जनवरी-जून)

| रेलवे | प्रारंभिक टन (मिलियन) | | | | 1994 की तुलना में कमी-बेशी का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1991 | 1992 | 1993 |
| मध्य | 17.44 | 17.05 | 18.00 | 18.83 | +8.0 | +10.4 | +4.6 |
| पूर्व | 33.50 | 32.99 | 36.23 | 37.02 | +10.5 | +12.2 | +2.2 |
| उत्तर | 14.37 | 14.01 | 12.28 | 11.85 | -17.5 | -15.4 | -3.5 |
| पूर्वोत्तर | 2.63 | 2.56 | 1.93 | 1.60 | -39.2 | -37.5 | -17.1 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 3.55 | 3.52 | 3.26 | 3.21 | -9.6 | -8.8 | -1.5 |
| दक्षिण | 9.70 | 10.34 | 10.02 | 9.17 | -5.5 | -11.3 | -8.5 |
| दक्षिण मध्य | 17.29 | 17.52 | 18.63 | 21.93 | +26.8 | +25.2 | +17.7 |
| दक्षिण पूर्व | 58.82 | 63.12 | 63.74 | 68.24 | +16.0 | +8.1 | +7.1 |
| पश्चिम | 13.50 | 14.56 | 14.56 | 14.12 | +4.6 | -3.0 | -3.0 |
| **जोड़** | **170.80** | **175.67** | **178.65** | **185.97** | **+8.9** | **+5.9** | **+4.1** |

(ख) जनवरी से जून, 1994 के दौरान पिछले तीन वर्षों की तदनुरूपी अवधि की तुलना में यात्री और माल यातायात से आय का ब्यौरा इस प्रकार है :-

| रेलवे | यात्री यातायात से आय (करोड़ रुपए में) | | | | 1994 की तुलना में कमी-बेशी का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1991 | 1992 | 1993 |
| मध्य | 325.45 | 428.52 | 452.40 | 507.90 | 56.1 | 18.44 | 12.27 |
| पूर्व | 184.02 | 235.14 | 265.60 | 272.88 | 48.3 | 16.05 | 2.74 |
| उत्तर | 306.97 | 372.44 | 452.17 | 534.38 | 74.1 | 43.48 | 18.18 |
| पूर्वोत्तर | 99.50 | 117.06 | 121.01 | 131.70 | 32.4 | 12.51 | 8.83 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 37.28 | 44.97 | 51.28 | 54.94 | 47.4 | 22.17 | 7.14 |
| दक्षिण | 160.63 | 194.76 | 207.80 | 246.14 | 53.2 | 26.38 | 18.45 |
| दक्षिण मध्य | 168.84 | 201.24 | 217.38 | 235.03 | 39.2 | 16.97 | 8.12 |
| दक्षिण पूर्व | 111.15 | 144.01 | 162.24 | 176.32 | 58.6 | 22.44 | 8.68 |
| पश्चिम | 290.47 | 372.07 | 413.77 | 458.53 | 57.9 | 23.26 | 10.82 |
| **जोड़** | **1684.31** | **2110.21** | **2343.65** | **2617.82** | **55.4** | **24.05** | **11.69** |

| रेलवे | माल यातायात से आय (करोड़ रुपये में) | | | | 1994 की तुलना में कमी-बेशी का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1991 | 1992 | 1993 |
| मध्य | 717.40 | 847.60 | 899.71 | 1045.08 | 45.7 | 23.30 | 16.16 |
| पूर्व | 512.63 | 588.79 | 704.23 | 806.69 | 57.4 | 37.08 | 14.55 |
| उत्तर | 686.84 | 812.60 | 903.06 | 994.33 | 44.8 | 22.36 | 10.11 |
| पूर्वोत्तर | 97.91 | 103.60 | 93.31 | 98.24 | 0.3 | -5.17 | 5.28 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 115.33 | 128.48 | 125.26 | 120.45 | 4.4 | -6.25 | -3.84 |
| दक्षिण | 236.75 | 263.00 | 285.11 | 309.46 | 30.7 | 17.67 | 8.54 |
| दक्षिण मध्य | 414.30 | 493.35 | 526.19 | 629.46 | 51.9 | 27.59 | 19.63 |
| दक्षिण पूर्व | 1016.59 | 1207.71 | 1388.17 | 1628.58 | 60.2 | 34.85 | 17.32 |
| पश्चिम | 645.77 | 773.21 | 886.71 | 961.77 | 48.9 | 24.39 | 8.46 |
| **जोड़** | **4443.52** | **5218.34** | **5811.75** | **6594.06** | **48.4** | **26.36** | **13.46** |

(ग) इस प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए रेलों द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों में माल डिब्बों और सवारी डिब्बों, रेलपथ अवसंरचना और सिगनल व्यवस्था, रेल इंजन इंजीनियरी, उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण, दूर-संचार नेटवर्क, निर्माण इकाइयों, कारखानों और अनुरक्षण शेडों का ग्रेडोन्नयन करना शामिल है, अधिक यात्रियों को सम्हालने के लिए रेलवे की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से शताब्दी और राजधानी जैसी तीव्र अर्न्तनगरीय गाड़ियां तथा लंबी दूरी की अधिक क्षमता वाला गाड़ियां चलाई गई हैं। इसी तरह, अधिक मूल्यवान और निर्यातोन्मुखी माल यातायात आकर्षित करने के लिए अधिकाधिक भारी घर्षण वाली मालगाड़ियां और बहु-रुपात्मक परिवहन का संचालन किया जा रहा है।

पहले किए गए या फिर किए-जाने वाले प्रौद्योगिकीय विकासात्मक कार्य इस प्रकार हैं:-

1. आधुनिक मालडिब्बों का विकास;
2. यात्री और माल यातायात सेवाओं के लिए 5,000 अश्व शक्ति वाले रेल इंजन;
3. उच्च अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजनों के लिए तीन फेज प्रौद्योगिकी;
4. डीजल मल्टीपल यूनिट और रेल बसें;
5. तीन टायर वातानुकूल शयनयान की शुरूआत;
6. आधुनिक टर्न आउटों और कंक्रीट स्लीपरों का अभिकल्प और विकास;
7. ईंधन-कुशल डीजल रेल इंजनों का विकास ; और
8. माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित सिगनल उपस्कर।

## शिक्षा के लिए आवंटन

***135. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया,

(ख) क्या पूर्व की योजनाओं की तुलना में यह आवंटन कम है,

(ग) क्या पूर्व की योजनाओं की तुलना में कुल शिक्षा बजट में प्रारंभिक शिक्षा के भाग में वृद्धि हुई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :** (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (केन्द्र और राज्य) में शिक्षा के लिए संस्वीकृत योजना परिव्यय 19599.73 करोड़ रु० है। आठवीं योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1992-93 (संशोधित प्राक्कलन) में शिक्षा के लिए आबंटन (योजनागत और योजनेन्तर) 21369.89 करोड़ रु० है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3.5% है, वर्ष 1993-94 (बजट प्राक्कलन) के लिए शिक्षा पर बजटीय व्यय 23911.92 करोड़ रु० है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के दृष्टिकोण से उसकी प्रतिशतता को तैयार नहीं किया जा सकता क्योंकि वर्ष 1993-94 के लिए वर्तमान मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के दृष्टिकोण से शिक्षा पर व्यय की प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

| योजना अवधि/वर्ष | सकल राष्ट्रीय उत्पाद के % के रूप में शिक्षा पर व्यय |
|---|---|
| 1. | 2. |
| प्रथम योजना | 0.9 |
| द्वितीय योजना | 1.4 |
| तृतीय योजना | 1.7 |
| चतुर्थ योजना | 2.3 |
| पंचम योजना | 2.6 |
| छटी योजना | 2.9 |
| सातवीं योजना | 3.5 |
| आठवीं योजना | 3.5 |
| प्रथम वर्ष 1992-93 (संशोधित प्राक्कलन) | |

जैसा कि उपरोक्त विवरण से देखा जा सकता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के दृष्टिकोण से शिक्षा पर व्यय के

अंश में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) और (घ) अनुवर्ती योजनाओं में कुल शिक्षा बजट में प्रारंभिक शिक्षा का अंश नीचे की सारणी में दर्शाया गया है:-

| योजना अवधि/वर्ष | शिक्षा पर कुल व्यय में प्रारंभिक शिक्षा का प्रतिशतता में अंश |
|---|---|
| 1. | 2. |
| प्रथम योजना | 41.0 |
| द्वितीय योजना | 37.1 |
| तृतीय योजना | 39.3 |
| चतुर्थ योजना | 43.0 |
| पंचम योजना | 45.3 |
| छठी योजना | 45.1 |
| सातवीं योजना | 45.8 |
| आठवीं योजना | 46.3 |
| प्रथम वर्ष 1992-93 (संशोधित प्राक्कलन) | |

[हिन्दी]

## उर्वरकों पर राजसहायता

*136. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**

**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता में कटौती करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने हाल ही में राजसहायता में कटौती के प्रभाव का कोई अध्ययन किया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :** (क) और (ख) यूरिया सांविधिक मूल्य नियन्त्रण के अधीन है और उस पर इस समय राजसहायता कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) इसका प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## जीवजन्तु और वनस्पति संबंधी समिति

*137. श्री मोहन रावले :

डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जंगली जीवजन्तुओं और वनस्पति, दोनों के संरक्षण और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति से सदस्य कौन-कौन हैं और इसके निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ङ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख) देश में वनस्पतिजात और प्राणिजात की सुरक्षा के उपायों के बारे में भारत सरकार को सलाह देने के लिए अनेक निकाय नियुक्त किए गए हैं। तथापि, वन्य प्रजातियों के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए सरकार ने हाल ही में एक समिति गठित की है। समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## विवरण

समिति का अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति है और सदस्य सचिव सहित इसके तीन अन्य सदस्य हैं। समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह देश में वन्यजीव महत्व के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करें, संबंधित विभागों के कार्यकर्ताओं तथा अन्यों के साथ चर्चा करें, मुददों की विस्तृत जांच करें और देश में वन्यजीवों और वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार के बारे में वर्तमान नियंत्रण उपायों में सुधार करने के तौर-तरीकों का सुझाव दें। समिति का गठन 24.5.1994 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया है और इसके 15.8.94 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

## प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु प्रबंध

*138. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार का वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार इस व्यवस्था को सुदृढ़ तथा अधिक प्रभावी बनाने के लिए किसी स्वतंत्र निकाय की स्थापना करने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : (क) वर्तमान व्यवस्था के तहत राज्य सरकारें, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बचाव, राहत तथा पुनर्वास उपाय करती है। इसके लिए धन की व्यवस्था 804.00 करोड़ रुपये की वार्षिक आपदा राहत कोष द्वारा की जाती है, जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात 3:1 है। आपदा राहत कोष में अंशदान देने के अलावा, भारत सरकार चेतावनी और पूर्वानुमान पद्धति की व्यवस्था करके तथा राहत और बचाव कार्यों में सहायता पहुंचा कर भी राज्य सरकार के प्रयासों में उनकी सहायता करती है। कुछ केन्द्रीय प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं भी हैं जो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करनें में मदद करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इनका प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## पर्यावरण वाहिनियां

*139. **श्री सुधीर सावंत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण वाहिनी योजना का ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) पर्यावरण वाहिनियों की स्थापना कितने जिलों में की गई है ओर निकट भविष्य में इनकी स्थापना राज्यवार कितने जिलों में करने का विचार है ;

(ग) क्या इनमें शामिल कार्मिकों को कोई विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) पर्यावरण वाहिनी स्कीम पर्यावरण, वन और वन्यजीवों के परिरक्षण में लोगों को शामिल करने के उद्देश्य से चलाई गई थी। स्कीम के ब्यौरे और उद्देश्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) 87 जिलों में पर्यावरण वाहिनियों का गठन किया गया है। इन जिलों के राज्यवार वितरण दर्शाने वाला एक विवरण II संलग्न है संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों से 95 अन्य जिलों में पर्यावरण वाहिनियां गठित करने का अनुरोध किया गया है। इन जिलों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला एक विवरण III संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) जिला प्राधिकारियों द्वारा इस मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य वन विभागों के परामर्श से प्रत्येक जिले में पर्यावरण वाहिनियों से सदस्यों के लिए दो दिन का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामान्य पर्यावरणीय मामलों, पर्यावरण से संबंधित कानून और सदस्यों के दायित्वों की जानकारी दी जाती है।

## विवरण-I

## पर्यावरण वाहिनी स्कीम के ब्यौरे और उद्देश्य :

(i) ब्यौरे :

पर्यावरण वाहिनी स्कीम संबंधित राज्य और संघ राज्य सरकारों के सहयोग से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इस स्कीम पर होने वाले पूरे व्यय को पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। प्रदूषण की मात्रा और वनों के घनत्व तथा आदिवासी जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक चुने हुए जिले में एक वाहिनी का गठन किया जाता है। यद्यपि एक वाहिनी में 100 सदस्य हो सकते हैं लेकिन इस समय यह संख्या 20 तक सीमित कर दी गई है। यह संख्या इस स्कीम में हो रही प्रगति और प्राप्त अनुभव के आधार पर बढ़ती जाएगी। विद्यार्थी, युवा, अलग-अलग व्यक्ति (18-45 वर्ष की आयु वाले) और गैर-सरकारी संगठन इन वाहिनियों के सदस्य बन सकते हैं। वाहिनी से संबंधित बैठकों तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए किए गए खर्च की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए प्रत्येक सदस्य को 200/रु० प्रतिमाह का टोकन अनुदान दिया जाता है। सदस्यों का चयन करने, टोकन अनुदान का वितरण तथा सदस्यों से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए जिला समाहर्ता नोडल प्वाइंट के रूप में होता है। सदस्यों से आशा की जाती है कि वे अपने क्षेत्रों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करें तथा व्यक्ति, व्यक्तियों या उद्योगों की ऐसी गतिविधियों की रिपोर्ट करें जिनसे पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचता है। ऐसी गतिविधियों में जंगलों की कटाई/पेड़ों की गैरकानूनी कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण, वन्यजीवों का चोरी-छिपे शिकार किसी भी तरह का पर्यावरणीय प्रदूषण, पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन आदि आते हैं। अत्यधिक प्रदूषण वाले चुने हुए 20 जिलों में पर्यावरण वाहिनी के सदस्यों को जल-परीक्षण किट भी दिए गए हैं।

**(ii) उद्देश्य**

इस स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :-

- पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना तथा सक्रिय भागीदारी के जरिए लोगों को शामिल करना।

- वनों, वन्यजीवों, प्रदूषण, पर्यावरणीय अवक्रमण और जीवजन्तुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित गैर-कानूनी कार्यों की रिपोर्ट देना।

- वनीकरण और पौधों की उत्तरजीविता के बारे में प्रति सूचना

- नमूनों के संग्रहण सहित निगरानी, वाहन प्रदूषण सहित परिवेशी वायु और जल-गुणवत्ता का विश्लेषण।

## विवरण II

उन जिलों की सूची, जिनमें पर्यावरण वाहिनियों का गठन किया गया है।

| | आन्ध्र प्रदेश | | हिमाचल प्रदेश |
|---|---|---|---|
| 1. | विशाखापत्तनम | 1. | कुलु |
| 2. | खमाम | 2. | कंगरा |
| 3. | कृष्णा | 3. | शिरमोर |
| 4. | करीमनगर | 4. | ऊना |
| 5. | पूर्वी गोदावरी | 5. | हमीरपुर |
| 6. | पश्घिमी गोदावरी | | |
| | **अरूणाचल प्रदेश** | | **कर्नाटक** |
| 1. | पूर्वी शियांग | 1. | दक्षिण कन्नड़ |
| | **असम** | 2. | मैसूर |
| 1. | डिबरूगढ़ | 3. | बंगलौर ग्रामीण |
| 2. | सिबसागर | 4. | शिमोग |
| 3. | करबी-अंगलोंग | 5. | गुलबरगा |
| 4. | सिलचर | 6. | बीदर |
| | **बिहार** | | **केरल** |
| 1. | हजारीबाग | 1. | इदुकी |
| 2. | रोहतास | 2. | पालघाट |
| | **गोवा** | 3. | इर्नाकुलम |
| 1. | दक्षिणी गोवा | 4. | कोज़िकोड |
| 2. | उत्तरी गोवा | 5. | वेनाद |
| | **गुजरात** | | **मध्य प्रदेश** |
| 1. | अहमदाबाद | 1. | बसतर |
| 2. | वलसाद | 2. | भिण्ड |
| 3. | वडोदरा | 3. | छिन्दवाड़ा |
| | **हरियाणा** | 4. | दमोह |
| 1. | रोहतक | 5. | मंदसौर |
| 2. | हिसार | 6. | रायसीन |

7. सहडोल

8. रायगढ़

**मणिपुर**

1. उखरूल

**मेघालय**

1. पूर्वी खासी पहाड़ियां

**मिजोरम**

1. आइजोल

**नांगालैण्ड**

1. कोहिमा
2. मोकोचुंग

**उड़ीसा**

1. कालाहांडी
2. बोलनगीर
3. धेनकनाल

**पंजाब**

1. संगरूर
2. लुधियाना
3. रोपर
4. फिरोजपुर

**महाराष्ट्र**

1. भंडारा
2. नागपुर
3. थाणे
4. चन्द्रापुर
5. रायगढ़
6. सिंधुदुर्ग
7. रत्नागिरि

**राजस्थान**

1. डुंगरपुर
2. पाली
3. उदयपुर
4. अलवर
5. कोटा

**सिक्किम**

1. उत्तरी सिक्किम

**तमिलनाडु**

1. मद्रास
2. मदुराई
3. उत्तरी आरकोट
4. तिरूनेलवेली कोट्यबोमन
5. डिंडीगुल
6. तंजौर

**त्रिपुरा**

1. दक्षिण त्रिपुरा

**उत्तर प्रदेश**

1. आगरा
2. इलाहाबाद
3. कानपुर
4. सुलतानपुर
5. सोनभद्र
6. देहरादून
7. चमोली
8. नैनीताल

**केन्द्र शासित प्रदेश**

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**

1. अंडमान

**चण्डीगढ़**

1. चण्डीगढ़

**दिल्ली**

1. दिल्ली

कुल : 87

## विवरण III

### उन जिलों की सूची जिनमें निकट भविष्य में पर्यावरण वाहिनियां गठित की जाएंगी

**आन्ध्र प्रदेश**

1. कुरनूल
2. महबूबनगर
3. मेडाक
4. रंगा रेड्डी
5. नलगोंडा

**अरूणाचल प्रदेश**

1. चांगलांग
2. डिबांग घाटी
3. पूर्वी कामेंग
4. लोहित
5. लोवर सुबनसीरी
6. तवांग
7. तिराप
8. उपर सुबनसीरी
9. पश्चिमी कामेंग
10. पश्चिमी सयांग
11. पापुमपार

**बिहार**

1. धनबाद
2. रांची
3. सिंहभूम
4. गोड्डा
5. पश्चिमी चम्पारन

**गुजरात**

1. डांगस
2. भड़ौच
3. सूरत
4. जूनागढ़

**हिमाचल प्रदेश**

1. चम्बा
2. मंडी
3. बिलासपुर

**जम्मू व कश्मीर**

1. जम्मू
2. बारामुला
3. लेह

**कर्नाटक**

1. बेलगाम

**मध्य प्रदेश**

1. बालाघाट
2. बिलासपुर
3. जबलपुर
4. होशंगाबाद
5. सतना
6. सिहोर
7. बेतुल
8. भोपाल
9. छतरपुर
10. दतिया
11. देवास
12. धार
13. पूर्वी नीमार
14. गूना

15. ग्वालियर
16. इंदौर
17. झाबूआ
18. मान्डला
19. मुरैना
20. नरसिंगपुर
21. पन्ना
22. रायगढ़
23. रायपुर
24. राजनन्दगांव
25. रतलाम
26. रीवा
27. सागर
28. सियोनी
29. शाहजहांपुर
30. शिवपुरी
31. सिधी
32. सुरगुजा
33. टीकमगढ़
34. उज्जैन
35. विदिशा
36. पश्चिम नीमार
37. देवास

**महाराष्ट्र**

1. पुणे
2. बाम्बे सिटी
3. जलगांव
4. नासिक
5. औरंगाबाद
6. अहमदनगर
7. कोल्हापुर
8. सतारा
9. शोलापुर
10. सांगली

**राजस्थान**

1. चित्तौड़गढ़

**सिक्किम**

1. दक्षिण सिक्किम
2. पश्चिम सिक्किम

**तमिलनाडु**

1. नीलगिरी
2. दक्षिण आरकोट
3. त्रिची
4. सालीम

**उत्तर प्रदेश**

1. गाजियाबाद
2. देवरिया
3. मुरादाबाद
4. सहारनपुर
5. मेरठ
6. मुज्जफर नगर

**केन्द्र शासित प्रदेश**

**दादर और नगर हवेली**

1. दादर और नगर हवेली

**लक्ष-द्वीप**

1. लक्षद्वीप

**पाण्डीचेरी**

1. पाण्डीचेरी

**कुल : 95**

## विदेशी सहायता का उपयोग

*140. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा दस परियोजनाओं के लिए प्राप्त 800 करोड़ रुपये से भी अधिक की विदेशी सहायता का उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना-वार इस सहायता राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसके लिए कौन-कौन सी एजेंसियां/अधिकारी जिम्मेदार हैं ;

(घ) जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) भविष्य में विदेश सहायता का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## वैगन यूनिट

1283. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1994 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में प्रकाशित समाचार "वैगन यूनिट्स रिसौर्ट टू कार्टेल बिडिंग" शीर्षक की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में क्या तथ्य प्रकाशित हुए हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वैगन निर्माताओं द्वारा बोली लगाने वाली इस व्यवस्था को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहें हैं जबकि पश्चिम बंगाल के सरकारी क्षेत्र के एकक रेलवे से वैगनों के क्रयादेश न मिलने के कारण बंद होने की स्थिति में हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) जी हां।

(ख) वैगन इंडिया लिमिटेड ने अपने 10 संघटक मालडिब्बा निर्माताओं की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जबकि निविदा सूचनाएं प्रत्येक मालडिब्बा निर्माता को अलग-अलग भेजी गयी थी। अन्य आठ फर्मों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा को अंतिम रूप दिया जाएगा। तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र की छः इकाइयां, जिनमें पश्चिम बंगाल की चार इकाइयां भी शामिल हैं, ने वैगन इंडिया लिमिटेड के जरिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। निविदा तय करते समय सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

## बुकस्टाल के ठेके

**1284. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी को कब से बुकस्टालों का ठेका दिया जाता था और ऐसे रेलवे स्टेशन कितने हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर स्टाल लगाने के लिए इस कम्पनी ने रेलवे को कुल कितना किराया दिया;

(ग) क्या सरकार निविदाएं जारी करके ऊँची बोलियों के आधार पर स्टाल आबंटित करने के लिए कोई नया तरीका अपनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :** (क) मैसर्स ए० एच० व्हीलर एंड कं० लगभग 110 वर्षों से रेलवे स्टेशनों पर बुकस्टाल चला रहे हैं और इस समय से 258 रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल चला रहे हैं।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) मौजूदा नीति के अनुसार सभी नए बुक स्टाल बेरोजगार स्नातकों, उनकी सांझेदारियों, एसोसिएशनों आदि के लिए आरक्षित रखे जाते हैं और इस नीति को बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

## भारतीय खाद्य निगम

**1285. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल, नेपसीड आयल और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के संबंध में बड़ा घोटाला किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम केवल चावल, गेहूं और चीनी से संबंधित कार्य करता है। भारतीय खाद्य निगम, राज्य सरकार अथवा इसके नामितों को निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के जरिए वितरण हेतु ट्रकों में यथाविधि लादी गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सप्लाई करता है। चूंकि ट्रकों में लदान किए गए स्टाक की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों अथवा इनके नामितों द्वारा वजन और गुणवत्ता दोनों के संबंध में विधिवत पावती दी जाती है इसलिए इसके बाद आगे संचलन और वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की होती है।

तथापि, 1992 में मणिपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल और गेहूं को अन्यत्र देने के कुछेक आरोप सरकार के ध्यान में आए थे राज्य सरकार को परामर्श दिया गया था कि वे स्टाक का नियमित और अबाध

संचलन सुनिश्चित करने के लिए अपनी मशीनरी को कड़ा करें। निगम से कहा गया था कि वे उत्तर-पूर्व में प्रत्येक राज्य में मार्गस्थ उठाईगीरी/चोरी को कम करने के प्रयोजन से कम से कम एक सप्लाई केन्द्र स्थापित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करें जहां संबंधित राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त आवंटन उपलब्ध कराये जा सकें।

## कपास की खेती

**1286. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

**श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कपास को एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और रेशेदार फसल के रूप में उगाया जाता है।

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1994 के अंत तक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में कपास की खेती होती थी तथा 1993-94 के दौरान कपास का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में 1993-94 के दौरान कपास की खेती के अंतर्गत क्षेत्रगत वर्षों की तुलना में बहुत कम है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) 1994-95 के दौरान कपास की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है तथा कपास का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में 1993-94 के दौरान कपास की खेती का कुल क्षेत्र और इसका उत्पादन क्रमश: 651 हजार हेक्टेयर और 1368 हजार गांठ होने का अनुमान है

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कपास की खेती के अधीन क्षेत्र पिछले वर्ष के मुकाबले कम था।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कपास की खेती के अधीन क्षेत्र अनुमानतया 651 हजार हैक्टेयर है जबकि 1992-93 में यह 806 हजार हैक्टेयर था। इस क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण बुवाई के समय वर्षा तथा मौसमी स्थितियों का प्रतिकूल होना बताया जाता है।

(ङ) वर्ष 1994-95 में आन्ध्र प्रदेश में कपास की खेती के अधीन क्षेत्र सामान्य होने की सम्भावना है। इस समय इस राज्य में कपास के सम्भावित अत्पादन के बारे में कुछ कहना समयपूर्व की बात होगी क्योंकि अगामी महीनों में वर्षा तथा मौसमी स्थितियों के रूख पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।

## डाभोल विद्युत परियोजना

**1287. श्री राम नाईक :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाभोल विद्युत परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने महाराष्ट्र की डाभोल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो यह स्वीकृति कब दी गई है और इस संबंध में उनके मंत्रालय ने क्या शर्तें रखी हैं/सुझाव दिए हैं ;

(घ) क्या सरकार ने कुछ शर्तों/सुझावों को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग) जी, हां। पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी 16 फरवरी, 1994 को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गई थी :-

- वायलर में इंधन जलाने की दुहरी व्यवस्था होगी ;
- आवास कालोनी को उच्च ज्वार रेखा से कम से कम 500 मीटर दूर शिफ्ट किया जाए ;
- पानी ग्रहण करने और बहिस्राव विसर्जन स्थल मुहाने पर नहीं रखे जाने चाहिए ;
- मुख्य संयंत्र, भण्डारण टैंकों आदि के सम्बन्ध में उच्च ज्वार रेखा से निर्धारित न्यूनतम दूरी कायम रखी जाए ;
- क्षेत्र का मास्टर प्लान बनाया जाय;
- एक हरित पट्टी उगाई जाए ;
- तेल रिसाव के लिए आफ-साइट और आन-साइट प्रबन्ध योजना तैयार की जाए ;
- नाइट्रोजन के आक्साइडों का न्यूनतम उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## यात्री सुविधाएं

**1288. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के किन-किन रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालयों, जलपान गृहों, पेयजल, शौचालयों, विश्रामगृहों और प्लेटफार्मों पर शेड की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले रेलवे सलाहकार समिति को भेजे गए हैं;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान स्टेशनों पर ये सुविधाएं प्रदान किए जाने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

## माल डिब्बा निर्माण एकक

1289. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार और अधिक माल डिब्बा निर्माण एकक बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन स्थानों पर इन एककों के लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## ई॰ एम॰ यू॰ कोच

1290. **श्री हाराधन राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष रेलवे ने कितने ई॰ एम॰ यू॰ कोच खरीदे ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जोनल रेलवे को कितने कोचों की आपूर्ति/उपलब्ध करायी गयी;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के और कोच खरीदने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्येक जोनल रेलवे का इसमें कितना हिस्सा होगा ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ)** : (क) और (ख) उपनगरीय सेवाओं के लिए खरीदे गए और क्षेत्रीय रेलों की सप्लाई किए गए ई॰ एम॰ यू॰ सवारी डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :-

| वर्ष | निर्मित किए गए ई॰ एम॰ यू॰ सवारी डिब्बों की कुल संख्या | क्षेत्रीय रेलवे-वार हिस्सा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पू॰ रे॰ | द॰ पू॰ रे॰ | उ॰ रे॰ | द॰ रे॰ | म॰ रे॰ | प॰ रे॰ |
| 1991-92 | 178 | 82 | 13 | 13 | 21 | 40 | 9 |
| 1992-93 | 180 | 74 | 30 | 06 | 19 | 33 | 18 |
| 1993-94 | 277 | 41 | 40 | 11 | 15 | 116 | 54 |

(ग) जी हां।

(घ) चालू वर्ष 1994-95 के दौरान उपनगरीय सेवाओं के लिए 210 ई॰ एम॰ यू॰ सवारी डिब्बे खरीदने/निर्मित करने की योजना है।

(ङ) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे का हिस्सा इस प्रकार है :-

| वर्ष | रेलवे | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पू॰ रे॰ | द॰ पू॰ रे॰ | उ॰ रे॰ | द॰ रे॰ | म॰ रे॰ | प॰ रे॰ | जोड़ |
| 1994-95 | 45 | 24 | 21 | 06 | 78 | 36 | 210 |

[हिन्दी]

## वन्य प्राणियों की लुप्तप्राय प्रजातियां

1291. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्तूरी मृग की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं ; और

(ख) कौन-कौन से वन्य-प्राणी और पक्षी विलुप्त होने की कगार पर हैं ; और

(ग) सरकार ने इन विलुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) जी, नहीं। तथापि यह एक संकटापन्न प्रजाति है।

(ख) भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा "संकटापन्न" के रूप में वर्गीकृत जीव-जन्तुओं और पक्षियों की सूची में दी गई है।

(ग) संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. अनुसूचित वन्य जीव-जन्तुओं के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. शिकार-रोधी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

3. बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वासस्थलों के संरक्षण एवं परिरक्षण की विशिष्ट स्कीम को क्रियान्वित किया जा रहा है।

4. वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्यजीवन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार से केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

5. जब कभी वन्य जीव-जन्तुओं की अवैध व्यापार की सूचना वन्यजीवन प्राधिकारियों तक पहुंचती है तो उनके द्वारा छापे मारे जाते हैं।

6. वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात के संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (साइट्स)

के उपबंधों के तहत जीव-जन्तुओं/पक्षियों की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे निर्मित वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया जाता है। भारत इस कन्वेंशन का एक पक्षकार देश है।

7. वनजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीवन परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय प्राय: देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों में स्थापित किए गए हैं।

8. शिकारियों और अवैध व्यापारियों की धरपपकड़ के लिए पुलिस, सी॰ सु॰ ब॰, तट रक्षकों और सेना का सहयोग भी लिया जाता है।

9. सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की एक स्कीम है जिससे अन्य बातों के साथ वन्यजीव उत्पादों की तस्करी के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त करने में मदद मिलती है।

## विवरण

### संकटापन्न जीव-जन्तुओं और पक्षियों की सूची

#### स्तनधारी

| क्र॰ सं॰ | सामान्य नाम | वैज्ञानिक नाम |
|---|---|---|
| 1. | सिंह पुच्छी बानर | मकाका सिलेनस (लिनेइयस) |
| 2. | भेड़िया | केनिस ल्यूपुस (लिनेइयस) |
| 3. | भूरा भालू | यूर्सस आर्कटास इसेबेलिनस हार्सफील्ड |
| 4. | मालाबार गन्ध विलाव | विवेरा मेमास्पिला ब्लिथ |
| 5. | स्याहगोश | फेलिस कराकल स्किमिट्जी मैस्टची |
| 6. | एसियाटिक शेर | पेंथरालियो पार्सिका (मीयर) |
| 7. | छोटा एक सिंगी | रायनोसिरोस सॉन्डाइकस डेस्मरेस्ट |
| 8. | एशियाई जंगली गधा | एसीनस हेमीनस खुर (लेसन) |
| 9. | कियांग | एसीनस कियांग (मूरक्राफ्ट) |
| 10. | पिग्मी हॉग | सस सल्वेनियस (हागसन) |
| 11. | कस्तूरी मृग | मास्कस मास्कीफेरस लिनेइयस |
| 12. | झाबर मृग | सर्वस ड्रुवासेली जी॰ क्यूवियर |
| 13. | मणिपुर थामिन | सर्वस एल्डी एल्डी एम क्लेलैण्ड |
| 14. | याक | बॉस. म्यूटस (जेवालस्की) |
| 15. | जंगली भैंस | बूबालस बूबालिस (लिनेइयस) |
| 16. | श्याम [illegible]मृग | एन्टीलोप सर्विकाप्रा (लिनेइयस) |
| 17 | तिब्बती [illegible] | प्रोकाप्रा पिक्टीकौडाटा हॉगसन |

| | | |
|---|---|---|
| 18. | तकीन | बुडोर्कास टैक्सीकलर हॉगसन |
| 19. | हिमालयी ताहर | हेमिट्रेगस जेमलहिकस (एच॰ स्मिथ) |
| 20. | नीलगिरि ताह | हेमिट्रेगस हाइलोक्रियस (ओगिल्बी) |
| 21. | आईबेक्स | कैप्रा आइबेक्स लिनेइयस |
| 22. | मारखोर | कैप्रा फाल्कनरी (वैगनर) |
| 23. | हिस्पिड खरगोश | कैप्रोलोगस हिस्पिडस (पियरसन) |
| 24. | नीली ह्वेल | बेलेनोप्टेरा मस्कुलस लिनेइयस |
| 25. | स्पर्म ह्वेल | फिसीटर केटोडोन लिनेइयस |
| | | **पक्षी** |
| 26. | पूर्वी श्वेत स्टार्क | सिकोनिया सिकोनिया बायसियाना स्विन्हो |
| 27. | बृहत् व्हिसलिंग टील | डेन्ड्रोसिग्ना बाइकलर (वीलौट) |
| 28. | अण्डमान टील | अनास गिब्बरिफ्रन्स अल्बोगुलेरिस (ह्यूम) |
| 29. | हिमालयी सुनहरा ईगल | एक्विला क्रिसोटस डफनिया सेवर्जोव |
| 30. | हिमालयी बियर्डेड वल्चर | जिपेटस बार्बाटस औरियस (हैब्लिज़ल) |
| 31. | ऑस्प्रे | पाडियन हैलिएटस हैलिएटस (लिनेइयस) |
| 32. | शाहिन फाल्कन | फाल्को पैरेग्रिनस पेरेग्रिनेटर सन्डवेल |
| 33. | निकोबार मेगापोड | मेगापोडियस फ्रीसिनेट गैमर्ड |
| 34. | पश्चिमी ट्रैगोपन | ट्रैगोपन मेलानोसेफलस (जे॰ ई॰ ग्रे) |
| 35. | हिमालयी मोनालफीजेंट | लोफोफोरस इम्पेजेनस (लौथम) |
| 36. | स्काल्टर्स मोनालफीजेंट | लोफोफोरस स्काल्टेरी जरडन |
| 37. | एल्वीस ईयर्ड फीजेंट | क्रासोप्टिलोन क्रोसोप्टिलोन हारमैनी एल्वीस |
| 38. | कोक्लास फीजेंट | प्यूक्रेसिया मैक्रोलोफा (लेसन) |
| 39. | चीयर फीजेंट | कैट्रियस वाल्लिची (हार्डविक) |
| 40. | ह्यूम्स बटेल्ड फीजेंट | सिर्मेटिकस ह्यूमिया ह्यूमिया (ह्यूम) |
| 41. | मयूर फीजेंट | पालिप्लेक्ट्रॉन बाइकेल्केरटम (लिनेइयस) |
| 42. | ब्लैकनेक्ड सारस | ग्रूस नाइट्रोकोलिस जेवल्स्की |
| 43. | साइबेरियाई सारस | ग्रूस ल्यूकोजेरेनस पल्लास |
| 44. | भारतीय स्किमर | रिनकॉप्स एल्वीकालिस स्येनसन |

| | | |
|---|---|---|
| 45. | निकोबारी कबूतर | कैलेनस निकोबारिका निकोबारिका (लिनेइयस) |
| 46. | बृहत् सिंगी ठल्लू | बूबो बूबो (लिनेइयस) |
| | | **सरीसृप** |
| 47. | ग्रीन सी टर्टल | कैलोनिया मिडास (लिनेइयस) |
| 48. | बेटगुर | बेटगुर बास्क (भूरा) |
| 49. | घड़ियाल | गैविर लिस गेंजेटिकस (ग्मेलिन) |
| 50. | एस्चुआरिन मगरमच्छ | क्रोकोडिलस पोरोसस स्कीनेडर |
| 51. | मगर | क्रोकोडिलस पलूसट्रिस (लेसन) |
| 52. | वाटर मानीटर | वरानस सल्वाटर (लौरेन्टरी) |
| 53. | कामन इंडियन मानीटर | वरानस बंगालेन्सिस (डाडिन) |
| 54. | येलो मानीटर | वरानस फ्लेवेसीन्स (भूरा) |
| 55. | इंडियन डेजर्ट मानीटर | वरानस ग्रीसेयस (डाडिन) |
| 56. | रेटिकुलेटेड पिथॉन | पिथॉन रेटिकूलेटस (स्नीडर) |
| | | **उभयचर** |
| 57. | हिमालयी न्यूट | टिलोटोट्रिटन वेस्कोसस एंडर्सन |

## इलाहाबाद संग्रहालय

1293. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रत्येक श्रेणी में कुल स्वीकृत पद कितने हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं और प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन आरक्षित पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (घ) इलाहाबाद संग्रहालय में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संस्वीकृत पद निम्नानुसार हैं :–

| श्रेणी | पद |
|---|---|
| समूह क | 2 |
| समूह ख | 9 |

| | |
|---|---|
| समूह ग | 20 |
| समूह घ | 51 |

प्रत्येक श्रेणी में होने वाली रिक्तियों पर नियुक्तियों के संदर्भ में आरक्षण दिया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के लिए आरक्षण के अंतर्गत नियुक्तियां आरक्षण रोस्टर तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार की जाती है। इन्हीं अनुदेशों के अनुसार रिक्तियों को भरा जाना है। तथापि, इस संगठन में बैकलॉग रिक्तियां हैं और विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित रिक्तियां भरने में तेजी लाने तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर बैकलॉग को निपटाने से संबंधित अनुदेश सरकार द्वारा जारी किए जा चुके हैं।

## अपना बाजार

**1294. श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सुपर बाजार की तर्ज पर अनेक "अपना बाजार" खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके शेयर भी खरीदे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) और (ख) सरकार का सम्बन्ध केवल सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत बहुविभागीय भंडारों को स्थापित करने से है, जो कि दिल्ली में सहकारी समिति अधिनियम के तहत सुपर बाजार केन्द्रीय भंडार अथवा सहकारी भंडार के नाम से पंजीकृत किए जाते हैं। सरकार के पास दिल्ली में अपना बाजार के सम्बन्ध में कोई ब्यौरा नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## सुपर बाजार

**1295. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में सुपर बाजार में पिसी हल्दी, पिसे धनिया और पिसी लाल मिर्च के मूल्यों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या यह पिसे हुए मसाले 6 अप्रैल, 1994 अथवा इसके आसपास सुपर बाजार के किसी भी शाखा भण्डार में उपलब्ध नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो अनुपलब्ध सामान की दरें हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित करने के क्या कारण थे; और

(घ) क्या सरकार ने मामले की छानबीन की है और इस पर कार्रवाई की है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्राय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि केवल उन्हीं मसालों की मूल्य सूचियां प्रकाशित की जाती हैं जो उनके शेल्फों पर उपलब्ध होते हैं।

## अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता

**1296. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा रूस, अफगानिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों सहित विभिन्न देशों को दी गई खाद्य सहायता की मात्रा और मूल्य का वर्षवार, मदवार और देशवार ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों को केन्द्रीय पूल से सहायता के रूप में दी गई चावल और गेहूं की मात्रा और कीमत नीचे दी गई है :

| वर्ष | प्राप्तकर्ता देश | जिन्स | जहाज द्वारा भेजी गई कुल मात्रा (मीटरी टन) निवल | कीमत (लगभग) लाख रुपए |
|---|---|---|---|---|
| **1991-92** | | | | |
| 1. | यू. एस. एस. आर. | चावल | 9,798 | 683.51 @ |
| 2. | मालदीव | चावल | 911 | 44.64 * |
| 3. | बंगला देश | चावल | 4,995 | 247.19 * |
| 4. | इराक | चावल | 1,000 | 54.42 * |
| | | गेहूं उत्पाद | 5,000 | 221.86 * |
| **1992-93** | | | | |
| 1. | रूस | चावल | 3,000 | 165.00 @ |
| 2. | क्यूबा | चावल | 10,068 | 749.92 ** |
| **1993-94** | | | | |
| | नेपाल | चावल | 10,000 | 650.00 # |

@ : उपहार के रूप में

* : राहत सहायता के रूप में

** : ऋण के रूप में

# : अनुदान के रूप में

[हिन्दी]

## कन्टेनर-माल की डिलिवरी

**1297. श्री सत्यदेव सिंह :**

**श्री वृजभूषण शरण सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कन्टेनर-माल को गन्तव्य स्थान तक समय पर पहुंचाने हेतु गारन्टी देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या माल को समय पर गन्तव्य स्थान तक न पहुंचा पाने पर मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस समय गारन्टी के लिए प्रस्तावित कौन-कौन कौन से कन्टेनर-डिपो रेल मार्ग से जुड़े हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) से (ग) अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद और बंबई, न्हावा शिवा और मद्रास के समुद्री बंदरगाहों के बीच निर्धारित परिवहन समय के भीतर निर्धारित मार्गों पर केवल अंतर्राष्ट्रीय यातायात कंटेनर गाड़ियां ही सीमित संख्या में चलाने का प्रस्ताव है जिसमें परिवहन समय के पालन या अन्यथा के लिए जुर्माने ओर अधिभार की प्रणाली तैयार करने की व्यवस्था होगी। ये अनुबंधन केवल भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड और भारतीय रेलों के बीच ही हैं।

[अनुवाद]

## उपभोक्ता कल्याण कोष से कर्नाटक को सहायता

**1298. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से सहायता के लिए राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक कितने आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ग) सरकार द्वारा शेष मामलों के तेजी से निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उक्त कोष से अब तक राज्यवार कितनी सहायता राशि जारी की गई ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) उपभोक्ता कल्याण निधि को 27 जनवरी, 1994 से प्रचालनात्मक बना दिया गया है। 31 मई, 1994 तक 477 आवेदन प्राप्त हुए थे। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अब तक, लगभग 60 आवेदनों की जांच की गई है, जिनमें से 13 आवेदन, जो हर प्रकार से पूर्ण थे, स्थाई समिति के समक्ष रखे गए और इनमें से 8 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ग) सरकार मौजूदा आधार ढांचे को, जो उपभोक्ता कल्याण निधि के कार्यों को देखने के लिए मुहैया कराया गया है, मजबूत बना रही है।

(घ) निर्मुक्ति आदेश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं।

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या–1298, जिसका उत्तर 2.8.1994 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

**उपभोक्ता कल्याण निधि से सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण:**

| क्रम सं॰ | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्राप्त हुए आवेदनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 111 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | – |
| 3. | असम | 1 |
| 4. | बिहार | 13 |
| 5. | गोवा | 1 |
| 6. | गुजरात | 14 |
| 7. | हरियाणा | 10 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2 |
| 9. | जम्मू तथा कश्मीर | – |
| 10. | कर्नाटक | 11 |
| 11. | केरल | 33 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 2 |
| 13. | महाराष्ट्र | 13 |
| 14. | मणिपुर | – |
| 15. | मेघालय | 1 |
| 16. | मिजोरम | 49 |
| 17. | नागालैण्ड | – |
| 18. | उड़ीसा | 28 |
| 19. | पंजाब | 5 |
| 20. | राजस्थान | 36 |
| 21. | सिक्किम | 1 |
| 22. | तमिलनाडु | 65 |

| | | |
|---|---|---|
| 23. | त्रिपुरा | 1 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 39 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 12 |
| 26. | अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह | – |
| 27. | चंडीगढ़ | 3 |
| 28. | दादरा तथा नगर हवेली | – |
| 29. | दमन व दीव | – |
| 30. | दिल्ली | 25 |
| 31. | पांडिचेरी | 1 |
| | **कुल** | **477** |

## संतरागड़ी-पंसकुरा-खड़गपुर के बीच रेल लाइन

**1299. श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संतरागाड़ी से पंसकुरा तक चौथी रेल लाइन तथा पंसकुरा से खड़गपुर तक तीसरी रेल लाइन का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) :** (क) और (ख) रेलवे से कहा गया है कि उद्योग की मौजूदा परिवहन मांग, उन नये संयंत्रों/उद्योग की स्थिति, जिनके लिए पहले ही योजना बनाई जा चुकी है, आद्रा-मिदनापुर के विद्युतीकरण के कारण माल यातायात के संचलन के स्वरूप में संभावित परिवर्तन और कोयले के लिकेज तथा संचलन में संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए पहले किए गए सर्वेक्षण को अद्यतन बनाया जाये।

परियोजना के बारे में आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर संभव हो सकेगा।

## टिड्डी प्रबंध तकनीक

**1300. डा० आर० मल्लू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंगलैंड और चीन की तर्ज पर डिड्डी समाप्ति योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ यदि कोई वित्तीय सहायता दी गई है, तो कितनी; और

(ग) सरकार द्वारा विश्व के अन्य विकसित देशों की भांति टिड्डी-नियंत्रण हेतु प्रयोग की जा रही तकनीक के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार)** : (क) तथा (ख) 2.0 लाख वर्ग कि॰ मी॰ के अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डियों संबंधी सर्वेक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार का एक टिड्डी चेतावनी संगठन है। टिड्डियों से निपटने की पर्यावरण के अनुकूल ऐसी किसी विधि की जानकारी भारत सरकार को नहीं है जिसका विकास चीन में हुआ हो। फंगल पैथोजन्स से टिड्डियों के जैविक नियंत्रण के युनाइटेड किंगडम में परीक्षण किये गये हैं। बहरहाल, इस विधि की वाणिज्यिक तौर पर व्यवहार्यता अभी सिद्ध नहीं है। अभी तक, जैविक नियंत्रक अभिकारकों से टिड्डियों के प्रकोप पर नियंत्रण पाना संभव नहीं हो पाया है।

(ग) टिड्डियों पर रखी जाने वाली निगरानी और भविष्यवाणी में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार एक सुदूर संवेदन प्रयोगशाला की स्थापना करके टिड्डी नियंत्रण तकनीक को बेहतर बनाने के लिये प्रयास कर रही है।

## आरक्षित रेल डिब्बों में अनधिकृत यात्री

1301. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में आरक्षण के संबंध में पकड़े गए कदाचार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दोषी रेल कर्मचारियों, आरक्षण एजेन्टों, दलालों आदि के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**[अनुवाद]**

## त्रिपुरा को खाद्यान्न

1302. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को हाल ही में त्रिपुरा को खाद्यान्नों की पूर्ति किए जाने हेतु असंतोषजनक ढुलाई प्रबन्धों और इसके परिणामस्वरूप राज्य में वितरण प्रणाली की विफलता के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कौन-कौन सी एजेंसियों को खाद्यान्नों की ढुलाई का काम सौंपा गया था; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)** : (क) से (ग) जी, हां। दो ट्रांसपोर्टर्स द्वारा कुछ के दायित्वों को पूरा न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं लेकिन इससे राज्य में खाद्य वितरण प्रणाली को प्रभावित करने के लिए राज्य (भारतीय खाद्य निगम + राज्य सरकार दोनों को मिलाकर) में स्टाक की कुल उपलब्धता प्रभावित नहीं हुई है। पिछले कुछ महीनों में, राज्य और भारतीय खाद्य निगम दोनों के पास स्टाक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपूर्तियों को बनाए रखने के लिए हमेशा पर्याप्त बना रहा है।

जहां तक ट्रांसपोर्टर्स के विरुद्ध कार्रवाई करने का सम्बन्ध है, भारतीय खाद्य निगम ने इस सम्बन्ध में कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी है।

त्रिपुरा को खाद्यान्न भेजने का कार्य रेल, सड़क और नदी मार्ग के परिवहन माध्यमों से किया जाता है और स्टाक की उपलब्धता के बारे में चिन्ता करने का कोई कारण नहीं है।

[अनुवाद]

## उर्वरकों की मांग

**1303. डा० के० वी० आर० चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश को उर्वरकों की अनुमति की आवश्यकता कितनी है;

(ख) अब तक राज्य सरकार को कितने उर्वरकों की आपूर्ति की गई है;

(ग) क्या गत दो वर्षों की तुलना में राज्य सरकार को उर्वरकों की आपूर्ति में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) 25.8.92 को फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरकों को विनियन्त्रित कर दिये जाने के समय से प्रत्येक फसल मौसम अर्थात खरीफ (अप्रैल-सितम्बर) तथा रबी (अक्तूबर-मार्च) के पहले केवल नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों, अर्थात यूरिया अमोनिया सलफेट (ए० एस०) अमोनियम क्लोराइड (ए० सी०) तथा कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (सी० ए० एन०) की आवश्कता को राज्य सरकार तथा उर्वरक उद्योग के परामर्श से आंकलित किया जाता है तथापि राज्य सरकारों से फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरकों की संभावित आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी मौसम की शुरूआत के पहले मांगी जाती है। आन्ध्र प्रदेश में खरीफ 1994 के मौसम के लिये नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की आवश्यकता तथा डाई-अमोनिया फास्फेट (डी० ए० पी०) तथा म्यूरियेट आफ्पोटाश (एम० ओ० पी०) की संभावित आवश्यकता की आंकलित मात्रा का ब्यौरा निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है :

| आंकलित आवश्यकता | (लाख मीटरी टन) |
|---|---|
| 1. यूरिया | 8.25 |
| 2. ए० एस० | 0.67 |
| 3. ए० सी० | 0.10 |
| 4. सी० ए० एन० | 0.66 |
| संभावित आवश्यकता : | |
| 1. डी० ए० पी० | 3.20 |
| 2. एम० ओ० पी० | 0.66 |

रबी 1994-95 के मौसम के लिये डी० ए० पी० तथा एम० ओ० पी० की संभावित आवश्यकता तथा यूरिया

की मात्रा का आंकलन उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार उचित समय पर किया जायेगा। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइट तथा कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट जैसे कम विश्लेषण वाले नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को 10.6.94 से विनियंत्रित कर दिया गया है। अतएव भविष्य में ई० सी० ए० सप्लाई एलान के एक भाग के रूप में इनका आवंटन नहीं किया जायेगा।

(ख) से (घ) यूरिया की उपलब्धता तथा खपत/बिक्री, वितरण, मूल्य आदि का विवरण, जिसका निनियमन सरकार द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित सारिणी में दिया गया है :-

| | | (लाख टन यूरिया) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | उपलब्धता | उपयोग | |
| खरीफ, 92 | | 6.97 | 6.46 | |
| रबी, 1992-93 | | 10.36 | 9.18 | |
| | योग | – | – | |
| | 1992-93 | 17.33 | 15.64 | |
| खरीफ, 94 | | 9.98 | 7.50 | (आक) |
| रबी, 1993-94 | | 10.53 | 10.10 | (आक) |
| | योग | | | |
| | 1993-94 | 20.51 | 17.60 | (आक) |
| | | 3.75 | 2.35 | (बिक्री) |

खरीफ, 94

(1.4.94 से 15.7.1994)

वर्तमान खरीफ 94 के मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार से यूरिया की कमी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

[हिन्दी]

## सुपर बाजार

**1304. श्री छीतूभाई गामीत :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में कोई नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस नियंत्रण कक्ष के क्या कार्य हैं;

(ग) सुपर बाजार की प्रबंध समिति द्वारा इस नियंत्रण कक्ष से ली जाने वाली सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह नियंत्रण कक्ष कहां स्थित है और इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(ङ) क्या इस नियंत्रण कक्ष को स्थापित करने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) जी, हां।

(ख) यह खुदरा बिक्री केन्द्रों से पिछले दिन की बिक्री से हुई आय से संबंधित सूचना एकत्रित करता है और खुदरा बिक्री केन्द्रों में विभिन्न वस्तुओं के स्टॉक की स्थिति की सूचना भी प्राप्त करता है।

(ग) चूंकि यह प्रणाली रोजाना होने वाली बिक्री और स्टॉक की स्थिति की मॉनिटरिंग के लिए है अत: ऐसी सूचना प्रबंध समिति के सामने नहीं रखी जाती है।

(घ) यह कनॉट प्लेस स्थित मुख्य कार्यालय में उपस्थिति है और इसमें 3 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ङ) जी, हां।

[अनुवाद]

## उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत फिल्मों को शामिल किया जाना

**1305. श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

**श्री पंकज चौधरी :**

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्मों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) से (ग) मनोरंजन, मनबहलाव या समाचार अथवा सूचना पहुंचाने से संबंधित त्रुटिपूर्ण सेवाएं, जिन्हें प्रतिफल पर भाड़े पर लिया गया हो अथवा उपयोग किया गया हो, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। फिलहाल मंत्रालय के पास इस अधिनियम में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

## समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

**1306. कुमारी सुशीला तिरिया :**

**श्री गुरूदास कामत :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों का पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इन राज्य बोर्डों का पूरा खर्च भी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से ही पूरा करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरों का परिकलन नहीं किया गया है।

## आन्ध्र प्रदेश में डेयरी कार्यक्रम

**1307. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार से वहां के दस जिलों में आपरेशन फ्लड के तहत डेयरी कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने हेतु कदम उठाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और राज्य सरकार से 70:50 के अनुपात में ऋण लेकर 15.33 करोड़ रुपये की लागत से समेकित डेयरी परियोजना कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो वे कौन से जिले हैं जहां यह कार्यक्रम आरंभ में शुरू किये गये हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) जी हां, आन्ध्र प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड-3 के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यक्रम ने 11 दुग्ध संघों के समूहों के साथ 17 जिलों को शामिल किया है। इन जिलों में डेयरी विकास के लिए अच्छी संभावनाएं हैं।

(ख) जी हां, तथापि वित्त-पोषण का अनुपात 70:30 है न कि 70:50 था।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा संस्वीकृत परियोजना का क्रियान्वयन आन्ध्र प्रदेश के खम्माम, करीमनगर तथा वारांगल जिलों में किया जाएगा।

(घ) इस परियोजना के क्रियान्वयन पर कुल 15.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

## आयातित पामोलीन तेल

**1308. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री 19 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या-3857 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयतित पामोलीन की शेष मात्रा को अब तक बेच दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसके महंगा होने के कारण कोई उसे खरीदने के लिये तैयार नहीं है; और

(घ) सरकार ने वर्तमान स्टाक को बेचने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) वर्ष 1993-94 के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति हेतु, आयातित खाद्य तेल (पामोलीन) की कुल 42,000 मी॰ टन मात्रा में से लगभग 6100 मी॰ टन मात्रा अभी निपटाने के लिए बाकी है।

(ख) पामोलीन की वर्तमान मात्रा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की जा चुकी है और उसे उठाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित आयातित खाद्य तेल का अंतिम खुदरा मूल्य विभिन्न किस्म के खाद्य तेलों के खुले बाजार मूल्यों के मुकाबले कम है।

(घ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## बिजली गिरने से हुई मौतें

**1309. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :**

**श्री फूलचन्द वर्मा :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में बिजली गिरने और बादल फटने की कई घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पीड़ित व्यक्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा किस सीमा तक राहत सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या 1992 और 1993 के दौरान भी ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थीं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं या करने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## रेल दुर्घटनाएं

**1310. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री तारा सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक ने देश में रेल दुर्घटनाओं पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो यह भी पता चला है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय चूक के कारण हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31.3. 1993 को समाप्त वर्ष के लिए रेलों पर अपनी रिपोर्ट में भारतीय रेलों पर हुई दुर्घटनाओं का उल्लेख किया है और 1989-90 से 1991-92 की अवधि के दौरान दक्षिण-मध्य रेलवे पर हुई दुर्घटनाओं को उजागर किया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरंतर सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। उनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है और दुर्घटना जांच रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के आधार पर नए उपाय किए जाते हैं। परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को विभिन्न किस्म का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कार्यनिष्पादन पर कड़ी नजर रखी जाती है। ड्राइवरों को उनकी ड्राइविंग तकनीकों के संबंध में नियमित रूप से परामर्श दिया जाता है। दस वर्ष से कम की ड्राइविंग सेवा वाले ड्राइवरों की निर्धारित समय से पहले बिना बारी के स्क्रीनिंग की गई है। और त्रुटिपूर्ण कर्मचारियों को हाल ही में त्वरित प्रशिक्षण दिया गया है। निचले स्तर पर अपनाई जाने वाली परिचालनिक और अनुरक्षण पद्धतियों की समीक्षा की जाती है और कर्मचारियों की ओर से होने वाली गलतियों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये किए गए अन्य मुख्य उपायों से रेलपथ पुलों, सिगनल प्रणालियों, चल स्टाक, आदि जैसी गतायु परिसंपत्तियों का नवीकरण एवं पुनर्स्थापित शामिल है। सिगनल और दूर-संचार गियरों, मालडिब्बों तथा रेल इंजनों के अनुरक्षण डिपुओं और कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता के लिए गहन जांच की जाती है। दरारों का पता लगाने के लिए पटरियों और धुरों की पराश्रव्य जांच की जा रही है।

## अगरतला को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ना

1311. **श्री सुब्रत मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अगरतला को रेल सम्पर्क के जरिए राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) जी, हां।

(ख) कुमारघाट और दिल्ली के बीच एक रेल लाइन पहले ही मौजूद है, अगरतला और कुमारघाट के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया गया है, परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

## नीलांचल एक्सप्रेस में आग लगने की घटना

1312. **श्री जगत बीर सिंह द्रोण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नयी दिल्ली से पुरी जाने वाली नीलांचल एक्सप्रेस के आरक्षित डिब्बे में भरथाना तथा सामु रेल स्टेशनों के बीच जून, 1994 को आग लगने की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे की सम्पत्ति की कितनी हानि हुई;

(घ) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है जिनकी लापरवाही से यह दुर्घटना हुयी; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) और (ख) आग लगने की कोई घटना नहीं हुई थी। बहरहाल, 20.6.94 को भर्थना और सम्हों रेलवे स्टेशनों के बीच 2816 डाउन नई दिल्ली-पुरी एक्सप्रेस के सवारी डिब्बा नं॰ 8387 के अंदर स्लंग आल्टरनेटर की वी॰ बेल्टों से धुंआ नोटिस में आया था, इस घटना क कारण आल्टरनेटर के बेयरिंग का जाम होना होना था।

(ग) लगभग 600/- रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह उपकरण की खराबी का मामला है।

(ङ) रेलों को कहा गया है कि ओवर हालिंग के दौरान बेयरिंगों का समुचित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये।

## पान अनुसंधान केन्द्र

1313. **श्री चित्त बसु :**

**श्री बीर सिंह महतो :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी बंगाल के तमलुक शहर में एक राष्ट्रीय कृषि और पान अनुसंधान केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## भाप के इंजनों का निर्माण

**1314. डा॰ लाल बहादुर रावल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में कितने भाप, डीजल और विद्युत इंजनों का निर्माण हुआ;

(ख) इन इंजनों के निर्माण की वर्तमान क्षमता कितनी है; और

(ग) इन इंजनों के निर्माण पर कुल कितना खर्चा आया ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) रेलवे उत्पादन यूनिटों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, जो सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा एकमात्र उपक्रम है, जहां से भारतीय रेलों द्वारा रेल इंजन प्राप्त किये जाते हैं, में निर्मित किये गये डीजल तथा बिजली रेल इंजनों की संख्या इस प्रकार है :–

| | | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| (i) | डीजल रेल इंजन | 181 | 152 |
| (ii) | बिजली रेल इंजन | 137 | 152 |
| (iii) | किसी भाप रेल इंजन का निर्माण नहीं किया गया था। | | |

(ख) रेल इंजनों का निर्माण कर रहे रेल उत्पादन यूनिटों की मौजूदा क्षमता इस प्रकार है :–

डीजल रेल इंजन कारखाना–150 डीजल रेल इंजन,

चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना–150 बिजली रेलइंजन,

इसके अलावा, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड प्रति वर्ष 12 रेललाइनों के हिसाब से भारतीय रेलों को बिजली इंजन सप्लाई कर रहा है।

(ग) 1993-94 के दौरान भारतीय रेलों द्वारा रेलइंजनों की खरीद पर 696.45 करोड़ रु॰ का खर्च किये जाने का अनुमान है।

## चीनी घोटाला .

1315. डा॰ सुधीर राय :

श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी घोटाले की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** (क) से (ग) चालू मौसम के दौरान चीनी की उपलब्धता में कमी होने से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में सरकार ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं। इस जांच का कार्यभार भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक श्री ज्ञान प्रकार (सेवा-निवृत्त) को सौंपा गया है। उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

## स्क्रैप-धातु

1316. श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में रेलवे के पास स्क्रैप-मेटल की भारी मात्रा जमा है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके निपटान के लिए निर्धारित मानदंड और शर्तें क्या-क्या हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) किसी भी क्षेत्रीय रेलवे पर भारी मात्रा में स्क्रैप नहीं पड़ी है,

(ख) प्रश्न नहीं उठता,

(ग) रेलवे/उत्पादन यूनिटों द्वारा स्क्रैप के निपटाान की व्यवस्था नियमित रूप से नीलामी/निविदा बिक्री के जरिए की जाती है,

[हिन्दी]

## सूरत से बिहार को सीधी रेल सेवा

1317. श्री काशीराम राणा :

श्री रामकृपाल यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरत से बिहार की सीधी रेल सेवा शुरू करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) जी हां,

(ख) जांच की गयी, लेकिन व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

## गाड़ियों को पुनः चलाना

**1318. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण मध्य रेलवे में तेनाली से होकर रेपल्ली और विजयवाड़ा के बीच पैसेन्जर ट्रेनों को पुनः चलाने हेतु अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) जी हां,

(ख) जांच की गई, परन्तु इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया,

## रेलवे द्वारा कर-मुक्त बांड जारी करना

**1319. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे सरकारी क्षेत्र की कर-मुक्त बांड योजना के प्रमुख लाभार्थी थे;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने इन कर-मुक्त बांडों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना राजस्व एकत्रित किया;

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल ही में सरकारी क्षेत्र के कर-मुक्त बांडों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्णय लेने के परिणामस्वरूप, भारतीय रेलवे के राजस्व में भारी कमी होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे बोर्ड ने अपने राजस्व में आयी कमी को पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने यूरोपीय बाजार से काफी धन प्राप्त करने तथा यूरो-बांड जारी करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(छ) क्या यूरो-बांड जारी करने हेतु मानदंडों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर मुक्त बंध पत्रों के माध्यम से रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जुटाई गई निधि इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| 1991-92 | 1611.64 करोड़ रुपये |
| 1992-93 | 10.5 " |
| 1993-94 | 845.44 " |

(ग) और (घ) यद्यपि कर-मुक्त बंध पत्रों की समग्र संख्या में मामूली सी कमी आई है परन्तु रेलवे के लिए आबंटन में कोई गिरावट नहीं आई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपयों में)

| वर्ष | कुल आबंटन | रेलों के लिए आबंटन |
|---|---|---|
| 1993-94 | 1950 | 950 |
| 1994-95 | 1900 | 950 |

(ङ) से (ज) 1994-95 के दौरान अनुमान है कि भारतीय रेलें, रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों द्वारा करमुक्त तथा कर युक्त दोनों प्रकार के बंध पत्रों के जरिए भारतीय बाजार से 1500 करोड़ रुपये तक प्राप्त कर लेंगी, यथा संभव अधिक धन जुटाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं, फिलहाल भारतीय रेल वि॰ नि॰ द्वारा यूरो बंध पत्रों को जारी करके धन जुटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

**1320. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

**श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पढ़ाई बीच में छोड़ देने और काम करने वाले बच्चों को मूल प्राथमिक शिक्षा दिलाने के लिए गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम पुन: तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो बालिका शिक्षा के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सहायता में बढ़ोतरी की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में राज्य-वार राशि में किस सीमा तक वृद्धि की गई है;

(ङ) क्या विद्यार्थियों को गैर-औपचारिक प्रणाली से औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई प्रावधान किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कितने स्वंयसेवी संगठन मदद कर रहे हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (छ) अभी हाल ही में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में संशोधन करके इसे आठवीं योजना में कार्यान्वित करने के लिए नए सिरे से तैयार किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा की संशोधित योजना में बालिकाओं

की शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में बालिकाओं की प्रतिशतता 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने पर विशेष बल दिया जाता है। राज्यों/स्वैच्छिक एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लागत मानदण्डों में वृद्धि कर दी गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान, इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल 106.69 करोड़ रु० की राशि स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष, इस योजना के लिए 131.27 करोड़ रु० का बजट प्रावधान है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार बजट आवंटन नहीं किया जाता है।

इस योजना में अनौपचारिक शिक्षा पद्धति से औपचारिक शिक्षा पद्धति में छात्रों को दाखिला देने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है। अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत समय-समय पर छात्रों तथा पांचवीं और आठवीं कक्षा के समकक्ष शैक्षिक स्तरों की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है कि क्या वे औपचारिक स्कूलों में दाखिला देने के लिए पात्र हैं।

इस समय, 444 स्वैच्छिक एजेंसियां अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं।

## केन्द्रीय विद्यालय

**1321. प्रो० प्रेम धूमल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में विशेषतः ऊना, बिलासपुर, शिमला आदि में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश में रेकोंगे पेओ, जिला किन्नौर, सरहान, जिला शिमला, एस० एम० बी, सापरी ज्वालामुखी और घेरविन बरसन्द, जिला बिलासपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 1994-95 के दौरान आई० टी० बी० पी० सहराहन, जिला शिमला में केंद्रीय विद्यालय खोलने का अनुमोदन किया।

## माध्यमिक शिक्षा

**1322. श्री फूल चंद वर्मा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिये जाने से पूर्व विभिन्न राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख) कार्यवाही योजना, 1992 में स्कूल शिक्षा बोर्डों की वर्तमान स्थिति और दशा का अध्ययन करने के लिए और माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से इन बोर्डों को प्रभावी तंत्रों में परिवर्तित करने हेतु एक योजना तैयार करने के लिए एक कार्य बल (टास्क फोर्स) को गठित करने का सुझाव दिया गया है। किसी दूसरे कार्य-बल (टास्क फोर्स) को गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड जिसमें राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्री सदस्य हैं, द्वारा कार्यवाही योजना 1992 सर्व सम्मति से अनुमोदित कर दिया गया है।

## शारीरिक शिक्षा

**1323. श्री बसुदेव आचार्य :**

**श्री सूरजभानु सोलंकी :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में खेलकूद के साथ शारीरिक शिक्षा को शामिल करने का निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने श्री के० पी० सिंह देव, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो शिक्षा पद्धति के साथ शारीरिक शिक्षा और खेलों को एकीकृत करने के लिए उपायों का सुझाव देगी।

समिति ने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और खेलों को अनिवार्य विषय के रूप में शुरू करने की सिफारिश की है। यह भी सिफारिश की गई है कि प्रतिदिन कम से कम 40 मिनट शारीरिक शिक्षा हेतु निर्धारित किए जाएं। सभी अध्यापकों को सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा पाठ्यक्रमों के जरिए शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों और बी० एड० कालेजों के जरिए आयोजित किए जाने चाहिए।

सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। और राज्य सरकारों से इन सिफारिशों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

## गंगा कार्य योजना चरण-II

**1324. श्री भगवान शंकर रावत :**

**डा॰ साक्षीजी :**

**क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो द्वितीय चरण का कार्य कब से शुरू हो जाएगा;

(ग) इसमें किस-किस नदी को शामिल किया गया है और उन पर क्या-क्या कार्य किये जायेंगे और इस परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सारणी क्या है;

(घ) इस परियोजना को पूरा करने में अनुमानतः कितनी लागत आएगी और इसमें राज्य सरकार का अंश कितना है, और इसमें कौन-कौन से राज्य शामिल हैं; और

(ङ) इस परियोजना के लिए किन वित्तीय संस्थानों से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने का विचार है और किन-किन वित्तीय संस्थानों की स्वीकृति प्राप्त हो गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) सरकार ने गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत यमुना एवं गोमती कार्य योजनाओं का अनुमोदन किया है। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई अन्य महत्वपूर्ण स्कीमें गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर-प्रदेश के 10 नगरों, बिहार के 11 नगरों तथा पश्चिम बंगाल के 7 नगरों से सम्बंधित हैं, इनके अलावा दामोदर नदी के प्रदूषण निवारण का कार्य भी शामिल है। ये योजनाएं केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) यद्यपि, यमुना एवं गोमती कार्य योजनाएं क्रियान्वयन के अन्तर्गत हैं, तथापि गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत अन्य स्कीमों पर कार्य सरकार द्वारा इनका अनुमोदन कर दिए जाने के बाद ही आरम्भ किया जा सकेगा। सरकार गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रस्तावों पर इसी कैलेण्डर वर्ष में निर्णय लेने वाली है।

(ग) यमुना एवं गोमती नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए बनाई गई यमुना एवं गोमती कार्य योजनाओं को 4 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाना है। इन योजनाओं के अन्तर्गत म्यूनिसिपल अपशेष का अवरोधन, दिशा-परिवर्तन एवं इसका उपचार, शवदाहगृहों का निर्माण, नदी तटाग्र विकास, अल्प-लागत स्वच्छा एवं वनीकरण के कार्य शामिल हैं।

(घ) इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए धन का कुछ भाग ऋण के रूप में ओवरसीज इकोनामिक कार्पोरेशन फंड, जापान द्वारा दिया जा रहा है। गोमती कार्य योजना के लिए ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओडीए) यूनाइटेड किंगडम तथा गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत कानपुर

नगर के दक्षिण भाग में कार्यों के लिए नीदरलैण्ड सरकार से भी विदेशी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है।

**I. केन्द्र एवं राज्य के बीच बराबर हिस्सेदारी किए जाने वाले कार्यों की लागत**

| | राज्य का नाम | कार्यों की अनुमानित लागत | राज्य का हिस्सा |
|---|---|---|---|
| (क) | यमुना कार्य योजना | | |
| | (1) उत्तर प्रदेश | 213.75 | 106.875 |
| | (2) हरियाणा | 113.85 | 56.925 |
| | (3) दिल्ली | 16.18 | 8.090 |
| | उप योग : | 343.78 | 171.890 |
| (ख) | गोमती कार्य योजना | | |
| | उत्तर प्रदेश | 61.01 | 30.505 |
| | कुल योग (क + ख) | 404.79 | 202.395 |
| | अर्थात् रुपए | 405 करोड़ | 202.50 करोड़ |
| **II.** | **अकेले केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले कार्यों की लागत** | 16.00 करोड़ | |

**सारांश**

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों का हिस्सा

(क) केन्द्र

| | |
|---|---|
| 50% के आधार पर कार्यों की लागत | 202.50 |
| स्थापना, अनुसंधान एवं विकास आदि की लागत | 16.00 |
| योग | 218.50 |

(ख) राज्य (उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं दिल्ली)

| | |
|---|---|
| 50% के आधार पर कार्यों की लागत | 202.50 |

## मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं

1325. **श्री जंगबीर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राज्य-वार कितनी नई मृदा और जल परीक्षण प्रयोगशालाएं आयोजित की गई;

(ख) राज्य-वार इन पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रखंड स्तर पर ऐसी प्रयोगशालाएं आयोजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान देश में, विशेषतः हरियाणा के भिवानी जिले में ऐसी कितनी प्रयोगशालाओं को आयोजित करने का विचार है; और

(घ) इस पर कुल कितना अनुमानित व्यय होने को संभावना है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) और (ख) : मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें जहां जल का भी विश्लेषण किया जा सकता है, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा स्थापित की जाती हैं। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है। जैसा कि सूचित किया गया है पिछले वर्ष, पंजाब तथा लक्षद्वीप सरकार ने तीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित कीं, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

| | मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या | खर्च (रु०) |
|---|---|---|
| पंजाब | 2 (चल) | 10,00,000/- |
| लक्षद्वीप | 1 (अचल) | 94,000/- |

भारत सरकार "उर्वरकों का सन्तुलित व समेकित उपयोग" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है जिसका एक घटक मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाना है। आठवीं योजना के लिये 26 करोड़ रु० के परिव्यय की इस योजना में राज्य सरकारों को इस मामले में धनराशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) : इस प्रकार की प्रयोगशालायें प्रत्येक ब्लाक में स्थापित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) भिवानी तथा चर्खी दादरी में पहले से ही दो मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें काम कर रही हैं। भिवानी जिले में चालू वर्ष के दौरान कोई नई प्रयोग शाला स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

## विवरण

राज्य सरकारों तथा उर्वरक उद्योग द्वारा चलाई जा रही मृदा परीक्षण प्रयोगशालायें (1991-92)

| क्रम सं. | राज्य | मृदा परीक्षण लैबों की संख्या | | | विश्लेषण क्षमता | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अचल | चल | कुल | (000) | क्षमता उपयोग |
| | **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 26 | 8 | 34 | 355.0 | 93.4 |
| 2. | कर्नाटक | 20 | 1 | 21 | 614.0 | 79.1 |
| 3. | केरल | 14 | 8 | 22 | 294.0 | 80.0 |
| 4. | तमिलनाडु | 17 | 15 | 32 | 1041.0 | 100.5 |
| 5. | पाण्डिचेरी | 2 | – | 2 | 20.0 | 94.5 |
| 6. | अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 1 | – | 1 | 12.0 | 60.9 |
| 7. | दमन व दीव | – | – | – | – | – |
| 8. | लक्षद्वीप | 1 | – | 1 | 3.0 | – |
| | **योग** | **81** | **32** | **113** | **2339.0** | |
| | **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | |
| 9. | गुजरात | 18 | 9 | 27 | 291.0 | 104.0 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 23 | 11 | 34 | 437.0 | 47.2 |
| 11. | महाराष्ट्र | 23 | 4 | 27 | 236.0 | 78.3 |
| 12. | राजस्थान | 8 | 14 | 22 | 265.0 | 98.3 |
| 13. | गोवा | 2 | – | 2 | 18.0 | 72.4 |
| 14. | दादर व नगर हवेली | 1 | – | 1 | 1.0 | 112.0 |
| | **योग** | **75** | **38** | **113** | **1248.0** | |
| | **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | |
| 15. | हरियाणा | 27 | 1 | 28 | 308.0 | 78.7 |
| 16. | पंजाब | 29 | 19 | 48 | 475.0 | 95.3 |
| 17. | हिमाचल प्रदेश | 11 | 1 | 12 | 69.6 | 137.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | उत्तर प्रदेश | 62 | 23 | 85 | 1050.5 | 64.9 |
| 19. | जम्मू व कश्मीर | 3 | 3 | 6 | 30.0 | 101.6 |
| 20. | दिल्ली | 1 | – | 1 | 5.0 | 64.4 |
| 21. | चण्डीगढ़ | – | – | – | – | – |
| | **योग** | **133** | **47** | **180** | **1946.1** | |
| | **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | |
| 22. | बिहार | 36 | 4 | 40 | 361,5 | 36.7 |
| 23. | उड़ीसा | 15 | 4 | 19 | 390.0 | 46.7 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 14 | 8 | 22 | 174.0 | 55.0 |
| | **योग** | **65** | **16** | **81** | **925.5** | |
| | **उत्तरी पूर्वी क्षेत्र** | | | | | |
| 25. | असम | 10 | 7 | 17 | 138.3 | 54.3 |
| 26. | त्रिपुरा | 2 | 1 | 3 | 15.0 | 40.5 |
| 27. | मणिपुर | 1 | – | 1 | 10.0 | 86.3 |
| 28. | नागालैण्ड | 1 | 2 | 3 | 20.0 | 50.0 |
| 29. | मेघालय | 3 | – | 3 | 17.0 | 100.0 |
| 30. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | – | 1 | 5.0 | 23.0 |
| 31. | सिक्किम | 1 | 1 | 2 | 13.0 | 98.0 |
| 32. | मिजोरम | 1 | – | 1 | 8.0 | 81.2 |
| | **योग** | **20** | **11** | **31** | **226.3** | |
| | **कुल अखिल भारत** | **374** | **144** | **518** | **6684.9** | **77.0** |

## मोटे अनाजों का उत्पादन

**1326. श्री गुमान मल लोढा :**

**श्री नीतीश कुमार :**

**श्री राजवीर सिंह :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 40 प्रतिशत नागरिक अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए गेहूं और चावल के बजाय मोटे अनाजों पर निर्भर रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ज्वार, मक्का, बाजरा जैसे मोटे अनाजों की औसत उत्पादन दर बहुत कम तथा अनिश्चित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में अनुसंधान कार्य शुरू करने की काफी संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में मोटे अनाजों की औसत उत्पादन दर बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस क्षेत्र में भारत द्वारा किया जा रहा औसत व्यय अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासंभव शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## व्यावसायिक संस्थाएं

**1327. श्री खेलन राम जांगडे :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य वार कितनी व्यावसायिक संस्थाएं कार्यरत हैं;

(ख) राज्य वार इन संस्थाओं में कितने छात्र पंजीकृत हैं; और

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को इस प्रयोजनार्थ राज्य वार कितना अनुदान किया ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत देश में 5701 संस्थाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संस्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) इस योजना में प्रत्येक व्यावसायिक/अनुभाग में 25 विद्यार्थियों के नामांकन के लिए प्रावधान है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिए गए अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया हुआ है।

## विवरण-I

### व्यावसायिक स्कूलों/संस्थाओं की संख्या

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | | व्यावसायिक संस्थाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 649 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 4 |
| 3. | असम | 150 |
| 4. | बिहार | 251 |
| 5. | गोआ | 33 |
| 6. | गुजरात | 364 |
| 7. | हरियाणा | 75 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 40 |
| 9. | जम्मू और काश्मीर | 38 |
| 10. | कर्नाटक | 464 |
| 11. | केरल | 235 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 390 |
| 13. | महाराष्ट्र | 854 |
| 14. | मणिपुर | 19 |
| 15. | मेघालय | 10 |
| 16. | मिजोरम | 17 |
| 17. | नागालैंड | 8 |
| 18. | उड़ीसा | 231 |
| 19. | पंजाब | 282 |
| 20. | राजस्थान | 155 |
| 21. | सिक्किम | 7 |
| 22. | तमिलनाडु | 600 |
| 23. | त्रिपुरा | 2 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 710 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 25. | पश्चिम बंगाल | 39 |
| 26. | अंडमान और निकोबार | 6 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 11 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | 2 |
| 29. | दमन और दीव | 2 |
| 30. | दिल्ली | 38 |
| 31. | लक्षद्वीप | – |
| 32. | पांडिचेरी | 12 |
| | योग | 5701 |

## विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिया गया अनुदान। (रु० लाखों में)

| क्र० सं० | राज्य का नाम | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1010.235 | 1584.915 | 640.58 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 6.355 | – | – |
| 3. | असम | 140.28 | 100.246 | 291.54 |
| 4. | बिहार | 0.75 | – | 408.51 |
| 5. | गोआ | 49.65 | 92.562 | 56.93 |
| 6. | गुजरात | 879.375 | 1070.736 | 781.73 |
| 7. | हरियाणा | 155.00 | 131.44 | 228.18 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 56.858 | 59.417 | – |
| 9. | जम्मू और काश्मीर | 15.80 | – | 22.55 |
| 10. | कर्नाटक | 324.996 | 727.470 | 1012.695 |
| 11. | केरल | 346.899 | 410.778 | 352.40 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3.00 | – | – |
| 13. | महाराष्ट्र | 1230.25 | 2195.333 | 2035.74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 14. | मणिपुर | 44.00 | 7.183 | 7.40 |
| 15. | मेघालय | – | – | – |
| 16. | मिजोरम | – | 24.883 | 21.924 |
| 17. | नागालैंड | – | – | 1.40 |
| 18. | उड़ीसा | – | 1.22 | 650.00 |
| 19. | पंजाब | 222.25 | 320.62 | 253.74 |
| 20. | राजस्थान | 323.56 | 340.395 | 385.19 |
| 21. | सिक्किम | 0.044 | 5.32 | 7.15 |
| 22. | तमिलनाडु | 727.90 | – | 700.16 |
| 23. | त्रिपुरा | – | – | 4.13 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 99.147 | 581.39 | 258.42 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | – | – | – |
| 26. | अंडमान और निकोबार | – | – | – |
| 27. | चण्डीगढ़ | 20.77 | 8.65 | 22.77 |
| 28. | दादर और नगर हवेली | – | 5.25 | 2.79 |
| 29. | दमन और दीव | – | – | 3.09 |
| 30. | दिल्ली | 0.30 | *46.38 | 105.00 |
| 31. | लक्षद्वीप | – | – | – |
| 32. | पांडिचेरी | – | – | 17.44 |
| | योग | 5657.419 | 7714.188 | 8271.469 |

[अनुवाद]

## जोगीगोपा से सिल्चर तक रेलवे लाइन

**1328. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोगीगोपा से सिल्चर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य तत्काल शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या लेंका से सिल्चर तक बड़ी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है और

इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का लेंका-सिल्चर तक केवल 250 कि॰ मी॰ से अनधिक दूरी के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट की समीक्षा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) और (ख) : जी हां,

(ग) लेंका और सिल्चर के बीच बड़ी लाइन बिछाने के लिए 1984 में किए गए व्यावहारिक अध्ययन से यह पता चला था कि 1983-84 के मूल्यों के आधार पर इस 208.75 कि॰ मी॰ लम्बी लाइन की अनुमानित लागत, 658.00 करोड़ रुपये होगी, प्रस्ताव की वर्तमान लागत 1150 करोड़ रुपये से कहीं अधिक हो सकती है।

(घ) इस तरह की कोई सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोगीघोपा-सिल्चर नई बड़ी लाइन के विकल्प के रूप में लेंका और सिल्चर के बीच नई बड़ी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन भी करेगी।

[हिन्दी]

## रेलवे कर्मचारियों की संख्या में कमी

**1329. श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर कर्मचारियों की संख्या का विनियमन कार्यभार तथा समय-समय पर कार्य पद्धतियों में किये जाने वाले परिवर्तनों के अनुसार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलों में कार्य कर रहे कर्मचारियों (स्थाई और अस्थाई चालू लाइन तथा निर्माण) का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| 1990-91 | 16,54,985 |
| 1991-92 | 16,57,239 |
| 1992-93 | 16,52,336 |

[अनुवाद]

## निजी पार्टियों को अपक्षीण वन भूमि देना

**1330. श्री शंकर सिंह बाघेला** :

**श्री प्रफुल पटेल** :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी कंपनियों/पार्टियों को परती और अपक्षीण वन भूमि देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व वन्यप्राणी (डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ.) के भारतीय न्याय बोर्ड ने सरकार से अपक्षीण वन भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुमति न देने का जोरदार अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख) सरकार निजी कम्पनियों/पार्टियों को अपशिष्ट और अवक्रमित वन भूमि देने के किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, देश में अवक्रमित वनभूमि के बड़े भाग पर अवैध कब्जे के खतरे और हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस पर तत्काल वनरोपण की आवश्यकता, अवैध कब्जों को रोकने और भूमि निम्नीकरण रोकने तथा ग्रामीणों की ईंधन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने और विद्यमान प्राकृतिक वनों तथा सुरक्षित क्षेत्रों पर दबाव कम करने के लिए सरकार राज्य वन विकास निगमों की साझेदारी से अत्यन्त अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण में उद्योगों को शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और जन सहकारिताओं की वनरोपण स्कीमों के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और उनके प्रयासों में वृद्धि की जा सके।

(ग) और (घ) इस संबंध में महा सचिव, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस मामले पर प्रैस रिपोर्टों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है तथापि डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इंडिया के ट्रस्टी बोर्ड की आशंका सही नहीं है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए वन भूमि अन्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस मामले पर हाल ही में हुए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के वन मंत्रियों के सम्मेलन और राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद में विचार किया गया था। इस संबंध में विभिन्न मुद्दों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही इस बारे में एक स्कीम को अंतिम रूप दिया जाएगा। इन मुद्दों में अन्य बातों के साथ-साथ इस स्कीम के कानूनी पक्ष, वन क्षेत्रों में स्थानीय ग्रामीणों एवं कबीलों को प्राप्त अधिकारों एवं रियायतों पर इसके संभावित प्रभाव तथा वैज्ञानिक वन-वर्धन एवं जैव-विविधता संरक्षण संबंधी आवश्यकता शामिल है।

## गोवा तट पर तेल का फैलाव

**1331. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फंसे हुए मालवाहक समुद्री पोतों से गोवा तट पर भारी मात्रा में तेल फैलने की जानकारी है जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण का गंभीर संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गोवा तट के लिए इस प्रकार की घटनाओं को न होने देने के लिए कौन सी दीर्घकालीन योजना बनाई गई है और प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण की समस्या से निपटने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग) तट रक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार फंसे हुए मालवाहक समुद्री जहाजों से गोवा के समुद्र तट पर तेल का गंभीर रिसाव नहीं हुआ था। इसलिए पर्यावरण को प्रदूषण का कोई खतरा नहीं है। उक्त समुद्री जहाज गोवा तट के समीप 5 जून 1994 को समुद्र में डूब गया जिसमें 1025 टन भारी डीजल और स्नेहक लदा हुआ था। तेल के फैलाव की स्थिति में निगरानी तथा एहतियाती कार्रवाई करने के लिए सर्तकता के तौर पर प्रदूषण सुग्राही उपकरणों से युक्त तटरक्षक पोत तथा हेलीकाप्टर और ऑफशोर पेट्रोल जहाज को ठीक समय पर रवाना कर दिया गया था, यदि आवश्यक हुआ तो समुद्री किनारे की सफाई कार्य के लिए गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अपनी आपातकालीन सेवा तैयार रखने के लिए सचेत कर दिया गया था। ईंधन और स्नेहकों को निपटान लाइन के जरिए पम्प टैंकर लारियों में भर दिया गया।

(घ) तेल के फैलाव से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण के लिए गोवा समद्र तट हेतु कोई विशिष्ट स्कीम प्रतिपादित नहीं की गयी है। तथापि इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय तेल रिसाव आपातकालीन योजना तैयार की गई है जिसके लिए भारतीय समुद्री क्षेत्र में तेल के रिसाव का मुकाबला करने के लिए तट रक्षक नोडल अभिकरण के तौर पर कार्य करता है। तेल रिसाव के उत्पन्न किसी नाजुक स्थिति से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय में संकट प्रबन्ध दल भी गठित किया गया है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

## केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान में आग

**1332. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

**श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

**क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान ने जून, 1994 में शिक्षा माध्यम और अनुसंधान केन्द्र में लगी आग की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी [illegible] क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख) केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के पुराने शैक्षिक मीडिया और अनुसंधान केन्द्र के हिस्से में जून, 1994 में हुई आग दुर्घटना की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति में ये शामिल थे :

1. प्रोफेसर जे० पी० डिमरी,
   डीन (विदेशी भाषा)
   केन्द्रीय अ० और वि० भा० संस्थान,
   हैदराबाद।

2. प्रोफेसर बी॰ एन॰ गरूडाचार,
   प्रोफेसर वैद्युत इंजीनियरी और डीन,
   इंजीनियरी कालेज, उस्मानिया विश्वविद्यालय
   हैदराबाद और

3. श्री योगेश्वर प्रताप,
   अधीक्षक इंजीनियर,
   दूरदर्शन केन्द्र,
   हैदराबाद।

समिति के विचारार्थ विषय जांच हेतु निम्नलिखित थे :

1. आग का कारण/स्रोत क्या था,
2. कितना नुकसान हुआ,
3. क्या यह तोड़-फोड़ का मामला था, और
4. भविष्य में ऐसी घटनायें न हों, उसके लिए उपचारी और रोकथाम के उपाय सुझाना

समिति के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

1. आग अचानक शार्ट-सर्किट तथा दुर्घटना के समय विद्यमान मौसम की प्रतिकूल स्थिति के साथ-साथ इन्स्यूलेशन के फेल हो जाने के कारण लगी थी।

2. समिति को तोड़-फोड़ के संकेत का कोई सबूत नहीं मिल सका।

3. ध्वनि स्टूडियो भाग में अंदर की वायरिंग और ध्वनिक पैनलिंग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये और इसे पुनः दुरूस्त किए जाने की जरूरत है। ई॰ एम॰ आर॰ सी॰ के अनुमान के अनुसार उपस्कर को 4.22 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम निम्नलिखित हैं :

**उठाए गए कदम**

बिजली की तारों की सही ढंग से जांच की गयी है। उपस्कर तथा नए भवन के लिए बीमा नए सिरे से कराया गया है।

**भविष्य के लिए अनुशंसित उपाय**

1. अग्नि संसूचन और श्रृव्य अलार्म पद्धति स्थापित किए जाने की जरूरत है।
2. आग की स्थिति का पता लगाने के लिए एक केन्द्रीकृत युक्ति स्थापित की जाए।

3. बहुमूल्य टेपों को एक अलग अग्नि-रोधक कक्ष में रखा जाना चाहिए जो विशेष तौर पर ऐसे भंडारण के लिए बनाया गया हो।

4. बिजली की तारें औद्योगिक स्तर की हों जिनमें पर्याप्त विद्युत क्षमता सुनिश्चित हो और उन्हें नलियों में अंत:स्थापित किया जाना चाहिए।

5. बिजली की तारें लगाने का कार्य संस्थान के एक जिम्मेदार अधिकारी की निगरानी में लाइसेंसशुदा प्रमाणित योग्य सक्षम ठेकेदार को सौंपा जाना चाहिए।

## प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि

**1333. श्री राम टहल चौधरी :** क्या कृषि मंत्री 15 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों और 1993 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण इन क्षेत्रों में हुई हानि के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) 15 मार्च, 1994 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं॰ 2795 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा किए जाने के लिए प्राकृतिक आपदा प्रवण क्षेत्रों से संबंधित अपेक्षित सूचना की 12 राज्यों और 4 संघशासित क्षेत्रों से अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। चूककर्ता राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से आवश्यक सूचना जल्द से जल्द एकत्र करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

## गंगा नदी पर रेलवे पुल

**1334. श्री राम कृपाल यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार को पटना से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पहलेजा से दीघा (बिहार) तक रेलवे पुल के निर्माण की योजना दो दशकों से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इसके निर्माण के लिए कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पटना के समीप गंगा नदी पर रेलवे पुल के लिए फरवरी, 91 में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला था कि पुल की लागत लगभग 468 करोड़ रुपए होगी और उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर ऋणात्मक होगी। परियोजना की अलाभप्रद प्रकृति और इसमें अन्तर्निहित भारी निवेश तथा रेलों के सामने संसाधनों की तंगी को देखते हुए फिलहाल इस पुल के निर्माण के बारे में विचार नहीं किया जा सकता।

## राष्ट्रीय संस्कृति नीति

**1335. श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय संस्कृति नीति पर तैयार किये गये दृष्टिकोण पत्र की मुख्य रूप-रेखा क्या है;

(ख) उपर्युक्त नीति की इस समय क्या स्थिति है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) विस्तृत उद्देश्य और लक्ष्य प्रारूप में उल्लिखित हैं। तथापि, सभी सांस्कृतिक कार्यकलापों को एकीकृत करना, अब तक के केन्द्रीकृत समारोहों को विकेन्द्रीकृत करना, संस्कृति के क्षेत्र में शैक्षिक और निजी प्रयासों को संवर्धित तथा प्रोत्साहित करना, विलुप्त हो रहे रूपों के परिरक्षण सहित आदिवासी और लोक कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आधारभूत सुविधाओं के लिए आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना, सांस्कृतिक विरासत आदि को परिरक्षित एवं संरक्षित करना मुख्य लक्ष्य हैं, जो प्रारूप में दर्शाये गए हैं।

(ख) और (ग) प्रारूप संसद की स्थायी समिति के विचाराधीन है। नीति के अंतिम रूप से तैयार हो जाने के बाद ही कार्यान्वयन का प्रश्न उठेगा।

[हिन्दी]

## गाड़ियों का देर से चलना

**1336. श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 को दिल्ली, नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशनों तक जाने वाली कौन-कौन सी सुपरफास्ट गाड़ियां वास्तविक रूप से कब पहुंची, अपने निश्चित समय से वे कितने विलंब से पहुंची और प्रत्येक सुपरफास्ट गाड़ी के विलंब से पहुंचने के क्या कारण हैं;

(ख) अपते निश्चित समय पर गाड़ियों के नहीं चलने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) 30.6.1994 को दिल्ली/नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन पर जो सुपरफास्ट गाड़िया विलंब से आई, उनका ब्यौरा तथा उनके विलंब से आने के कारण इस प्रकार हैं :-

| क्र॰ सं॰ | गाड़ी सं॰ और नाम | निर्धारित आगमन समय | वास्तव में जिस समय पहुंची | जितना समय विलंब से आई घंटे | मिनट | देरी से आने के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 1. | 2001-भोपाल नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस | 2220 बजे | 0135 बजे | 3 | 15 | मुरैना में बिजली रेल इंजन खराब होना |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| त2. | 2305 हवड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस | 0940 बजे | 1105 | 1 | 25 | गहमार में सिगनल तथा दूर-संचार की खराबी। |
| 3. | 2303 हवड़ा-नई दिल्ली पूर्व एक्सप्रेस | 1040 बजे | 1255 बजे | 2 | 15 | भदौरा में सिगनल और दूर-संचार की खराबी। |
| 4. | 2311 हवड़ा-कालका मेल | 1955 बजे | 2030 बजे | – | 35 | यातायात के कारण। |
| 5. | 2391 पटना-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस | 1155 बजे | 2030 बजे | – | 35 | यथोक्त |
| 6. | 2401 पटना-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस | 0520 बजे | 0630 बजे | 1 | 10 | आरा में नियंत्रण की खराबी तथा तीन स्टेशनों पर सिगनल की खराबी। |
| 7. | 2407/2409/2411 जबलपुर-नागपुर-विलासपुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस | 0720 बजे | 0737 बजे | – | 17 | यातायात के कारण। |
| 8. | 2615 मद्रास-नई दिल्ली जी॰ टी॰ एक्सप्रेस | 1145 बजे | 1630 बजे | 4 | 45 | बुधनी-मिरघाट खंड पर मालगाड़ी की दुर्घटना तथा बिजली पावर की खराबी। |
| 9. | 2617 मंगलौर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस | 1540 बजे | 1635 बजे | — | 55 | बुधनी में हुई दुर्घटना का प्रभाव। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 2621 मद्रास-निजामुद्दीन तमिलनाडु एक्सप्रेस | 0645 बजे | 1045 | 4 | - | बुधनी-मिदघा[illegible] बीच दुर्घटना का प्रभावबल्हारशाह बाबूचेट के बीच इकहरी लाइन लाइन पर कार्य संपर्क रेल के विलंब से आने के कारण। |
| 11. | 2701 मिरज-हजरतनिजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस | 1445 बजे | 1630 बजे | 1 | 25 | मिरज से देरी से चलना, डीजल रेल इंजन की खराबी। |
| 12. | 2723 सिकंदराबाद नई दिल्ली ए० पी० एक्सप्रेस | 0840 बजे | 1310 बजे | 4 | 30 | बुधनी-मिदघाट के बीच दुर्घटना की प्रभाव। |
| 13. | 2815 पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस | 1700 बजे | 1920 बजे | 2 | 20 | इंजीनियरी प्रतिबंध तथा और मार्ग और क्रासिंग। |
| 14. | 2926 अमृतसर-बंबई सैन्ट्रल पश्चिम एक्सप्रेस | 1610 बजे | 2015 बजे | 4 | 05 | दुर्घटना के कारण भडौलो-से पठान कोट के रास्ते मार्ग परिवर्तन। |
| 15. | 2951 बंबई सैन्ट्रल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस | 0955 बजे | 1152 बजे | 1 | 57 | दस स्टेशनों पर सिगनल एवं दूर संचार की खराबी |

(ख) गाड़ियां, विभिन्न कारणों जैसे दुर्घटनाएं, बंद/आंदोलनों, धुंध/खराब मौसम, खतरे की जंजीर खींचने तथा अन्य शरारती गतिविधियों उपकरणों की खराबी तथा इंजीनियरी प्रतिबंधों आदि के कारण विलंब से चलती हैं।

(ग) रेलों के नियंत्रण के भीतर आने वाली रूकौनियां दूर-करने के लिए कड़ी निगरानी तथा चौबीसों घंटे नजर रखी जा रही है।

[अनुवाद]

## इलाहाबाद में आरक्षण कोटा

**1337. श्री राम पूजन पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली और मुम्बई के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु इलाहाबाद जिले में उत्तर रेलवे के फफामाऊ, फूलपुर, मऊ, ऐमा रेलवे स्टेशनों पर बसों का आरक्षण कोटा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ़) :** (क) और (ख) बम्बई के लिए 1028 गोरखपुर-वाराणसी दादर एक्सप्रेस के फाफागऊ जं॰ पर 2 शायिकाओं, फूलपुर स्टेशन पर 4 शायिकाओं और 1094 महानगरी एक्सप्रेस से मऊऐमा स्टेशन पर 2 शायिकाओं का आरक्षण कोटा उपलब्ध है फाफामऊ स्टेशन पर 4517 ऊँचाहार एक्सप्रेस से 3 शायिकाओं के कोटा की भी व्यवस्था की गई है प्रारंभिक स्टेशन पर गाड़ी अत्यधिक प्रतीक्षा सूची होने के कारण जिसमें समायोजना के लिए कोई स्थान नहीं रहता, दिल्ली के लिए फूलपुर और मऊऐमा स्टेशन पर कोई बाहरी स्टेशन कोटा निर्धारित करने के लिए व्यावहारिक नहीं समझा गया।

[हिन्दी]

## आलू के बीजों की खरीद

**1338. डा॰ एस॰ पी॰ यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और अरूणाचल प्रदेश में किन किन एजेंसियों के माध्यम से कुफरी ज्योति किस्म के बीजों की कितनी-कितनी मात्रा में खरीद की गई थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन राज्यों को किसानों में वितरित करने के लिए राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई थी ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

## फसल बीमा योजना

**1339. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :**

**श्री चन्द्रेश पटेल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने किसान लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या इस योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि से सम्बन्धित दावों का अब तक निपटारा हो गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इन दावों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां, 1988 के दौरान मूल्यांकन किया गया तथा केन्द्रीय फसल बीमा योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए :–

1. बीमित राशि को कम करके फसल ऋण का 100% कर दिया गया जिसकी अधिकतम सीमा प्रति किसान 10,000 रु॰ है जबकि पहले किया गया प्रावधान ऋण राशि का 150% था।

2. उपज की परिवर्तन शीलता के आधार पर क्षतिपूर्ति के परिवर्ती स्तर लागू किए गए।

(घ) से (च) निम्नलिखित को छोड़कर सभी राज्यों के दावों का निपटान कर दिया गया है :–

राज्यों से एक तिहाई अंश प्राप्त न होने के कारण मध्य प्रदेश और बिहार के तीन मौसमों के दावे लम्बित हैं राज्य सरकारों द्वारा अपना एक तिहाई अंश देते ही दावों का निपटारा कर दिया जाएगा।

–उड़ीसा राज्य से उत्पादन आंकड़े देर से प्राप्त होने के कारण, समप्रति खरीफ, 1993 के दावे प्रक्रियाधीन हैं।

–गुजरात राज्य के खरीफ, 1993 मौसम के लिए 277 करोड़ के कुल दावों की भारत सरकार संवीक्षा कर रही है तथा संवीक्षा के बाद इनका निपटान किया जाएगा।

–उत्पादन आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही रबी 1993-94 के दावे की स्थिति का पता चलेगा।

## विवरण

| क्र॰ सं॰ | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित किसानों की कुल सं॰ (1991-92, 1992-93, 1993-94) |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 476905 |
| 2. | असम | 3326 |
| 3. | बिहार | 206291 |
| 4. | गोवा | 244 |
| 5. | गुजरात | 893958 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 789 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | एन॰ पी॰ |
| 8. | कर्नाटक | 51552 |
| 9. | केरला | 13343 |
| 10. | मणिपुर | एन॰ पी॰ |
| 11. | मध्य प्रदेश | 296644 |
| 12. | महाराष्ट्र | 437689 |
| 13. | मेघालय | 937 |
| 14. | उड़ीसा | 105683 |
| 15. | राजस्थान | एन॰ पी॰ |
| 16. | तमिलनाडु | 118228 |
| 17. | त्रिपुरा | एन॰ पी॰ |
| 18. | उत्तर प्रदेश | एन॰ पी॰ |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 97455 |
| 20. | अंडमान व निकोबार | एन॰ पी॰ |
| 21. | दिल्ली | एन॰ पी॰ |
| 22. | पांडिचेरी | 511 |
| | कुल | 2703555 |

*रबी 1993-94 की सूचना उपलब्ध नहीं है, अत: केवल खरीफ 1993 की सूचना दी गई है।

**सम्प्रति भाग नहीं ले रहे हैं।

## सुरक्षित भू-भाग का विकास

**1340. प्रो॰ (श्रीमती) सावित्री लक्ष्मणन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केरल में खतरनाक पदार्थ प्रबंधन के अंतर्गत स्थलों पर सुरक्षित भू-भाग के विकास की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख) परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियमावली, 1989 के नियम के अनुसार, राज्य सरकारों को अपशिष्ट निपटान स्थलों की शिनाख्त करनी होती है और विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करने होते हैं। कार्रवाई शुरू करने के लिए, सरकार ने केन्द्रीय सहायता की स्कीम के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव रखा था। इस स्कीम के तहत सभी राज्यों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) राज्य सरकारों/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आंकड़े एकत्र करने, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने और भूमि भराव डिजाइन तैयार करने के लिए प्रत्येक स्थल के लिए 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक निम्नानुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी :

| | |
|---|---|
| (1) आंकड़े एकत्र करना | 1.00 लाख रुपये |
| (2) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की लागत | 1.50 लाख रुपये |
| (3) भूमि भराव डिजाइन की लागत | 2.50 लाख रुपये |
| कुल | 5.00 लाख रुपये |

[हिन्दी]

## राष्ट्रीय बीज निगम को हानि :

**1341. श्री राजबीर सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम को निरंतर हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान औसतन कितनी धनराशि की हानि हुई है;

(ग) इस हानि के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस हानि को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) जी हां।

(ख) 1990-91 से 1992-93 के दौरान हुई क्षति औसतन लगभग 778.55 लाख रुपये प्रति वर्ष थी

(ग) इन क्षतियों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(1) बीज के बिक्री मूल्य के अनुरूप बीज उत्पादकों को दिए गए आदान मूल्यों तथा अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि।

(2) सामान्य मूल्य वृद्धि के कारण नियत उपरिव्यय में वृद्धि होने और निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

(3) पूंजी संरचना में असंतुलन के कारण ब्याज का भारी बोझ।

(4) राज्य बीज निगम और निजी बीज उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण राष्ट्रीय बीज निगम के विपणन खंडों में कमी।

(5) उत्पादन में कमी के कारण राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-1 और चरण-2 के तहत सृजित अवसंरचनात्मक सुविधाओं का न्यून उपयोग, और

(6) अधिक स्टाफ।

(घ) राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-III के तहत निगम की कार्य कुशलता तथा व्यावहार्यता में सुधार लाने के लिए नैदानिक अध्ययन करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने हेतु मैसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज (टी० सी० एस०) की सेवाएं ली गई थी। परामर्श दाताओं द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर एक सहमत कार्य योजना तैयार की गई जिसका क्रियान्वय किया जा रहा है। भारत सरकार सहमत कार्य योजना के क्रियान्वयन का लगातार अनुवीक्षण करती है।

## मुम्बई से पटना के लिए सुपरफास्ट रेलगाड़ी

**1342. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और पटना के बीच प्रतिदिन सुपरफास्ट रेलगाड़ी नहीं चलती है और श्रमशक्ति एक्सप्रेस को चलाने में विलम्ब होने और इसे दैनिक आधार पर नहीं चलाये जाने के कारण यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार पटना होते हुए मुम्बई की कलकत्ता के बीच एक सुपरफास्ट रेलगाड़ी चलाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) बम्बई और पटना के बीच कोई सुपरफास्ट गाड़ी नहीं चलती है, बहरहाल, इस समय बम्बई और पटना के बीच निम्नलिखित एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध हैं :–

1. दादर-मुजफ्फरपुर श्रम शक्ति एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

2. दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

3. कुर्ला (टर्मिनल) छपरा एक्सप्रेस (सप्ताह में दो बार)

4. कुर्ला (टर्मिनल) भागलपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन)

श्रम शक्ति एक्सप्रेस के चालन पर नजर रखी जा रही है और इसे समय पर चलाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) जी नहीं;

(ग) प्रश्न नहीं उठता;

(घ) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण;

[अनुवाद]

## बेरोजगार युवकों को उचित दर दुकानों का आवंटन

**1343. श्री हरिभाई पटेल :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई विचार गुजरात में बेरोजगार युवकों को निकट भविष्य में सहकारी आधार-पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों का आवंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित योजना को कब से लागू किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। प्रचालन संबंधी सभी पहलुओं, जिनमें उचित दर दुकानें खोलना, पात्रता के मानदण्ड निर्धारित करना तथा उचित पर दुकानें आवंटित करना शामिल है, सभी पर निर्णय लेना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अत: केंद्रीय सरकार के पास किसी भी राज्य में, जिसमें गुजरात शामिल है, बेरोजगार युवकों तथा उनके द्वारा चलाई जाने वाली सहकारी समितियों को उचित दर दुकानें आवंटित करने हेतु किसी योजना को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केंद्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है कि वे उचित दर दुकानों के आवंटन में सहकारी समितियों को प्राथमिकता दें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति समुदाय के लोगों तथा उनके द्वारा चलाई जा रही सहकारी समितियों के लिए कुछ प्रतिशत उचित दर दुकानें आरक्षित रखने पर विचार करें।

## उच्च शिक्षा पर व्यय

**1344. श्री विजय कुमार यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की कीमत पर उच्च शिक्षा पर सरकारी व्यय अधिक हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने एक विशेष अवधि के भीतर शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने संबंधी सैवधानिक दायित्व को पूरा करने हेतु प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर पर्याप्त धनराशि खर्च करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख) सरकार ने शिक्षा पद्धति का एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। शिक्षा के एक क्षेत्र का व्यय अन्य क्षेत्रों की कीमत पर नहीं है। जबकि सरकार प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देती है, तो उच्च शिक्षा की भी अपनी स्वयं की महत्ता है। जबकि शिक्षा पर कुल व्यय में से उच्च शिक्षा पर व्यय 1988-89 से 14.7 प्रतिशत से 1993-94 में घटकर 12.2 प्रतिशत रहा, उसी अवधि में प्रारम्भिक शिक्षा पर 44.6 प्रतिशत के बढ़कर 46.2 प्रतिशत हो गया। माध्यमिक शिक्षा पर व्यय लगभग 32 प्रतिशत रहा।

## सांस्कृतिक परिषदों को वित्तीय सहायता

**1345. श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन अकादेमियों/परिषदों और स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने केन्द्रीय अनुदान के आवंटन हेतु प्रस्ताव दिए हैं तथा उन्होंने कितनी अनुदान राशि की मांग की है;

(ख) ये प्रस्ताव कब प्रस्तुत किए गए;

(ग) क्या सरकार ने उनके द्वारा मांग की गई अनुदान राशि के संबंध में स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन अनुदानों के संबंध में कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

## रेल लाइन को दुल्लभचेरा से रानपुर तक बढ़ाना

**1346. श्री द्वारकानाथ दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के करीमगंज जिले में स्थित करीमगंज-दुल्लभचेरा खंड में दुल्लभचेरा से रानपुर तक रेल लाइन बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना

**1347. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति नहीं दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना पर बहु-विषयी मूल्यांकन समिति द्वारा अप्रैल, 1994 में विचार किया गया था और परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया गया था। ये हाल ही में प्राप्त हुए हैं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरे ब्यौरों सहित प्राप्त हुए प्रस्तावों पर निर्णय इनके प्राप्त होने की तिथि से अधिक से अधिक 90 दिन के अन्दर ले लिया जाता है।

## भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये अनुसंधान का लाभ

**1348. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों के लाभों का प्रचार प्रसार करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद की किन्हीं उन दो सफल अनुसन्धान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लाभ किसानों तक पहुंचे हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् अनुसन्धान कार्य की अपेक्षा प्रशासनिक कार्य अधिक कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के विभिन्न भागों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, प्रायोजना निदेशालयों अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के नेटवर्क के जरिए विभिन्न राज्य सरकारों तक अनुसंधान के लाभों को पहुंचा रही है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने भी देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 8 क्षेत्रीय समितियों को स्थापित करके केन्द्र-राज्य समन्वय की एक प्रणाली विकसित की है। इन समितियों का उद्देश्य मुख्यत: राज्यों तथा केन्द्र सरकार के अनुसंधान वैज्ञानिकों, विस्तार कार्मिकों तथा निवेश सप्लाई करने वाले विभागों के बीच परस्पर सहयोग करना तथा कृषक समुदाय द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं पर विचार-विमर्श करके उन्हें हल करना है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निम्नलिखित दो अनुसंधान प्रायोजनाओं के लाभ किसानों तक पहुंचाये गये हैं—

(i) काली मिर्च के फाइटोप्थोरा फुट रोट रोग-नियंत्रण की विधियों को केरल की काली मिर्च उगाने वाले जिलों में बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए हस्तान्तरित किया गया है।

(ii) कपास की डंडी के उपयोग से विकसित पार्टिकल बोर्ड निर्माण प्रौद्योगिकी कृषक सहकारी समिति, कर्नाटक को प्रदान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## तमिलनाडु में खाद्यान्न

**1349. श्री ए॰ अशोक राज :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का बफर और चालू स्टाक कितना-कितना है; और

(ख) सरकार ने राज्य में इस स्टाक को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** (क) और (ख) 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में भारतीय खाद्य निगम (एफ॰ सी॰ आई॰) के गोदामों में खाद्यान्नों का स्टाक लगभग 7.85 लाख मीटर टन था (इसमें 5.93 लाख मीटरी टन चावल और 1.92 लाख मीटर टन गेहूं शामिल है) जबकि इस समय तमिलनाडु सरकार को 25,000 मीटर टन गेहूं और 1,00,000 मीटर टन चावल का मासिक आवंटन किया जा रहा है। इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम तमिलनाडु में अपने गोदामों में पर्याप्त बफर स्टाक बनाए रखता है।

## गुवाहाटी और लामडिंग में टर्मिनल सुविधाएं

**1350. श्री प्रबीन डेका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी और लामडिंग में बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिए उपलब्ध टर्मिनल सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां कुछ और टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं,

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। आगामी वर्षों के लिए प्रक्षेपित अतिरिक्त यातायात को सम्हालने के लिए गुवाहाटी और लमडिंग स्टेशनों की टर्मिनल और यानान्तरण क्षमता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है :–

(i) लमडिंग में चौथी आदान और प्रेषण यार्ड लाइन।

(ii) गुवाहाटी स्टेशन पर प्लेटफार्म सं॰ 3 और 4 पर धुलनीय ऐप्रन सहित प्लेटफार्म सं॰ 1,3 और 4 का बदलाव।

(iii) लमडिंग स्टेशन पर प्लेटफार्म सं॰ 1 पर धुलनशील ऐप्रन की व्यवस्था।

(iv) गुवाहाटी स्टेशन पर प्लेटफार्म सं॰ 1 और 4 पर सवारी डिब्बों में पानी भरने की व्यवस्था।

## चीनी की गुणवत्ता

**1351. प्रो॰ के॰ वी॰ थामस :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी चीनी मिलें चीनी बनाने के लिए निर्धारित आई॰ एस॰ आई॰ के गुणवत्ता मानदण्डों का पालन करती हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि चीनी मिलें अपने उत्पादों में आई० एस० आई० द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण का पालन करें, क्या कदम उठाए हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** (क) देश में सभी चीनी मिलें सामान्यतः वैक्यूम पैन चीनी (प्लाटिशन व्हाइट) बनाने के लिए निर्धारित भारतीय मानदण्डों का पालन करती हैं। केवल वही चीनी जो इन मानदण्डों के अनुरूप होती है, को खुली बिक्री कोटे या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति के लिए रिलीज किया जाता है।

(ख) भारत सरकार ने चीनी उत्पादन के लिए भारत में वैक्यूम पैन चीनी फैक्ट्रियों के लिए भारतीय चीनी मानक निर्धारित किए हैं। क्रिस्टल चीनी के 3 ग्रेन आकारों अर्थात् एल, एफ और एस में 6 ग्रेड प्रचलित हैं, जिसमें हर ग्रेन साइज समूह में दो रंग हैं अर्थात् 30 और 29 तद्नुसार सफेद क्रिस्टल चीनी के निर्धारित आई० एस० एस० ग्रेड निम्न प्रकार हैं :–

| | |
|---|---|
| आई० एस० एस० ग्रेड | – एल–30 |
| आई० एस० एस० ग्रेड | – एल–29 |
| आई० एस० एस० ग्रेड | – एम–30 |
| आई० एस० एस० ग्रेड | – एम–29 |
| आई० एस० एस० ग्रेड | – एस–30 |
| आई० एस० एस० ग्रेड | – एस–29 |

क्रिस्टल चीनी, जो ग्रेन साइज या रंग में विर्निदिष्ट अपेक्षाओं से कम है, "आई० एस० एस० ग्रेड से कम" मानी जाएगी।

(ग) खाद्य मंत्रालय, शर्करा निदेशालय के निरीक्षण अधिकारी (शर्करा) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की गुणवत्ता जांचने के उद्देश्य से चीनी के नमूने लेने के लिए समय-समय पर चीनी फैक्ट्रियों का दौरा करते हैं। चीनी की गलत ग्रेडिंग से संबंधित अपराधों के लिए चूककर्ता चीनी फैक्ट्रियों के खिलाफ चीनी (पैकिंग एवं मार्किंग) आदेश, 1970 के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

## नई रेल परियोजनाएं

1352. **श्री शरत चन्द्र पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई रेल परियोजनाओं में राज्य सरकारों को भागीदार बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस की दुर्घटना

1353. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जुलाई, 1994 को मुरादाबाद के पास 3049 अप हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस दुर्घटना ग्रस्त हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) दुर्घटना में कितने लोग मारे गए और घायल हुए;

(घ) रेल सम्पति को कितना नुकसान हुआ;

(ङ) पीड़ित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजा का ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) जी हाँ।

(ख) 20 जुलाई, 1994 को जब 3049 अप हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के मुरादाबाद सहारनपुर खंड पर मेवा नवादा और स्योहारा स्टेशनों के बीच चली रही थी। उसके 10 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए जिससे केवल अप रेलपथ पर यातायात अवरुद्ध हो गया था, सवारी डिब्बों के पटरी से उतरने के कारणों की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र द्वारा की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में 7 व्यक्तियों की जानें गई, 15 व्यक्तियों को चोटें आई जिनमें 11 को गम्भीर चोटें आईं।

(घ) रेल परिसंपत्तियों को हुई क्षति की अनुमानित लागत 30 लाख रुपए है।

(ङ) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। दावाकर्त्ताओं को रेल अधिनियम, 1989 की धारा 125 के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण में दावा पेश करना होगा और मुआवजे का भुगतान अधिकरण द्वारा डिग्री देने पर किया जाएगा। बहरहाल, दुर्घटना में शिकार व्यक्तियों और/अथवा उनके आश्रितों को 18,750/-रु॰ की अनुग्रह राशि का पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

(च) दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निरंतर संरक्षा उपाय किए जाते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए गए कुछ उपायों में रेलपथ, पुल, चल स्टाक आदि जैसे गतायु परिसंपत्तियों का नवीकरण और पुर्नस्थापना करना शामिल है। मालडिब्बा तथा रेल इंजन अनुरक्षण डिपुओं और कारखानों के उत्पादन की गुणवत्ता की गहन जांच की जाती हैं। दरारों का पता लगाने के लिए पटरियों और धुरों की पराश्रव्य जांच की जा रही है। परिचालनिक कोटियों के कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कार्य निष्पादन पर नजर रखी जाती है। ड्राइवरों की निगरानी की जाती है और उनके साथ उनकी ड्राइविंग तकनीकों के बारे में परामर्श दिया जाता है।

## कानपुर-झांसी रेल लाइन का दोहरीकरण

**1354. श्री केशरी लाल ; क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार इस रेलमार्ग पर बढ़ते हुए यातायात की दृष्टि से कानपुर झांसी रेल लाइन का दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू हो जाएगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेलमंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## अनुसंधान केन्द्र

**1355. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार कुछ नए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन राज्यों में इन अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाएगी;

(ग) कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा;

(घ) क्या राजस्थान में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी स्थापना कहां की जाएगी; और

(च) उस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार)** : (क) तथा (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में 44 संस्थानों, 4 राष्ट्रीय ब्यूरेक्स तथा 21 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से अनुसंधान कार्य कर रही है।

परिषद ने प्राथमिकता वाले तथा प्रबलित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, आठवीं योजना अवधि के दौरान एक नए अनुसंधान संस्थान तथा 9 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इनकी एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) नये संस्थान/केन्द्रों की स्थापना के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा निम्नलिखित केन्द्रों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है :-

1. तोरिया तथा सरसों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर, राजस्थान।

2. राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर, राजस्थान।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

## विवरण

आठवीं योजना के दौरान स्थापित किये जा रहे नए अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों की सूची

| | अनुसंधान संस्थान/केन्द्र का नाम | केन्द्र का स्थान | राज्य |
|---|---|---|---|
| क. | **भा॰ कृ॰ अ॰ प॰ के संस्थान** | | |
| | राष्ट्रीय पशु पोषण तथा कायिकी संस्थान | बंगलौर | कर्नाटक |
| ख. | **राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र** | | |
| | तोरिया तथा सरसों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र | भरतपुर | राजस्थान |
| | राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केन्द्र | बीकानेर | राजस्थान |
| | राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र | पोडावुर त्रिचुरापल्ली | तमिलनाडु |
| | राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र | पूना | महाराष्ट्र |
| | राष्ट्रीय तिलहन-ताड़ अनुसंधान केन्द्र | पेडावेगू | आन्ध्र प्रदेश |
| | राष्ट्रीय औषधि तथा सगंधीय पौध अनुसंधान केन्द्र | आनन्द | गुजरात |
| | राष्ट्रीय प्याज तथा लहसुन अनुसंधान केन्द्र | नासिक | महाराष्ट्र |
| | राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र | गंगटोक | सिक्किम |
| | राष्ट्रीय कृषि-महिला अनुसंधान केन्द्र | भुवनेश्वर | उड़ीसा |

[हिन्दी]

## कृषि क्षेत्र में अध्ययन

1356. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि पर कार्बन डाई आक्साइड और ऊष्मा में वृद्धि के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकले हैं और यह अध्ययन देश के किन क्षेत्रों में कराया गया था ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। संभवत: भावी पर्यावरण की प्रतिक्रिया के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए विभिन्न बुनियादी शारीरिक कार्यों और फसल की उत्पादकता एवं उसी तरह के मॉडल के विकास के लिए चुनींदे फसली पौधों के विभिन्न प्रकार के जर्मप्लाजमों पर कार्बनडाई आक्साईट की अधिक मात्रा की प्रतिक्रिया के मूल्यांकन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अध्ययन कर रही है।

(ग) देश के गेहूं उगाए जाने वाले क्षेत्रों में इस अध्ययन में प्रगति जारी है। आरंभिक परिणामों से यह पता चला है कि फसल की उत्पादकता के संबंध में एक निश्चित स्तर तक तापमान में वृद्धि और कार्बनडाई की अधिक मात्रा का सीधा सह संबंध है।

[अनुवाद]

## मसूरी एक्सप्रेस का ठहराव

1357. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले हमेशा यमुना पुल पर रुकती है;

(ख) यदि हां, तो मई और जून, 1994 के दौरान यह गाड़ी इस पुल पर कितनी बार रुकी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस्पात-गाटर के किसी पुल पर गाड़ी के रुकने और छूटने से पुल पर परिहार्य दबाब/खिंचाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस दबाव/खिंचाव के बल के बारे में कोई तकनीकी आकलन किया गया है; और

(ङ) इस पुल पर गाड़ियों के ठहराव को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफ़र शरीफ़) : (क) और (ख) यह मई, 94 में 7 बार और जून, 94 में 5 बार रुकी थी।

(ग) और (घ) पुलों की डिजाइन इस प्रकार तैयार की जाती है कि वे ऐसे दबावों को सह सकें।

(ङ) कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं समझी जाती है।

## सुपर बाजार में स्थानांतरण नीति

1358. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सुपर बाजार के कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में निर्धारित किए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मानदण्डों का ठीक से अनुपालन हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो एक ही स्थान पर एक या अन्य पद पर 7 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) सरकार द्वारा ऐसे कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) (क) को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि आज की तारीख में कुल 2247 कर्मचारियों में से 108 कर्मचारी कार्यों की अपेक्षाओं, जिसमें कार्य-अनुभव संबंधी निपुणता एवं प्रशासनिक अपेक्षाएं शामिल हैं, के कारण 7 वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

(ङ) नीति के रूप में सरकार सुपर बाजार के रोजाना के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है।

## रेलवे दावे संबंधी प्राधिकरण

**1359. श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर रेलवे के दावों संबंधी प्राधिकरणों को बंद कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) अभी तक कार्य कर रहे प्राधिकरणों का जोनवार ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़)** : (क) किसी भी रेल दावा अधिकरण को बंद नहीं किया गया है।

(ख) इस समय कार्य कर रहे रेल दावा अधिकरणों का क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| पूर्वी क्षेत्र | कलकत्ता |
| | गुवाहाटी |
| | पटना |
| | भुवनेश्वर |
| | गोरखपुर। |
| पश्चिमी क्षेत्र | बंबई |
| | नागपुर |
| | अहमदाबाद |
| उत्तरी क्षेत्र | दिल्ली, लखनऊ |
| | चंडीगढ़ |
| | जयपुर, भोपाल |
| दक्षिण क्षेत्र | मद्रास, बंगलौर, एरुणाकुलम और |
| | सिकंदराबाद |

## गाड़ियों का गंतव्य स्थान आगे बढ़ाना

**1360. डा॰ बसंत पवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितनी सुपरफास्ट गाड़ियों का अंतिम गंतव्य स्थान मूल रूप से निश्चित स्टेशनों से आगे बढ़ाया गया कितने नये ठहरावों का प्रावधान किया गया;

(ख) क्या सुपरफास्ट गाड़ियों के नए ठहरावों से दूर जाने वाले यात्रियों को अनुविधा हो रही हैं;

(ग) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) 1.8.92 से 31.7.94 तक की अवधि के दौरान 2 जोड़ी सुपरफास्ट गाड़ियों का चालन क्षेत्र उनके पूर्ण निर्धारित मूल गंतव्यों से आगे बढ़ाया गया था और 39 स्टेशनों पर सुपरफास्ट गाड़ियों के अतिरिक्त ठहराव की व्यवस्था की गई थी।

(ख) और (ग) कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## मछुआरों को मुआवजा

**1361. श्री राम नाईक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सागर में दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले बीमाकृत मछुआरों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) क्या सरकार से इन मानदण्डों को उदार बनाने की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के "सामूहिक दुर्घटना बीमा" नामक घटक के अन्तर्गत यदि बीमाकृत मछुआरे की दुर्घटना हो गई हो और उस दुर्घटना में लगी चोट उस दुर्घटना के छह मास के अन्दर बीमित-मछुआरे की मृत्यु का एकमात्र और प्रत्यक्ष कारण बन जाए तो बीमाकृत मछुआरे की मृत्यु हो जाने पर उसके नामितों को बीमित रकम अर्थात् 25000/- रुपये मिल जाएंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

## सब्जियों की कीमतें

**1362. डा॰ आर॰ मल्लू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जियों के थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा विक्रेताओं दोनों की चालाकी के कारण सब्जियों की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) क्या एन॰ डी॰ डी॰ बी॰ उत्पादकों के सीधे तौर पर फलों और सब्जियों की खरीद का दावा करता रहा है;

(ग) यदि हां, तो एन॰ डी॰ डी॰ बी॰ की खुदरा कीमतों और उत्पादकों की कीमतों में अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या गत एक वर्ष से आपूर्ति के स्रोतों, उत्पादकों को भुगतान की गई और वसूल की गई कीमतों और एन॰ डी॰ डी॰ बी॰ के बूथों के बारे में जानकारी को सार्वजनिक किया गया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) हाल ही के महीनों में सब्जियों के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है, जो मुख्यत: मौसमी परिवर्तनों के कारण हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह पता चले कि वृद्धि व्यापारियों के कदाचार के कारण हुई है।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिकांश फल एवं सब्जियों की अधिप्राप्ति उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों से कर रहा है।

(ग) उत्पादकों के मूल्यों और फुटकर मूल्यों के बीच अन्तर मुख्यत: छंटाई, ग्रेडिंग के दौरान होने वाली हानि और अन्य ऊपरी खर्चों के कारण होता है।

(घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बूथों द्वारा बेची गई सब्जियों और फलों के मूल्य प्रदर्शित किए जाते हैं।

## खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत पामोलीन का आयात

**1363. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

**श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

**श्री विजय कुमार यादव :**

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "खुला सामान्य लाइसेंस" के अंतर्गत पामोलीन का आयात करने के निर्णय का पहले से ही पता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) कितने व्यापारियों ने जिन्स में अंतर्राष्ट्रीय वायदा व्यापार में लाभ अर्जित किया है;

(घ) क्या निष्कर्षों की जांच के लिये एक समिति का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किस दर पर खरीदा जाता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसे उपभोक्ताओं को किस दर पर बेचा जाता है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) निजी व्यापारियों को उनके द्वारा किए गए अन्तर्राष्ट्रीय वायदा व्यापार में हुए कथित लाभ के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ने जुलाई से सितम्बर, 94 तक के पोतलदानों के लिए खाने योग्य वनस्पति पामोलीन तेल के आयात का अनुबंध, लागत, बीमा और भाड़ा सहित अमरीकी 556 डालर प्रति मी॰ टन के औसत मूल्य पर किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु आयातित पामोलीन का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 21.7.94 से थोक (खुला) में आपूर्ति हेतु 24,000 रु॰ प्रति मी॰ टन और 15 कि॰ ग्रा॰ के टीनों में आपूर्ति हेतु 27,000 रु॰ प्रति मी॰ टन है।

## उपभोक्ता संरक्षण

**1364. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री तारा सिंह :**

**श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुला :**

**श्री गोविन्दराव निकम :**

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले** और **सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उपभोक्ता संरक्षण को स्कूलों के पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस संबंधों में शिक्षा विभाग से परामर्श किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे पाठ्यक्रम में कब से शामिल किया जायेगा ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) से (घ) शिक्षा विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो कि स्कूल पाठ्यक्रम संबंधी राष्ट्रीय प्रतिमान तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, ने उपभोक्ता संरक्षण पर अलग से कोई सामग्री विकसित नहीं की है। तथापि, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित सामग्री को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की कक्षा III कक्षा VI, कक्षा VIII और कक्षा IX के लिए निर्धारित सामाजिक विज्ञान की कुछ पाठ्य-पुस्तकों में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

## भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय केन्द्र

**1365. श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण का केन्द्रीय जोन क्षेत्रीय केन्द्र खोलने हेतु कोई सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता राशि स्वीकृति की है;

(ग) क्या राज्य सरकार को यह राशि कर दी गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो यह राशि कब तक दी जायेगी ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :** (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता स्वीकृत नहीं की गई है चूंकि लखनऊ में केन्द्र को स्थापित करने के लिए ब्यौरे अभी तैयार किए जाने हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## डी॰ एम॰ यू॰ रेल सेवाएं

**1366. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लखनऊ-कानपुर के मध्य अनियमित रूप से चलने वाली डी॰ एम॰ यू॰ रेल सेवा की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) से (ग) लखनऊ और कानपुर के बीच डी॰ एम॰ यू॰ किस्म की पुश-पुल सेवाओं का समयपालन औसत लगभग 75% रहा है। इनके विलम्ब से चलने का मुख्य कारण लंबी दूरी की गाड़ियों को अनिर्धारित अग्रता देना, उपस्कर की खराबी आदि हैं; पशु-पुल सेवाएं समय से चलाने के लिए कड़ी नजर और चौबीसों घन्टे निगरानी रखने सहित सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

## राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानदंडों का कथित उल्लंघन

**1367. श्री राम विलास पासवान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में भर्ती और प्रोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित मानदंडों के कथित उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में भर्ती और प्रोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनका समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग में उपमंत्री (कुमारी शैलजा):** (क) और (ख) दिनांक 28.6.94 को प्रकाशित इन्डियन एक्सप्रैस (दिल्ली संस्करण) में एक समाचार में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में भर्ती तथा पदोन्नति में आरक्षण मानदंडों के कथित उल्लंघन के कुछ मामलों की रिपोर्ट की गई है।

(ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने आरोपों की सावधानी से जांच की तथा इस बात से सन्तुष्ट थी कि आरक्षण मानदंडों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है तथा आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन उनके द्वारा पूर्ण रूप से हो रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में विनियमों में इस आवश्यकता को शामिल करते हुए रा॰ शै॰ अ॰ प्र॰ प॰ के लिए इसका अनुपालन अनिवार्य कर दिया है। इस प्रकार के आरोपों की जांच करने तथा रा॰ शै॰ अ॰ प्र॰ प॰ के निदेशक के अनुमोदन से उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में उप सचिव स्तर के एक अधिकारी जो सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है, की अध्यक्षता में काफी पहल से एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

## रेल यात्री निवास का निजीकरण

**1368. श्री चित्त बसु :**

**श्री बीर सिंह महतो :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल संचालित यात्री निवास और अन्य होटलों को गैर-सरकारी कंपनियों को सौंपने का निर्णय अन्तिम तौर पर ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ़) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## रेलवे विश्राम-गृह

**1369. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**

**डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल :**

**श्री अरविंद त्रिवेदी :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उन रेलवे स्टेशनों की संख्या क्या है जहां पश्चिम रेलवे द्वारा 1993 और 1994 में, जून, 1994 तक प्रतीक्षालयों और रेल यात्री निवासों का निर्माण और विस्तार किया गया;

(ख) गुजरात में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलवे विश्राम-गृहों की स्टेशन-वार वर्तमान संख्या क्या है;

(ग) इन विश्राम-गृहों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा इनके शुल्क क्या-क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार 1994-95 के दौरान गुजरात में नए रेलवे विश्राम-गृह बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) कोई नहीं।

(ख) निम्नलिखित स्टेशनों पर रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह उपलब्ध हैं :-

(ग) इन विश्रामगृहों में सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, यदि अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी पर विश्रामगृह में ठहरते हैं तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विश्रामगृह में अवकाश के दौरान ठहरने पर उनसे उपयुक्त प्रभार लिया जाता है जो अधिकारी के ग्रेड के अनुसार भिन्न होता है और जो अलग-अलग स्थान के लिए भिन्न-भिन्न भी होता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

| क्रम सं॰ | स्टेशन | क्रम सं॰ | स्टेशन |
|---|---|---|---|
| 1. | वलसाड़ | 15. | सुरेन्द्र नगर |
| 2. | भरुच | 16. | राजकोट |
| 3. | सूरत | 17. | जाम नगर |
| 4. | वदोदरा | 18. | ओखा |
| 5. | अहमदाबाद | 19. | द्वारका |
| 6. | गोधरा | 20. | हापा |
| 7. | दाहोद | 21. | भावनगर |
| 8. | आणंद | 22. | पोरबंदर |
| 9. | मणिनगर | 23. | जेतलसर |
| 10. | कलोल | 24. | वेरावल |
| 11. | मेहसाना | 25. | जूनागढ़ |
| 12. | पालनपुर | 26. | ढोली |
| 13. | साबरमती | 27. | गांधीधाम |
| 14. | वीरमगाम | 28. | बोटाद |

## दूध/घी के भाव

1370. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

**श्रीमती शीला गौतम :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना तथा मदर डेयरी द्वारा बेचे जा रहे दूध, घी तथा अन्य उत्पादों के मूल्य में हाल में अत्यधिक वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो इनके भावों में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संगठनों के प्रशासनिक तथा प्रबंध व्यय में कटौती किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) तथा (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के सितम्बर, 1992 से दूध से विक्रय मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की है। तथापि घी, टेबल बटर, तथा सफेद मक्खन के विक्रय मूल्य में 22-4-1994 से क्रमश: 80/-, 68/-, 70/- रुपये प्रति किलोग्राम से 90/-, 78/- तथा 80/- रुपये प्रति किलोग्राम करते हुए लगभग 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनके मूल्य में यह वृद्धि अन्य विनिर्माताओं द्वारा बाजार में बेचे जा रहे इन मदों को मौजूदा बाजार मूल्यों को ध्यान में रखकर की गई है।

मदर डेयरी 8.11.1993 तक टोण्ड दूध को 8/- रुपये प्रति लीटर तथा पूर्ण मलाई युक्त दूध को 10.50 प्रति लीटर के हिसाब से बाजार में बेच रही थी। आसानी से दूध उपलब्ध हो जाने के कारण चूंकि राज्य डेयरी परिसंघ को अदा किए जाने वाले दूध की अधिप्राप्ति मूल्य में कमी हो गई थी, अत: दिनांक 9.11.1993 से इनका मूल्य घटाकर क्रमश: 7/- रुपये प्रति लीटर तथा 9.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। तथापि गर्मी का मौसम आरंभ हो जाने पर मदर डेयरी में दूध की अधिप्राप्ति (लगभग) 30 प्रतिशत कम हो गई थी अत: पर्याप्त दूध प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें परिसंघों को बढ़ी हुई अधिप्राप्ति दरें देनी पड़ी थी। अत: मदर डेयरी के लिए दूध के विक्रय मूल्य की उसी स्तर पर पुन: बहाल करना आवश्यक हो गया जिस दर पर 8.11.1993 से पूर्व दूध बेचा जा रहा था।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना को चलाने में प्रशासनिक लागत आदि में कांट-छांट करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, वसा तथा रहित ठोस संघटकों, मापतौल आदि के बारे में मशीनरी का आधुनिकीकरण तथा पूरी तरह मरम्मत, ऊर्जा बचत के लिए सौर जल ताप प्रणाली की संस्थापना, दूध को पैक करने के लिए थैलियों के आकार में कमी, ठीक-ठीक तथा विश्वसनीय आंकड़ें दर्ज करने के तथ्य को सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरों की संस्थापना जैसे अनेक आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जहां तक मदर डेयरी का सम्बन्ध है, मदर डेयरी के प्रशासनिक तथा प्रबंधन के व्यय में काफी हद तक पहले ही कमी कर दी गई है ताकि इसे एक व्यवहार्य परियोजना बनाया जा सके।

[अनुवाद]

## आसनसोल तथा बोलपुर के बीच रेलगाड़ियां

**1371. श्री हाराधन राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हजारों दैनिक यात्रियों तथा अन्य यात्रियों की सुविधा के लिये आसनसोल तथा बोलपुर के बीच बरास्ता खाना चाप (लूप) यात्री गाड़ियों चलाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं।

(ख) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

## केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारी

**1372. श्री मुही राम सैकिया :**

**डा॰ सुधीर राय :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 26 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4777 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सोलह मांगों के संबंध में विशिष्ट कार्यवाही की गयी है जिन्हें केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप स्वीकार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन को रोकने के लिये केन्द्र सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त ने फरवरी, 1994 में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। अप्रैल, 1994 के पहले सप्ताह में 2 संसद सदस्यों, जिनके साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी भी थे, के साथ बातचीत की गई। इस बातचीत में यह समझौता किया गया कि कर्मचारियों की 25 मांगों में से केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 16 मांगें स्वीकार कर ली हैं तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन, इन 16 मांगों में से प्रत्येक मांग के संबंध में संबद्ध संसद सदस्यों तथा संघों, को स्थिति से अवगत कराएगा तथा इस संबंध में यथाशीघ्र विशिष्ट कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अब यह बताया है कि चैनलों की अधिसूचना, रिक्त पदों को अविलम्ब भरने, शिकायत कक्ष के गठन, केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ की तदर्थ सेवाओं को नियमित करने, इस मंत्रालय के आन्तरिक कार्य-अध्ययन एकक द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को कार्य अध्ययन करने के लिए सम्प्रेषण, ए॰ एम॰ ए॰ सुविधाओं के पुनर्निर्धारण तथा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के विस्तार के लिए स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। मानव शक्ति तथा वित्तीय व्यय में वृद्धि करने वाली चौकीदार

के ड्यूटी घंटों को कम करने संबंधी मांग पर सरकार के विचारार्थ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

विभिन्न पदों के भर्ती नियमों की समीक्षा के संबंधी मांगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड की स्वीकृति अपेक्षित होती है तथा यह स्वीकृति शासी बोर्ड की अगली बैठक में प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है।

सामूहिक बीमा योजना को कार्यान्वित करने तथा शिक्षकों को संविदा (निविदा) आधार पर नियुक्त करने तथा पात्र स्टाफ को समयोपरि भत्ते की अदायगी के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने संयुक्त परामर्शी तंत्र की बैठक, अगस्त/सितंबर 1994 मास में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन करने का कोई ठोस कारण नहीं है। इन मामलों पर बातचीत करने के लिए संगठन का संयुक्त परामर्शी/तंत्र तथा शिकायतों का समाधान करने के लिए शिकायत कक्ष है।

[हिन्दी]

## औद्योगिक प्रदूषण

**1373. श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या **पर्यावरण** और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में औद्योगिक प्रदूषण के बारे में 1994 के दौरान पर्यावरण और वन मंत्रालय को अब तक 29 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) मैसर्स हिन्डलको लिमिटेड रेणुकुट से संबंधित शिकायत के मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों के एक दल ने वहां का दौरा करके उक्त शिकायत की जांच की और रिपोर्ट प्रस्तुत की। काशीपुर स्थित मैसर्स चीमा पेपर मिल्स, मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल, मल्टी वाल पेपर मिल्स, बाजपुर शुगर मिल्स, बाजपुर तथा शिव पेपर मिल्स, रामपुर के बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिकयतों की जांच की और यह पाया कि इन उद्योगों के बहिस्रावों से निर्धारित मानकों का पालन नहीं हो रहा है और उनमें से प्रत्येक को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मैसर्स गणेश पेपर

मिल्स, जाजपुरा, मैसर्स रैना पेपर मिल्स, खलीलाबाद, मैसर्स संजय पेपर मिल, खलीलाबाद और मैसर्स झुनझुनवाला वनस्पति मिल्स, नौपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैसर्स सतनाम पेपर मिल्स, काशीपुर के संबंध में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शिकायत की जांच की और रिपोर्ट दी है कि यह इकाई केवल बेकार कागजों का प्रयोग करती है न कि रसायनों का। तथापि, इस इकाई को अपने शोधन संयंत्र में सुधार करने का निर्देश दिया गया है।

अन्य शिकायतें उचित कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं।

## विवरण

| क्र० सं० | शिकायत |
|---|---|
| 1. | हरदुआगंज ताप विद्युत स्टेशन, अलीगढ़ के कारण प्रदूषण। |
| 2. | मैसर्स इफ्को, फूलपुर से होने वाला जल प्रदूषण। |
| 3. | (1) मैसर्स चीमा पेपर मिल्स, काशीपुर |
| | (2) मैसर्स शिव पेपर मिल्स, रामपुर |
| | (3) मैसर्स बाजपुर शुगर फैक्टरी, बाजपुर |
| | (4) मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल लि०, काशीपुर; और |
| | (5) मैसर्स मल्टीवाल पेपर मिल्स, काशीपुर से उत्पन्न प्रदूषण। |
| 4. | मैसर्स यश पेपर मिल्स, दर्शन नगर, जिला फैजाबाद से उत्पन्न प्रदूषण। |
| 5. | पिथौरागढ़ में मेग्नासाइट उत्खनन द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण। |
| 6. | नेशनल स्टील इम्पोरियम, लखनऊ द्वारा उत्पन्न वायु और शोर प्रदूषण। |
| 7. | मैसर्स सिस्बा शुगर मिल, सिस्वा, महाराजगंज के कारण वायु प्रदूषण। |
| 8. | बोन ग्राइन्डिग यूनिट, खतौली, जिला मेरठ से उत्पन्न वायु प्रदूषण। |
| 9. | चूना भट्टी, दूहरादून के कारण प्रदूषण। |
| 10. | कानपुर में चर्मशोधन फैक्टरियों के कारण गंगा नदी के जल का प्रदूषण। |
| 11. | ग्राम शेरपुर, जिला गाजियाबाद में ईंट भट्ठों के कारण वायु प्रदूषण। |
| 12. | मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल, जिला नैनीताल द्वारा उत्पन्न जल प्रदूषण। |
| 13. | विलयन फैक्टरीज, शाहजहांपुर की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न वायु प्रदूषण। |
| 14. | मैसर्स सतनाम पेपर मिल्स, काशीपुर, जिला नैनीताल से उत्पन्न वायु और जल प्रदूषण। |
| 15. | गुलावटी कस्बे के पास जिंदल ग्रुप की फैक्टरी के कारण जल प्रदूषण। |

16. परसीपुर, जिला वाराणसी में कालीन उद्योग के कारण जल प्रदूषण।
17. मैसर्स विजयंत सोलर और ब्रेजिंग अलायज हापुड़, जिला गाजियाबाद से उत्पन्न वायु प्रदूषण।
18. कानपुर शहर में चर्मशोधकों और वाहनों के कारण वायु और जल प्रदूषण।
19. पंकी पावर हाउस, पंकी, कानपुर से वायु और ध्वनि प्रदूषण।
20. भैरवां में मद्य-निर्माण इकाई के कारण देनवा नदी में जल प्रदूषण।
21. मैसर्स सुपर कैमिकल फैक्टरी, फतेहपुर के कारण वायु और जल प्रदूषण।
22. मैसर्स चौपड़ा स्टील इंडस्ट्रीज, लखीमपुर से उत्पन्न शोर प्रदूषण।
23. मुजफ्फरनगर में चर्मशोधन गोदाम द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण।
24. मैसर्स गणेश पेपर मिल्स, जाजपुरा, जिला बदायूं द्वारा उत्पन्न जल प्रदूषण के बारे में शिकायत।
25. मैसर्स रैना पेपर मिल्स, खलीलाबाद, जिला बस्ती से उत्पन्न जल प्रदूषण।
26. मैसर्स संजय पेपर मिल्स, खलीलाबाद, जिला बस्ती से फैलने वाला प्रदूषण।
27. मैसर्स झुनझुनवाला, वनस्पति मिल, नौपुर, जिला जोनपुर से हो रहे प्रदूषण की शिकायत।
28. मैसर्स बागपत शुगर इन्डस्ट्रीज़, बागपत, जिला मेरठ से हो रहा जल प्रदूषण।
29. मैसर्स हिण्डलको लिमिटेड, रेणकूट से हो रहा जल प्रदूषण।

[अनुवाद]

## किसानों को बोनस

**1374. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनेक राज्यों विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, उन किसानों को बोनस दे रही है, जो केन्द्रीय पूल में गेहूं देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार बोनस के रूप में कितनी धनराशि वितरित की गयी है;

(घ) क्या सरकार का विचार धान उत्पादकों को भी बोनस देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) धान उत्पादकों को बोनस कब से दिया जाएगा ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** (क) से (ग) सरकार ने रबी विपणन मौसम 1992-93 और 1993-94 में क्रमशः पहली अप्रैल से 30 जून, 1992 और पहली अप्रैल से 30 जून, 1993 के दौरान किसानों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए सरकारी वसूली एजेन्सियों को गेहूं बेचने पर उन्हें (किसानों को) 25/- रुपये प्रति क्विंटल का केन्द्रीय प्रोत्साहन बोनस देने की अनुमति दी थी।

(घ) से (च) सरकार का ध्यान पर बोनस देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## राष्ट्रमंडल खेल

**1375. श्री अन्ना जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारत आगामी विक्टोरिया राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेगा;

(ख) यदि हां, तो चयन किए गए खेलों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं,

(ग) इन खेलों में भाग लेने के लिए कितने खिलाड़ी और अन्य व्यक्ति भेजे जाएंगे और उनके चयन के लिए क्या मानक अपनाए गए हैं, और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन तथा निशानेबाजी में भाग लेगा। निरन्तर प्रशिक्षण शिविर, विदेशों में प्रतियोगिता प्रदर्शन तथा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति को हमारे खेलों की तैयारी के एक भाग के रूप में सुनिश्चित किया गया है।

(ग) भारतीय ओलम्पिक एसोशिएशन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए 95 खिलाड़ियों/अधिकारियों का एक प्रस्ताव भेजा था जो सरकार के विचाराधीन है। एथलेटिक्स, निशानेबाजी तथा भारोत्तोलन के लिए मात्रात्मक योग्यता निर्धारित की गई थी। मुक्केबाजी और कुश्ती के मामलों में चयन विभिन्न प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है।

(घ) एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हमारी टीमों और खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है।

**[हिन्दी]**

## दुर्लभ पक्षी

**1376. श्री पंकज चौधरी :**

**श्री महेश कनोडिया :**

**श्री बलराज पासी :**

**डा॰ रमेश चंद तोमर :**

**प्रो॰ रासा सिंह रावत :**

**क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को विदेशी पक्षियों के नाम पर दुर्लभ पक्षियों की बिक्री/खरीद और तस्करी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले पकड़े गए तथा सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई;

(ग) इन दुर्लभ पक्षियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) और (ख) पक्षियों की कुछ दुर्लभ और अन्य प्रजातियों की तस्करी और व्यापार के प्रयासों की रिपोर्टें मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं। पिछले तीन सालों अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारत सरकार के वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है :-

| केन्द्र | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | – | – | – |
| कलकत्ता | 1 | – | – |
| मद्रास | – | – | 1 |
| बम्बई | 4 | 17 | 22 |

सभी मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है

(ग) दुर्लभ पक्षियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1. अनुसूचित वन्य पक्षियों के शिकार पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है।

2. चोरी-छिपे शिकाररोधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

3. वन्य जीवों के अवैध शिकार की सूचना मिलने पर वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।

4. पशुओं/पक्षियों की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है। भारत इस कन्वेंशन का एक पक्षकार देश है।

5. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए वन्य जीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय अधिकांशत: देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों में खोले गए हैं।

6. चोरी-छिपे शिकार करने वालों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने के लिए पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक और सेना का भी सहयोग लिया जाता है।

7. सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की एक स्कीम है जिससे अन्य बातों के अलावा वन्यजीव उत्पादों की तस्करी के बारे में आसूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

8. वन्य पक्षियों और उनके वासस्थलों के संरक्षण के लिए देश में पक्षी अभयारण्यों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। उनके विकास के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

## सूरत में मिनी रेलवे स्टेशन

**1377. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार सूरत में मिनी रेलवे स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) से (ग) सूरत में एक मिनी रेलवे स्टेशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सूरत स्टेशन के पूर्वी छोर पर एक बुकिंग कार्यालय का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। फिलहाल यह कार्य रुका हुआ है क्योंकि सिविल प्राधिकारियों द्वारा परिचलन क्षेत्र/पार्किंग स्थल और स्टेशन तक पहुंच मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहीत की जानी है।

[अनुवाद]

## गैर-सरकारी विश्वविद्यालय

**1378. श्री पृथ्वीराज डी॰ चव्हाण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कुछ संगठनों ने गैर-सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की अनुमति माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) निजी रूप से वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और सरकार के पास विचाराधीन हैं।

## तकनीकी शिक्षा का दर्जा बढ़ाना

**1379. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

**श्री के॰ प्रधानी :**

**श्री परसराम भारद्वाज :**

**श्री बापू हरि चौरे :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 में तकनीकी शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए गठित की गई उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) क्या समिति ने एक शैक्षिक विकास बैंक की स्थापना का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) उनके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अ० भा० त० शि० प०) द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्ति समिति गठित की गई थी। समिति ने मई, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की मुख्य सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, चन्दों और अंशदानों पर आयकर की छूट, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए उद्योगों पर शैक्षणिक उपकर लगाना, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए परिव्ययों पर आधारित होने वाली तकनीकी शिक्षा के लिए योजनागत आबंटन, उपयुक्त उपायों के जरिए तकनीकी संस्थाओं द्वारा संसाधनों को पैदा करना और संस्थाओं को स्थापित करने के लिए और जरूरतमंद छात्रों को उनकी पढ़ाई जारी करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने हेतु भारतीय शैक्षणिक विकास बैंक (भा० शै० वि० बैंक) स्थापित करना शामिल हैं। सिफारिशों में अनेक एजेंसियों द्वारा कार्रवाईयां शामिल शामिल हैं और इनमें परामर्श सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता है।

## पेयजल सुविधा

**1380. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोन-वार कितने स्टेशनों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसके अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन, प्राइवेट पार्टियां रेलवे प्लेटफार्मों पर पियाऊ और वाटर कूलर स्थापित कर सकते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को प्रोत्साहित करने तथा इस सुविधा को सभी स्टेशनों पर उपलब्ध कराने हेतु क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) भारतीय रेलों के सभी स्टेशनों पर सम्हाले जाने वाले यातायात की मात्रा के अनुरूप किसी न किसी रूप में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है,

(ख) और (घ) क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति, व्यापारी, उद्योगपति अथवा कंपनी रेलों के किसी स्टेशन पर विद्युत जल शीतक लगाने के इच्छुक हों तो उन्हें सामान्य रूप से अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते कि उसकी व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध हो, इन पार्टियों को जलशीतकों के ऊपर अपना नाम प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकती है, इन जल शीतकों का रख-रखाव भी संबंधित पार्टियों द्वारा करवाया जाना चाहिए। आवश्यक होने पर इन जल शीतकों की देखभाल, रेल कर्मचारियों द्वारा की जाएगी।

[हिन्दी]

## अंगूर के लिए लाभकारी कीमतें

**1381. श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के अंगूर उत्पादकों को अंगूर की पैदावार के लिए समुचित प्रशिक्षण और सुविधाएं न मिलने के कारण उन्हें अपने उत्पाद के लिए लाभकारी कीमतें प्राप्ति करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) मीठे अंगूरों की पैदावार के लिए किसानों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार उष्ण कटिबंधीय, शुष्क तथा समशीतोष्ण क्षेत्र के फलों के एकीकृत विकास पर एक केन्द्रीय प्रयोजित योजना क्रियान्वित कर रही है, जिसके तहत फल उत्पादकों को प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश को 8.00 लाख रुपये दिए गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी 50,000 रुपये की अधिकतम लागत पर 50 किसानों के समूह में उत्पादकों को प्रशिक्षण और दौरे के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता प्रदान करता है। इन निधियों को अंगूर उत्पादकों के उपयोग में भी लाया जा सकता है।

## रेलवे पथों की लम्बाई

**1382. डा॰ साक्षी जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान रेल पथों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है;

(ख) 1991 तथा 1993 के बीच रेलगाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या कितनी थी; और

(ग) 1990 के दशक के दौरान यात्री तथा माल परिवहन में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की आशा है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) 31 मार्च, 1993 को भारतीय रेलों की कुल रेलपथ कि॰ मी॰ लंबाई 1,09,149,42 कि॰ मी॰ थी।

(ख) पर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के लिए भारतीय रेलों पर प्रारंभिक यात्रियों की संख्या इस प्रकार है :-

| | (मिलियन में) |
|---|---|
| 1990-91 | 3858 |
| 1991-92 | 4049 |
| 1992-93 | 3749 |

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में यात्री यातायात में 5% वार्षिक वृद्धि का अनुमान है, 1996-97 के लिए प्रारंभिक यात्रियों की अनुमानित संख्या और प्रक्षेपित राजस्व उपार्जक माल यातायात इस प्रकार होगा :-

| प्रारंभिक यात्री (मिलियन) | यात्री कि॰ मी॰ (बिलियन) | राजस्व उपार्जक माल यातायात 1996-97 | |
|---|---|---|---|
| | | टन (मिलियन | टन कि॰ मी॰ बिलियन |
| 4472 | 377.74 | 418.4 | 313.8 |

## महाराष्ट्र में प्राणि उद्यान

**1383. श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में कुल कितने प्राणि उद्यान हैं;

(ख) इन प्राणि उद्यानों में कितने वन्यजीव हैं;

(ग) गत वर्ष के दौरान इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) इन प्राणि-उद्यानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क), (ख), और (ग) महाराष्ट्र में प्राणि उद्यानों की सूची और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के पास पंजीकृत रूप में प्रदर्शित वन्यजीव जन्तुओं की संख्या के साथ-साथ 1992-93 के दौरान इन चिड़ियाघरों द्वारा किए गए व्यय के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1993-94 के व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मानक और मानदण्ड अधिसूचित किए हैं जिनका अनुपालन देश के प्रत्येक चिड़ियाघर को करना होता है, प्रत्येक चिड़ियाघर का मूल्यांकन इन मानकों और मानदण्डों के आधार पर किया जाता है और चिड़ियाघरों को एक समय-सीमा के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। चिड़ियाघर के सुधार, बाड़ों का विस्तार और अन्य सुविधाओं के लिए चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

### विवरण

| क्र॰ सं॰ | चिड़ियाघर का नाम | जीवजन्तुओं/ पक्षियों की संख्या | 1992-93 के दौरान किया गया व्यय (लाख रु॰) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | वीरमाता जीजाबाई भौंसले प्राणि उद्यान, बंबई | 614 | 1.84 |
| 2. | पेशवा पार्क प्राणि उद्यान, बंबई | 376 | 34.46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | कृष्णा गिरी उद्यान, बोरिविल्ली | 84 | 34.34 |
| 4. | औरंगाबाद नगर निगम चिड़ियाघर | 120 | 12.00 |
| 5. | महाराजा बाग चिड़ियाघर नागपुर | 219 | 2.15 |
| 6. | महाराजा शिवाजी छत्रपति चिड़ियाघर कोल्हापुर | 98 | 0.96 |
| 7. | महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, शोलापुर | 105 | 6.50 |
| 8. | हुतात्मा प्राणि संग्रहालय | 59 | |
| 9. | नगर पालिका चिड़ियाघर, सांगली | 83 | अनुपलब्ध |
| 10. | नासिक चिड़ियाघर | 1 | अनुपलब्ध |

नासिक चिड़ियाघर जीवजन्तुओं की उचित देखभाल करने में सक्षम नहीं था। इस चिड़ियाघर को बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई है इस चिड़ियाघर द्वारा प्रदर्शित जीव जन्तुओं, एक तेंदुए को छोड़कर, को अन्य चिड़ियाघरों में भेजा गया है। इस जीव को शीघ्र ही अन्यत्र भेजा जाएगा।

## नीम से बने कीटनाशक

**1385. श्री रामेश्वर पाटीदार :**

**श्री राम प्रसाद सिंह :**

**श्री मंजय लाल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीम आधारित कीटनाशकों का उन कीटों पर भी प्रभावी नियंत्रण है जिन पर अभी तक अन्य कीटनाशकों का प्रभाव नहीं होता था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नीम से बने कीटनाशकों के प्रयोग पर शोध कराने के सम्बन्ध में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में आसानी से उपलब्ध नीम आधारित कीटनाशकों को प्रोत्साहन देने और लोकप्रिय बनाने के लिए और क्या कदम उठाए हैं ?

**अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्णा कुमार) :** (क) जी हां। कुछ कीट-व्याधियों को जिन पर अन्य कीटनाशक दवाओं का असर नहीं होता, नीम से निर्मित कीटनाशक द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) नीम सहित वानस्पतिक कीटनाशकों पर किए जाने वाले अनुसंधान को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई

है। कपास, सब्जियां और तम्बाकू जैसी फसलों के कीट-प्रबन्ध के लिए नीम के उपयोग को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयोजनाएं आरंभ की गई हैं।

(घ) इस क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :

(i) देश में नीम द्वारा निर्मित कीटनाशकों के प्रोत्साहन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(ii) अनेक व्यावसायिक सामग्रियों के लिए अस्थाई पंजीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(iii) अस्थाई पंजीकरण की अवधि के दौरान नीम द्वारा निर्मित कीटनाशकों का व्यावसायीकरण।

(iv) राष्ट्र और राज्य दोनों स्तरों पर समेकित कीट-प्रबन्ध कार्यक्रम में नीम द्वारा निर्मित कीटनाशकों का प्रयोग।

## भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कथित धांधलियां

**1386. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर, बरेली में गत सात वर्षों के दौरान विदेशी पत्रिकाओं की खरीद में कथित लाखों रुपये की अनियमितताओं से संबंधित मामलों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही जा रही है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) तथा (ख) स्थानीय समाचार पत्रों में विदेशी पत्रिकाओं की खरीद में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। माननीय संसद सदस्य श्री सन्तोष कुमार गंगवार ने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ध्यान इन रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया है। संस्थान स्तर पर सर्तकता जांच (विजिलेन्स इन्क्वारी) की गई है तथा परिषद के मुख्यालय में रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

## कांग्रेस की रैली हेतु विशेष रेलगाड़ियां

**1387. श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

**श्री राजवीर सिंह :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में हुई कांग्रेस रैली के लिए कितनी विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई इनमें से प्रत्येक रेलगाड़ी किस स्थान से चलाई गई तथा प्रत्येक रेलगाड़ी से कितने यात्री आए;

(ख) ऐसी विशेष रेलगाड़ियां स्वीकृत करने संबंधी नियम और प्रक्रियाएं क्या हैं;

(ग) प्रत्येक गाड़ी के लिए पहले कितनी धनराशि जमा करानी होती है और ऐसी प्रत्येक गाड़ी के लिए वास्तव में कितनी धनराशि जमा कराई गई;

(घ) इन विशेष रेलगाड़ियों से आते समय अथवा वापस जाते समय कितने व्यक्ति बिना टिकटों के यात्रा करते हुए पाये गये; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विशेष गाड़ियां बुक करने के लिए नियम भा॰ रे॰ स॰ की कोचिंग दर सूची सं॰ 24, भाग-1, जिल्द-1 (नियम 401 से 407) में प्रकाशित किए गए हैं।

(ग) विशेष गाड़ी के लिए टिकट जारी करने से पहले, नियमों में यथा निर्धारित सभी प्रभारों का भुगतान अग्रिम में किया जाना अपेक्षित है, रेलवे को देय राशि के रूप में विभिन्न स्थानों पर इन मामलों में आयोजकों द्वारा लगभग 3.14 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

## विवरण

(क) विशेष गाड़ियों के प्रारंभिक स्टेशनों और उनकी संख्या के संबंध में ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

| प्रारंभिक स्टेशन | विशेष गाड़ियों की संख्या |
|---|---|
| 1 | 2 |
| तिरूवनंतपुरम | 2 |
| कण्णनौर | 1 |
| मंगलौर | 2 |
| मैसूर | 1 |
| बैंगूलर | 4 |
| होसपेट | 1 |
| नंदयाल | 1 |
| रायचूर | 1 |
| तिरूपति | 1 |
| काजीपेट | 1 |
| विशाखापत्तनम | 1 |
| विजयवाड़ा | 1 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| हैदराबाद | 2 |
| वास्को | 2 |
| मद्रास | 4 |
| पुणे | 1 |
| कुर्ला | 1 |
| नागपुर | 1 |
| जामनगर | 1 |
| अहमदाबाद | 1 |
| सूरत | 1 |
| वदोदरा | 1 |
| उदयपुर | 1 |
| अजमेर | 1 |
| जोधपुर | 1 |
| बीकानेर | 1 |
| श्रीगंगानगर | 1 |
| कोटा | 1 |
| सियालदह | 2 |
| हवड़ा | 2 |
| खड़गपुर | 1 |
| न्यू अलीपुर द्वार | 1 |
| रांची | 1 |
| पटना | 2 |
| कटिहार | 1 |
| ब्रह्मपुर | 1 |
| रायपुर | 1 |
| भुवनेश्वर | 1 |
| टिटलागढ़ | 2 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| बिलासपुर | 1 |
| जबलपुर | 1 |
| झांसी | 1 |
| वाराणसी | 1 |
| गोंडा | 1 |
| इलाहाबाद | 1 |
| गोरखपुर | 1 |
| जम्मूतवी | 2 |
| गुवाहाटी | 6 |
| जोड़ | 68 विशेष गाड़ियां |

दिल्ली क्षेत्र से वापसी में, 69 विशेष गाड़ियां (विशाखापतनम के लिए एक और गाड़ी) चलाई गई थी।

इन गाड़ियों में लगाए गए सवारी डिब्बों की ढुलाई क्षमता तक विशेष गाड़ियों में यात्री ढोये गये।

[अनुवाद]

## संग्रहालयों में वेतनमान

1388. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संग्रहालयों में कार्यरत तकनीकी सहायकों को चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और केन्द्रीय प्रशासनिक पंचाट, हैदराबाद द्वारा दिए गए निर्णय के बावजूद 1640-2900 रुपये का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) क्या कुछ संग्रहालयों में इन सिफारिशों को 1.1.1986 से लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इन सिफारिशों को सभी संग्रहालयों में लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को इलाहाबाद संग्रहालय सहित अन्य संग्रहालयों में तेजी से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (घ) केन्द्र द्वारा संचालित संग्रहालयों में कार्यरत तकनीकी-सहायकों को रुपये 1640-2900/- के वेतनमान प्रदान करने का मामला इस समय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की मुख्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है। वेतनमानों को कार्यान्वित करने का प्रश्न माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश प्राप्त होने के पश्चात् उठेगा।

## बाल वेश्यावृत्ति

1389. **श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाने हेतु एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति के गठन और इसके निदेश-पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवाराजेश्वरी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ङ) रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) विशेष अधिकारियों को अधिसूचित करके तथा प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों सहित सलाहकार निकायों का गठन करके अनैतिक पणन (निवारण) अधिनियम, 1956 का कड़ाई से प्रवर्तन।

(2) कानून के प्रवर्तन तथा बाल वेश्याओं को बचाने और छुड़ा लिये गए व्यक्तियों की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास के कार्य में बेहतर समन्वय।

(3) गैर सरकारी संगठनों को पहचान पत्र जारी करके उनकी भागीदारी।

(4) समेकित बाल विकास सेवा तथा किशोर बालिका स्कीम का वेश्यावृत्ति से प्रभावित क्षेत्रों में विस्तार।

(5) वेश्याओं के बच्चों/बाल वेश्याओं को स्कूली शिक्षा।

(6) वेश्याओं के बच्चों/बाल वेश्याओं के लिए किशोर सामाजिक कुसमन्जन निवारण एवं नियंत्रण स्कीम के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं मन: चिकित्सकीय सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं में सुधार।

(7) छुड़ा लिये गए व्यक्तियों के लिये सरकार की नियमित स्कीमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं आयोत्पादन परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(8) स्रोतों क्षेत्रों (वेश्याओं की अधिक सप्लाई वाले क्षेत्रों) का विकास।

(9) अन्तर-राज्यीय अवैध व्यापार की जांच करने और इस समस्या को हल करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भागीदारी।

(10) संदेहास्पद अथवा अस्पष्ट परिस्थितियों में देश से युवा लड़कियों के जाने-आने पर निगरानी रखने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस की भागीदारी।

(11) संबंधित कानूनों की समीक्षा; और

(12) कार्यान्वयन तन्त्र का सृजन तथा कार्यान्वयन अधिकारियों को अभिविन्यास प्रशिक्षण।

केन्द्रीय सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिये संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को भेजा जा चुका है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

## विवरण

बाल वेश्यावृत्ति के संबंध में केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन और इसके विचारणीय विषय :-

I. समिति का गठन

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सचिव,<br>महिला एवं बाल विकास विभाग,<br>मानव संसाधन विकास मंत्रालय | अध्यक्षा |
| 2. | संयुक्त सचिव (सामाजिक सुरक्षा)<br>कल्याण मंत्रालय | सदस्य |
| 3. | संयुक्त सचिव<br>गृह मंत्रालय | सदस्य |
| 4. | संयुक्त सचिव (बाल विकास)<br>महिला एवं बाल विकास विभाग<br>मानव संसाधन विकास मंत्रालय | सदस्य |
| 5. | संयुक्त सचिव<br>विधायी कार्य विभाग<br>विधि एवं न्याय मंत्रालय | सदस्य |
| 6. | राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली का<br>एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | निदेशक<br>राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान,<br>नई दिल्ली | सदस्य |

8. अध्यक्ष,
भारतीय बाल कल्याण परिषद,
नई दिल्ली।

9. महासचिव, सदस्य
एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ
इन इण्डिया,
नई दिल्ली

10. कार्यकारी निदेशक, सदस्य
केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड,
नई दिल्ली

11. निदेशक सदस्य
संयुक्त महिला कार्यक्रम,
नई दिल्ली

12. विमोचन,
अठानी, सदस्य
कर्नाटक के प्रतिनिधि

13. भारतीय पतिता उद्धार संघ, सदस्य
दिल्ली के प्रतिनिधि

14. सचिव सदस्य
समाज कल्याण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
नई दिल्ली

15. सचिव सदस्य
महिला एवं बाल विभाग,
महाराष्ट्र सरकार
बम्बई

16. सचिव सदस्य
समाज कल्याण

| | | |
|---|---|---|
| | कर्नाटक सरकार | |
| | बंगलौर | |
| 17. | निदेशक | सदस्य |
| | नेशनल लॉ स्कूल आफ इन्डिया यूनिवर्सिटी, | |
| | बंगलौर | |
| 18. | संयुक्त सचिव | सदस्य सचिव |
| | महिला एवं बाल विकास विभाग | |
| | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | |

**II. विचारणीय विषय समिति**

(क) इस कुप्रथा के शिकार लोगों अर्थात् बच्चों और लड़कियों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किये जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों के बारे में सुझाव देगी।

(ख) बच्चों के यौन शोषण के निवारण हेतु मौजूदा कानूनों में संशोधन करने तथा आवश्यक समझे जाने पर नये कानून बनाने के संबंध में सुझाव देगी।

(ग) देवदासी प्रथा तथा जोगिन परम्पराओं की जांच करेगी और इन प्रणालियों के उन्मूलन तथा शोषण पारम्परिक तरीकों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिये उपाय सुझाएगी।

(घ) एक कार्य योजना और कार्यान्वयन कार्यक्रम की सिफारिश करेगी तथा अपने सुझावों के सही कार्यान्वयन के लिये एक उपयुक्त तन्त्र की स्थापना हेतु सरकार को सिफारिश करेगी।

[हिन्दी]

## रेलवे की सम्पत्ति को क्षति

**1390. श्री एन॰ जे॰ राठवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत एक वर्ष के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा रेलवे की संपत्ति को पहुंचाई गयी क्षति का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें कितने व्यक्ति शामिल पाये गये और इस पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) और (ख) पिछले एक वर्ष अर्थात् 16.7.93 से 15.7.94 के दौरान गुजरात में असामाजिक तत्वों द्वारा रेलवे सम्पति को पहुंचाए गए नुकसान का ब्यौरा इस प्रकार है :-

| दर्ज मामलों की संख्या | क्षतिग्रस्त सम्पति का मूल्य (रुपयों में) | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति |
|---|---|---|
| 4 | 1,10, 175/- | कोई नहीं |

(ग) रेलवे सम्पति की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे हैं :–

1. असामाजिक तत्वों की गतिविपयों पर कड़ी नजर रखी जाती है।

2. जहां तक संभव होता है प्रभावित क्षेत्रों में सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों का रा॰ रे॰ पु॰/रे॰ सु॰ ब॰ के कर्मियों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है।

3. अपराधियों पर नजर रखना तथा शरारती व्यक्तियों को गिरफ्तार करना।

4. पहचान किये गए भेद्य खण्डों में रेल पथ पर गश्त लगाई जा रही है।

5. रेलवे स्टेशनों/परिसरों में वर्दीधारी रा॰ रे॰ पु॰ के कर्मियों को अधिक संख्या में तैनात करना।

6. विस्फोटक सामग्रियों का पता लगाने के लिए कतिपय स्थानों पर सूंघ कर पता लगाने के लिए कुत्ते लगाए गए हैं।

7. रेलवे तथा राज्य के पुलिस प्राधिकारियों के बीच नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

## चीनी मिलों का स्थान परिवर्तन

**1391. श्री छीतूभाई गामीत :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार से प्राप्त एक नई चीनी मिल का स्थान परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव बहुत समय से लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं; और

(ग) इसे कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :** (क) से (ग) गुजरात में नई चीनी मिलों के स्थांन परिवर्तन के लिए केन्द्र सरकार को छः प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पांच मामलों में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और आशय-पत्रों में भी आवश्यक संशोधन किया जा चुका है। शेष एक मामले में कोर्ट के आदेशों के अनुसरण में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

## खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य

**1392. श्री गुमान मल लोढा :**

**श्री नीतीश कुमार :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य के प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इन वर्षों के दौरान तद्नुरूप कृषि उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान खाद्यान्न उत्पादकों विशेषकर सीमांत और लघु कृषकों की क्रय शक्ति में हुई वृद्धि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो अप्रैल, 1991 और अप्रैल, 1994 में उनकी अनुमानित क्रय शक्ति कितनी थी ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) से (ग) मूलतया उत्पादन की उच्च लागत और अन्य संगत कारणों की वजह से पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की गई है। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हुई वृद्धि की प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) खाद्यान्नों सहित प्रमुख कृषि जिंसों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों से उत्पादकों को पर्याप्त लाभ मिलता है। तद्नुसार, पिछले कुछ वर्षों में उनकी क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है ऐसा अनुमान है। किन्तु, इस संदर्भ में कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

## विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

| फसल | किस्म | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| धान | सामान्य | 230 | 270 | 310 |
| | अच्छी औसत किस्म | (12.2) | (17.4) | (14.8) |
| ज्वार | अच्छी औसत किस्म | 205 | 240 | 260 |
| | | (13.9) | (17.1) | (8.3) |
| बाजरा | अच्छी औसत किस्म | 205 | 240 | 260 |
| | | (13.9) | (17.1) | (8.3) |
| रागी | अच्छी औसत किस्म | 205 | 240 | 260 |
| | | (13.9) | (17.1) | (8.3) |
| मक्का | अच्छी औसत किस्म | 210 | 245 | 265 |
| | | (16.7) | (16.7) | (8.2) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| गेहूं | अच्छी औसत किस्म | 275* | 330* | 350* |
| | | (22.2) | (20.0) | (6.1) |
| जौ | अच्छी औसत किस्म | 210 | 260 | 275 |
| | | (5.0) | (23.8) | (5.8) |
| अरहर | अच्छी औसत किस्म | 545 | 640 | 700 |
| | | (13.5) | (17.4) | (9.4) |
| मूंग | अच्छी औसत किस्म | 545 | 640 | 700 |
| | | (13.5) | (17.4) | (9.4) |
| उड़द | अच्छी औसत किस्म | 545 | 640 | 700 |
| | | (13.5) | (17.4) | (9.4) |
| चना | अच्छी औसत किस्म | 500 | 600 | 640 |
| | | (11.1) | (20.0) | (6.7) |

*25 रु० प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस शामिल है कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्षों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

## समेकित पनधारा प्रबन्ध

**1393. श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्यों में बाढ़-प्रवण नदियों के जल-अधिग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंधन सम्बन्धी कोई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य को कुल कितनी राशि आबंटित की गई तथा 1994-95 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां रहीं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) जी हां।

(ख) बाढ़ प्रवण नदियों के जल-अधिग्रहण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्धन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना छठी पंच वर्षीय योजना (1980-81) से ही गंगा के कछारों में चल रही है। इस समय इसमें गंगा के कछारों को जिन नदियों के जल अधिग्रहण क्षेत्रों को शामिल किया गया है वे हैं, सोन (बिहार, म० प्र० तथा उ० प्र०) अजय (बिहार तथा पश्चिम बंगाल), पुनपुन (बिहार), गोमती (उ० प्र०) घघ्घर (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब) ऊपरी

यमुना (उ० प्र० और हिमाचल प्रदेश) ऊपरी गंगा (उ० प्र०) साहिबी (हरियाणा, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र और राजस्थान) रूप नारायण (पश्चिम बंगाल) वित्तीय सहायता की पद्धति राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता के रूप में है जिसमें 50% अनुदान तथा 50% ऋण के रूप में होता है। इस योजना के उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित हैं :-

(1) बाढ़ प्रवण नदियों के जल-अधिग्रहण क्षेत्रों में बहुविषयक समेकित दृष्टिकोण को अपनाकर भू निम्नीकरण की क्रिया की रोकथाम करना।

(2) पनधाराओं में भू-क्षमता और इसकी नमी में सुधार लाना।

(3) भू-उपयोग को बढ़ावा देना ताकि भू-क्षमता में सामन्जस्य लाया जा सके।

(4) जल-अधिग्रहण क्षेत्रों में अपवाह में कमी लाना ताकि नदियों के तेज बहाव को नियंत्रित किया जा सके।

(5) जल-अधिग्रहण क्षेत्रों के प्रबन्ध में लोगों को भागीदारी को बढ़ाना

(6) भूमि विकास कार्यक्रमों की आयोजना और निष्पादन की निपुणता में वृद्धि करना।

(ग) तथा (घ) 1992-93 और 1993-94 के दौरान आवंटित निधियों और उनकी उपलब्धियों को संलग्न विवरण में दिया गया है। 1994-95 के लिए 30 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। राज्यवार आवंटन राज्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले कार्यक्रमों पर आधारित होगा।

## विवरण

**बाढ़ प्रवण नदी योजना के अंतर्गत 1992-93 और 1993-94 के दौरान जारी की गई धनराशि तथा इसमें हुई प्रगति का ब्यौरा**

| क्र० सं० | राज्य | जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में) | | वास्तविक उपलब्धि (हेक्टे०) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 1992-93 | 1993-94 (प्रत्याशित) |
| 1. | बिहार | 36.00 | 303.00 | 3720.* | 5650 |
| 2. | हरियाणा | 50.00 | 17.00 | 1240 | 580 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश | 264.00 | 386.00 | 3800 | 5210 |
| 4. | मध्य प्रदेश | 92.50 | 340.00 | 3710 | 9300 |
| 5. | पंजाब ** | – | – | – | – |
| 6. | राजस्थान | 570.00 | 622.00 | 19140 | 19120 |
| 7. | उत्तर प्रदेश | 671.17 | 930.00 | 29060 | 29900 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | 78.18 | 92.00 | 1210 | 2070 |
| | योग | 1761.81 | 2690.00 | 61880 | 71250 |

*इस उपलब्धि में राज्यों के पास पिछले वर्ष की शेष बची 106.0 लाख रुपये की धनराशि से हुए काम भी शामिल हैं।

** पंजाब राज्य का एक हिस्सा घग्घर जल-अधिग्रहण में आता है जिसे 1993-94 में बाढ़ प्रवण नदी योजना में शामिल किया गया था। 1993-94 में इस राज्य को केन्द्र से कोई धनराशि नहीं मिली है।

[हिन्दी]

## गंगा पर पुल

**1394. श्री राजवीर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बदायूं जिले के अंतर्गत कछला रेलवे स्टेशन के निकट गंगा पर मौजूदा पुल की क्षतविक्षत दशा को देखते हुए दूसरा पुल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक निर्मित कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा पुल सुदृढ़ हालत में है।

## भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल की बिक्री

**1395. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को जनवरी, 1994 से सितम्बर, 1994 तक खुले बाजार में बिक्री हेतु उत्तम किस्म का चावल जारी करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना चावल जारी किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस प्रकार के चावल की बिक्री हेतु कोई आरक्षित मूल्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :** (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1994 से जुलाई, 1994 (25 जुलाई तक) के मास के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग 63935 मीटरी टन चावल बेचा गया था।

(ग) और (घ) जनवरी, 1994 से जुलाई, 1994 तक चावल की खुली बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किये गये चावल के राज्य वार, मास-वार मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

## विवरण

**प्रत्येक क्षेत्र के लिए जनवरी, 1994 से जुलाई, 1994 तक चावल की खुली बिक्री के लिए निर्धारित किए गए मूल्य**

(उत्तम चावल का मूल्य) दर रुपये प्रति मीटरी टन

| क्रम सं० | राज्य का नाम | जनवरी, 1994 | फरवरी, 1994 से अप्रैल, 1994 तक | मई, 1994 | जून और जुलाई, 1994 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | उत्तरी जोन | | 6600/- | 6600/- | 6550/- |
| 1. | पंजाब/हरियाणा/ उत्तर प्रदेश/राजस्थान | | | | |
| 2. | दिल्ली | टेंडर | 6700/- | 6700/- | 6600/- |
| | पूर्वी जोन | इंक्वारी के | | | |
| 3. | पश्चिमी बंगाल/बिहार उड़ीसा | आधार पर बिक्री की गई थी | 6600/- | 6600/- | 6550/- |
| | पश्चिमी जोन | | | | |
| 4. | महाराष्ट्र/गुजरात | | 6800/- | 6800/- | 6700/- |
| 5. | मध्य प्रदेश | | 6600/- | 6600/- | 6550/- |
| | दक्षिणी जोन | | | | |
| 6. | तमिलनाडु/कर्नाटक | | 7000/- | 6900/- | 6700/- |
| 7. | केरल | | 7100/- | 7000/- | 6700/- |
| 8. | आन्ध्र प्रदेश | | 6600/- | 6600/- | 6550/- |

नोट : 1. फरवरी से मई, 1994 के महीनों के दौरान आन्ध्र प्रदेश, जहां बढ़िया चावल के मूल्य उत्तम चावल के मूल्य से 100/- रुपये प्रति मीटरी टन कम हैं, को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बढ़िया चावल के मूल्य उतम चावल के मूल्य से 200/- रुपये प्रति मीटरी टन कम हैं।

2. जून और जुलाई, 1994 के दौरान बढ़िया चावल के मूल्य उत्तम चावल के मूल्य से 300/- रुपये प्रति मीटरी टन कम है।

[अनुवाद]

## इंजीनियरिंग कालेज

**1396. कुमारी सुशीला तिरिया :**

**श्री गुरुदास कामत :**

**क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी रूप से चलाये जा रहे इंजीनियरिंग कालेज अपने कालेजों में शुल्क में वृद्धि कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन कालेजों में शुल्क निर्धारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन्नीकृष्णन के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसरण में निजी व्यावसायिक गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में दाखिलों और शुल्कों को विनियमित करने के लिए दिनांक 26.5.1994 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 के अधीन विनियम जारी किए हैं। विनियमों के अनुसार किसी व्यावसायिक कालेज द्वारा लिया जाने वाला शिक्षा शुल्क और अन्य अन्य शुल्क, राज्य स्तरीय समितियों द्वारा निर्धारित निर्धारित किया जाना है।

## महालक्ष्मी रेलगाड़ी का विलम्ब से चलना

**1397. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और कोल्हापुर के बीच चलने वाली महालक्ष्मी रेलगाड़ी के विलम्ब से चलने के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो 1993 के दौरान और जून, 1994 तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस रेलगाड़ी का समय से चलना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) सर्वश्री अन्ना डांगे, विधायक, शरद चन्द्र पटेल, विधान परिषद सदस्य शिवाजीराव देशमुख, लोकनिर्माण, संसदीय कार्य पुनर्वास और भूतपूर्व सैनिक कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, प्रकाश वसंतराव, सांसद, मेजर सुधीर सावंत, सांसद और सदाशिवराव मोदलिक, सिंचाई, उच्च और तकनीकी शिक्षा, रोजगार गारंटी योजना और पुर्नवास राज्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार आदि से पत्र/आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) रेलों के नियंत्रणाधीन रूकौनियों को दूर करने के लिए बड़ी नजर तथा निगरानी रखी जा रही है।

## दालों की नई किस्में

**1398. श्री ए॰ अशोकराज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से गत छः महीनों के दौरान कोई बेहतर किस्म की दालें विकसित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) तथा (ख) पिछले छः महीनों के दौरान दाल की कोई भी किस्म विकसित नहीं की गई है। तथापि, दालों की दो किस्में यानी अरहर की पूसा-9 तथा पूसा 855, वर्ष 1993 के दौरान जारी की गई है तथा सितम्बर, 1993 के दौरान चने की बी जी 362 तथा मूंगबीन की पूसा 9072 किस्मों का पता लगाया गया है।

[हिन्दी]

## रेलवे पासों का दुरुपयोग

**1399. श्री राम टहल चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों को जारी किये रेलवे पासों का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1993 तथा 1994 के दौरान आज तक पता चले ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दुरुपयोग को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं और इस संबंध में कितनी सफलता मिली है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) दुरुपयोग के कुछ मामले नोटिस में आए हैं।

(ख) 1993 और 1994 के दौरान अभी तक 112 मामले नोटिस में आए हैं।

(ग) ऐसे पासों का दुरुपयोग रोकने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों तथा सतर्कता दलों और वाणिज्य निदेशालय के धोखा-धड़ी निरोधक दस्तों द्वारा गाड़ियों में निरन्तर जांच की जाती है। इससे पासों का दुरुपयोग रोकने में बड़ी सफलता मिली है।

[अनुवाद]

## राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव

**1400. श्री प्रबीन डेका :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस समाप्ति स्थल गुवाहाटी को छोड़ असम में कहीं नहीं रुकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस गाड़ी के न्यू बोंगाईगांव में ठहराव की मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) और (ख) जी हां।

(ग) औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

## बाजार हस्तक्षेप

1401. **प्रो॰ के॰ वी॰ थामस :**

**श्री पी॰ सी॰ थामस :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विभिन्न नकदी फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन फसलों के नाम क्या हैं;

(ग) इस योजना पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य द्वारा वहन किया जाने वाला नाबार्ड की कार्यकारी पूंजी का हिस्सा निर्धारित करने का भी आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) से (ङ) जी हां। केरल सरकार ने विभिन्न नकदी फसलों, अर्थात् अदरक, हल्दी, लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी, कोको और काली मिर्च, में मण्डी हस्तक्षेप के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। काली मिर्च के लिए मण्डी हस्तक्षेप कार्य शुरू कर दिए गए हैं। फिर भी, अन्य फसलों के मामले में केरल राज्य सरकार केन्द्रीय नोडल एजेन्सी, अर्थात भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, के साथ बराबर की खरीद करने के लिए अपेक्षित कार्यशील पूंजी राज्य पदनामित ऐजन्सी को देने के लिए सहमत नहीं हुई है। केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक अथवा नाबार्ड से राज्य एजेन्सी के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। चूंकि केन्द्र और राज्य सरकार को अपनी अपनी एजेन्सियों की कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है, इसलिए आवश्यक व्यवस्था राज्य सरकार का काम है।

## प्रकाश टंडन समिति

1402. **डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने "प्रकाश टंडन समिति" की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उसे लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या है;

(ग) क्या समिति की सिफारिशों को लागू न किये जाने के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) और (ख) समिति की सिफारिशों में संगठनात्मक संरचना और प्रबंध प्रणालियों में किए जाने वाले परिवर्तन शामिल हैं जिसमें भारतीय रेलें प्रमुख व्यापार उद्यम के रूप में कार्य कर सकें। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) से (ङ) अधिकारियों की एसोसिएशनों में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्हें अन्तिम निर्णय लेने से पहले ध्यान में रखा जाएगा।

## महिला एवं बाल विकास योजनाएं

**1403. श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिला एवं बाल विकास संबंधी योजनाओं की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या समीक्षा-अवधि के दौरान उन केन्द्रों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ग) इन योजनाओं को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी)** : (क) महिलाओं और बच्चों के विकास से संबंधित स्कीमों का समय-समय पर पुनरीक्षण, प्रबोधन और मूल्यांकन किया जा रहा है और यथावश्यक सुधार किए जा रहे हैं। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास स्कीमों की समीक्षा योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना संबंधी चर्चाओं के दौरान भी की जाती है। इसके अतिरिक्त, पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा भी मध्यावधि मूल्यांकन के द्वारा की जाती है।

(ख) जहां तक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का संबंध है, समेकित बाल विकास सेवा स्कीम की समीक्षा, राज्यों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की रिपोर्टों के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत प्रबन्ध सूचना प्रणाली के जरिए मासिक और त्रैमासिक आधार पर लगातार की जाती है।

(ग) हाल ही के वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे विभिन्न घटकों के लागत मानदण्डों में संसोधन, महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न सेवाओं का बेहतर संकेन्द्रण तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से समुदाय सहभागिता का सुदृढ़ीकरण।

[हिन्दी]

## शिक्षा संबंधी सर्वेक्षण

**1404. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से आयोजित अखिल भारीय शिक्षा सर्वेक्षण के संबंध में अब तक की गई प्रगति और आकलन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (ए॰ आई॰ ई॰ एस॰) के लिए आंकड़ा संग्रहण के चरण तक की तैयारी संबंधी सभी कार्यकलाप संपन्न हो चुके हैं जिसमें राज्य सर्वेक्षण पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और आंकड़ा संग्रहण प्रपत्रों का अंतिम रूप दिया जाना भी शामिल है। आंकड़ा संग्रहण संपन्न होने के उन्नत चरण पर है।

(ख) छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र का एक संयुक्त कार्यकलाप है जिसका लक्ष्य राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा सूक्ष्म और बड़े स्तरों पर स्कूली शिक्षा के विविध क्षेत्रों में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाने हेतु योजना तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आंकड़ों को वर्ष प्रतिवर्ष अद्यतन बनाए जाने को सुकर बनाने हेतु जिला और राज्य मुख्यालयों में स्कूली शिक्षा का आंकड़ा आधार तैयार करना है। 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अवधारणाओं पर आधारित कार्रवाई योजना, 1992 में पहचान की गई कार्यनीतियों के अनुसरण में वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संशोधन सरकार का सतत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है।

**[अनुवाद]**

## बीजों पर राजसहायता

**1405. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के सभी पहाड़ी क्षेत्रों में बीजों की ढुलाई के लिए राजसहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब लिया जायेगा और क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) से (ग) "एकीकृत बीज विकास योजना" नामक एक नई योजना तैयार की गई है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य सुदूर तथा सुगमता से न पहुंचा जा सकने वाले क्षेत्रों के लिए बीज पर परिवहन राजसहायता का प्रावधान किया गया है। सभी ब्यौरों को अंतिम रूप देने तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद इसका कार्यान्वयन किया जाएगा।

## कलकत्ता में मैट्रो रेल

**1406. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री तारा सिंह :**

**श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मैट्रो रेल घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इस घाटे को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) जी हां।

(ख) (1) 1993-94 तक परियोजना पर हुई परिचालनिक हानि लगभग 43.15 करोड़ रुपए है।

(2) ट्रंकेटिड प्रकृति का यातायात।

(3) मेट्रो परियोजना में भारी पूंजी-निवेश अन्तर्निहित है और उसे सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर चलाया जाता है, वित्तीय दृष्टि से नहीं, अतः, कई हानियां अवश्यमभावी हैं, क्योंकि किराया संरचना को क्षेत्र में परिवहन के अन्य साधनों के समान रखे जाने की आवश्यकता होती है।

(ग) सवारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है।

(1) अधिक दैनिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन देना।

(2) मेट्रो के सरेखण में समानान्तर चलाई जा रही बसों की संख्या में कमी करने और मेट्रों स्टेशनों से फीडर बस सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

(3) 1995 तक संपूर्ण परियोजना को पूरा करने की योजना।

(4) पश्चिम बंगाल राज्य सारकार से कलकत्ता ट्राम सर्विसेज के समान मैट्रो रेलवे को रियायती दर पर बिजली दर सूची की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है।

## रेलवे माल डिब्बे

**1407. श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने आगामी दो वर्षों में रेल मालडिब्बों की खरीद में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अपने इस कथित निर्णय से मालडिब्बे बनाने के उद्योग में उत्पन्न संकट की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का मालडिब्बा उपयोग को इस संकट से बचाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) 1992-93, 1993-94 के दौरान ब्रेथ वेट कम्पनी लिमिटेड से कितने मालडिब्बे खरीदे गए और 1994-95 में कितने मालडिब्बे खरीदने का प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) और (ख) जी हां, चूंकि रेलों को प्राप्त होने वाला यातायात अनुमान के अनुसार नहीं बढ़ रहा है, और परिसंपत्ति के इस्तेमाल में सुधार हुआ है इसलिए माल डिब्बों की जरूरत में कमी आई है परिणामस्वरूप, आगामी दो वर्षों में खरीद कम होने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी हां, आवश्यकताओं के मौजूदा स्तर के आधार पर उद्योग की सहायता करने के लिए 1994-95 के दौरान 7600 चौपहियां माल डिब्बों के विनिर्माण के लिए आदेश दिए गए हैं।

"अपने माल डिब्बों के मासिक बनें" योजना के अंतर्गत या तो 2205 चौपहिया, माल डिब्बों के लिए आदेश दे दिया गया है, या उनके लिए आदेश देने संबंधी कार्रवाई की जा रही है, चालू वर्ष के दौरान 1800 चौपहियों के लिए आदेश दिए जाने के बारे में एक निविदा हाथ में है, और माल डिब्बा उद्योग को उद्योग के संबंधित क्षेत्रों से अपने माल डिब्बों के मालिक बनें योजना के अन्तर्गत माल प्राप्त करने के लिए जोर दार विपणन प्रयास भी करने चाहिए।

(ङ) मैसर्स ब्रेवेटे से खरीदे गए माल डिब्बों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

| | (चौपहियों में) |
|---|---|
| वर्ष | खरीद गए माल डिब्बों की संख्या |
| 1992-93 | 3707.5 |
| 1993-94 | 2120 |
| 1994-95 (लक्ष्य/आदेश दिए गए) | 1220 |

## डीजल रेल-इंजन

**1408. श्री हाराधन राय :**

**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा नवनिर्मित रेल-डीजल इंजन ईंधन के खपत की दृष्टि से अधिक कार्यकुशल है तथा आयातित इंजनों की तुलना में इसका मूल्य बहुत कम होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के इंजनों का वाणिज्यिक उत्पादन कब से शुरू हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं। विदेशों में निर्मित अत्याधुनिक प्रौद्योगिक वाले डीजल रेल इंजन अधिक ईंधन कुशल हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 3100 अश्वशक्ति वाला नया डीजल रेल इंजन विकसित किया गया है और डी॰ रे॰ का॰ में पहले रेल इंजन तैयार होने वाला है। यह भारतीय रेलों के मौजूदा डीजल रेल इंजन की तुलना में अधिक ईंधन कुशल तो है लेकिन विदेशों में बनाये जा रहे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले इंजनों की अपेक्षा कम कुशल है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## वाणिज्य फसलें

**1409. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मुख्य कृषि फसलों और वाणिज्यिक फसलों और तिलहनों की प्रति हेक्टेयर पैदावार कितनी है;

(ख) क्या इन फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार में अन्य बहुत से देशों की तुलना में यथेष्ट वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से धान, कपास, दालों और तिलहनों इत्यादि के संबंध में पैदावार न बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(च) एशियाई देशों के प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार के बराबर वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) वर्ष 1992-93 के दौराम (अद्यतन उपलब्ध) देश में खाद्यान्नों वाणिज्यिक और तिलहनों की मुख्य कृषि फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में फसलों को प्रति हैक्टेयर पैदावार में काफी वृद्धि हुई है और 1980-81 से 1992-93 के दौरान इस वृद्धि को 2.84 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर देखने में आई है। इसी अवधि के दौरान खाद्यान्नों, तिलहनों और कपास की पैदावार में क्रमश: 3.15, 2.72 और 4.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर देखने में आई है। हालांकि पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है फिर भी, भारत में फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार विकसित देशों के मुकाबले अभी भी कम है।

(ग) विकसित देशों की तुलना में भारत में प्रति हैक्टेयर कम पैदावार होने का कारण आधुनिक प्रौद्योगिक की उपलब्धता तथा उसे अपनाने में घट-बढ़ होना और सामाजिक-आर्थिक तथा खेती बाड़ी से [illegible]। आर्थिक स्थितियों में अन्तर होना।

(घ) विभिन्न फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न फसल उत्पादनोन्मुखी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जिनमें उन्नत किस्मों की बीजों के मिनिकिटों का वितरण, चयनित कृषि उपकरणों पर राजसहायता, प्रमाणित बीजों का वितरण, प्रौद्योगिक के अन्तरण के लिये प्रदर्शनों का आयोजन और किसानों का प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा इसके अलावा मूल्य और मंडी समर्थन मुहैया कराना आदि शामिल है।

## विवरण

### खाद्यान्नों की कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰ पैदावार–1992-93 (समस्त भारत)

| फसल | पैदावार |
|---|---|
| चावल–खरीफ | 1663 |
| रबी | 2758 |
| कुल | 1744 |
| गेहूं | 2323 |
| ज्वार–खरीफ | 1224 |
| रबी | 674 |
| कुल | 989 |
| बाजरा | 824 |
| मक्का–खरीफ | 1625 |
| रबी | 2523 |
| कुल | 1694 |
| रागी | 1340 |
| गौण कदन्न | 425 |
| जौ | 1668 |
| मोटे अनाज–खरीफ | 1100 |
| रबी | 924 |
| कुल | 1065 |
| तुर | 663 |
| अन्य खरीफ दालें | 428 |
| चना | 673 |
| अन्य रबी दालें | 605 |
| दालें–खरीफ | 502 |
| रबी | 641 |
| कुल | 573 |
| खाद्यान्न–खरीफ | 1289 |
| रबी | 1706 |
| कुल | 1445 |

वाणिज्यिक फसलों की पैदावार कि॰ ग्रा॰ प्रति हैक्टेयर में 1992–93 (अखिल भारत)

| फसल | पैदावार |
|---|---|
| मूंगफली–खरीफ | 950 |
| रबी | 1601 |
| कुल | 1060 |
| अरंडी | 936 |
| तिल | 361 |
| रामतिल | 308 |
| सोयाबीन | 856 |
| सूरज मुखी–खरीफ | 456 |
| रबी | 654 |
| कुल | 566 |
| तोरिया सरसों | 773 |
| अलसी | 305 |
| कुसुम | 484 |
| कुल तिलहन–खरीफ | 779 |
| रबी | 813 |
| कुल | 793 |
| गन्ना | 63810 |
| कपास | 261 |
| पटसन | 1848 |
| मेस्ता | 968 |
| पटसन और मेस्ता | 1658 |

[हिन्दी]

## जाली विश्वविद्यालय

1410. **श्री पंकज चौधरी :**

**श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

**डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आये जाली विश्वविद्यालयों की संख्या व विवरण क्या है;

(ख) क्या ऐसे जाली विश्वविद्यालय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर विभिन्न पाठ्यक्रमों में डिग्रियां देने का प्रस्ताव करते हैं और स्वयं को मुक्त विश्वविद्यालय की संज्ञा देते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों का कार्यकरण बन्द करने के लिए कोई प्रभावी उपाय किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 30 जून, 1994 तक देश में 25 जाली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उल्लंघन में कार्य कर रहे थे। इन जाली विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) यह आयोग की जानकारी में आया है कि भारतीय शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (मुक्त विश्वविद्यालय) जो कि एक जाली संस्थान है, समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दे रहा है कि यह मुक्त विश्वविद्यालय व्यवस्था के अन्तर्गत पाठ्यक्रम परीक्षाएं आयोजित कर रहा है।

(घ) और (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ सी॰ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के उल्लंघन में कार्य कर रहे किसी भी जाली विश्वविद्यालय पर नजर रखते हैं। आम जनता विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों या किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ज्यों ही किसी जाली विश्वविद्यालय के कार्य करने की सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दी जाती है, वैसे ही स्वघोषित/जाली विश्वविद्यालयों के प्रवर्तकों/पदधारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों से अवगत कराया जाता है। उन्हें "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग तथा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के कार्य को रोकने का सुझाव दिया जाता है। सम्बद्ध राज्य सरकारों से भी ऐसे जाली विश्वविद्यालयों के कार्यकरण के संबंध में जांच कराने का अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष जाली विश्वविद्यालयों

की सूची का विस्तृत प्रचार करता है ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऐसे संस्थानों के प्रति सावधान किया जा सके।

यदि किसी जाली संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को जाली डिग्रीयां जारी करने की सूचना एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ आयोग को दी जाती है तो आयोग एम॰ आर॰ टी॰ पी॰ अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई शुरू करता है।

सरकार दिसम्बर, 1991 में संसद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का संशोधन बिल पेश कर चुकी है। संशोधन बिल में अधिनियम की धारा 22 और 23 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए धारा 24 में और अधिक दंडात्मक प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य/सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों को भी सख्त निगरानी रखने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 तथा अन्य दण्डविधियों का उल्लंघन करने के लिए ऐसे संस्थानों पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है।

## विवरण

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिनांक 30.6.1994 तक जाली विश्वविद्यालयों की सूची**

1. मैथिली विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय), प्रयाग इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस, उत्तर प्रदेश
4. कमर्शियल विश्वविद्यालय लि॰, दरियागंज, दिल्ली
5. टेस्टेटर रिसर्च विश्वविद्यालय, बोदीनयाकानुर, तमिलनाडु
6. भारतीय उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद, लखनऊ उत्तर प्रदेश
7. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयोग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
8. राष्ट्रीय इलेक्ट्रो कॉम्पलेक्स होम्योपैथी विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
9. न्यूजेरूसलेम विश्वविद्यालय, कुथुपरम्बा, कन्नोड़, केरल
10. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस विश्वविद्यालय (मुक्त विश्वविद्यालय) अचलताल, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
11. श्रीमती महादेवी वर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, मुकलसराय, उत्तर प्रदेश
12. डी॰ डी॰ बी॰ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुटुर, त्रिची, तमिलनाडु
13. भारतीय शिक्षा परिषद (उत्तर प्रदेश) मुक्त विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
14. आर्य विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
15. बाइबल विश्वविद्यालय, अम्बुर (नार्थ अरूत)
16. इस्टर्न ऑर्थोडोक्स विश्वविद्यालय, अम्बुर (नार्थ अरूत)
17. ग्लोब यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस, कुमाकोनम, तमिलनाडु

18. सेंट जोन विश्वविद्यालय, किशनट्टम, केरल
19. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर
20. संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, दिल्ली
21. व्यावसायिक विश्वविद्यालय, दिल्ली
22. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोशी कलाँ, मथुरा, उत्तर प्रदेश
23. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश
24. राजा अरबी विश्वविद्यालय, नागपुर
25. उर्दू विश्वविद्यालय, मोतियापार्क, भोपाल।

## उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की शाखाएं

1411. **डा॰ साक्षीजी** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम की शाखाओं की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ख) इन शाखाओं में कर्मचारियों की शाखावार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य में नई शाखाएं खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) निगम अपने मुरादाबाद और इलाहाबाद स्थिति दो उप-क्षेत्रीय कार्यालय तथा निम्नलिखित स्थानों पर स्थित 23 जिला कार्यालयों के माध्यम से लखनऊ में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के साथ कार्यों का समन्वय करता है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. हापुड़ | 2. बुलन्दशहर | 3. मुरादाबाद |
| 4. बरेली | 5. लखनऊ | 6. फैजाबाद |
| 7. सीतापुर | 8. सहारनपुर | 9. कानपुर |
| 10. शाहजहांपुर | 11. गोंडा | 12. बांदा |
| 13. आजमगढ़ | 14. गाजीपुर | 15. इलाहाबाद |
| 16. वाराणसी | 17. हल्द्वानी | 18. झांसी |
| 19. आगरा | 20 गोरखपुर | 21. देहरादून |
| 22. श्रीनगर (पोड़ी) | 23. अलीगढ़ | |

(ख) उत्तर प्रदेश क्षेत्र में 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार स्टाफ की श्रेणीवार स्थिति निम्नानुसार है :-

श्रेणी-1 :: 63

| | | |
|---|---|---|
| श्रेणी–2 | :: | 410 |
| श्रेणी–3 | :: | 5063 |
| श्रेणी–4 | :: | 3072 |
| | | 8608 |

भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय में कर्मचारियों की शाखावार स्थिति तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) जिलों का पुनर्गठन करना एक निरन्तर प्रक्रिया है और तद्नुसार जिलों का गठन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय-समय पर मामले की समीक्षा की जाती है। हाल ही में वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहित सभी आंचलिक प्रबन्धकों/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धकों से भारतीय खाद्य निगम जिलों का पुनर्गठन करने से सम्बन्धित सिफारिशें, इसके औचित्य सहित मांगी गई हैं।

[अनुवाद]

## केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश

**1412. श्री मोहन रावले : क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य, संसद सदस्यों के लिए विशेष व्यवस्था योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों से परीक्षाएं लेने के लिए दबाव डालते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को ऐसे प्रवेशों के लिए कुछ ऐसे दिशानिर्देश जारी किए गये हैं जिनका उन्हें पालन करना है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) और (ख) जी, हां। प्रवेश के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रधानाचार्य कक्षा में दाखिले के लिए छात्र की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रवेश परीक्षा जिस कक्षा में दाखिला चाहिए, उस कक्षा से पहली कक्षा के पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाती है। दाखिले की परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35 प्रतिशत अंक और औसत में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दाखिले के लिए पात्र समझे जाते हैं। तथापि, कक्षा I में दाखिले के लिए, बच्चे की बुद्धि और सामान्य जानकारी का पता लगाने के लिए परीक्षा ली जाती है।

## गुजरात में दुग्ध उत्पादन

**1413. श्री एन॰ जे॰ राठवा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस दुग्ध का औसत उत्पादन कितना है और इसमें गुजरात का हिस्सा कितना है;

(ख) राज्य में औसत दुग्ध उत्पादन को राष्ट्रीय औसत उत्पादन स्तर तक लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादन के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) 1992-93 के दौरान, देश में तथा गुजरात में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन क्रमशः 181 तथा 244 ग्राम प्रति दिन था।

(ख) गुजरात में प्रति व्यक्ति के मामले में दुग्ध उत्पादन, राष्ट्रीय औसत की तुलना में पहले से ही अधिक है। फिर भी, राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विभिन्न राज्य तथा केन्द्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) गुजरात राज्य के अधिकांश जिलों में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। मार्च, 1994 तक राज्य में 10,819 डेयरी सहकारी समितियां गठित की गई थी जो देश के सभी सहकारी समितियों के कुल दुग्ध अधिप्राप्ति का लगभग 30 प्रतिशत की अधिप्राप्ति करते हैं। दूध के उत्पादन, प्रापण, प्रसंस्करण तथा विपणन में वृद्धि करने के तथा मौजूदा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार/सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

## विकास परियोजनाओं की स्वीकृति

**1414. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल** : क्या **पर्यावरण** और **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1994 से उनके मंत्रालय द्वारा पर्यावरण तथा वन दृष्टिकोणों से स्वीकृत विकास परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यवार कौन-कौन सी परियोजनाएं अस्वीकृत की गई;

(ग) इस तिथि को सरकार के पास लंबित विकास परियोजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं;

(घ) यह कब से लंबित पड़ी है और इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.1.1994 से पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूर विकासात्मक परियोजनाओं के राज्यवार नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.1.1994 से पर्यावरणीय दृष्टि से नामंजूर परियोजनाओं के राज्यवार नाम दर्शाने वाला एक विवरण II संलग्न है।

(ग) और (घ) 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित परियोजनाओं के राज्यवार नाम, उनके लंबित रहने की अवधि और विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण III संलग्न है।

(ङ) पूरे ब्यौरों के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर निर्णय लेने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

## विवरण-I

दिनांक 2.8.1994 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं॰ 1414 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 1.1.94 से पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूर विकास परियोजनाओं के राज्यवार नाम दर्शाने वाला विवरण :-

### क. पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूर परियोजनाएं

**क्र॰ सं॰ परियोजना का नाम**

**आन्ध्र प्रदेश**

1. विजांग से विजयवाड़ा तक पैट्रोलियम उत्पाद पाइप लाइन, एच पी सी एल
2. वेमागिरी गैस आधारित पावर परियोजना
3. श्री सेलम लेफ्ट बैंक नहर परियोजना
4. जुराला बहुउद्देश्यीय परियोजना
5. रविन्द्र खानी नई तकनीक, भूमिगत परियोजना (एस सी सी एल)
6. ओबलापुरम लौह अयस्क खान, श्री जी॰ राममोहन रेड्डी।

**बिहार**

7. जमशेदपुर में मैसर्स ऊषा मार्टिन लि॰ का विस्तार एवं आधुनिकीकरण
8. नौमुंडी लौह अयस्क खान, टिस्को
9. टिस्को का कैप्टिव पावर संयंत्र-675 मे॰ वा॰

**गोवा**

10. पोरमुगा पत्तन न्यास परिसर के अन्दर जलपोत मरम्मत कार्य
11. वारका में पर्यटन काटेजों का निर्माण

**गुजरात**

12. वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन, 7वीं यूनिट (210 मे॰ वा॰)
13. गांधीनगर थर्मल पाव स्टेशन, 5वीं यूनिट (210 मे॰ वा॰)
14. हजीरा समुद्र तट टर्मिनल का विस्तार, ओ एन जी सी
15. वाघोडिया में एल पी जी रिकवरी संयंत्र

**हरियाणा**

16. हरियाणा संसाधन कनसालिडेशन परियोजना

केरल

17. कसारकोड में डीजल जेनरेटर सेट, 60 मे॰ वा॰
18. कोचीन तेल टर्मिनल को जाने वाले चैनलों को चौड़ा करना।

मध्य प्रदेश

19. तावा भूमिगत परियोजना
20. दुधिचुवा खुली खदान परियोजना
21. महेश्वर जल-विद्युत परियोजना
22. सिन्टर संयंत्र-3, सी पी पी-2, बिलेट ब्लूप कास्टर्स, भिलाई इस्पात संयंत्र

महाराष्ट्र

23. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि॰ का विस्तार, रासायानी
24. बी पी सी एल की बम्बई मनमाड पाइप लाइन परियोजना
25. एच पी सी एल की देवघाट में 6.0 एम एम टी पी ए रूट रिफाइनरी
26. डेमोल गैस आधारित पाव परियोजना-2000 मे॰ वा॰
27. भद्रावती थर्मल पावर स्टेशन-2 × 500 मे॰ वा॰, स्थल मंजूर
28. डेभोल में पत्तन और बन्दरगाह परियाजना
29. काशिद गांव, रायगढ़ जिले में समुद्री सैरगाह परियोजना
30. बम्बई मलजल निपटान परियोजना
31. इन्टीग्रेटेड एल्युमिनियम काम्पलैक्स का विस्तार, नाल्को।
32. टिस्को की जोडा पूर्वी परियोजना
33. गोमरडीह डोलोमा क्वाइरी (टिस्को)
34. इंडियन मेटल्स एण्ड फैरो एलाई लि॰ की क्रोमाइट खनन

राजस्थान

35. धौलपुर थर्मल पावर परियोजना (3×250 मे॰ वा॰)

तमिलनाडु

36. नेवेली में जोरो यूनिट (250 मे॰ वा॰)—सी एम एस विद्युत कम्पनी
37. तूतीकोरिन पत्तन में बहुउद्देशीय बर्थ सं॰ 7 का निर्माण
38. कलकत्ता से कन्याकुमारी को जोड़ने वाली पूर्वी तट सम्पर्क
39. मद्रास फिशिंग हार्बर-चरण-2

40. इन्नौर में आयातित अमोनिया के लिए सबमेरीन पाइप लाइन प्रणाली

**पश्चिम बंगाल**

41. जामवाड खुली खुदान परियोजना
42. चिनाकुरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 40 मे॰ वा॰
43. बकरेश्वर जलाशय स्कीम

**अन्तर-राज्यीय**

44. कोंकण रेलवे परियोजना, (महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक)
45. करनाल-भटिंडा के लिए एम डी ए जे हुक-अप

**संघ राज्य क्षेत्र**

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**

46. सेटलाइट अर्थ स्टेशन कैम्पस, कार निकोबार में टाईप-! के 2 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण
47. साउथ सेन्टीमेन्टल द्वीप में प्रकाशीय बेकन का निर्माण
48. साउथ अंडमान द्वीप के बाबू फ्लैट में डीजल जनरेटर सेट 4×5 मे॰ वा॰
49. लंग द्वीप में डीजल जनरेटर की क्षमता में वृद्धि करना 3×128 मे॰ वा॰

**लक्षद्वीप**

50. इन्ट्रेन्स के काडमथ द्वीप में नियंत्रित भूमिगत विस्फोट करने का प्रस्ताव

**ख. 25.10.1992 को जारी संशोधित समेकित दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूर प्रस्ताव (क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंजूर प्रस्तावों के अलावा) :**

**आंध्र प्रदेश**

1. अनन्तपुर जिले में नई मीटर गेज लाइन, चित्रदुर्ग-रायादुर्ग बिछाना
2. बारंगल जिले में आई बी एम-40 टीगटवेंट डिस्ट्रिब्यूटरी के लिए नहर खोदना
3. विकाराबाद से तन्दूर स्टेशन तक रेलवे लाइन को दुगना करना
4. आदिलाबाद जिले में मैसर्स ए सी सी लि॰ के पक्ष में चूना पत्थर के लिए खनन पट्टे का नवीकरण
5. नालगोन्डा जिले के महबूब नगर में वन क्षेत्र के जरिए श्री सेलम लेफट बैंक नहर भूमिगत टूनेल स्कीम का सर्वेक्षण और निष्पादन
6. वारंगल जिले में एस आर एस पी के तहत डी बी एम 48 वेनावरम ब्रांच नहर की खुदाई
7. आदिलाबाद जिले में एन एच सं॰ 7 (नागपुर-हैदराबाद) को चौड़ा करना।

**असम**

8. कारबी अंगलागं जिले में काठियाटोब से दीमापुर तक 220 कि० वा० ट्रान्समिशन लाइन बिछाना
9. सरितपुर जिले में नीपको लि० द्वारा 400 के बी डी/सी रंगनाडी–बलियापारा ट्रान्समिशन लाइन बिछाना
10. गोलघाट जिले के "ख" में तेल की खोज के लिए ड्रिलिंग लोकेशन
11. हेलाकांडी जिले में बदरपुर से कलारशिप तक 132 कि० वा० ट्रान्समिशन लाइन बिछाना
12. नीपको लि० द्वारा कारबी अंगलांग जिले में कथालगुनी से काठियाटोब तक 400 कि० वा० ट्रान्समिशन लाइन

**बिहार**

13. हजारीबाग जिले में मै० सैन्ट्रल को फील्ड्स लि० के पक्ष में उरीनरी ओपन केस परियोजना के लिए 10 वर्ष के लिए खनन पट्टा
14. पश्चिमी चम्पारन जिले में श्री आर पी वर्मा के पक्ष में फ्लोट्म, पीबल्स आदि एकत्र करने के लिए पंडाई नवी भाग में 10 वर्षों के लिए खनन पट्टा
15. पश्चिम चम्पारन जिले में श्री राय बृज मोहन शर्मा के पक्ष में फ्लोट्स, पीबल्स आदि चुनने के लिए पंडाई नदी भाग 10 वर्षों के लिए खनन पट्टे का नवीकरण
16. गिरिडीह जिले में डी वी सी बोडारो "बी" ताप बिजली घर के राख निपटान आदि का निर्माण

**गोआ**

17. दक्षिणी गोआ जिले में चापोग लघु सिंचाई परियोजना

**गुजरात**

18. पंचमहल जिले में कोलियारी सिंचाई स्कीम
19. नर्मदा सिंचाई परियोजना की मियागन ब्रांच नहर

**हिमाचल प्रदेश**

20. 200 कि० वा० डी/सी बेरासुइल पोंग ट्रान्समिशन
21. शिमला जिले में लारोत से दादरा कावर तक आर ई सी 22 कि० वा., एच टी लाइन बिछाना

**हरियाणा**

22. हिसार जिले में सिद्धमुख-मोहर सिंचाई परियोजना

**कर्नाटक**

23. बेलारी जिले में अयस्क के खनन के लिए श्री अबूबाकेर के पक्ष में खनन पट्टा
24. कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में खनन के लिए पूर्वेक्षण हेतु मैसर्स मुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टा

25. उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा परमाणु विद्युत परियोजना के लिए न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन द्वारा पत्थर उत्खनन के लिए पट्टा

**मध्य प्रदेश**

26. दमोह जिले में बंदकपुर सीमर खोह लघु सिंचाई परियोजना
27. बस्तर जिले में वारगांव सिंचाई परियोजना
28. बस्तर जिले में उरिडगांव टैंक परियोजना
29. रायपुर जिले में पिलापानी टैंक परियोजना
30. बस्तर जिले में सिकसोर टैंक परियोजना
31. बेतूल जिले में 11 कि॰ वा॰ पाल–मोहडे ट्रान्समिशन लाइन
32. गुना-इटावा ब्रांड गेज रेलवे लाइन
33. बेतुल जिले में 33 कि॰ वा॰ चिचोली-महतपुर ट्रान्समिशन लाइन
34. मांडला जिले में बाबली टैंक परियोजना
35. ग्वालियर जिले में अलापुर सिंचाई परियोजना
36. बस्तर जिले में दीवर पथ टैंक परियोजना
37. मांडला जिले में रामनगर सिंचाई परियोजना
38. उन्डहेल-सिन्द्रानी 11 कि॰ वा॰ ट्रान्समिशन लाइन
39. शहडोल जिले में नवांगांव तथा राजेन्द्र परियोजना द्वारा भूमिगत कोयला खनन
40. शिवपुरी जिले में पारागढ़ टैंक परियोजना
41. पिरदा टैंक परियोजना
42. मुरेना जिले में 33 कि॰ वा॰ शिवपुर ट्रान्समिशन लाइन
43. गोरसा नाला टैंक परियोजना
44. सरगुजा जिले में साउथ ईस्ट कोल फील्डस लि॰ को सतही अधिकारों की मंजूरी
45. रायपुर जिले में ठाकुर देव सिंचाई परियोजना
46. रायपुर जिले में दासपुर टैंक परियोजना
47. बस्तर जिले में पीठापुर टैंक परियोजना
48. बेतूल जिले में पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र में सतही अधिकारों के लिए डब्ल्यू सी एफ लि॰ के पक्ष में खनन पट्टा
49. शहडोल जिले में 220 कि॰ वा॰ सतना-बीरसिंहपुर ट्रांसमिशन लाइन।

महाराष्ट्र

50. सतारा जिले/पुणे जिले में 400 कि॰ वा॰ कोयला लोनीकंड डबल सर्कट लाइन
51. नागपुर जिले में जाम मझौली सिंचाई परियोजना
52. कोथापुर जिले में केवरी-गावाहिवाडी ढांगरवाड मार्ग
53. नासिक जिले के घनोली में लघु सिंचाई टैंक
54. थाणे और नागपुर जिलों में 64 खनन पट्टों का नवीकरण
55. अहमद जिले के अंबित में लघु सिंचाई रैंक
56. धुले जिले में सरदार सरोवर से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 1500 है॰ वन भूमि को उपयोग में लाना।
57. अरूनावती लघु सिंचाई परियोजना
58. विधि में लघु सिंचाई परियोजना
59. पिम्लेगांव जोड़ा लघु सिंचाई परियोजना
60. अकोला जिले में कोटम्बी लघु सिंचाई रैंक
61. थाणे जिले में थानू से वरसोवा तक ट्रान्समिशन लाइन बिछाना
62. अहमदनगर जिले में कुकुडी लेफ्ट बैंक नहर
63. पुणे जिले में धिम्बे लेफ्ट बैंक नहर और अहोद ब्रांच नहर
64. धूले जिले में लघु सिंचाई टैंक रोजवा
65. कोडे गांव में लघु सिंचाई टैंक
66. धूले जिले में लघु सिंचाई टैंक वाकवाड
67. धूले जिले के खामखेडा में लघु सिंचाई टैंक
68. थाणे जिले में अरूवाली लघु सिंचाई टैंक
69. सिन्धु दुर्ग जिले में लघु सिंचाई परियोजना
70. बुल्धाना जिले में लघु सिंचाई टैंक
71. बावली लशावार से धूले और धूले के सरदार सरोवर तक 400 कि॰ वा॰ विद्युत लाइन
72. जलगांव जिले में लघु सिंचाई टैंक बोरखेडा
73. नागपुर जिले में लोवर बुन्ने सिंचाई परियोजना
74. जलगांव जिले के गंगापुरी में लघु सिंचाई टैंक
75. नागपुर एदलावाद मार्ग में रिंगनाबोदी घाट का सुधार

**उड़ीसा**

76. तलचर से राउरकेला तक 400 कि॰ वा॰ डी/सी ट्रान्समिशन लाइन

77. क्योंझर जिले में दैत्रे से बानसपानी तक रेलवे लाइन

**पंजाब**

78. होशियारपुर जिले में सालेरन बांध परियोजना

**तमिलनाडु**

79. लिगामोला लिग्मेट कार्पोरेश लि॰ द्वारा 400 कि॰ वा॰ त्रियी मदुरई ट्रान्समिशन लाइन

**उत्तर प्रदेश**

80. टिहरी गढ़वाल जिले में छतियारा खबारा मोटरमार्ग

81. लखनऊ तथा उन्नाव जिलों 400 कि॰ वा॰ उन्नाव लखनऊ ट्रान्समिशन लाइन बिछाना

82. चमोली जिले में घाट सुतोल कानोल मोटरमार्ग

83. देहरादून जिले में भावला-जगतपुर मोटरमार्ग

84. अल्मोड़ा जिले में कोसी-दौलाघाट मोटरमार्ग

85. अल्मोड़ा जिले में कठपुरिया-चिन्ना शेरागढ़ मोटर मार्ग

86. नैनीताल जिले में लाल डांग ग्रामीणों की 184.84 है॰ निजी भूमि का वन भूमि का वन भूमि के साथ अदला-बदली

**पश्चिम बंगाल**

87. जलपायगुडी वन प्रभाग के खुनिया में विद्यमान वन ग्राम का पुन: स्थान निर्धारण

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**

88. माया बन्दर वन प्रभाग के कालापहाड़ में पत्थर क्वायरी की स्थापना

## विवरण-II

दिनांक 2.8.1994 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं॰ 1414 के भाग (ख) में उल्लिखित वन (संरक्षण, 1980 के अंतर्गत पर्यावरणीय दृष्टि से नामंजूर परियोजनाओं के राज्यवार नाम दर्शाने वाला विवरण

**क. पर्यावरणीय दृष्टि से नामंजूर परियोजनाएं**

**असम**

1. दिखावी परियोजना की जांच

**गुजरात**

2. हजीरा में अंगोन व गैस रिकवरी यूनिट

3. प्रेस डाइज मोल्ड के निर्माण के लिए एच एम टी संयुक्त उद्यम परियोजना

**गोआ**

4. वास्को में पी ओ एल की स्थापना
5. गोआ शिपयार्ड लि० द्वारा विकोलना में कर्मचारी आवास कालोनी का निर्माण

**हरियाणा**

6. मारूति उद्योग लि० में एल्यूमिना फाउन्ड्री
7. जल संसाधन सपेकन

**कर्नाटक**

8. वराही टेल रेस जल विद्युत परियोजना

**केरल**

संशोधित अदिरापल्ली एच ई पी

**उड़ीसा**

10. हीराकुंड बी और विप्लिमा बी में अतिरिक्त विद्युत सर्जन

**उत्तर प्रदेश**

11. एग्रो बैरेज परियोजना
12. गंगा बैरेज परियोजना

**पश्चिम बंगाल**

13. चिनाकुरी 1 और 2 खान
14. बोट नहर क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट भूमि का विकास
15. स्ट्रांड रोड क्षेत्र में कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट भूमि का विकास

**ख. दिनांक 25.10.1992 को जारी संशोधित समेकित दिशा-निर्देशों के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत नामंजूर परियोजनाएं (क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नामंजूर परियोजनाओं को छोड़कर)**

**गुजरात**

1. झंखारी सिंचाई परियोजना
2. बितावाल्डिया सिंचाई परियोजना

**हिमाचल प्रदेश**

3. मनोरंजन उद्यान की स्थापना

**मध्य प्रदेश**

4. डूमरपाली टैंक परियोजना

5. नाइक बांधा टैंक परियोजना

6. चिचाड़ी टैंक परियोजना

महाराष्ट्र

7. नन्दपुर टैंक

8. टैंफुरवाडी में लघु सिंचाई टैंक

9. भेन्द्रा लघु सिंचाई परियोजना

10. परकोलेशन टैंक सुकरी-1

उड़ीसा

11. चिक्रा लघु सिंचाई टैंक

12. श्री बालेराम साहू के पक्ष में पत्थर उत्खनन

उत्तर प्रदेश

13. ताल, मलान और रावासन नदियों के कैचमेंट में रहने वाले ग्रामीणों का पुनर्वास

## विवरण-III

**लोकसभा के दिनांक 2.8.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित 30.6.1994 को पर्यावरणीय स्वीकृति और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लम्बित विकास परियोजनाओं के राज्य वार नाम और उनके लम्बित होने की अवधि तथा विलम्ब के कारणों के दर्शाने वाला विवरण।**

**(क) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित**

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | कब से लंबित है | लंबित होने के कारण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **आन्ध्र प्रदेश** | | |
| 1. | विशाखापतनम में चिप्पाडा में सी वाटर मैग्नेसिया प्रोजेक्ट | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| | **बिहार** | | |
| 2. | डी० वी० सी० का बोकारो "बी" ताप विद्युत संयंत्र | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 3. | बोकारो स्टील प्लांट, सेल में को ब्रिक्विटंग यूनिट | अक्तू., 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **गुजरात** | | | |
| 4. | बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ द्वारा वादीनार में क्रूड ऑयल टर्मिनल | जुलाई, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 5. | जीएआईएल द्वारा गंधार में गैस प्रोसेसिंग कॉम्पलैक्स | अगस्त, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 6. | ईएसएसएआर वादीनगर में 9 मिलियन टन से तेलशोधक कारखाना (केवल स्थल मंजूरी) | अक्तू॰, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 7. | वादीनार रिलांयस पैट्रोकेमिकल्स में 9 मिलियन टन तेलशोधक कारखाना (केवल स्थल मंजूरी) | अक्तू॰, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 8. | मैसर्स इण्डो-गल्फ कॉरपोरेशन लि॰ द्वारा लखीमपुर में तांबा प्रगालक परियोजना | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 9. | दौलपुर बेयर प्रोजेक्ट | फरवरी, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 10. | कच्छ टाइडल पावर | फरवरी, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 11. | लार्जन एण्ड टुब्रो लि॰ की सीमेंट परियोजना के लिए कैप्टिव बर्थ | सितम्बर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 12. | सूरत में लिग्नाइट आधारित विद्युत केन्द्र (मंगरोल) 2×210 मे॰ वा॰ | जनवरी, 1993 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 13. | अक्रिकोटा में लिग्नाइट आधारित विद्युत केन्द्र 2 × 210 मे॰ वा॰ | जुलाई, 1993 | –वही– |
| **कर्नाटक** | | | |
| 14. | मैसर्स सेन्दुर मैगनीज एण्ड अण्डरनकोर लि॰ की सेंदुर माइनिंग प्रोजेक्ट्स | मई, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 15. | मिनरल एण्टरप्राइजेज प्रा॰ लि॰ की आइस एंड मैगनीज माइन, चित्रदुर्ग | सितम्बर, 1993 | संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। |
| 16. | केपीसीएल की रायचूर ताप विद्युत केन्द्र (2×250 मे॰ वा॰) | दिसम्बर, 93 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 17. | सरपटी जल विद्युत परियोजना | सितम्बर, 1992 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| केरल | | | |
| 18. | कोचीन में फिशरी टार्बर स्टेज-2 का विकास | मार्च, 1993 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 19. | केरल के क्वीलन ज़िले में थंगासेरी फिशरी हार्बर स्टेज-2 का विकास | मई 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 20. | केरल सरकार द्वारा अजिखल पोर्ट का विकास | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 21. | थंतकुलेथुर में डोजी ताप संयंत्र | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 22. | सीआरएल की सी-6 एच 6 यूनिट का विस्तार | जुलाई 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 23. | न्यूप्रिंटनगर में मैसर्स हिन्दुस्तान न्यूप्रिंट लि॰ की मिल की क्षमता बढ़ाकर 1,00,000 टीपीए करना और 200 टीपीडी संयंत्र को डि-लिंक करना। | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| मध्य प्रदेश | | | |
| 24. | बालको द्वारा कोरबा में न्यू-कोल्ट रोलिंग मिल की स्थापना और एल्यूमीनियम प्रगालक का आधुनिकीकरण। | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 25. | मोंगरा परियोजना | सितम्बर, 1990 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।- |
| 26. | रावघाट आयरन ओर परियोजना; भिलाई इस्पात संयंत्र, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया | जून, 1987 | आवश्यक अध्ययन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 27. | चिरीमिरी खुली खदान परियोजना, दक्षिण-पूर्व कोल फील्ड लिमिटेड | जुलाई,1992 | कार्रवाई चल रही है। |
| 28. | मलंजखण्ड कॉपर डिपोजिट (एक्सपेंशन, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का इष्टतम शोषणा | नवम्बर,1992 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 29. | थेसदोरा मथानी अण्डरग्राऊंड प्रोजेक्ट, वेस्टर्न कोलफील्ट लि० | अक्तूबर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 30. | कुटेशवर लाइमस्टोन माइन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया | दिसम्बर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 31. | गिरिजापुर माइनिंग ब्लॉक, साउथ-इस्टर्न कोल फील्ड लि० | जनवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 32. | ऊड़धान खुली खदान परियोजना वेस्टर्न कोल फील्ड | अप्रैल, 1994 | स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। |
| महाराष्ट्र | | | |
| 33. | विरार/चिंचोली अण्डर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० | अक्तूबर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 34. | अपर पेन गंगा प्रोजेक्ट | मई, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 35. | मेलामाइन प्लांट ऑफ आरसीएफ, थाल | फरवरी, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 36. | नागोथाने सीसीजीटी (820 मे० वा०) एसएसईबी | जून, 1992 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 37. | उरान में 3×12 मे० वा० का वेस्ट हीट रिकवरी प्रोजेक्ट | जून, 1993 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 38. | कैसलहिन्द, ताल्लुक-ओकुदल जिला-अहमद नगर, महाराष्ट्र में हवाई अड्डे का निर्माण | जुलाई, 1992 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 39. | शिरडी, तालुका-कापेरगांव, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र में हवाई अड्डे का निर्माण | फरवरी, 1992 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 40. | बम्बई में वरली-बांद्रा लिंक रोड का निर्माण | जुलाई, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 41. | बम्बई पोर्ट पर सबमैरीन पाइपलाइन को बदला जाना। | मार्च, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 42. | निप्पोन डैनोरो इस्पात लि० द्वारा महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के कासेलपेन में स्पांज लौह परियोजना के लिए कैप्टिव जैटी हेतु पर्यावरणीय मंजूरी | मई, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| **मणिपुर** | | | |
| 43. | लोकटक टाउन एचईपी | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| **उड़ीसा** | | | |
| 44. | डाबरी तापविद्युत केन्द्र (2×250 मे० वा०) | मार्च, 1993 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 45. | आईबी घाटी ताप विद्युत केन्द्र | जनवरी, 1993 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 46. | मि-ईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील लि० | जनवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | जयपुर का 0.5 एमटीपीए क्षमता वाला लघु इस्पात संयंत्र | | |
| 47. | सारगीपल्ली लीड माइन हिन्दूस्तान जिंक लि० | जुलाई, 1992 | कार्रवाई चल रही है। |
| 48. | सुन्दरगढ़ जिले में श्रीमती मैत्री शुक्ला द्वारा लोहा और मैंगनीज का खनन | सितम्बर, 93 | कार्रवाई चल रही है। |
| 49. | वसुन्धरा (पूर्व) खुली खदान परियोजना, महानदी कोल फील्ड लि० | अक्तूबर, 93 | कार्रवाई चल रही है। |
| 50. | लखनपुर खुली खदान परियोजना (विस्तार) महानदी कोलफील्ड लि० | जनवरी, 1994 | कार्रवाई की जा रही है। |
| 51. | भुवनेश्वरी खुली खदान परियोजना योजना, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड | जनवरी, 1994 | स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। |
| 52. | अनन्ता ओपन कास्ट प्रोजेक्ट (विस्तार) महानदी कोल फील्ड लि० | जनवरी, 1994 | परियोजना पर समिति द्वारा विचार किया गया। |
| 53. | हिंगुला खुली खदान परियोजना महानदी कोलफील्ड्स लि० | फरवरी, 1994 | स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। |
| 54. | भरतपुर खुली खदान परियोजना (विस्तार) महानदी कोल फील्ड्स लि० | मई, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| राजस्थान | | | |
| 55. | चित्तौड़गढ़ तापविद्युत केन्द्र (1×500 मे० वा०) | जनवरी, 1993 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 56. | विसालपुर परियोजना | जनवरी, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 57. | भरतपुर में तेल का डिपो | मार्च, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 58. | बनवास माइन्स,' हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ | अगस्त, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 59. | झमरकोत्रा समन्वित परियोजना राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लि॰ | फरवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 60. | बाल्दा टंगस्टन फ्लोराइड प्रो॰, हिन्दुस्तान जिंक लि॰ | फरवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| तमिलनाडु | | | |
| 61. | तटीय क्षेत्र विनियमन के तहत स्वीकृति के लिए तूतीकोरिन, तमिलनाडु में मिनोटा एक्वाटेस प्रवान फार्म | मई, 1993 | स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है। |
| 62. | जयकोंडम लिग्नाइड माइन्स जयंकोंडम पावर कॉरपोरेशन; ज़िला त्रिचरापल्ली | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 63. | नेशनल ऐरोमेटिक एण्ड पैट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लि॰ का पोलियस्टर फिलामेंट यार्न प्लांट | जून, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 64. | नॉर्थ मद्रास थर्मल पावर स्टेशन (1×500 मे॰ वा॰) | फरवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 65. | सामलपट्टी डीज़ल इंजन पावर स्टेशन (100 मे॰ वा॰) | मई, 1994 | पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 66. | जयकुण्डम लिग्नाइड पावर कॉरपोरेशन का कैप्टिव पावर प्लांट | फरवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| उत्तर प्रदेश | | | |
| 67. | पूर्वी गंगा नहर परियोजना | दिसम्बर, 1993 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 68. | जमनिया पंप नहर परियोजना | नवम्बर, 1993 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 69. | टन्स पम्प नहर परियोजना | मई, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 70. | रेणुसागर तापविद्युत केन्द्र (2×67.5 मेगावाट) स्टेर्ज-4 | मार्च, 93 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 71. | झिरोली मैग्नेसाइड खान मैसर्स अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लि० अल्मोड़ा। | जून, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 72. | मथुरा तेलशोधक कारखाने की आई० ओ० सी० द्वारा कुल क्षमता को बढ़ाकर 7.5 एमटीपीए 8.0 एम टीपीए करना | जनवरी, 1994 | मामला न्यायालय में |
| 73. | मथुरा तेलशोधक कारखाने में मेलखाती हुई गौण प्रसंस्करण सुविधाएं (ओएससीयू, हाइड्रोजन यूनिट, एसईयू आदि) | मई, 1994 | मामला न्यायालय में |
| **पश्चिम बंगाल** | | | |
| 74. | गौरीपुर तापविद्युत केन्द्र (2×67.5 मेगावाट) | नवम्बर, 1992 | विस्तृत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 75. | सागरदीही तापविद्युत केन्द्र, (2×500 मेगावाट) | फरवरी, 1993 | पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 76. | सुवणरिखा सिंचाई परियोजना | फरवरी, 1994 | अतिरक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| 77. | तिस्ता बांध परियोजना | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| **संघ राज्य क्षेत्र** | | | |
| **अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह** | | | |
| 78. | पोर्टब्लेयर हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार | मार्च, 1993 | कार्रवाई चल रही है |
| 79. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में उत्तरी खाड़ी में मछली का पिंजड़े में संवर्धन | जुलाई, 1993 | प्रस्ताव की जांच की जा रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **दीव, दमन** | | | |
| 80. | दमन में वण्डर वर्ल्ड रिसोर्ट | अप्रैल, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 81. | दमन में समुद्र तट पर बीच रिसोर्ट होटल सी व्यूह | अक्तूबर, 1992 | जांच की जा रही है। |
| **गोआ** | | | |
| 82. | मारमुगाओ पोर्ट, गोआ के लिए चिक्कालिम खाड़ी पर फिर्शिंग जेटी का निर्माण | अप्रैल, 1994 | अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है। |
| **लक्षद्वीप** | | | |
| 83. | कावारत्ती में स्थाई बण्डरिंग सुविधाएं | अगस्त, 1992 | सीजेडएमपी को अंतिम रूप दिये जाने तक लंबित |
| 84. | लक्षद्वीप में मछलियों का पिंजड़े में संवर्धन | मई, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |

**ख. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत लम्बित मामले (इनमें वे मामले शामिल नहीं हैं जो 25.10.92 को जारी संशोधित समेकित दिशानिर्देशों के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित हैं।**

| क्र० सं० | परियोजना का नाम | कब से लंबित हैं | लंबित होने का कारण |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | |
| 1. | गेड्डालूर में द्रोणाचलम् के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्राड गेज रेलवे लाइन में परिवर्तित करना। | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 2. | मैसर्स एससीसीएल के लिए सड़क का निर्माण | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 3. | एससीसीएल का खनन पट्टा | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 4. | पुंट्टाकम बैलेसिंग रिज़र्वेयर प्रोजेक्ट | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | खनन पट्टे का नवीनीकरण | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 6. | मुट्टयालवगा रिज़र्वेयर प्रोजेक्ट | सितम्बर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| असम | | | |
| 7. | कौंगडौंग कोपिटी और कथरा-तोली से 220 कि॰ वा॰ पारेषण लाइन | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| गोआ | | | |
| 8. | मैसर्स चौगले एण्ड कम्पनी के पक्ष में खनन पट्टा संख्या 40/1957 और 42/1957 का नवीनीकरण | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 9. | मैसर्स सालगौसर के पक्ष में खनन पट्टा संख्या 88/1952 का नवीनीकरण | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| गुजरात | | | |
| 10. | बीपीबी प्लेटफार्म से ओएनजीसी तक पाइपलाइन बिछाना | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 11. | ग्लास कम्पनी को खनन पट्टा | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 12. | लघु सीमेंट संयंत्र का निर्माण | अक्तूबर, 1992 | कार्रवाई चल रही है। |
| हरियाणा | | | |
| 13. | आई॰ ओ॰ सी॰ द्वारा पानीपत तेलशोधक परियोजना | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| अरूणाचल प्रदेश | | | |
| 14. | झाकरी, रामपुर वन प्रभाग के पास एनजेपीसी के पक्ष में वनभूमि का इस्तेमाल | मई, 1984 | कार्रवाई चल रही है। |
| 15. | शिमला के पास सम शीतोष्ण प्रजातियों के लिए वन संस्थान की स्थापना | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 16. | खनन पट्टे का नवीनीकरण (बोल्डरों को पीसने के लिए तथा उनको धातु एवं बजरी में बदलने के लिए थ्रैशर) | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 17. | मैसेर्स छत्तीसगढ़ मद्यनिर्माणशाला द्वारा सीमेंट प्लाण्ट | फरवरी, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| कर्नाटक | | | |
| 18. | सिरसी तालुका में मासी कोड्डा गुडा गांव के विद्युतीकरण के लिए 11 किलोवाट पारेषण लाइन | मई, 1994 | कार्रवाई की जा रही है। |
| 19. | मैसर्स सीताबाई एल० लमानी के पक्ष में खनन पट्टा | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 20. | मैसर्स गडगी मिनरल्स फॉर मैगनीज के पक्ष में खनन पट्टा | अक्तूबर, 1993 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 21. | डब्ल्यू, सी० पी० मिल्स के पक्ष में वनभूमि के पट्टे का नवीनीकरण | मई, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| केरल | | | |
| 22. | बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वन भूमि का आदान-प्रदान | जनवरी, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| मध्य प्रदेश | | | |
| 23. | पेंची टैंक परियोजना | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 24. | पथाखेडा एरिया में डब्ल्यू, सी० एल० के पक्ष में खनन पट्टा | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 25. | पथाखेडा एरिया में डब्ल्यू, सी० एल० के पक्ष में खनन पट्टा | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 26. | नर्मदा खनिज उद्योग के पक्ष में खनन पट्टा | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27. | रहन्द-सिंगरौली-खानपुर लि॰ | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 28. | कोसरटेडा सिंचाई प्रोजेक्ट | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 30. | मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम को खनन पट्टा | मई, 1994 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 30. | अजबनगर टैंक परियोजना | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 31. | एसईसीएल को खनन पट्टा | जनवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 32. | पाण्डवपाड़ा गिरिजापुर कोयलाखान (मोहना-खजूरी खण्ड) | जनवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 33. | गोहसनाला टैंक परियोजना | अक्तूबर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 34. | गुना-इटावा रेलवे लाइन (मोहना-खजूरी खण्ड) | सितम्बर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 35. | बाण सागर फीडर नहर | अगस्त, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 36. | सिंधारी पानी टैंक परियोजना | जून, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 37. | कोयला खान के लिए डब्ल्यू॰ सी॰ एफ॰ के पक्ष में खनन पट्टा | सितम्बर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 38. | कोयला खान के लिए डब्ल्यू॰ सी॰ एफ॰ के पक्ष में खनन पट्टा | सितम्बर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 39. | अपर चांदिरा टैंक परियोजना | अप्रैल, 1993 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 40. | सेना द्वारा छोटा झाम फायरिंग रेंज | फरवरी, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 41. | बोधघाट जलविद्युत परियोजना | अगस्त, 1992 | कार्रवाई चल रही है। |
| 42. | कोणार्क मिनरल्स लि॰ के पक्ष में खनन पट्टा | अक्तूबर, 1992 | कार्रवाई चल रही है। |
| 43. | सेना द्वारा बेराह फील्ड फायरिंग रेंज | अक्तूबर, 1992 | कार्रवाई चल रही है। |
| 44. | आध्यात्मिक उत्थान के लिए | अगस्त, 1992 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 45. | शामपुर टैंक परियोजना का निर्माण | जून, 1992 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 46. | अमरपुरा परियोजना का निर्माण | जुलाई, 1992 | कार्रवाई चल रही है। |
| महाराष्ट्र | | | |
| 47. | बॉम्बे-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 48. | रानीपुर में एमआई टैंक का निर्माण | मई 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 49. | लघु सिंचाई टैंक, पालादूर का निर्माण | फरवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 50. | लघु सिंचाई टैंक साइरसाला का निर्माण | फरवरी, 1994 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 51. | वासकासमान परियोजना | दिसम्बर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 52. | नागिया साकिया परियोजना का निर्माण | नवम्बर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 53. | ऊपरी पेनगंगा परियोजना, ईसा पुर दक्षिणी नहर | मार्च, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 54. | देवलाली फील्ड फायरिंग प्रोजेक्ट | सितम्बर, 1992 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 55. | चीनी वन के बहाल भूमि वनेत्तर प्रयोग | जून, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 56. | ऊतावली मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण | जुलाई, 1993 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 57. | निम्बाला में लघु सिंचाई बैंक का निर्माण | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 58. | बागजीरा में लघु सिंचाई टैंक का का निर्माण | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 59. | मिम्वादेवी लघु सिंचाई टैंक का निर्माण | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 60. | कलपथारी टैंक परियोजना का निर्माण | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 61. | नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल परिसर स्थापित करना | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 62. | परकोलेशन टैंक वागडी सं॰ 1 का निर्माण | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 63. | परकोलेशन टैंक कुड्की सं॰ 1 का निर्माण | जून 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 64. | रायपुर में परकोलेशन टैंक का निर्माण | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 65. | पनाला-I में परकोलेशन टैंक का निर्माण | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| मेघालय | | | |
| 66. | खलरियाट से बदरपुर तक 132 किलोवाट की पारेषण लाइन | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| मिजोरम | | | |
| 67. | तुरियाल जल-विद्युत परियोजना | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 68. | बदरपुर में आइजोल तक 132 किलो वाट पारेषण लाइन का निर्माण | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 69. | इण्डो-बंग्लादेश वार्डर रोड, लंगलेट | मार्च 1994 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| उड़ीसा | | | |
| 70. | दैत्रायी से बनसापानी तक 142.2 किलोमीटर रेलवे लाइन का निर्माण | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 71. | जोडा ईस्ट आयरन, क्योंझर के खनन पट्टे का नवीनीकरण | जनवरी, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 72. | लोअर सुकतेल सिंचाई परियोजना, वालनगीर का निर्माण | मार्च 1994 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 73. | आईवी घाटी क्षेत्र, सुन्दरगढ़ में ओपन कास्ट प्रोजेक्ट | सितम्बर, 1992 | कार्रवाई चल रही है। |
| 74. | मैसर्स आईएम और एफए, कटक के पक्ष में माइनिंग परपस | | कार्रवाई चल रही है। |
| 75. | कसिहाकर ब्लॉक में बेजुआखल्ला लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति | अक्तूबर, 1993 | कार्रवाई चल रही है। |
| 76. | श्री एम० शुक्ला के पक्ष में खनन पट्टा | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 77. | केन्द्रपाड़ा जिले में सतभाया और कानूपुर गांव के ग्रामीणों का पुनर्वास | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 78. | बादबराज परियोजना | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| राजस्थान | | | |
| 79. | राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि० के लिए वनभूमि का इस्तेमाल | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 80. | चित्तोड़गढ़ जिले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा 220 किलोवाट आरएपीपी, उदयपुर एस/सी परिषण लाइन के लिए वनभूमि का इस्तेमाल | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 81. | चित्तोड़गढ़ जिले में पावर ग्रिड ऑफ इंडिया द्वारा 220 किलोवाट आरएपीपीप चित्तौड़गढ़ डीएल परिषण लाइन के लिए वनभूमि का इस्तेमाल | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 82. | पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | इण्डिया द्वारा 220 किलोवाट आरएपीपी-एएनटीए, एस/सी पारेषण लाइन के निर्माण के लिए मण्डना रेंज कोटा डिवीज़न में वनभूमि का इस्तेमाल | | |
| तमिलनाडु | | | |
| 83. | 110 किलोवाट लाइन पेरियार के लिए वन भूमि का इस्तेमाल | अप्रैल, 1994 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| उत्तर प्रदेश | | | |
| 84. | ज्ञानसुलाल्ड अपरिकोव मोटर मार्ग का निर्माण | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 85. | गोपेश्वर देवार खेलोवर मोटर रोड का निर्माण | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 86. | नारायण वग्गर चोपत्तरा मोटर मार्ग का निर्माण | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 87. | नीलोंग नाना मोटर मार्ग का निर्माण | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 88. | गौरीहाट भत्री मोटर मार्ग का निर्माण | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 89. | बागेश्वर दखौट मोटर मार्ग | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 90. | 400 किलोवाट रिहन्द सिंगरौली कानपुर पारेषण लाइन | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 91. | मंथा बांध | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 92. | पूर्वी गंगा नहर | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 93. | अन्नापारा से उन्नाव तक 400 किलोवाट पारेषण लाइन | जून, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 94. | अस्सान फील्ट फायरिंग रेंज | अप्रैल, 1994 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 95. | रेणुसागर विद्युत कम्पनी के लिए राख निपटान | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 96. | चंदक टिकतोली मोटर मार्ग का निर्माण | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 97. | तवाघाट जिविती मोटर मार्ग का निर्माण | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 98. | पत्थरों बोल्डरों और रेत का संग्रहण | मार्च, 1994 | स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 99. | जामरानी बहुद्देशीय परियोजना | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 100. | अल्मोड़ा मैग्नासाइट लि. के पक्ष में खनन पट्टे का नवीनीकरण | मार्च, 1995 | कार्रवाई चल रही है। |
| त्रिपुरा | | | |
| 101. | नालकोटा में 162 बटालियन बीएसपी मुख्यालय की स्थापना | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 102. | पावर ग्रिड द्वारा चौराईबेरी से अगरतला तक 132 किलोवाट परिषण लाइन | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| पश्चिम बंगाल | | | |
| 103. | कोंगसवाड़ी जलाशय परियोजना | अप्रैल, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 104. | एनबीयू से रामन तक 132 किलो वाट पारेषण लाइन | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | | | |
| 105. | निकोबार द्वीप में पत्थर उत्खनन की स्थापना | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| 106. | अण्डमान में 32.70 किलोमीटर के नज़दीक दो पत्थर खानों की स्थापना | मई, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |
| दमन और दीव | | | |
| 107. | प्रस्तावित वन भूमि का पुनसरीक्षण | मार्च, 1994 | कार्रवाई चल रही है। |

## रेल गाड़ियों का देरी से चलना

**1415. श्री छीतूभाई गामीत :**

**श्री सोमजी भाई डामोर :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलगाड़ियों के उनकी निर्धारित यात्रावधि से अधिक विलंब होने पर रेल यात्रियों को उनके टिकट के पैसे वापस लौटाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) और (ख) नियमों के अनुसार, यदि गाड़ी के तीन घंटे से अधिक विलम्ब से चलने के कारण यात्री यात्रा नहीं करते हैं तो यात्रा आरंभ होने वाले स्टेशन पर ही यात्रियों को पूरा किराया वापस कर दिया जाता है। स्टेशनों पर देरी से आने के लिए धन की वापसी नहीं की जाती है।

चूंकि यात्री पहले ही यात्रा कर चुके हैं और रेलवे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की लागत खर्च कर चुकी होती हैं इसलिए धन की वापसी नहीं की जाती है।

## उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विषय

**1416. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

**श्री गोविन्दराव निकाम :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में "उपभोक्ता संरक्षण" के विषय को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कोई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्तरों पर "उपभोक्ता संरक्षण अभियान" का नेतृत्व करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार किया है।

## टाटानगर-बादामपहाड़ रेल लाइन का विस्तार

**1417. कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटानगर-बादामपहाड़ बड़ी लाइन को रूपसा-बांगरीपोसी लाइन से जोड़ने हेतु बांगरीपोसी तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) और (ख) बांगरी पोसी और बादामपहाड़/गोरू महिसानी के बीच नई लाइन के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। परियोजना का निर्माण सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

## रेल सेवाएं

**1418. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे में रेल सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) से (ग) भारतीय रेलों पर गाड़ी सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए नई गाड़ियां चलाना एक सतत प्रक्रिया है, 1994-95 के दौरान, यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्तर और पूर्वोत्तर रेलों पर 9 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई गई हैं, बहरहाल, संसाधनों की तंगी और परिचालनिक आकस्मिकताओं के कारण सभी मांगों को पूर्ण रूप से पूरा करना व्यावहारिक नहीं है।

## रेल मार्ग से जोड़ा जाना

**1419. श्री हाराधन राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर को रेल मार्ग द्वारा सियालदह, बर्दवान, बंडेड, दानकुनी से जोड़ने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** : (क) से (ग) खड़गपुर रेल लाइनों द्वारा सियालदह, बर्द्धमान, बंडेल तथा डानकुनी से जुड़ा हुआ है। लेकिन, चूंकि कनेक्टिंग लाइनें यात्री यातायात के लिये उपयुक्त नहीं हैं, इसलिए यात्री गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं है।

## प्रतिपूरक वनरोपण

**1420. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** :

**श्रीमती भावना चिखलिया** :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में प्रतिपूरक वनरोपण के संबंध में कोई नीति बनाई है जहां किसी विकासात्मक कार्य के लिए वृक्षों की कटाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए निर्धारित प्रतिपूरक वनरोपण इन जिलों से बाहर किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन जिलों में वनरोपण न किए जाने के क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री कमल नाथ) :** (क) और (ख) क्षतिपूरक वनरोपण वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु निर्धारित एक शर्त है। क्षतिपूरक वनरोपण के बराबर गैर-वन भूमि पर करना होता है। यदि गैर-वन भूमि उपलब्ध न हो, तो क्षतिपूरक वनरोपण वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि से दुगुनी अवक्रमित वन भूमि पर करना होता है। तथापि, 220 कि॰ वा॰ तक के प्रेषण लाइन बिछाने, सड़कों के निर्माण, लघु सिंचाई निर्माण कार्य, स्कूल भवन आदि जैसे कतिपय मामलों में, दुगुने अवक्रमित वन क्षेत्र पर क्षतिपूरक वनरोपण की अनुमति दी जाती है है, बशर्ते वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली वन भूमि पहाड़ी क्षेत्रों में या कुछ भौगोलिक क्षेत्र के 50: से अधिक क्षेत्र में वन वाले किसी जिले में 20 हेक्टेयर से अधिक न हो। एक हेक्टेयर तक वन भूमि के इस्तेमाल वाले प्रस्तावों के संबंध में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या से दस गुणा वृक्षारोपण करना होता है।

(ग) जी, हां।

(घ) कतिपय मामलों में जहां 20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को उपयोग में लाया जाता हो, वहां उसी जिले में गैर-भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसके बाहर क्षतिपूरक वनरोपण किया जाएगा।

## कृषि विज्ञान केन्द्र

**1421. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

**श्री शांताराम पोतदुखे :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश के प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ये सिफारिशें कब तक लागू कर दी जाएंगी ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार) :** (क) जी हां। आयोग ने यह सिफारिश की थी कि वर्ष 1985 तक प्रत्येक जिले में एक-एक कृषि विज्ञान केन्द्र तथा सन् 2000 के अन्त तक हरेक जिले में तीन-कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए जायं।

(ख) हालांकि सिद्धांत रूप में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन आयोग द्वारा सुझायी गयी अनुसूची का पालन करना संभव नहीं है।

(ग) अभी तक 183 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। इसके अलावा सिद्धांत रूप में 78 और कृषि विज्ञान केन्द्रों की मंजूरी दे दी गयी है। इस प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्रों की कुल संख्या करीब 261 हो जायेगी।

(घ) परिषद ने देश के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना हो सके, इसके लिए 500 कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। आठवीं योजना में 120 कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जबकि शेष 119 नौवीं योजना में खोले जायेंगे।

## माल ढुलाई

1422. श्री एस॰ बी॰ सिदनाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 में दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे में माल ढुलाई के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ; और

(ग) उक्त जोनों की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने हेतु क्या उपाय किए गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) : (क) और (ख) 1993-94 के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

(मिलियन टन में)

| | लक्ष्य | वास्तविक लदान |
|---|---|---|
| दक्षिण मध्य | 38.50 | 40.30 |
| दक्षिण | 23.00 | 19.01 |

(ग) आवश्यक चल स्टाक तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैय्या कराई गई हैं और जहां कहीं भी आवश्यक है विपणन नीतियां अपनाई जाती हैं।

## राज्यों के मंत्रियों की बैठक

1423. श्री चित्त बसु : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ग) इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1994 के दौरान खाद्य मंत्रालय द्वारा राज्यों के खाद्य मंत्रियों की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के गोदाम

**1424. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में केन्दीय भाण्डागार निगम के गोदाम रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निगम को कितना घाटा हुआ है और इन गोदामों का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :** (क) और (ख) 30.4.1994 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भंडारण निगम के 51 भाण्डागार थे जिनकी कुल क्षमता 8.72 लाख मीटर टन है और इनकी औसत क्षमता उपयोग 83 प्रतिशत से भी अधिक है। बलिया स्थित खाली पड़े भाण्डागार को छोड़कर उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भाण्डागार निगम के सभी भाण्डागारों का इस्तेमाल किया जाता है। बलिया में स्थित भाण्डागार इसलिए खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इसे क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टाक की कोई वसूली नहीं की जाती है और कोई भी उर्वरक उत्पादक छोटी लाइन के जरिए बलिया से स्टाक नहीं भेजता है।

(ग) 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय भण्डारण निगम के सभी भण्डागारों का अनुमानित निवल अधिशेष 91.20 लाख रुपये था। अनुमान है कि 1994-94 के दौरान लाभ अधिक होगा। जहां तक केन्द्रीय भण्डागार बलिया का संबंध है, जब तक रेल लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित नहीं की जाती है तब तक बलिया में पर्याप्त स्टाक प्राप्त होने की सम्भावना बहुत कम है।

[अनुवाद]

## पिछड़े क्षेत्रों में रेल सम्पर्क

**1425. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने तथा उनके साथ रेल-संपर्क स्थापित करने हेतु योजनाएं तैयार करने के लिए स्वत: अध्ययन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेल संपर्कों के लिये उत्तर प्रदेश के उन पर्वतीय जिलों के बारे में विचार किया है, जिन्हें योजना आयोग ने "पिछड़े" क्षेत्र के रुप में वर्गीकृत किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे की कार्य योजना क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) जी नहीं,

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता,

(घ) केवल रेलवे परिवहन का ऐसा साधन है जिससे पिछड़े क्षेत्र, आदि के विकास की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है विकास के लिए अपेक्षित परिवहन अवसंरचना की किस्म समग्र योजना प्रक्रिया का एक भाग

है जिसे इसके समग्र परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, जो परिवहन का दूसरा साधन है और जो आर्थिक विकास के लिए एक बेहतर उत्प्रेरक साधन बन सकती है, की तुलना में रेल परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है।

## चल स्टॉक का निर्यात

1426. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रयोग की हुई चल स्टॉक का निर्यात करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छोटी और संकरी रेलवे लाइनों पर कितने पुराने लोकों और चल स्टॉक हैं जिन्हें प्रयोग से हटाया जा रहा है तथा विभिन्न देशों को भेजे जाने की संभावना है; और

(घ) निर्यात प्रक्रिया को नियमित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** (क) जी हां,

(ख) और (ग) अभी तक कोई पक्का क्रयादेश नहीं मिला है। बहरहाल, 10 पुराने डीजल रेल इंजन, मलेशियन रेलवे को पट्टे पर दिए गए हैं।

(घ) चल स्टॉक के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय में एक उच्चाधिकारी प्राप्त समति का गठन किया गया है।

## हावड़ा में डबल डिस्चार्ज प्लेटफार्म

1427. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा में प्रस्तावित डबल डिस्चार्ज प्लेटफार्म का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियेाजना कब शुरू की जायेगी और कब तक पूरी हो जायेगी ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ)** (क) जी हां,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कार्य को 96-97 में पूरा करने की योजना है।

## इलेक्ट्रिक लोकोशेड

1428. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितना "वापी" इलेक्ट्रिक लोकोशेड है;

(ख) क्या पूर्व रेलवे के अंतर्गत लोकोशेड इन रेल इंजनों के रखरखाव में सक्षम नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो ठसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्व रेलवे के अंतर्गत इलेक्ट्रिक लोकोशेड में इस प्रकार के रेल इंजनों के रखरखाव की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) : (क) फिलहाल डब्ल्यू ए पी-1 बिजली रेल इंजनों का अनुरक्षण 4 रेल इंजन शेडों में किया जाता है।

(ख) से (घ) भारतीय रेलों पर सभी बिजली रेल इंजन शेडों में ऐसे रेल इंजनों के अनुरक्षण की क्षमता है, पूर्व रेलवे पर बिजली रेल इंजन शेडों में ऐसे रेल इंजनों को सम्हालने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। पहले ही पूर्व रेलवे को एक डब्ल्यू ए पी-1 रेल इंजन का आवंटन कर दिया है तथा इस वर्ष के दौरान और अधिक आवंटित किये जाएंगे।

## खेलकूद विद्यालय

1429. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं को प्रोत्साहित करने और खेल कूद की प्रतिभा को विकसित करने हेतु स्थपित किये गये खेल कूद विद्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितने छात्रों का उन विद्यालयों से खेल कूद की उच्च शिक्षा अथवा खेल कूद से संबंधित प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) भारत सरकार ने कोई खेल विद्यालय स्थापित नहीं किया है। तथापि भारतीय खेल प्राधिकरण ने एन॰ एस॰ टी॰ सी॰ योजना के अंतर्गत देश में स्थापित 59 स्कूलों में कुछ प्रतिभाशाली बच्चों को रखा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

## राजस्थान में रेलवे फैक्टरियां

1430. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने तथा किन-किन स्थानों पर रेलवे फैक्टरियां हैं;

(ख) इस समय इन फैक्टरियों में कितने श्रमिक/कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत हैं तथा इनमें किये जा रहे उत्पादन/मरम्मत/निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फैक्टरियों में कुल कितनी पूंजी निवेश की गई तथा प्रत्येक फैक्टरी की स्थापना की तिथि और उनके अलग-अलग योगदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न फैक्टरियों को गेज परिवर्तन के साथ-साथ अलग-अलग कार्य भी बांटा है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इनमें से किसी भी फैक्टरी को बंद करके उसे स्थानांतरित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान इन फैक्टरियो के आधुनिकीकरण और विकास आदि पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ज) इस वर्ष के रेलवे बजट से इन फैक्टरियों के रख-रखाव और सुधार पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** (क) कारखानों की संख्या : 6, स्थान जहां स्थित हैं :

| | | |
|---|---|---|
| जोधपुर | – | 1 अदद |
| बीकानेर | – | 1 अदद |
| कोटा | – | 2 अदद |
| अजमेर | – | 2 अदद |

| (ख) कारखाना | कर्मचारियों की संख्या | अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|
| जोधपुर कारखाना | 2663 | 7 |
| बीकानेर कारखाना | 2053 | 7 |
| कोटा कारखाना | 3172 | 9 |
| अजमेर कारखाना | 8132 | 26 |
| अजमेर बिजली मरम्मत कारखाना | 26 | कोई नहीं |
| कोटा बिजली मरम्मत कारखाना | 28 | कोई नहीं |

इन कारखानों में किए जा रहे मुख्य कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

| कारखाना | गतिविधि | मासिक उत्पादन लक्ष्य |
|---|---|---|
| जोधपुर | मी॰ ला॰ सवारी डिब्बा आवधिक ओवरहालिंग | 70 यूनिट |
| | मी॰ ला॰ मालडिब्बा आविधिक ओवरहालिंग | 100 यूनिट |
| | छो॰ ला॰ सवारी/माल डिब्बा निर्माण | 4 यूनिट |
| बीकानेर | मा॰ ला॰ सवारी डिब्बा आवधिक ओवरहालिंग | 50 यूनिट |
| | मी॰ ला॰ मालडिब्बा अवधिक ओवरहालिंग | 50 यूनिट |
| कोटा | ब॰ ला॰ माल डिब्बा आवधिक ओवरहालिंग | 950 यूनिट |
| अजमेर | मी॰ ला॰ डीजल रेल इंजन आवधिक ओवरहालिंग | 4 अदद |
| | मी॰ ला॰ सवारी डिब्बा आवधिक ओवरहालिंग | 220 यूनिट |
| | मी॰ ला॰ मालडिब्बा आवधिक ओवरहालिंग | 300 यूनिट |

इन कारखानों में चल स्टाक सब एसेंबलियों की मरम्मत और चल-स्टाफ पुर्जों का निर्माण भी किया जा रहा है।

दोनों बिजली कारखानों में गाड़ी रोशनी उपस्कर/पुर्जों और संबद्ध स्विचगियर की मरम्मत की जा रही है।

(ग) कारखानों में पूंजीगत निवेश प्रारम्भ से ही करने की सतत् प्रक्रिया है। चूंकि जोधपुर, बीकानेर और अजमेर कारखानों की स्थापना स्वतंत्रता पूर्व काल में की गई थी अत: इन कारखानों में निवेशित कुल पूंजी के रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। कोटा कारखाने में मार्च 1994 तक निवेश की गई कुल पूंजी 130.68 करोड़ रुपए है। अजमेर बिजली मरम्मत कारखाने की स्थापना 4.63 लाख रुपए की लागत से की गई थी। कोटा बिजली मरम्मत कारखानों की स्थापना 1.28 लाख रुपए की गयी थी।

इन कारखानों की स्थापना के वर्ष इस प्रकार हैं :-

| कारखाना | वर्ष, जब स्थापना की गई |
|---|---|
| जोधपुर | 1886 |
| बीकानेर | 1925 |
| कोटा | 1960 |
| अजमेर | 1879 |
| कोटा बिजली मरम्मत कारखाना | 1965 |
| अजमेर बिजली मरम्मत कारखाना | 11964 |

इन कारखानों में चल स्टाक की आवधिक ओवरहालिंग की जा रही है और इस प्रकार इनसे चल स्टाक परिचालन के लिए विशिष्ट अनुरक्षण व्यवस्था हुई है।

(घ) और (ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

| (छ) कारखाना | पिछले 3 वर्षों के दौरान किया गया खर्च। |
|---|---|
| जोधपुर | 73.42 लाख रुपए |
| बीकानेर | 24.80 लाख रुपए |
| अजमेर | 7.87 करोड़ रुपए |
| कोटा | कोई नहीं |
| अजमेर बिजली मरम्मत कारखाना | कोई नहीं |
| कोटा बिजली मरम्मत कारखाना | कोई नहीं |

| (ज) कारखाना | अनुरक्षण/सुधार के लिए 1994-95 का बजट अनुमान |
|---|---|
| जोधपुर | 27.46 लाख रुपए |
| बीकानेर | 3.03 लाख रुपए |
| कोटा | 11.00 लाख रुपए |
| अजमेर | 13.00 लाख रुपए |
| अजमेर बिजली मरम्मत कारखाना | अलग से कोई बजट नहीं। |
| कोटा बिजली मरम्मत कारखाना | अलग से कोई बजट नहीं। |

[अनुवाद]

## आमान परिवर्तन

**1431. श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नागपुर, पुणे और अमरावती डिवीजन में बड़ी लाइन में बदली जाने वाली छोटी और संकरी रेल लाइन का लागत मुनाफा विश्लेषण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) जी हां,

(ख) कार्य शुरू करने से पहले क्रमशः 1973-74 तथा 1983-84 में किये गये सर्वेक्षणों के अनुसार मनमाड-औरंगाबाद-जालना-पूर्णा-मुदखेड-आदिलाबाद लाइन, जिसका आमान परिवर्तन आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जाना है, के मनमाड-परभनी खंड पर प्रतिफल की दर 6% तथा शेष मार्ग पर 13.41% प्राप्त होगी।

## पहिये और धुरी की आवश्यकता

**1432. श्री अमल दत्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान रेलवे को पहिये और धुरी की कुल जितनी आवश्यकता थी और चालू वर्ष के दौरान श्रेणीवार अनुमानतः कितनी आवश्यकता है;

(ख) विभिन्न निर्माताओं द्वारा मांग को तुलना में श्रेणीवार और मूल्य की दृष्टि से की गई आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कितने, किस-किस्म और कितने मूल्य के चक्को और धुरियों का आयात किया जा रहा है; और

(घ) इस प्रकार के आयात का औचित्य क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) रेलों की पिछले दो वर्षों के लिए पहिया सेटों, पहियों तथा धुरों की आवश्यकता तथा चालू वर्ष के लिए अनुमानित आवश्यकता इस प्रकार है :-

| वर्ष | निम्नलिखित की आवश्यकता | | |
|---|---|---|---|
| | पहिया सेट | पहिये | धुरे |
| 1992-92 | 51,116 | 40,020 | 18,893 |
| 1993-94 | 33,962 | 51,546 | 15,252 |
| 1994-95 (अनुमानित) | 29,400 | 52,100 | 9,700 |

(ख) पिछले दो वर्षों में विभिन्न विनिर्माताओं से पहिया सेटों, पहियों तथा धुरों की प्राप्त की गई सप्लाई का ब्यौरा इस प्रकार है :

| | सप्लाई का स्रोत | वर्ष | कोटि | मात्रा | अनुमानित मूल्य (करोड़ रुपयों में) कारखाने से/ सीआईएफ |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) | पहिया एवं धुरा संयंत्र बेंगलूरू | 1992-93 | पहिया सेट | 36,155 | 148.83 करोड़ |
| | | | पहिए | 4,048 | 4.54 |
| | | | धुरा | 10,506 | 20.62 |
| | | 1993-94 | पहिया सेट | 32,040 | 139..89 |
| | | | पहिए | 12,470 | 14.33 |
| | | | धुरा | 11,824 | 26.29 |
| (ii) | दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर | 1992-93 | पहिगा सेट | 621 | 2.97 |
| | | | पहिए | 522 | 0.79 |
| | | | धुरा | 2,913 | 4.21 |
| | | 1993-94 | पहिया सेट | 1,922 | 8.90 |
| | | | पहिए | 8,647 | 14.00 |
| | | | धुरा | 1,744 | 2.57 |
| (iii) | टिस्को | 1992-93 | धुरा | 5,474 | 7,65 |
| | | 1993-94 | धुरा | 1,684 | 2.90 |
| (iv) | मैसर्स मैफर्सा, ब्राजील | 1992-93 | पहिये | 13,693 | 17.41 |
| | | 1993-94 | पहिये | 7,934 | 11.01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (v) | मैसर्स स्त्रोज एक्सपोर्ट | 1992-93 | पहिया | 1,608 | 2.01 |
| | चैक, गणराज्य | | पहिया सेट | 1,420 | 4.79 |
| | | 1993-94 | पहिया | 5,318 | 7.75 |
| (vi) | मैसर्स डी॰ अपोलो, | 1992-93 | पहिया | 9,000 | 8.09 |
| | रसल, रोमानिया | | पहियासेट | 10,920 | 28.37 |
| | | 1993-94 | पहिया | 10,739 | 11.49 |
| (vii) | मैसर्स कोलमैक्स पोलैंड | 1992-93 | पहियासेट | 2,000 | 4.49 |
| (viii) | मैसर्स लवेयर | 1992-93 | पहिया | 3,444 | 6.61 |
| | सिदरमिक्कानिका, इटली | 1993-94 | पहिया | 1,502 | 5.26 |
| (ix) | मैसर्स कन्सट्रक्शंस वाई॰ आक्सीलियर डी, स्पेन | 1992-93 | पहिए | 205 | 0.20 |
| (x) | मैसर्स लकी गोल्डस्टार दक्षिणी कोरिया | 1993-94 | पहिए | 3,600 | 4.70 |
| (xi) | मैसर्स फैरोस्ताल, ए॰ जी॰ जर्मनी | 1993-94 | पहिए | 1,336 | 0.93 |
| (xii) | मैसर्स सुमितोमो, जापान | 1992-93 | पहिए | 7,500 | 9.93 |

(ग) (i) 1994-95 की आवश्यकताओं के लिए विदेशी सप्लायरों को पहियों के लिए दिए गए आर्डरों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

| मद | मात्रा | लगभग सीआईएफ मूल्य |
|---|---|---|
| रेल इंजन पहिए | 10,925 | 11.58 करोड़ रुपये |
| इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ई॰ एम॰ यू॰) के लिए व्हील सैटर्स | 1,257 | 0.80 करोड़ रुपये |

(ii) चूंकि धुरों के लिए पर्याप्त स्वदेशी क्षमता है, इसलिए इस समय धुरों का आयात नहीं किया जा रहा है।

(घ) ई० एम० यू० पहिया सेंटरों तथा रेल इंजन पहियों का अभी भी आयात किया जा रहा है क्योंकि अभी तक किसी भी स्वदेशी विनिर्माता द्वारा इन मदों का पूर्णतः विकास नहीं किया गया है।

## केन्द्रीय भाण्डागार निगम

**1433. श्री अमल दत्त : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या कलकत्ता पत्तन से निर्यात और आयात में सहायता प्रदान करने के लिए कन्टेनर हैंडलिंग, माल चढ़ाने और उतारने की लागत में कमी करने के विचार से कलकत्ता में केन्द्रीय भाण्डागार निगम कंटेनर फ्रेट केन्द्र की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो निर्यातकों और आयातकों को इस संबंध में लगने वाले धन और समय को देखते हुए प्राप्त हुए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कन्टेनर फ्रेट केन्द्र भी पत्तन संबंधी कार्यों में सहायक सिद्ध होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :** (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय भण्डारण निगम के कन्टेनर फ्रेट स्टेशन का इस्तेमाल करने से आयातकों/निर्यातकों को होने वाले लाभ निम्नानुसार हैं :–

(1) यदि एक आयातक कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा अनुमेय मुक्त समय के अन्दर अपने कन्टेनर की सुपुर्दगी लेने की स्थिति में नहीं है तो उसे पत्तन पर कन्टेनर के किराए और अन्य शिपिंग लागत आदि के अलावा कन्टेनर में लादे गए कारंगो का किराया अदा करना होगा लेकिन यदि इस कन्टेनर को केन्द्रीय भण्डारण निगम के कन्टेनर फ्रेट स्टेशन में अन्तरित कर दिया जाता है तो इनकी लागतों में पर्याप्त रूप से कमी हो जाएगी। कन्टेनर प्रेट स्टेशन में प्रति टी० ई० यू० अदा किए जाने वाले (कारगो सहित कन्टेनर के लिए) कुल प्रभार निम्नानुसार हैं :–

| | रुपये (प्रति टी० ई० यू० प्रतिदिन) |
|---|---|
| पहले से तीसरे दिन | मुफ्त |
| चौथे से पन्द्रहवें दिन | 50/-रुपये |
| 16 वें से 30 वें दिन | 100/- रुपये |
| 31वें दिन और इससे आगे | 200/- रुपये |

(2) निर्यातकों के लिए कन्टेनर फेट स्टेशन यार्ड से कलकत्ता पत्तन तक खाली कन्टेनरों को लाने, भराई, सीमा-शुल्क का मूल्यांकन, परिवहन आदि का सम्पूर्ण कार्य एफ० सी० एल० कन्टेनरों के लिए 1900/- रुपये प्रति टी० ई० यू० और एल० सी० एल० कन्टेनरों के लिए 1925/- रुपये प्रति टी० ई० यू० की कुल पैकेज दर पर किया जाएगा।

(3) इसी प्रकार कलकत्ता पत्तन न्यास (सी० पी० टी०) यार्ड पर सड़क पर चलने वाले वाहन मुहैया करने, लदे हुए आयातित कन्टेनरों को अपने अधिकार में लेने और इनकी कन्टेनर फ्रेट स्टेशन परिसर में ढुलाई करने,

कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के आयातित माल रखने वाले भांडागारों में कन्टेनर खाली करने और भण्डागार में कारगो का स्टाक लगाने तथा खाली कन्टेनरों को कन्टेनर यार्ड अथवा कन्टेनर फ्रेट स्टेशन परिसर के अन्दर ही किसी अन्य मामजद क्षेत्र में अन्तरित करने के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम एफ॰ सी॰ एल॰ कन्टेनर के लिए 1900/- रुपये प्रति टी॰ ई॰ यू॰ और एल॰ सी॰ एल॰ कन्टेनरों के लिए 1925/-रुपये प्रति टी॰ ई॰ यू॰ वसूल करता है।

(4) कलकत्ता पत्तन न्यास निर्यातकों/आयातकों से भराई करने और खाली करने के प्रभारों के रूप में 2250/-रुपये प्रति टी॰ ई॰ यू॰ वसूल करता है। इस प्रकार केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रभार, जिनमें कन्टेनरों की भराई करने और खाली करने के अलावा बहुत से अन्य परिचालन शामिल हैं, व्यापार के लिए बहुत प्रतिस्पर्धी और सस्ते हैं।

(5) पत्तन पर चल रही भीड़-भाड़ के कारण आयातकों/निर्यातकों के लिए अपने कन्टेनर/कारगो शीघ्र वापस प्राप्त करना कठिन होता है। आयात/निर्यात कन्टेनरों को कन्टेनर फ्रेट स्टेशन में स्वचालित अन्तरण की व्यवस्था करके व्यापारी काफी अधिक समय बचा सकेगा चूंकि उनके कारगो/कन्टेनर फ्रेट स्टेशन पर शीघ्रता से हैंडल किए जा सकेंगे।

(ग) और (घ) जी, जां। ढके हुए गोदाम तथा केन्द्रीय भण्डारण निगम के कन्टेनर फ्रेट स्टेशन के रूप में कन्टेनरों के लिए हुई अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने से पत्तन पर भीड़-भाड़ कम हो जाएगी। इस प्रक्रिया द्वारा कन्टेनरों और कारगो का और अधिक कारोबार हो सकेगा और इसलिए पत्तन परिचालनों में लाभ होगा।

## प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

**1434. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग दो वर्ष पूर्व प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों की सूची राज्य सरकारों को भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने सरकार के इस निदेश को स्वीकार नहीं किया है और प्रदूषण फैलाने वाले 43 ऐसे उद्योगों की सूची को अपनाया है जिनके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार हरियाणा सरकार की सूची की ही तरह अपनी सूची की पुनरीक्षा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री कमल नाथ) :** (क) जी हां।

(ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में अभिनिर्धारित 17 श्रेणी के उद्योग इस प्रकार हैं : एल्युमिनियम प्रगालक, कास्टिक सोडा, सीमेंट, ताम्बा प्रगालक, मद्य निर्माण, डाई

एंड डाई इंडरमीडिएट्स उर्वरक, लोहा और इस्पात चर्म, कीटनाशक, पेट्रो-रसायन औषध निर्माण, लुगदी और कागज, तेल शोधक, चीनी, ताप विद्युत संयंत्र और जस्ता प्रगालक। इन 17 श्रेणियों की शिनाख्त प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राथमिक कार्रवाई शुरू करने के लिए की गई थी और उसको हरियाणा सहित सभी राज्यों को भेजा गया था।

बाद में सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को कहा है कि 17 अभिनिर्धारित श्रेणियों से भिन्न छोटे पैमाने के उद्योगों के मामले में राज्य बोर्डों द्वारा उनके आवेदन की पावती मात्र को ही स्वीकृति माना जाएगा जबकि उक्त 17 श्रेणी के उद्योगों को सम्बन्धित राज्य बोर्डों से सहमति लेनी होगी।

(ग) और (घ) हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखा है कि हरियाणा में इन 17 श्रेणियों के अलावा भारी प्रदूषण फैलाने वाले 26 और श्रेणियों के ऐसे उद्योग हैं जिनको प्रतिवर्ष सहमति लेनी होती है।

(ङ) से (छ) इस मामले को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अगस्त, 1994 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाने वाली राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्य सचिवों की बैठक में कार्यसूची की एक मद के रूप में रखा गया है।

## सुपर बाजार

**1435. श्री छीतूभाई गामीत :**

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार के क्रय विभाग में अनियमितताओं के संबंध में, वर्षवार, कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) से (ग) गत तीन वर्षों में कदाचार के 3 मामले ध्यान में आए हैं। ये सभी मामले वर्ष 1992-93 के दौरान ध्यान में आए हैं। इस संबंध में जांच की गई और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ बड़ा दण्ड देने हेतु कार्रवाई शुरू की गई। ये मामले प्रत्येक किराना विभाग, जूता विभाग और हथकरघा विभाग में हुए थे। मामलों का पता चलने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। जांच के परिणामस्वरूप इन विभागों में कार्यरत अधिकारियों को उनके रैंक में पदावनति करके बड़ा दंड दिया गया था। हथकरघा विभाग में कार्यरत कर्मचारी की दण्ड दिए जाने से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी।

## इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा घटिया कागज की खरीद

**1436. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री तारा सिंह :**

**क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारत में नियंत्रण-महालेखापरीक्षक ने इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर लाखों रुपये के घटिया कागज खरीदने का अभ्यारोपण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तरह की बेकार खरीददारी में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## चीनी की बिक्री पर प्रतिबन्ध

**1437. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

**श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :**

**क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने मिलों द्वारा पाक्षिक के स्थान पर साप्ताहिक आधार पर खुली बिक्री वाली चीनी की बिक्री तथा उसे बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस निर्णय से किस हद तक यह बात सुनिश्चित की जा सकेगी कि चीनी मिलों द्वारा स्वनिर्मित चीनी को मिल में ही न रोक रखा जाए; और

(घ) चीनी की खुली बिक्री पर लगाए गए प्रतिबन्धों से चीनी के मूल्य में कमी लाने तथा चीनी की आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

**खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :** (क) जी, हां।

(ख) बाजार में उपयुक्त मूल्य पर चीनी की एक-समान आपूर्ति/उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।

(ग) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा इस प्रतिबंध का अनुपालन करना अपेक्षित होता है और इस संबंध में कोई चूक करना सांविधिक आदेशों का उल्लंघन करना होगा।

(घ) सरकार द्वारा खुली बिक्री की चीनी की बिक्री और प्रेषण पर लगाए गए साप्ताहिक प्रतिबन्धों सहित किए गए विभिन्न उपायों से चीनी की उपलब्धता में वृद्धि करने और खुले बाजार में चीनी के मूल्यों को कम करने में मदद मिली है। देश की चार प्रमुख मंडियों में एस-30 ग्रेड की चीनी के थोक मूल्य, जो 19 मई, 1994 को 1483 रुपये से 1630 रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में थे, घटकर 26.7.1994 को 1260/- रुपये से 1320/- रुपये प्रति क्विंटल की रेंज में आ गए।

## सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समिति

**1438. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

**श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति :**

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले** और **सार्वजनिक वितरण** मंत्री 15 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2891 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रियों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद में विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या निर्णय लिया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब करने के क्या कारण हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने निर्णय किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय नीति पर मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर प्रथमतया मंत्रियों के एक दल द्वारा विचार किया जाए।

## सुपर बाजार में खरीद

**1439. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले** और **सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार निविदाएं/कोटेशनों को आमंत्रित किए बिना ही अपंजीकृत डीलरों/स्थानीय दुकानों से प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की स्थानीय खरीद करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सुपर बाजार द्वारा की गई खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच कराने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सुपर बाजार के जी॰ एण्ड टी॰ विभाग में श्रेणीवार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ङ) क्या ऐसे सभी कर्मचारियों के संबंध में स्थानांतरण संबंधी नीति काा पालन किया जाता है जिन्हें इस विभाग में तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री व वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) जी नहीं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि स्थानीय क्रय का सहारा केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए लिया जाता है जो भंडार की अनुमोदित वस्तुसूची में नहीं होती हैं और जिनके लिए सरकारी विभागों और उपक्रमों द्वारा विशिष्ट मांग पत्र भेजा जाता है। इनकी एक बार की खरीद की जाती है और वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर कोटेशन या निविदा आमंत्रित करके इनकी प्रतिस्पर्धी दरें सुनिश्चित की जाती हैं।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि वस्तुवार क्रय के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान की गई विभाग-वार और वर्ष-वार खरीद के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) सुपर बाजार वस्तुओं के क्रय के लिए अपनी प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदण्डों का अनुसरण कर रहा है। सरकार भी सुपर बाजार के कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। सरकार आमतौर पर भंडार के दैनिक कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती।

(घ) कर्मचारियों की वर्गवार संख्या दर्शाने वाली एक सूची विवरण-II संलग्न है।

(ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि कार्य की अपेक्षाओं को देखते हुए कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है।

## विवरण-I

**गत तीन वर्षों में व्यापार पूछताछ विभाग में विभाग-वार किया गया व्यापार नीचे सारणीबद्ध है।**

(रू. लाख में)

| क्र० सं० | विभाग | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | फर्नीचर | 43.50 | 40.27 | 89.79 |
| 2. | आर० एम० जी० | 1.50 | 0.63 | 18.71 |
| 3. | पेंट/हार्डवेयर | 14.56 | 23.66 | 59.99 |
| 4. | खेल/खिलौने | 1.44 | 4.16 | 5.27 |
| 5. | साइकिल/टी वी | 14.42 | 13.32 | 5.46 |
| 6. | जूते | 0.87 | 2.20 | 2.51 |
| 7. | लेखन सामग्री/कार्यालय उपकरण . | 92.43 | 81.78 | 236.45 |
| 8. | कपड़ा | 1.04 | 2.90 | 26.96 |
| 9. | हथकरघा | - | 3.78 | 30.33 |
| 10. | घरेलू सामान | 43.89 | 39.42 | 86.12 |
| 11. | जी एंड टी | 4.49 | 37.58 | 253.62 |
| 12. | एम एंड एस ई० | 1.21 | 0.87 | |
| | योग : | 219.45 | 250.57 | 833.94 |

## विवरण-II

### स्टोर के केंद्रीय क्रय सेल में तैनात वर्तमान कर्मचारियों की वर्ग-वार सूची

| क्र॰ सं॰ | वर्ग | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रबंध | 1 |
| 2. | सहायक प्रबंधक | 3 |
| 3. | वैयक्तिक सहायक | 1 |
| 4. | वरिष्ठ पर्यवेक्षक | 1 |
| 5. | कनिष्ट पर्यवेक्षक | 3 |
| 6. | कनिष्ठ आशुलिपिक | 1 |
| 7. | लेखा सहायक | 3 |
| 8. | बिक्री सहायक | 4 |
| 9. | कनिष्ठ बिक्री सहायक | 5 |
| 10. | टंकक | 1. |
| 11. | हैल्पर | 3 |
| 12. | जमादार | 1 |
| 13. | पैकिंग क्लीनर | 1 |

[हिन्दी]

## खाद्यान्नों को क्षति

**1440. श्री दत्ता मेघे :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

**श्री एन॰ जे॰ राठवा :**

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में वर्षा, नमी तथा अपर्याप्त भण्डारण सुविधा के कारण राज्यवार कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हुआ :

(ख) इसके फलस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** (क) खाद्यान्नों का स्टाक रखने के लिए भारतीय

खाद्य निगम के पास पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध है। भारतीय खाद्य निगम वैज्ञानिक आधार पर ढके हुए और कॅप (कवर और प्लिंथ गोदामों में खाद्यान्नों का भण्डारण करता है। तथापि, बाढ़, तूफान, निरन्तर वर्षा आदि जैसे अनपेक्षित प्राकृति कारणों की वजह से कभी-कभी खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों के राज्य/भारतीय खाद्य निगम (क्षेत्रवार) के अनन्तिम ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1993-94 के लेखों को अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद ही इस सम्बन्ध में निगम को हुई हानि का पता चलेगा।

(ग) भारतीय खाद्य निगम ने कई उपचारात्मक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

1. भण्डारण योगय तथा मूषक और नमीप्रूफ गोदामों की अतिरिक्त व्यवस्था करना,

2. रस्सियों के साथ बंधे हुए वाटर प्रूफ कंवर से ढके हुए कैप (कवर और प्लिथ) के अधीन स्टाक संरक्षण;

3. भण्डारित खाद्यान्नों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक विधि से रख-रखाव और पीड़क जन्तु नियंत्रण उपाय करना,

4. नियमित वातन सहित आवधिक रोगनिरोधी उपचार करना,

5. स्वच्छ और ढके हुए वैगनों में खाद्यान्नों का संचलन करना; आदि।

## विवरण

| क्र॰ सं॰ | राज्य/भारतीय खाद्य निगम का क्षेत्र | क्षतिग्रस्त हुए खाद्यान्नों की मीटरी टन में अनंतिम मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | पश्चिमी बंगाल | 576 |
| 2. | बिहार | 1144 |
| 3. | उड़ीसा | 569 |
| 4. | असम | 479 |
| 5. | एन॰ ई॰ फ॰ | 286 |
| 6. | दिल्ली | 2467 |
| 7. | पंजाब | 34737 |
| 8. | हरियाणा | 195 |
| 9. | राजस्थान | 90 |
| 10. | उत्तर प्रदेश | 571 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 160 |
| 12. | तमिलनाडु | 501 |
| 13. | आन्ध्र प्रदेश | 637 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. | कर्नाटक | 411 |
| 15. | केरल | 264 |
| 16. | महाराष्ट्र | 769 |
| 17. | गुजरात | 474 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 502 |
| | कुल : | 34832 |

[अनुवाद]

## दुग्ध सहकारी समितियां

**1441. श्री शान्ताराम पोतदुखे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश के अन्य भागों में "आनन्द पैटर्न" पर आधारित दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में ऐसी दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना के लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं कि अच्छी किस्म के दूध का उत्पादन किया जाये तथा उपभोक्ताओं को उपलब्ध किया जाये ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) तथा (ख) देश में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक समितियों के गठन के लिए 23 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मार्च, 1994 तक 267 जिलों को शामिल करते हुए 170 मिल्कशेड में 86.0 लाख किसान सदस्यों के साथ 67,317 आनन्द पद्धति की दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं। ऑपरेशन फ्लड-3 परियोजना के अन्त तक पूरे देश में आनन्द पद्धति की 70,000 सहकारी समितियां हो जाएगी। देश के सभी संभाव्य जिलों को पहले से ही शामिल कर लिया गया है तथा आपरेशन फ्लड के अंतर्गत किसी नए जिले/राज्य को अभिज्ञात नहीं किया गया है।

(ग) दूध की गुणवत्ता पर निगरानी खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम, 1954 के अधीन रखी जाती है।

[हिन्दी]

## राजस्थान में रेल लाइनों का आमान परिवर्तन

**1442. श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान आगरा और बांदीकुई के बीच बड़ी लाइन बिछाने की कोई योजना है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या दिल्ली और जयपुर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़)** : (क) जी, हां, आगरा और बांदीकुई के बीच मौजूदा मी॰ ला॰ को आठवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी लाइन में बदला जाएगा बशर्ते कि योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो गए, जिसके पास इसे स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

(ख) जी हां।

(ग) ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

## गुजरात में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1443. **डा॰ के॰ डी॰ जेस्वाणी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में एक नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विश्वविद्यालय राज्य में किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह उल्लेख है कि संस्थानों में चहुँमुखी सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि निकट भविष्य में वर्तमान संस्थानों में सुविधाओं के समेकन एवं विस्तार पर मुख्य बल दिया जाएगा।

[हिन्दी]

## रेवाडी-सिरसा रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1444. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्धारित समय के अंदर रेवाड़ी से सिरसा रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलमार्ग पर कोई नई गाड़ी चलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निकट भविष्य में उक्त रेलमार्ग का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) दिल्ली से जींद/भिवानी रेल मार्ग के विद्युतीकरण के संबंध में क्या प्रगति हुई और इस कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) जी·हां।

(ख) रेवाड़ी-हिसार भटिंडा (300 कि॰ मी॰) 1993-94 में 129 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृत किया गया था। भटिंडा-हिसार (157 कि॰ मी॰) मार्च, 1994 में खोला गया था और हिसार-रेवाड़ी (143 कि॰ मी॰) को जून 1994 में खोला गया था।

(ग) और (घ) भटिंडा और हिसार के बीच 2 जोड़ी यात्री गाड़ियां पहले ही चला दी गई हैं। रेवाड़ी और हिसार के बीच 2 जोड़ी यात्री गाड़ियां चलाने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा 4085/4086 भिवानी एक्सप्रेस को सिरसा तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जींद/भिवानी रेल लाइन का विद्युतीकृत कार्य स्वीकृत नहीं है।

[अनुवाद]

## अनुदान सहायता योजना

**1445. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदान सहायता योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 में वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों और उन पर की गई कार्रवाई का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

### विवरण

| राज्य का नाम | स्वैच्छिक एजेंसी का नाम जिसने परियोजना प्रस्तुत की है | स्थिति/स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| आन्ध्र प्रदेश | रायलसीमा रूरल डेवलपमेंट सर्विस सोसायटी, कुड्डपा | कार्रवाई की |
| | शिव हरिजन महिला मंडल, नन्दयाल | जा रही है। |
| | व्यावसायिक मारियू संहिका अभ्रिवृध संस्था, | – वही – |
| | खम्माम | – वही – |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | विजय पुरम प्रेजा सेवा समिति, चित्तूर | – वही – |
| | पीपुल्स आर्गनाइजेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, कुड्डपा | –वही – |
| | सोशल एक्शन फॉर डेवलमेंट, महबूबनगर | – वही – |
| | वेंकटेश्वर रूरल सर्विस सोसायटी, कुरनूल | – वही – |
| | कन्जूमर प्रमोशन कांउसिल, अनाकपल्लै | – वही – |
| अरुणाचल प्रदेश | तन्यी जागृति फांउडेशन, इटनगर | – वही – |
| बिहार | महाकाली समाज कल्याण संस्थान, नवादा | – वही – |
| | अमरोरा लेबर को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, गरवा | – वही – |
| | डॉ० जगन्नाथ मिश्रा ऐजूकेशनल साहबल एवं महिला कल्याण, मुजफ्फरपुर | – वही – |
| | रूपायन, पूवी सिंहभूम | – वही – |
| गुजरात | विकसत, अहमदाबाद | – वही – |
| | आगाखां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, अहमदाबाद | – वही – |
| हिमाचल प्रदेश | जय सेन्टर फॉर रिसर्च एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मण्डी | – वही – |
| मध्य प्रदेश | नैशनल सैन्टर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एण्ड एनवॉयरनमेंट, भोपाल | – वही – |
| | आदर्श वानिकी सोसायटी, छिंदवाड़ा | – वही – |
| | सुरेश कुमार बवारिया, छिंदवाड़ा | – वही – |
| | ग्राम वन समिति, नयापुरा, छिंदवाड़ा | – वही – |
| | सतपुड़ा युवा मण्डल, छिंदवाड़ा | – वही – |
| | आदर्श समाज सेवा शिक्षा समिति, ग्वालियर | – वही – |
| | पर्यावरण एवम् सामाजिक वानिकी महिला सहकारी समिति, छिंदवाड़ा | – वही – |
| | जय प्रकाश मैमोरियल सेंटर, बस्तर | – वही – |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | सन्त रवि दास समाज सेवा समिति, मध्य प्रदेश | अनुमोदित/ 50,000 |
| महाराष्ट्र | अनन्त शैक्षणिक संस्था और सांस्कृतिक शोध केन्द्र, अरमोरी, गोदचिरोली | कार्रवाई की जा रही है। |
| उड़ीसा | मुक्ति, ढेंकनाल | – वही – |
| | उड़ीसा सोशल सर्विस इन्स्टीट्यूट, कटक | अनुमोदित/ 50,000 |
| पंजाब | एनवायरनमेंट सोसायटी ऑफ इण्डिया, चण्डीगढ़ | अनुमोदित/ 50,000 |
| तमिलनाडु | पीपुल्स आर्गनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनवायरनमेंट, नैल्लई कट्टबोम्मय | कार्रवाई की जा रही है। |
| | कम्युनिटी एक्शन फॉर फूड एण्ड रूरल डेवलपमेंट, तिरूननवेल्ली | –कार्रवाई की जा रही है। |
| | सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एण्ड एनवायरनमेंटल वालण्टरी एक्शन, मदुरै | – वही – |
| | रूरल एजुकेशन फॉर एक्शन एण्ड डेवलपमेंट, अन्ना | – वही – |
| उत्तर प्रदेश | तरूण चेतना, रायबरेली | – वही – |
| | ग्रामीण विकास समिति शिकोहाबाद, फिरोजाबाद | – वही – |
| | भारतीय ग्रामोद्योग विकास समिति, उ० प्र० | – वही – |
| | पर्यावरण एवम् जन जागृति समिति, अल्मोड़ा | – वही – |
| | दीप पर्यावरण एवम जन जागृति समिति, मुजफ्फरपुर– | – वही – |
| | गौरी गंज महिला प्रशिक्षण केन्द्र, सुलतानपुर | – वही – |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | अमेठी ग्रामोद्योग सेवा समिति, सुलतानपुर | – वही – |
| | दयाल वृक्षारोपण समिति, फिरोजाबाद | – वही – |
| | पर्यावरण संरक्षण एवं विकास केन्द्र, उ० प्र० | – वही – |
| पश्चिम बंगाल | आम्लतोरा पल्ली सेवा संघ, मिदनापुर | – वही – |
| | इन्स्टीट्यूट ऑफ इकॉनाजिकल एण्ड डेवलपमेंट स्टडीज, हावड़ा | – वही – |
| | प्राइमरी चिल्ड्रन क्रॉप्स, कलकत्ता | – वही – |
| | साबुज संघ, 24 परगना जिला | – वही – |
| | दि वेभ ऑफ एनवायरनमेंट, मिदनापुर | – वही – |

## ई० एम० यू० कोच

**1446. श्री शांताराम पोतदुखे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० एम० यू० कोच सहित कैरिजों और वैगनों की मरम्मत और रखरखाव पर व्यय में वृद्धि होती जा रही है जबकि विभिन्न रेल गाड़ियों में लगी कोचें विशेष तौर पर पुरानी प्रथम श्रेणी की कोचों का रखरखाव अत्यंत असंतोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान कोचों की मरम्मत और रख रखाव पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने कोचों तथा वैगनों के उपयुक्त रखरखाव के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) :** (क) से (घ) पिछल दो वर्षों में ई० एम० यू० सहित सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के अनुरक्षण पर खर्च में वृद्धि मुद्रास्फीति की सामान्य दर के अनुरूप ही है। रेलों पर इस आशय के अनुदेश पहले ही मौजूद हैं कि कारखानों और चालू लाइन पर सवारी तथा माल डिब्बों की ओर समुचित और समय पर ध्यान दिया जाय। इसके अतिरिक्त रेलों की सवारी डिब्बों की दशा सुधारने के लिए एक अभियान चलाने के अनुदेश दिए गए थे तथा रेलों पर इनके कार्यान्वयन पर उच्चतम स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

अनुरक्षण माल डिब्बों के कारखानों और चालू लाइन पर विशेषक ओवरहाल पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है, ताकि विश्वसनीयता में सुधार किया जा सके। मार्ग में माल डिब्बों के अलग होने की घटनाएं 1992-93 की तुलना में 1993-94 में 19% कम हुई हैं।

(ग) ई० एम० यू० को छोड़कर सवारी डिब्बा अनुरक्षण के लिए मांग सं० 6 के अंतर्गत 1993-94 का संशोधित अनुमान 467.22 करोड़ रुपए है।

## रेल कोचों का निर्यात

**1447. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व के सभी देशों को कोचों का निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त निर्यात आदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वदेशी बाजारों तथा निर्यात के लिए रेल कोचों के उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ) :** (क) भारतीय रेल ने अफ्रीकी तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के कुछ देशों को सवारी डिब्बों का निर्यात किया है।

(ख) प्राप्त किए गये निर्यात आदेश इस प्रकार हैं :–

| | |
|---|---|
| 1992-93 | कुछ नहीं |
| 1993-94 | कुछ नहीं |
| 1994-95 | 15 सवारी डिब्बे |
| (जुलाई, 94 तक) | (वियतनाम रेलवे) |

(ग) गुणवत्ता में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और मानव कौशल, साधन सामग्री की गुणवत्ता तथा सवारी डिब्बों की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सतत प्रयास किये जाते हैं।

## राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद

**1448. संदीपन भगवान थोरात :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका देश में शिक्षा के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और

(ग) नेटवर्क के रूप में प्रशासनिक ढांचे और क्षेत्रीय संचालन संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी हां।

(ख) देशभर में शिक्षक शिक्षा पद्धति के योजनाबद्ध तथा समन्वित विकास को प्राप्त करने हेतु शिक्षक शिक्षा पद्धति तथा इससे संबंधित मामलों के मानदण्डों तथा स्तरों के विनियमन तथा उचित देखरेख करने के विचार से राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् की स्थापना की जाएगी। यह अपेक्षा की जाती है कि इस परिषद् की स्थापना से देश में शिक्षा की कोटि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(ग) प्रस्तावित परिषद के मुख्यालय नई दिल्ली में होंगे तथा उत्तरी, दक्षिणी, कार्यालय पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। कार्यकारी समिति तथा इसकी क्षेत्रीय समितियां,

इस परिषद की मुख्य प्रशासनिक अंग होंगी। इन क्षेत्रीय समितियों को शिक्षक संस्थानों की मान्यता तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। इस परिषद् के गठन का काम चल रहा है।

## तोल और माप कानून

**1449. श्री संदीपान भगवान थोरात :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुले बाजार अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तोल और माप नियमों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति सहित विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कानून के तकनीकी पहलू और कार्यान्वयन मशीनरी, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ प्रगति बनाये रखने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) माप पद्धति के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रवर्तन तंत्र, जनता व्यापार और उद्योग को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से हो सके और इसे उपभोक्ताओं के लिए अधिक लाभदायक बनाया जा सके ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) जी हां। बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों में परिवर्तन तथा उससे संबंधित नीतिगत मामलों की समय-समय पर जांच, समीक्षा तथा सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक स्थाई समिति गठित की गई है।

(ख) समिति ने नियमों की तीसरी अनुसूची, जिसमें विनिर्दिष्ट परिणाम में पैक की जाने वाली वस्तुओं/वस्तु समूह के नाम दिए गए हैं, की समीक्षा की तथा अनके मदों को निकाले जाने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के आधार पर नियमों में सा॰ का॰ नि॰ सं॰ 591 (अ) दिनांक 20 जुलाई, 1994 द्वारा संशोधन किया गया है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून के तकनीकी पक्ष तथा क्रियान्वयन तंत्र उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुरूप रहें, तकनीकी विनियमों तथा प्रक्रियाओं को अंतर्राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान संगठन द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशों के आधार पर बनाया गया है।

(घ) बाट तथा माप कानूनों का कारगर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बाट तथा माप प्रवर्तन तंत्र को सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु रांची में भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, नामक एक संस्थान स्थापित किया गया है। जनता, व्यापार और उद्योग को केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षित किया जाता है। कानून को उपभोक्ताओं के प्रति और अनुकूल बनाने के लिए उपभोक्ता संगठनों अथवा उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को मंत्रालय में बाट तथा माप के संबंध में गठित विभिन्न समितियों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

## रेलवे के सामान की बिक्री

1450. **श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के किस-किस प्रकार की वस्तुओं/संपतियों को स्क्रैप के तौर पर बेचा जाता है;

(ख) इसके निपटान के लिए रेलवे क्या प्रक्रिया अपनाती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इससे कितनी आय हुई;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना में बिक्रीवार वस्तुओं का बिक्री मूल्य कितना प्रतिशत कम/अधिक था; और

(ङ) अधिकारियों और स्क्रैप क्रेता के बीच किसी प्रकार के सांठ-गांठ की संभावना पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफ़र शरीफ़) :** (क) स्क्रैप के रूप में बेचे जाने वाली सामग्री में काम में न आने वाली पटरियां और अन्य रेल पक्ष सामग्री, नाकारा रेल इंजन, सवारी डिब्बे और लौह और अलौह स्क्रैप, नाकारा मशीनें और संयंत्र, खाली ड्रम और बैरल तथा अन्य अपशिष्ट सामग्री जिसे विविधि स्क्रैप कहा जाता है, शामिल हैं।

(ख) रेलों पर स्क्रैप का निपटान नीलामी/निविदा के माध्यम से किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बेचे गये स्क्रैप की कीमत नीचे दी गई है :-

| वर्ष | बेचे गये स्क्रैप की कीमत (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1991-92 | 540 |
| 1992-93 | 679 |
| 1993-94 | 850 |

(घ) स्क्रैप एक विजातीय उत्पाद है। इसका मूल्य ढेर-दर-ढेर भिन्न-भिन्न होता है, जो स्क्रैप की किस्म, उसकी दशा और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री केवल उसी स्थिति में की जा सकती है जब कि ऐसा करना व्यावहारिक हो और ऐसा करने का विशिष्ट कारण हो।

(ङ) निम्नलिखित सुरक्षा उपाय करके खरीददारों और पदाधिकारियों के बीच सांठ-गांठ की संभावना को दूर किया जाता है :-

(क) स्क्रैप की बिक्री मुख्यत: सार्वजनिक नीलामियों या खुली निविदा के माध्यम से की जाती है जो पूर्णत: पारदर्शी होती है।

(ख) नीलामी से पहले प्रत्येक ढेर के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(ग) नीलामीपर नजर रखने के लिए लेखा विभाग के प्रतिनिधि भी सहयोजित किए जाते हैं,

(घ) रेलों के सतर्कता संगठन द्वारा आवधिक/अचानक जांच भी की जाती है।

(ङ) मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नीलामी पर नजर रखी जाती है।

## जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं

**1451. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

**श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) :** (क) जी, नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी भी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत जल गुणवत्ता निगरानी प्रयोगशालाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## रासायनिक उर्वरक

**1452. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बंजर होती जा रही कृषि योग्य भूमि का राज्य-वार वार्षिक औसत क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार जैव उर्वरकों अथवा अन्य प्राकृतिक उर्वरकों के उत्पादन और उनके उपयोग हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) इसका कोई प्रमाण नहीं है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण कोई भूमि बंजर हो गई है। उर्वरक के उपयोग की सिफारिश मृदा परीक्षण रिपोर्टों तथा फसल की स्थिति के आधार पर की जाती है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) जो देखते हुये ये प्रश्न नहीं उठते/तथापि, कार्षनिक खादों तथा जैव-उर्वरकों में मृदा की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के अतिरिक्त अनुकूल प्रभाव होने की वजह से केन्द्रीय प्रयोजित तथा राज्य योजनाओं के माध्यम से विस्तार कार्मिकों तथा कृषकों को प्रशिक्षण देकर इनके उपयोग का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(ङ) देश में जैव-उर्वरकों के उत्पादन, वितरण तथा इसके उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र

की एक योजना के रूप में जैव-उर्वरक विकास तथा उपयोग संबंधी राष्ट्रीय परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जैव-उर्वरक विषयक एक प्रौद्योगिकी मिशन पर भी विचार किया जा रहा है।

**12.00 मध्याह्न**

**प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के सबंध में.....जारी**

**श्री पवन कुमार बंसल :** मैं रिपोर्ट का बहुत आदर करता हूं। मुझे उस समिति के माननीय सदस्यों की ईमानदारी सामर्थ्य और दक्षता पर कोई शक नहीं है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि यह संयुक्त संसदीय समिति की रिर्पोर्ट है। लेकिन यह रिर्पोट कार्यवाही करने के लिए कानून का अंतिम शब्द नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करते समय हमें इसके अनेकानेक परिणामों को भी ध्यान में रखना होगा। मंत्रियों, अधिकारियों और बैंकों की बात तो छोड़िये, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के हमें कितने परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस मामले पर विचार किये बिना, आगे कोई जांच पड़ताल किये बिना, इस रिपोर्ट के आधार पर देश के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करना गलत है। अगर स्थिति यह है, तो बाद में न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही के लिए कौन अपने आपको जिम्मेदार ठहरायेगा ? इसके बारे में हमें सजग रहना है। आज मैं श्री चन्द्रशेखर जी के शब्द, जो उन्होंने उस दिन कहे थे कि यह एक राजनीतिक मसला है, दोहराना चाहता हूं। मेरी समस्या यह है कि उस ओर के माननीय मित्र इसे केवल एक राजनीतिक मसले के रूप में विचार कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि वे कह रहे हैं कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर सर्वसम्मति का, समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे यही बात कह रहे हैं। वे जानते हैं कि जैसे-जैसे दिन बीतते जाते हैं वे सभी मुद्दे, जिन्हें उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में उठाने का प्रयास किया है उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। उन्हें यह बात मालूम है। यहां तक कि यह घोटाले का मुद्दा भी आज लोगों के बीच नहीं है। यह कोई गुप्त सूचना नहीं है जो सरकार हमें दे रही है। सभी सदस्यों को यह मालूम है। हम सभी को इसकी जानकारी है। जनता भी जानती है। घोटाले के प्रकाश में आने के समय से ही सरकार इसके बारे में सचेत थी, सरकार ने इसके प्रभाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की बातें फिर न हो, हर संभव प्रयास किया था। की गई कार्यवाही रिपोर्ट तो मात्र औपचारिकता है। यह संसदीय संस्थाओं की कार्यशैली में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो कुछ भी किया जाता है सरकार उसको सार रूप में संसद के सामने रखती है। केवल यही कार्य किया गया है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर उस ओर के माननीय मित्र वास्तव में गंभीर हैं—जो हम पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र के नाम पर सुन रहे हैं—तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसद कार्य करे, उन्हें हर बात जनता के सामने लाने का अवसर मिले तो उन्हें हमें उस पर चर्चा करने का अवसर देना चाहिये था। संसद को वह अवसर नहीं दिया गया है। मेरा उससे भी मतभेद हो सकता है। वे रिपोर्ट वापिस लेने की बात कर रहे हैं। जब माननीय वित्त मंत्री सभा में बोलना चाहते थे, तो उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। क्या हम इसी तरह के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे क्या कहना चाहते थे। मैं प्रत्येक सदस्य की इस भावना से सहमत हूं कि रिपोर्ट के कुछ शब्दों को निकाला जा सकता है। कुछ शब्दों का विधिक मामलों में अलग अर्थ होता है और संसदीय संस्थाओं में एक अलग अर्थ

होता है। मेरे विचार में जहां तक रिपोर्ट को पेश किये जाने का सम्बन्ध है, ऐसे शब्दों को हटाया जा सकता था। लेकिन वास्तव में उससे हमें इस प्रकार की बातें करने का अधिकार नहीं मिल जाता, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं। मैं यह अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं।

अतः, मेरा उनसे अनुरोध है कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि संसद वास्तव में कार्य करे और संसद की कार्यवाही न रुके। लेकिन अगर वे कार्यवाही में रुकावट डालना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता सकता हूं कि इस देश के लोग उनकी इस प्रकार की बातों में नहीं आने वाले। वे जानते हैं कि कौन क्या है। वे जानते हैं कि क्या चल रहा है और इसके पीछे मंशा क्या है। अतः, उस ओर बैठे हमारे मित्रों को उस मामले में किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिये। जिस प्रकार की स्थिति उन्होंने उत्पन्न की है, आज उस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करना उचित नहीं होगा। सरकार देश की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक परिवेश में सुधार लाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। लोग इस बात को समझते हैं और विपक्ष का यह कदम उन्हें प्रभावित करने वाला नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, जब यह वर्षाकालीन सत्र प्रारम्भ हो रहा था, उसके एक दिन पहले, आपने कृपा करके हम लोगों को अपने कक्ष में निमंत्रित किया था और पूछा था कि इस सत्र में हम किन-किन विषयों पर चर्चा करना चाहेंगे। उस दिन मैंने अपने दल की तरफ से, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे आज देश के सामने हैं, उनकी ओर ध्यान दिलाते हुये कहा था कि हम इन विषयों में चर्चा करना चाहेंगे। उन मुद्दों में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा शामिल थी, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, अनियंत्रित मुद्रास्फिति की समस्या जिस प्रकार लगातार बढ़ती चली जा रही है, देश में जिस तरह बेरोजगारी विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गयी है, जिस प्रकार से चीनी घोटाले ने फिर से देश के लोगों को हिला दिया है और हमारे प्रशासन में इस तरह के कई घोटाले के कारण करोड़ों नहीं, अरबों और खरबों रुपये बर्बाद हो गये, अब देश की गरीब जनता को जीवन यापन में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, घोटाले के कारण चीनी 9 रुपये प्रति किलो में बढ़कर 20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गयी है, 20 रुपये प्रति किलो की दर से इस देश की जनता को चीनी खरीदकर खानी पड़ रही है।

बाढ़ की स्थिति भयंकर है। उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उस दिन हमने यह भी कहा था कि यह जो जे॰ पी॰ सी॰ की रिपोर्ट आ रही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करना चाहते हैं और प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि इसको भी हम प्राथमिकता देते हैं हम सब लोगों की एक राय थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए थी और हम चर्चा करने को तैयार हैं। इसलिए आज शासक दल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं, सरकार चर्चा करना चाहती है, यह बिलकुल निराधार और गलत है। हम लोग इस पर चर्चा करना चाहते थे और विस्तार से करना चाहते थे, लेकिन कठिनाई क्यों पैदा हो गई। श्रीमान इसके बाद सदन के सामने यह रिपोर्ट पेश हो गई, बगैर किसी को बताए हुए, बगैर किसी को विश्वास में लिए हुए।

अभी प्रतिभा पाटिल जी ने कहा था कि यह समिति सामान्य समितियों की तरह से नहीं है, मगर जो सामान्य

संसदीय समितियां भी हैं, उनका भी नियम यह है कि वे जब सिफारिश करती हैं, आमतौर से उन सिफारिशों को सरकार स्वीकार करती है। अगर सरकार सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है, तो फिर वह रिपोर्ट कमेटी के पास वापस भेजती है और जब समिति सहमत नहीं होती है, तब वह सदन के सामने आती है। यह तो एक जांच समिति है।

पूरे सदन ने यह महसूस किया था कि इतना बड़ा घपला जिसमें इस देश के खून पसीना बहाकर कमाने वाले लोगों का पैसा फंसा था। यह पैसा केवल सरकार का नहीं था, केवल बजट का नहीं था बल्कि इस देश की गरीब जनता का था जिसने अपने पेट को काटकर अपने खून पसीने की कमाई से जो पैसा बैंकों में जमा किया था, वह अरबों रुपया इस घोटाले में आया था और इसलिए सर्वसम्मति से सदन ने यह कहा था कि इसकी जूडीशियल इन्क्वायरी नहीं होगी, किसी आयोग के माध्यम से जांच नहीं होगी। इस गम्भीर मसले की जांच की जिम्मेदारी स्वयं सदन ने अपने ऊपर ली।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समिति के सदस्य बधाई के पात्र हैं जिन्होंने ऐसी रिपोर्ट दी और बार-बार यह कहा गया है कि हम लोग चाहते थे कि कार्रवाई हो, दोषी लोग पकड़े जाएं, ताकि इस देश की जनता को विश्वास हो सके की भ्रष्टाचार करके, लूटकर कोई निकल नहीं जाएगा। इसलिए सर्वसम्मित से यह रिपोर्ट आई।

अध्यक्ष जी, आपने बैठक बुलाई। सरकार की तरह से उसमें मंत्री लोग शामिल थे। अगर आपके पास आकर ये मंत्री कहते कि अब यह समिति सामान्य समितियों की तरह से नहीं रह गई है, यह समिति अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए अध्यक्ष जी आप बताइए कि सरकार अपनी रिपोर्ट लेकर आ रही है, लेकिन सदन में पेश करने से पहले सरकार की कार्यवाही पर चर्चा का कोई रास्ता निकल सकता है। बार-बार कहा गया, यह सरकार क्यों कभी पहल नहीं करती है ? क्या सरकार ने कभी विरोधी दल के नेताओं या अन्य नेताओं की बैठक बुलाकर यह कहा कि अब समिति नहीं है, हम एक्शन टेकन के रूप में यह फैसला ले रहे हैं। आप बताइए, यह सदन का मामला है। हम इसमें कोई पार्टी पालिटिक्स नहीं करना चाहते हैं। यह गम्भीर सवाल है। क्यों इस काम को प्रधान मंत्री ने नहीं किया ? क्यों सरकार ने इस काम को नही किया ?

अध्यक्ष महोदय, यह सदन एक हफ्ते से काम नहीं कर रहा है। सारे देश में तमाम लोग देख रहे हैं कि सदन में क्या हो रहा है। यह किस पृष्ठभूमि में हो रहा है। एक बार भ्रष्टाचार के सवाल पर, विरोधी दल के सदस्यों ने, इस सदन की सदस्यता का त्याग देश की जनता के हित में करने का निर्णय लिया। यह रिपोर्ट उस समय आई है जब अरबों रुपए का चीनी का घोटाला प्रकाश में आया है जिससे आम जनता पीड़ित है। अब वह देख रही थी कि क्या कोई रास्ता निकलता है या भ्रष्टाचार हमारी जिन्दगी का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार होता रहेगा और दोषी पकड़े नहीं जाएंगे।

अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि संसदीय व्यवस्था इससे कमजोर हो जाएगी, यदि यहां बहस नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि संसदीय व्यवस्था की मर्यादा की उन्होंने चिन्ता की होती तो मैं इस बात को फिर कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री, ने, मैं उनको दोष नहीं देता, चूंकि उनको इस सदन में मौका नहीं मिला, इसलिए मद्रास में जाकर कहा कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं क्योंकि कुछ शब्द उसमें ऐसे इस्तेमाल हो

गए। मैं इस सरकार पर चार्ज करना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर रिपोर्ट पर इस मंत्रिमंडल ने गम्भीरता से विचार नहीं किया। जिसको हमारे तरफ .....* कहते हैं इन्होंने उसके अन्दर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। इसके लिए इनको माफी मांगनी पड़ी। एक बड़े भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के ऊपर विचार करने का क्या यह तरीका होता है ? क्या देश के लोग ये सब देख नहीं रहे हैं ?

मैं अपने दल की तरफ से यहां यह कहना चाहता हूं कि हम संसदीय समितियों से इस्तीफा इसलिये दे रहे हैं कि संसदीय समितियों की गरिमा को इस सरकार ने तबाह कर दिया है। जिस गरिमा की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये था, उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं फिर से मांग करता हूं कि जिन तीन मंत्रियों के नाम इस समिति में आये हैं, जिन को इस समिति ने जिम्मेदार ठहराया है, उनका नैतिक कर्तव्य है कि वे पहले इस्तीफा दें। उन मंत्रियों का इस्तीफा देना चाहिये तभी किसी बात का प्रभाव पड़ सकता है। इनके इस्तीफे की मैं मांग करता हूं। क्या संसदीय गरिमा रहेगी या नहीं ? एक सिफारिश यह भी है कि पब्लिक सैक्टर के जो पैसे लुटाये गये, उसमें सरकार के टॉप मैनेजमैंट के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार का इस पर जवाब है कि हम इसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। उसने यह नहीं बताया कि किस के खिलाफ कार्यवाही होगी, कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। यह सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने की तरफ गम्भीरता से कदम नहीं उठा रही है। यह सरकार के सम्मान के अनुरूप बात नहीं है कि देश के लोगों में यह धारणा पैदा हो जाये कि देश लुटेगा और भ्रष्टाचार से देश त्रस्त होगा, मगर किसी एक आदमी को सजा नहीं होगी।

मैं शासक दल के लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आपकी बड़ी भारी परम्परा रही है। क्या आपने अपनी आत्मा की आवाज को नहीं पहचाना ? मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप बागवत करिये या विद्रोह करिये लेकिन मैं केवल आपकी परम्परा की याद दिला रहा हूं। आपने अपनी आत्मा की आवाज सुनकर ऐसे कदम उठाये हैं जो कि आपके अपने निर्णयों के प्रतिकूल गये हैं। आपने जो बड़ा भारी कदम उठाया है क्या इसके बारे में अपनी आत्मा से नहीं पूछेंगे ? मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि .....(व्यवधान)..... आपकी भी आत्मा मरी नहीं है, आपकी आत्मा सो रही है। क्या यह सही नहीं है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिये थी, भ्रष्टाचारी पकड़े जाने चाहिये थे और मंत्रियों को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिये थी। अगर आत्मा की आवाज सुनी है तो जरा शुक्ला जी से हमारे प्रार्थना प्रधानमंत्री तक पहुंचा दें क्यों कि प्रधानमंत्री यहां बहुत कम रहते हैं। उनको समय नहीं मिलता है। वह जरा अपनी आत्मा से पूछें कि क्या रिपोर्ट से वे संतुष्ट हैं ? मेरी सूचना है कि सरकार ने यह महसूस किया है कि गलती हो गई। अध्यक्ष जी मैं संसदीय परम्परा का निर्वाह करते हुए आपके कक्ष में हुई चर्चा को यहां नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मेरी सूचना यह है कि सरकार ने यह महसूस किया है कि गलती हो गई है और इस सदन में वक्तव्य ऐसे मंत्री द्वारा होना चाहिये था जिस मंत्री का विभाग इस घपले में शामिल नहीं था। सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं आया है। आप इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइये। रास्ता निकालने का हम लोगों ने भी सुझाव दिया था। यह कार्यवाही रिपोर्ट देश के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पायेगी। इस रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार का सिलसिला देश में बढ़ेगा और आप उसे रोक नहीं सकेंगे। अगर करोड़ों-अरबों रुपये लुटने

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तो भ्रष्टाचार इस देश से दूर नहीं हो सकेगा। आप इसके ऊपर विचार करिये और विचार करने के बाद इस रिपोर्ट को वापस लीजिये। आपने कहा कि हम इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना रहे हैं, हम चर्चा करने को तैयार हैं और हम बैठ कर बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब ने जितनी भी मीटिंगें बुलायीं, हरेक मीटिंग में हम गये। अभी सोमनाथ जी और वाजपेयी जी ने कहा कि अध्यक्ष जी ने ही सारी मीटिंग्स बुलायी और उनको ज्यादा चिन्ता थी। अध्यक्ष जी, आपने यह भी कहा था कि मेरा कर्तव्य नहीं है, मेरा काम नहीं है लेकिन अगर आप सब सर्वसम्मति से यह चाहते हैं तो जो काम सरकार को कहना चाहिये वह मैं करने के लिये तैयार हूं और आपकी राय होगी तो कोई रास्ता निकालने के लिये हम इसमें कुछ पहल कर सकेंगे। हमने आपसे प्रार्थना की और आपने पहल भी की। अपनी पहल को आप जारी रख रहे हैं मगर एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं सोचा कि हमें भी अलग से बुलाकर कोई बात करें और देखें कि क्या रास्ता निकल सकता है। उन्होंने एक बार भी ध्यान नहीं किया कि क्या रास्ता निकल सकता है .....**(व्यवधान)**.....

**श्री नाथू राम मिर्धा** (नागौर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि इस सदन में इस रिपोर्ट पर रैगुलर बहस शुरू हो गई है या नहीं ? .....**(व्यवधान)**..... आप सुनते ही नहीं हो और अपनी ही बात कहते हो। मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या सदन में बहस शुरू हो गई है ? अगर बहस शुरू हो गई है तो फिर हमको मैरिट्स पर बहस करनी चाहिए, और मुद्दों पर बात करनी चाहिए .....**(व्यवधान)**.....

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष जी, हम लोग कोआपरेट कर रहे हैं और यह पाइण्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं, जिससे विघ्न होगा .....**(व्यवधान)**.....

**श्री नाथू राम मिर्धा** : फिर तालमेल का क्या सवाल है, रिपोर्ट पर बहस करवा लीजिए। यह साफ हो जाना चाहिए कि रिपोर्ट पर बहस शुरू हो गई है।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : मैं सदन का समय और अधिक नहीं लेना चाहता। हम सब इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, पार्टियों का सवाल नहीं है। देश के प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रभावकारी कदम उठाये जायें और भ्रष्टाचार के लिये जिम्मेदार और दोषी लोगों को सजा मिले वरना देश के लोगों को संतोष नहीं हो सकेगा। उसके लिए कुछ संसदीय परम्पराओं का निर्वाह हो, जो जानी मानी परम्पराएं हैं। इसलिए अन्त में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी विवशता है कि चूंकि सरकार हमारी बात नही सुन रही है और हम समझते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं होगा इसलिए हमारे दल के सदस्य सारी संसदीय समितियों से इस्तीफा दे रहे हैं। .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

**डा० देवी प्रसाद पाल** (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर बहुत दुःख और निराशा हुई है कि विपक्षी नेताओं ने विभिन्न संसदीय समितियों से, जिनका आपने गठन किया है, संबद्ध न रहने के अपने निर्णय घोषणा की है।

महोदय, आपके प्रयासों के कारण ही इन स्थायी समितियों का गठन किया गया है; और इन समितियों की कार्यप्रणाली में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इस प्रकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया है।

ये विभिन्न स्थायी समितियां अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। अगर हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो उस नई व्यवस्था के लिए जिसकी आपने शुरूआत की है, आपके योगदान को हमेशा कृतज्ञता के साथ याद किया जायेगा। लेकिन मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि अब विपक्षी सदस्य संसदीय समितियों के सदस्य न रहने का निर्णय कर रहे हैं। आपने इस विशेष पहलू पर सभा में चर्चा करने की अनुमति दी है। कि मैं अत्यधिक सम्मान के साथ कहना चाहता अगर विपक्षी सदस्यों ने की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर इस सभा में चर्चा करने दिया होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती, जैसी वह आज है। संससदीय कार्य मंत्री ने इस सभा में घोषणा की थी कि सरकार के विचार इस मामले में स्पष्ट हैं। सरकार, की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर हुए विचार-विमर्श और चर्चा के परिणामस्वरूप आगे निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन दुर्भाग्य से, माननीय सदस्यों का इन दिनों जो व्यवहार रहा है, वह स्पष्ट रूप से यही दर्शाता है कि संसदीय लोकतंत्र बलप्रयोग द्वारा नहीं चलाया जा सकता। यह हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सिद्धान्त है कि लोकतंत्र बल प्रयोग नहीं बल्कि केवल विचार-विमर्श द्वारा ही प्रभावपूर्ण ढंग से चल सकता है। आज यही हो रहा है। अगर विपक्षी सदस्य सभा में चर्चा करने की अनुमति दे देते तो सभा को इनका फायदा होता। अगर की गई कार्यवाही रिपोर्ट में किसी प्रकार की खामियां हैं तो चर्चा द्वारा उन पर प्रकाश डाला जा सकता था।

सरकार ने घोषणा की है-संसदीय मंत्री ने कई बार घोषणा की है कि सरकार के विचार स्पष्ट है। सभा में जो चर्चा होनी होगी वह उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई है।

दूसरी ओर क्या हुआ है ? आज यह निर्णय लिया गया है कि वे विभिन्न समितियों से अपने को अलग कर रहे हैं ? क्यों अलग कर रहे हैं ? की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर सभा में चर्चा नहीं की जानी है। उसे वापिस लिया जाना है। यह कुछ आश्चर्यजनक बात है कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट को वापिस कैसे लिया जा सकता है। रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है। सरकार कार्यवाही पहले ही कर चुकी है। और रिपोर्ट में केवल इस बात का उल्लेख है कि सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। मुझे आश्चर्य है कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट को वापिस लिये जाने की इस प्रकार की मांग का क्या औचित्य है।

दूसरी, ओर, चर्चा से यह जाहिर होगा कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को कहां तक लागू किया है। यह समाचार-पत्रों में पता चला है कि माननीय वित्त मंत्री इस सभा को आगे वक्तव्य देने के लिए तैयार थे। विपक्षी सदस्यों ने की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर माननीय वित्त मंत्री को भी इस सभा में आगे स्पष्टीकरण देने के लिए वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी। प्रेस से यह पता चला था कि माननीय वित्त मंत्री की गई कार्यवाही रिपोर्ट में आयी किसी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां अथवा विचारों को हटा लेने के लिए ये और अभी भी उन्हें हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्षी सदस्यों में इतना भी धैर्य नहीं है कि वे माननीय वित्त मंत्री को इस प्रतिवेदन पर अपना वक्तव्य देने दें। दूसरी ओर विपक्षी सदस्यों ने सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर चर्चा किए बिना यह रास्ता अपना लिया है कि वे स्वयं को संसदीय समितियों से अलग रखेंगे ? मुझे हैरानी है कि यह निर्णय संविधानिक लोकतंत्र के सच्चे सिद्धांतों के अनुरूप कैसे है।

आप सभा को चर्चा नहीं करने देते हैं क्योंकि संयुक्त संसदीय समिति ने अब कार्य करना बंद कर दिया है। इसलिए सरकार के दृष्टिकोण पर चर्चा केवल सभा पटल पर ही की जा सकती है। आप ऐसा करने नहीं

दे रहे हैं। यदि किसी ने की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन पढ़ने का प्रयास किया हो तो पाया होगा कि माननीय वित्त मंत्री ने उसमें किए गए उपायों के बारे में बताया है कि संयुक्त संसदीय समिति की 93 सिफारिशें पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर कार्यवाही की गई है। 6 सिफारिशें आंशिक रूप से स्वीकार की गई हैं। यह सुस्थापित संविधानिक लोकतंत्रीय सिद्धांत है कि सरकार का संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार संसदीय समितियों की कुछ सिफारिशों अथवा टिप्पणियों से भिन्न विचार नहीं रख सकती है। इसलिए सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती है। लेकिन सभा में विपक्ष सरकार को ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने दे रहा है। यह संविधान सम्मत लोकतंत्र के उचित कार्यकरण के विरुद्ध है।

विपक्ष के सदस्य यह कह रहे हैं कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यहां की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। अध्यक्ष महोदय, यदि आप सभा पटल पर यह चर्चा करने की अनुमति देते हैं तो निश्चित रूप से सदस्यों को विस्तार से इस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

मैं एक दो व्याख्याएं देना चाहता हूं। विपक्ष यह कह रहा है कि विदेशी बैंकों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। समिति यह यह सिफारिश है कि 1991 और 1992 के वर्षों के लाभ को बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और विदेशी बैंको का लाभ बैंकों की विदेशी शाखाओं में अन्तरित किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है। समिति ने यह सिफारिश की है कि जिन विदेशी सरकारों के यह बैंक हैं उन्हें इनमें संबंधित रिपोर्ट भेज दी जाए ताकि उनके कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सके। इसे भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

मैं की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन तथा चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं केवल अपने विचार स्पष्ट करने के लिए कतिपय मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण संबंधी सिफारिश को लें। सरकार ने ये सभी सिफारिशें पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली हैं। सरकार ने बैंकों के निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित सिफारिशें भी पूर्ण रूप से स्वीकार कर ली हैं।

समिति ने भी प्रारंभ में यह स्वीकार किया है कि इस प्रकार के प्रतिभूति घोटाले होने का प्रमुख कारण प्रणाली का असफल होना है। जब प्रणाली असफल होती है तो सभा को यह चर्चा करनी चाहिए कि प्रणाली में इस असफलता को दूर करने के लिए कैसे सुधार किया जा सकता है। सरकार ने इस प्रकार की कमियों में सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए हैं और इसने अनेक और सुझाव दिए हैं।

समिति ने यह सिफारिश की है कि इस घोटाले के दोषियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना चाहिए। तैतालीस प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर की गई हैं। सभा के सदस्य यह बात भली-भांति जानते हैं कि जब एक बार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती है तो वह मामला उपयुक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होता है और अब न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही करनी होती है। इसके बाद कार्यवाही शुरू की जाती है। इसके लिए किसी भी तरह सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार ने विभिन्न

दोषी व्यक्तियों तथा अधिकारियों के आय-कर के ब्यौरों के संबंध में जांच की है। जिसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कार्यवाही तथा अभियोजना प्रारंभ कर दिया है।

ये वे मुद्दे हैं जिन पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए। यह चर्चा की नहीं जा सकी है क्योंकि विपक्षी सदस्य सभा को नहीं चलने दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि जब विपक्षी सदस्यों ने स्वयं को संसदीय समितियों से अलग करने का निर्णय लिया है, आपने चर्चा की अनुमति दे दी है। मैं माननीय विपक्षी सदस्यों से अब भी यह अपील करता हूं कि यदि इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने के लिए सभा को अनुमति दी गयी होती, तो उन्हें स्वयं को समितियों से अलग करने का निर्णय नहीं लेना पड़ता। मेरे विचार से इस चर्चा से अनेक और बातें सामने आतीं और विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर सरकार की कुछ प्रतिक्रिया होती।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि सरकार के संकीर्ण विचार हैं। सरकार बार-बार कह रही है कि उसके खुले व स्पष्ट विचार हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने सभा में यह बात स्पष्ट की है और माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसे स्पष्ट किया है। यदि विपक्षी सदस्य सभा की कार्यवाही इसी प्रकार रोकते रहेंगे, इस बात पर बल देते रहेंगे कि सबसे पहले की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन का वापस लिया जाए और वे इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएं–कुछ ने यह बात स्वीकार की है कि यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है–तो इसका परिणाम वही होगा जो आज हो रहा है। लेकिन मैं अब भी अपील करता हूं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, अवसर है कि विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर विचार करें और सभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा करें। संयुक्त संसदीय समिति अब कार्य नहीं कर रही है इसलिए अब केवल यही एक मंच है जहां इस पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, आपको योगदान के लिए मैं आपका आभारी हूं और इतिहास आपको याद करेगा कि आपने संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण को सुदृढ़ करने के लिए आपने इन समितियों का गठन किया था और ये समितियां भलीभांति अपना कार्य निर्वहन रही है। और अब ऐसा कहना कि सदस्य स्वयं को उनसे अलग कर रहे हैं। तो पूर्ण विनम्रता से मेरा यह कहना है कि वे समय को पीछे ले जा रहे हैं। जिन विपक्षी सदस्यों ने यह निर्णय लिया है मैं उनसे अपील करता हूं कि वे इस प्रकार निर्णय न लें। सभा को की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन पर चर्चा शुरू करने दें। की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन में केवल कार्यवाही के बारे में बताया गया है। इसका यह आशय नहीं है कि सरकार आगे इस पर विचार नहीं करेगी।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में विपक्षी सदस्यों से पुनः अपील करता हूं कि वे ऐसा निर्णय न लें जिसके कारण संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में बाधा पड़ेगी न कि वह इससे सुदृढ़ होगा।

[अनुवाद]

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर)** : महोदय, मुझे आश्चर्य है कि हम इस रिपोर्ट की विषय-वस्तु पर चर्चा कर रहे हैं अथवा इसकी विशेषताओं पर। इस उद्देश्य या लक्ष्य के लिए आज सुबह हम यहां एकत्रित नहीं हुए थे। गत एक सप्ताह के दौरान इस गतिरोध को सुलझाने के लिए आपने लगातार जो प्रयास किये, उनके लिए मैं

आपका अत्यधिक आभार व्यक्त करता हूं और मैं यह महसूस करता हूं कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट के बाद सभा में चल रही चर्चा वास्तव में केवल मृतप्राय टिप्पणियां ही हैं।

मेरे सहयोगियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान सरकार ने विपक्षी दलों के नेताओं को चर्चा के लिए बुलाने का प्रयास तक नहीं किया। यहां तक कि वह बैठक जो दो-तीन दिन पहले बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय भी मौजूद थे, वह सरकार द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा आयोजित की गई थी।

महोदय, सरकार इस गतिरोध को समाप्त करने की बिल्कुल इच्छुक प्रतीत नहीं होती। मैं इस रिपोर्ट की विशेषताओं पर चर्चा नहीं करूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं कि वह यह है, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, कि यह कोई तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी मामला नहीं है। सरकार के दृष्टिकोण का धन्यवाद कीजिये कि अब यह एक राजनीतिक मामला बन गया है और हम उसके प्रति सुरक्षात्मक रवैया क्यों अपनायेंगे इस सभा में राजनीतिक मामलों पर भी चर्चा की जाती है लेकिन हमारे विचार में उच्चस्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रश्न के मुकाबले ऐसा कोई राजनीतिक मामला नहीं है जिसे उच्च प्राथमिकता दी जाये। यह इसका अद्यतन और सबसे प्रखर उदाहरण है।

यह सच है कि भ्रष्टाचार हमारे सारे समाज को घुन की तरह खाये जा रहा है। चाहे वह राजनीतिक नेता हों या कोई अन्य व्यक्ति, हमारे सार्वजनिक जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं बचा है जो भ्रष्टाचार द्वारा दूषित न हुआ हो। मेरा करने का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट है लेकिन संसद से बाहर गलियों में लोग आज इस प्रकार से बातें करते हैं—भ्रष्टाचार से, जिसे दैनिक जीवन में अपनाया जा रहा है और जो इस देश में काले धन की वृद्धि के साथ-साथ हर दिन फैलता जा रहा है, से राजनेता दूषित हैं, प्रेस दूषित है, न्यायपालिका के अंग दूषित हैं, विश्व व्यापार दूषित हैं और जन संचार दूषित है। जो काले धन के मालिक हैं, इसे वे इसका प्रयोग अपने लाभार्थ प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं।

महोदय, अब हम इस बैंकिंग घोटाले के मामले पर आते हैं, मुम्बई शेयर बाजार, जहां किसी में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वह लूटी गई या बाहर भेजी गई कुल धनराशि की मात्रा का पता लगा सके। इसलिए मैंने एक-दो दिन पहले कहा था कि यह सभी घोटालों का दादा है। बोफोर्स का मामला जिस पर हमने त्यागपत्र दिया था और सभा से बहिर्गमन किया है, इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बोफोर्स में लगभग 60-70 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त थी और इसमें अनुमान यह दर्शाते हैं कि इसमें 3,000 से 12,000 करोड़ की राशि अन्तर्ग्रस्त है।

महोदय, ऐसे मामले में आप सभा में क्या करवाने की उम्मीद रखते हैं; हमें क्या करना चाहिये ? अतः, हम अनुरोध कर रहे हैं कि यह रिपोर्ट जिसे उन्होंने तैयार किया था और सभा में रखा था, हमें स्वीकार्य नहीं हो सकती। इस पर चर्चा नहीं हो सकती। दोनों ओर से विचाराभिव्यक्ति होने के साथ यहां सहज रूप में चर्चा होगी और फिर सारे मामले को चुपचाप दफन कर दिया जायेगा। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। हम इसकी अनुमति इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमें बाहर जाकर लोगों का सामना करना है। अतः, मैं पुनः सरकार से अपील कर

रहा हूं कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है, सरकार, जिसका चेहरा हम रोज देखते हैं वह श्री विद्याचरण शुक्ल का चेहरा तथा सरकार को कोई अन्य भाग हमसे इस मुद्दे पर सामना नहीं करता। एक दिन प्रधान मंत्री महोदय मौजूद थे। अध्यक्ष जी आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। निःसंदेह, उन्होंने हमारी बात सुनी और अंत में उन्होंने कहा : "हमारे स्पष्ट विचार हैं और अध्यक्ष महोदय आप जो कुछ कहेंगे, हम उसे स्वीकार करेंगे।" लेकिन क्या यही सब कुछ कहा जाना था ? एक सप्ताह से हम सभा में, सभा से बाहर और इस सभा पटल के चारों ओर यही कह रहे हैं लेकिन सरकार अपनी ओर से बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रही है। अतः, इस प्रकार से हम अपने आपको अब और अधिक समय के लिए समितियों के साथ जोड़कर नहीं रख सकते क्योंकि संपूर्ण समिति व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है। इस समिति के प्रति अपनाये गये रवैये से संसदीय समितियों की धारणा को ही समाप्त किया जा रहा है। यह कोई साधारण समिति नहीं है। हमने यह बात यहां बहुत बार कही है। दोनों सदनों तथा सभी दलों के सदस्यों वाली एक समिति ने एक सर्वसम्मत रिपोर्ट पेश की थी। अब ऐसी समिति के प्रति, उस समिति की रिपोर्ट और उसके निष्कर्षों के प्रति सरकार के रवैये की परीक्षा होनी है। वे शायद सभी सिफारिशों को लागू करने में समर्थ न हों सकें तथा वे यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें लागू क्यों नहीं किया जा सकता और कुछ सिफारिशों को लागू करने में कोई कठिनाई है।

लेकिन उन्होंने समिति के निष्कर्षों को ही चुनौती दे दी है। यह कहकर कि यह रिपोर्ट अवांछित है, "अन्यायसंगत" है, "अनुचित" है, समिति की टिप्पणियों या निष्कर्षों को ही चुनौती दी गई है। अपनी गलती का अहसास होने पर अब वे कहते हैं कि अगर इन शब्दों पर किसी को आपत्ति हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा कि ये केवल शब्द ही नहीं हैं बल्कि किसी की सोच का एक हिस्सा है, इन शब्दों में किसी का दृष्टिकोण ही अभिव्यकता हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि सिफारिशों के अलावा इस समिति की टिप्पणियों और निष्कर्षों को सरकार चुनौती दे सकती है। वे इस पर अपना निर्णय दे सकते हैं। मेरा विनम्र सुझाव है कि उन्हें निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। निष्कर्षों पर निर्णय देने का काम सरकार का नहीं है। सिफारिशों के बारे में वह यह कहते हुए निर्णय दे सकते हैं कि कुछ को वह लागू कर सकते हैं, कुछ को स्वीकार नहीं कर सकते और कुछ को आंशिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह स्पष्ट कहना चाहिये कि वे इन्हें क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। हमें नहीं लगता कि इस प्रश्न पर अब तक सरकारी प्रवक्ता ने प्रकाश डाला हो।

अतः, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। हम, विपक्ष के हम सभी सदस्य आपस में विचार-विमर्श कर रहे हैं और कल हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे और पहले ही हम इसकी घोषणा प्रेस में कर चुके हैं कि सरकार के संपूर्ण रवैये के प्रति अपनी शिकायत और असहमति व्यक्त करने तथा सरकार की आलोचना के लिए हमने बड़ी अनिच्छता से संसदीय समितियों को स्वयं को असम्बद्ध करने का फैसला किया है। जब तक सरकार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करती इस गतिरोध को दूर करने के उपायों के साथ आगे नहीं आती तब तक इसे आज से लागू माना जायेगा। अभी भी समय है। मैं उन सदस्यों में सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि श्री शुक्ल यहाँ मौजूद हैं, वह रिपोर्ट वापिस लेकर इसे स्वीकार्य बनाने के उद्देश्य से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** अगर उन्हें कोई अधिकार नहीं है तो उन्हें ऐसा कहना चाहिये।

**श्री अब्दुल गफूर (गोपाल गंज) :** जो व्यक्ति यह कार्य कर सकता है, वह श्री राम लखन सिंह हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** आज के दिन में हमारे दलों के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी समिति के सदस्य हों, अपने-अपने त्यागपत्र दें देंगे। आप हमारा विश्वास कीजिये कि यह किसी भी प्रकार से समिति प्रणाली में हमारे विश्वास में कमी को नहीं दर्शाता। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति के प्रति इस दृष्टिकोण से समिति प्रणाली की जड़ों पर ही प्रहार किया जा रहा है।

अत: इस समय इन समितियों से स्वयं को अलग करने के अलावा अपनी शिकायत दर्ज़ करने का हमारे पास कोई प्रभावी तरीका नहीं है, हम आने वाले समय अर्थात हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं; हम यह केवल इसी समय कर रहे हैं। अगर सरकार अभी भी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो सभी दलों को पुन: एकत्र होकर कुछ आगे कार्यवाही करनी होगी, जिनकी अभी हमने घोषणा नहीं की है और जिस पर हमने अभी निर्णय नहीं किया है। अत:, इस प्रकार का टकराव अच्छा नहीं है। मैं इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूं।

हमें इस स्थिति के लिए मजबूर किया गया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, जिससे हमारे इतने अधिक आदर्शात्मक और राजनीतिक मतभेद हैं, ने कहा है कि सरकार ही है जिसने आज हमें एक मंच पर ला खड़ा किया है। प्रेस और जनता हमेशा इसके बारे में उत्सुक रहती है। सभी दल एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते ? उन्हें एक मंच पर आने से कौन रोकता है ? वे अब स्वयं देख सकते हैं कि स्वयं सरकार की मूर्खता से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसने सभी विपक्षी दलों को एक पर ला खड़ा किया है। उसके तार्किक परिणाम होने चाहिये। वह क्या है ? उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिये या कम से कम आज जो हम सर्वसम्मतति से कह रहे हैं, उसे स्वीकार करना चाहिये कि इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कृपया इसे वापिस ले लीजिये, इसमें संशोधन कीजिये, इसका विस्तार कीजिये, और जो कुछ इसमें किये जाने की जरूरत है, वह कीजिये। आपको अब तक मालूम हो गया होगा कि इस पर हमारी मुख्य आपत्तियां क्या हैं। तीन प्रश्न पहले ही गिनाये जा चुके हैं, लेकिन अभी और भी काफी हैं।

अगर आप चाहें, तो मैं व्यवस्था की असफलता के प्रश्न पर भी एक पत्र पेश करने के लिए तैयार हूं। प्रणाली असफल हो चुकी है।

संयुक्त संसदीय समिति ने ऐसी सिफारिशें दी हैं कि प्रणालीगत विफलताओं पर कैसे काबू पाया जाए; इसे किस प्रकार दूर किया जाए; यहां तक कि इन सिफ़ारिशों को भी स्वीकार और लागू नहीं किया गया है।

लेखा परीक्षा, बैंकिंग प्रणाली तथा दलालों की गतिविधियों पर संसदीय निगरानी जैसे अनेक सिफारिशें प्रणालीगत विफलतओं पर काबू पाने के लिए की गई हैं। क्या उन्हें स्वीकार कर लिया गया है ? अन्य बातों को तो छोडिए, क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है।

हम लोगों को इस बात का विश्वास नहीं दिला सकते कि इतना बड़ा घोटाला बिना किसी मंत्री स्तरीय उत्तरदायित्व के हो गया है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। इतना बड़ा घोटाला हो गया तथा कोई भी मंत्री इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, किसी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : कोई सरकार है ही नहीं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : अगर कोई सरकार है ही नहीं तो इस सरकार का यह दावा करने का क्या अर्थ है कि इसका इस सदन में बहुमत है तथा इसलिए हमें यह सब बातें सुननी होंगी। इसलिए, मंत्री स्तरीय उत्तरदायित्व, कुछ अन्य अधिकारियों तथा अन्य पदाधिकारियों के दोषी होने तथा विदेशी बैंकों की भूमिका से सम्बन्धित इन तीन मुद्दों के अतिरिक्त प्रणालीगत विफलताओं को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा की गई सिफ़ारिश को भी स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए, यह रिपोर्ट वर्तमान रूप में संतोषजनक नहीं है। इस पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। हम किस बात पर चर्चा करें ? मैं नहीं समझता कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

इसलिए, मेरा सरकार से निवेदन है कि इसे अपनी प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाये तथा जो हमने पहले ही आपसे कहा है, उसे समक्ष रखते हुए इसे वापस लिया जाये। अगर आप इस सम्बन्ध में और जानना चाहते हैं तो हम आपको और जानकारी दे सकते हैं। आप इसमें सुधार कीजिए, परिवर्तन कीजिए, संशोधन कीजिए, कुछ और सोचिए, परिशोधित करें तथा तत्पश्चात् एक ऐसी समुचित रिपोर्ट यहां प्रस्तुत करें जो चर्चा करने के योग्य हो।

इसके बिना हमारे पास अपने सहयोगियों के साथ सम्मिलित होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। मैं अपनी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। हमारी पार्टी के सभी सदस्य उन सभी समितियों से त्यागपत्र दे देंगे जिनके वे सदस्य हैं।

**श्री शरद दिघे** (मुम्बई उत्तर-मध्य) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी दलों ने सभी संसदीय समितियों से अपने आपको अलग करने का निर्णय ले लिया है।

सर्वप्रथम मैं उनसे पूरी निष्ठा से अपील करता हूं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हमारे विपक्ष के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ मुद्दे उठाये हैं, वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब उन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि यह एक राजनैतिक मुद्दा है, कोई संसदीय अथवा प्रक्रिया संबंधी मुद्दा नहीं है।

बेशक, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई एक राजनैतिक मुद्दा है और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केवल विपक्ष को ही नही बल्कि सत्ताधारी दल को भी संघर्ष करना चाहिये। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर यह एक राजनैतिक मुद्दा है तो इस पर इस सदन में चर्चा क्यों न की जाये तथा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये प्रस्तावित उपायों के संबंध में अपने विचार क्यों न प्रस्तुत किये जायें।

अब माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने स्वयं यह कहा है कि सरकार को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिये कि उसने वे सब कदम क्यों नहीं उठाये जो यह उठा सकती थी। इसी मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिये। ताकि आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकें और सरकार उन पर स्पष्टीकरण देने के लिये बाध्य होगी और आपके द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों को इसे स्वीकार करना होगा।

इसके अतिरिक्त विपक्ष के माननीय नेता श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह भी कहा है कि दो तीन बातें ऐसी हैं जिनके संदर्भ में आपको रिपोर्ट में संशोधन करना होगा अथवा इसे वापिस लेना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, विशेषकर प्रणालीगत विफलताओं के सबंध में, जिनके बारे में वे लिखित नोट देने को तैयार हैं। तो इन सब बातों पर चर्चा क्यों न की जाये ताकि हमें भी उनके विचारों का पता चल सके।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** आप रिपोर्ट को पढ़िये।

**श्री शरद दिघे :** इसलिये, यह वास्तव में आवश्यक है कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिये भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिये पहले कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा होनी चाहिये, जोकि सरकार ने दी है। केवल रिपोर्ट को वापिस लेने की मांग मेरे विनम्र विचारानुसार तर्कपूर्ण नहीं है।

हम इन समितियों में काफी समय से काम करते आ रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि यहां पर हम इन संसदीय समितियों से हट गये हैं जैसा कि माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि समस्त समिति प्रणाली को हानि पहुंचाई जा रही है। हममें से अधिकतर सदस्य विभिन्न समितियों में कार्य करते रहे हैं तथा मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ सदस्यों को लोक लेखा समिति प्राक्लन समिति, अधीनस्थ विचार संबंधी समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति आदि में कार्य करने का तथा इनमें अपनायी जा रही प्रक्रिया के संबंध में अनुभव है।

यहाँ पर हम रिपोर्ट के संबंध में आम सहमति के बारे में शोर मचा रहे हैं। ये सभी रिपोर्ट आम सहमति से बनती है और इनके संबंध में बहुत ही कम अवसरों पर कोई विमत टिप्पण आता है। सभी समिति रिपोर्ट आम सहमति से बनती है परन्तु फिर भी कई बार सरकार को यह कहना पड़ता है कि इसे ये सिफारिशें स्वीकार नहीं हैं और इसके संबंध में ये मुश्किलें हैं तथा ये अव्यावहारिक हैं। इसलिये वे इसे लागू नहीं कर पाये। ऐसी रिपोर्ट सदैव समिति के समक्ष आती है तथा मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं तथा आप सब जानते हैं कि प्रक्रिया यह है कि हम उनके द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण पर विचार करते हैं, तथा उसे पुन: उनके पास पुनर्विचार हेतु भेजते हैं।

अब, कल ही हमने लोकलेखा समिति में उत्पाद-शुल्क से सम्बन्धित कानून में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया था। सरकार का यह कहना था कि उत्पाद-शुल्क अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। हमने पुन: कहा कि नहीं इससे त्रुटियां दूर होंगी, इसलिए यह संशोधन कीजिए' तब मंत्रालय के सचिव ने कहा कि वे इस पर पुन: विचार करेंगे। इन समितियों में सामान्यत: यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि या तो सरकार कुछ सिफारिशें स्वीकार कर लेती है अथवा कुछ सिफारिशों को स्वीकार नहीं करती है तथा उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देती है। फिर समिति पुन: सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहती है।

जैसा कि मैंने अभी हाल ही में यहां कहा था कि यह कोई स्थायी समिति नहीं है। अब संयुक्त संसदीय समिति ही यह सदन है। अब चर्चा के दौरान यह सदन कह सकता है कि यह की गई कार्यवाही ठीक नहीं तथा अमुख कार्यवाही करनी चाहिए। तो सरकार को दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी ही पड़ेगी। यह कहना आवश्यक नहीं कि यह अन्तरिम रिपोर्ट है तथा जहां तक सिफारिशों और विचारों का सम्बन्ध है, कुछ भी अन्तिम नहीं है। हमें अपने विचार प्रकट करते रहना चाहिए तथा सरकार को बार-बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तब तक कहते रहना चाहिए जब तक माननीय अध्यक्ष इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं ले लेते। हमें इससे आगे जाने की आवश्यकता नहीं। इन सब बातों से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए व्यावहारिक रास्ता यह है कि इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाये। अब यह कहा जा रहा है कि सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। जहां तक मैं

जानता हूं, सरकार ने सदैव यह कहा है कि वह आपत्तिजनक शब्दों तथा अनुचित शब्दों को हटा देगी तथा इस पर खुले मन से विचार करेगी ताकि इसमें संशोधन किया जा सके। सरकार ने इस रिपोर्ट को अन्तरिम रिपोर्ट मानने का सुझाव दिया है तथा यह कहा है कि वे एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यहां तक कि वित्त मंत्री महोदय ने खेद तक प्रकट कर दिया है। परन्तु विपक्ष रिपोर्ट को वापस लेने के अतिरिक्त कोई और बात मानने को तैयार नहीं। तो फिर इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा किसने बनाया हुआ है। मेरा यह कहना है कि विपक्ष इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर खड़ा हुआ है तथा सरकार के खुले मन से इस पर चर्चा करके, कुछ बातों को स्वीकार करके, रिपोर्ट में संशोधन करके एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहती है।

अब यह बात सामने आ रही है कि इस रिपोर्ट को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि अगर आप रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि अनेक सिफारिशों को मान लिया गया है। कुछ पर कार्यवाही हो रही है। कुछ को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं ऐसा समझता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि इसकी शब्दावली उचित नहीं है। सरकार इन सबमें संशोधन कर सकती है .....(व्यवधान).....

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** कौन सी शब्दावली ?

**श्री शरद दिघे :** मैं यह स्वीकार करता हूं कि "यह उचित नहीं है" जैसी शब्दावली जो रिपोर्ट में प्रयोग की गई है, वह ठीक नहीं हो सकती है। इसके लिए हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं तथा जहां तक इसका सम्बंध है, सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी।

अन्ततः, मैं एक बात कहता हूं जिस पर आपको विचार करना चाहिए आज एक पार्टी सत्ता में है, कल दूसरी पार्टी सत्ता में आ सकती है तथा फिर कोई और पार्टी सत्ता में आ सकती है। क्या हम यह परम्परा स्थापित करना चाहते हैं कि विपक्ष की मांग के अनुसार मंत्रियों को मंत्रिमण्डल से निकाला जाए अथवा उसमें रखा जाये।

संसदीय लोकतंत्र में क्या प्रधान मंत्री का यह विशेषाधिकर नहीं है और क्या प्रधान मंत्री का यह विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए कि वह यह निर्णय करे कि किस मंत्री को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, किस मंत्री को रखना चाहिए और मंत्रिमंडल में किस सदस्य को शामिल करना चाहिए ? .....(व्यवधान).....

**श्री अन्ना जोशी (पुणे) :** जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए .....(व्यवधान).....

**श्री शरद दिघे :** क्या विपक्ष की ओर से अनुरोध किया जाना चाहिए ? यह सरकार का सामूहिक दायित्व है। आप सरकार की निंदा कर सकते हैं, उसकी नीतियों की निंदा कर सकते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में यह गलत प्रथा प्रारंभ हो जाएगी यदि हम विपक्षी सदस्यों के कहने से मंत्रिमंडल में किसी सदस्य को शामिल करें अथवा किसी को हटाएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखा जाए .....(व्यवधान)..... संसदीय प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि इस प्रतिवेदन पर चर्चा की जाए और उसके बाद सभा में हुई उस चर्चा को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) :** अध्यक्ष महोदय बड़े दुख के साथ मैं आपको यह सूचना

दे रहा हूं कि हमारे दल ने उन विभिन्न समितियों से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है जिनका कार्य करने के लिए हमारे दल के सदस्यों को नियुक्त अथवा नामित किया गया था। सरकार द्वारा इस गंभीर मामले का प्रतिरोध करने के कारण हम भारी मन से ऐसा कर रहे हैं।

महोदय, आपने अनेक दिनों तक गतिरोध दूर करने के लिए प्रयास किए हैं। महोदय, आपने इतना प्रयास किया है और बैठकें बुलाई हैं।

लेकिन हमें खेद है कि सरकार आपके प्रयासों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है।

महोदय, हमारे विद्वान नेताओं श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री शरद यादव, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है उसे न दोहराते हुए मैं इस संबंध में दो शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, श्री शरद दिघे ने जो अभी 'निष्फल' या 'अनपयुक्त' शब्दों के बारे में जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त मुद्दा यह है कि यह न केवल समितियों और सभा का अपमान करना है बल्कि पूरे देश में यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि यह सरकार प्रतिभूति घोटाले के संबंध में वास्तव में गंभीर नहीं है। जनता यह समझती है कि यदि एक मामले में जनता का 5000 करोड़ से 6000 करोड़ रुपया और निवेशकों का 50,000 करोड़ रुपया डूब जाता है तो क्या सरकार का ध्यान आकर्षित करने और संयुक्त संसदीय समिति द्वारा टिप्पणी करने के लिए यह गंभीर मामला नहीं है, क्या सरकार यह महसूस करती है केवल लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होने पर ही समिति की टिप्पणियां प्राप्त करनी चाहिए ? जनता उस तरीके से सोचती है और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के बारे में सरकार की नेकनीयती के बारे में विदेशों में गलत सूचना दी जा रही है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार का कहना है और प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि यह प्रणाली की असफलता है। लेकिन प्रणाली असफल होने के कारणों को दूर करने के लिए समिति ने जो ठोस सुझाव दिया है उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है कि एस जी एल का निरस्त होना दंडनीय होना चाहिए। वे इसे और संशोधनों के सुझाव के लिए किसी अन्य समिति को सौंप रहे हैं।

महोदय, एकदिन जब माननीय प्रधानमंत्री संयुक्त राज्य अमरीका के दौरे पर जा रहे थे तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे बहु-राष्ट्रीय निगमों को संतुष्ट करने के लिए उनके विमान में चढ़ने से एकदम पहले राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति की घोषण की गई और उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया कि विदेशी इक्विटी की कितनी प्रतिशता की अनुमति देनी चाहिए, राष्ट्र की रक्षा के दृष्टिकोण से कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने केवल राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति की घोषणा कर दी। उन्होंने एस जी एल के निरस्त होने के बारे में भी कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं किए।

मैं दुःख के साथ यह कह रहा हूं कि प्रतिभूतियों के अंतर-बैंक लेनदेन में दलालों की भूमिका के कारण यह घोटाला हुआ है और संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने कहा है कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है और भविष्य में भी इसकी अनुमति दी जाएगी। जब किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को अन्य किसी बैंक से प्रतिभूति की आवश्यकता होती है तब दलाल बीच

में क्यों आते हैं जो कमीशन के रूप में काफी पैसा ले लेते हैं ? हमने अनेक अर्थहीन बातें देखी हैं। ये सभी बातें हमारे विचारों के अनुरूप हैं .....(व्यवधान).....

मैं इनकी विशेषताओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल उन मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि सरकार संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही नहीं करना चाहती है। इसलिए हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस प्रतिवेदन को वापस लिया जाना चाहिए। इस तथ्य के बावजूद कि सरकार इससे सहमत नहीं हुई कि प्रतिवेदन में प्रारंभ से ही कुछ गलतियां हैं और बाद में वित्त मंत्री इस बात से सहमत हो गए कि कतिपय शब्दों द्वारा समिति की गरिमा और उसके माध्यम से संसद की गरिमा का अपमान किया गया है, सरकार इस प्रतिवेदन को वापस लेने के मुद्दे की प्रतिष्ठा का प्रश्न क्यों बना रही है ?

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन को वापस ले और 'वास्तविक' की गई कार्यवाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिसमें संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही की गई हो और तभी इस पर चर्चा करने का उद्देश्य पूरा होगा। तब तक हमारे दल के सदस्यों ने स्वयं को संसदीय समितियों से अलग रखने का निर्णय लिया है। यदि सरकार अपना रवैया नहीं बदलती है तो हम इस सत्र की आगे की कार्यवाही का भी बहिष्कार करेंगे।

**1.00 म॰ प॰**

**श्री इब्राहिम सुलेमान सेट** (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा। इस समय मैं संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन की विशेषताओं के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के प्रति सरकार के रवैये से इस देश के लोकतंत्र को धक्का पहुंचा है। यह प्रतिवेदन सर्वसम्मति से दिया गया प्रतिवेदन था और ऐसे प्रतिवेदन को अस्वीकार करना पूरी संसद का अपमान करना है और हम सरकार के ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

मै हमेशा कहता रहा हूं कि सरकार को पहल करके इस प्रतिवेदन को वापस लेना चाहिए। मेरा कहना है कि सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट न होकर संकीर्ण है। अत: यह निर्णय उपयुक्त नहीं है।

इन परिस्थितियों में मैं विपक्ष का समर्थन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय लीग, जो एक संप्रभु और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल है, का प्रतिनिधित्व करते हुए इस सभा के सदस्य के रूप में अभी संसदीय समितियों से स्वयं को अलग करता हूं।

इसलिए मैं विपक्षी दलों का समर्थन करता हूं और फिलहाल अनिच्छापूर्वक मैं सभी संसदीय समितियों से स्वयं को अलग करता हूं।

[अनुवाद]

**1.01 म॰ प॰**

**श्री पी॰ सी॰ चाक्को** (त्रिचूर) : महोदय, पिछले कुछ दिनों, दुर्भाग्य से देश में इकतरफा धारणा फैलने

दी गई। हम सत्ता पक्ष के सदस्य बहुत विक्षुब्ध थे और सिर्फ इसलिए चुप्पी धारणा किये हुए थे क्योंकि हम चाहते थे कि विचार-विमर्श के पश्चात् विपक्षी सदस्य विवेकपूर्ण तरीका अख्तियार करेंगे। मुझे बहुत दु:ख है कि पिपक्षी सदस्य-विपक्ष के दल-स्वयं को संसदीय समितियों से अलग करने के निर्णय की घोषणा कर रहे हैं। यहां, मैं रिकार्ड को सही रखने के लिए एक बात कहना चाहता हूं। महोदय, आज विपक्ष में, कम से कम, एक दल-मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा है-यह कह रहा है कि वे अधिकांश विपक्षी दलों की इस कार्यवाही से सहमत नहीं हैं और संसदीय समितियों से त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। यह कम से कम यह दर्शाता है कि कुछ विपक्षी दलों की यह कार्यवाही अतिवादी प्रतिक्रिया है अथवा इस पर विपक्षी दलों में भी सर्वसम्मति नहीं है। कम से कम विपक्ष में से एक दल ने अपने इस निर्णय की घोषणा की है कि वे संसदीय समितियों से त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्हें उसकी कुछेक बातों पर आपत्तियां हैं। इससे भी यही दर्शित होता है कि विपक्ष द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है, वह पूर्ण रूप से ठीक नहीं है।

सदस्यों ने अठारह महीनों तक संयुक्त संसदीय समिति में काम किया और बड़ा कठिन श्रम किया। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति में इतना अधिक समय व्यतीत किया। जब संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल समाप्त हुआ तो बड़े क्षोभ के साथ मैंने अपने कुछ सदस्य मित्रों को बताया कि अपने बेहतरीन प्रयासों के बावजूद भी संयुक्त संसदीय समिति इस घोटाले की धनराशि का प्रयोग कहां हुआ, इस निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। संसदीय समिति की अपनी सीमायें होती हैं। इसलिए, संयुक्त संसदीय समिति भी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। लेकिन मैं उसके निर्णय का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त के विश्लेषण से पूर्ण रूप से सहमत हूं। महोदय, विपक्षी सदस्य अपनी बात रखने के लिए उत्सुकतावश यह कह रहे हैं कि अगर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू किया जाये तो सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। महोदय, मुझे दु:ख है कि वे गलत समझ रहे हैं। तर्क की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि अगर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया जाये तो भी यह समाज की सभी बुराइयों के लिए कोई रामबाण औषधि नहीं है।

मैं यहां एक या दो बातें कहना चाहता हूं क्योंकि उन्हें इस सभा में गलत ढंग से पेश किया गया है। महोदय, जब हमने श्री शंकरानन्द का उल्लेख किया तो हमने जानबूझकर उनका भारतीय तेल विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उल्लेख किया। महोदय सरकार में केवल एक मंत्री ऐसे हैं, जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ऐसा हुआ था कि यह निर्णय श्री शंकरानन्द ने नहीं बल्कि उनके पूर्वाधिकारी श्री एस॰ पी॰ मालवीय ने लिया था। जब वह मंत्री थे तो उन्होंने यह निर्णय लिया था कि स्वयं मंत्री ही भारतीय तेल विकास बोर्ड का अध्यक्ष होगा। मंत्री की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। भारतीय तेल विकास बोर्ड के अध्यक्ष के नाते उनका सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ लेन-देन होता है। मुझे विश्वास है, कि माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह तथा श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को अच्छी प्रकार याद होगा कि हमने श्री शंकरानन्द का उलेख करते हुए जानबूझकर "भारतीय तेल विकास बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष" शब्दों का प्रयोग किया था। आज श्री वाजपेयी जी कहते हैं कि वे तभी खुश होंगे जब मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। लेकिन वे भारतीय तेल विकास बोर्ड के अन्य भूतपूर्व अध्यक्ष, जो अभी भी विपक्ष में हैं, के विरुद्ध

क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं। मैं यहां पूर्व अध्यक्ष का उल्लेख कर रहा हूं। मैं संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का पूर्ण समर्थन करता हूं। संयुक्त संसदीय समिति का निश्चित निष्कर्ष यह था कि जहां कहीं भी अनियमितता हुई, हमने कहा है : "वर्षों से"। इसका क्या तात्पर्य है ? संयुक्त संसदीय समिति के पास इसके अकाट्य प्रमाण हैं कि अनियमिततायें 1980 के आरम्भ से ही हो रही हैं। अतः, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अगर वे कार्यवाही करने के लिए कह रहे हैं, तो यह 1980 के आरम्भ से ही शुरू होनी चाहिए .....(व्यवधान).....

**श्री राम विलास पासवान :** हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। आप 1986 से ही कार्यवाही कीजिये।

**श्री पी॰ सी॰ चाक्को :** पासवान जी, आपने रिपोर्ट को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। इसमें 1980 का भी उल्लेख है। आप अपने मित्र, श्री जार्ज फर्नान्डीज़ से अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा था। अतः, रिपोर्ट में जहां कहीं भी 'अनियमितता' शब्द मिलता है, हम सभी इस पर सर्वसम्मत हैं कि यह 1980 के आरम्भ से ही हो रहा है। अतः, अगर आप मंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से ही संतुष्ट होते हैं, तो क्या आप विगत पर भी विचार करेंगे ? क्या आप एक उदाहरण पेश करेंगे।

**श्री राम विलास पासवान :** जी हां, हम तैयार हैं।

**श्री पी॰ सी॰ चाक्को :** तो फिर आप उन सदस्यों को संसद से त्यागपत्र देने को कहिये, जो उस समय मंत्री थे।

महोदय, अगर वे ईमानदार हैं, तो उन्हें पहले सदस्यों से, अपने नेताओं से, जो अभी भी संसद में हैं, जो अभी भी राज्य सभा में हैं, स्वयं त्यागपत्र देकर उदाहरण पेश करने के लिए कहना चाहिये। अगर कोई मंत्री आगे आकर यह जिम्मेदारी ले और कहे कि वह त्यागपत्र दे रहे हैं, तो मैं अधिक प्रसन्न व्यक्ति होऊँगा। लेकिन क्या वे इससे सहमत होंगे ? क्या वे अपने मित्रों से, जो इस सभा में तथा दूसरी सभा में भी पदों पर आसीन हैं, त्यागपत्र देकर उदाहरण पेश करने के लिए कहेंगे ? अगर वे ईमानदार हैं, तो वे ऐसा करें।

महोदय, अनावश्यक रूप से एक धारणा उत्पन्न की जा रही है और उसे और निम्नतम स्तर पर पहुंचने दिया जा रहा हैं जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है, यह चर्चा का एक मंच है। आपने हम सभी को अपनी विवेकपूर्ण सलाह दी है लेकिन दुर्भाग्य से इसे विपक्षी दल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम प्रतिष्ठा के प्रश्न पर नहीं अड़े। इस सरकार ने अपनी स्थिति परिवर्तित कर ली है। वे इसे ग्मूर्खता या गलती कह सकते हैं, लेकिन हमने उस गलती को सम्मान समझा है। हमने पहले रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर कहा कि अगर उसमें किसी प्रकार की असंसदीय भाषा का उल्लेख है, तो हम उसे परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। उस बैठक में भी जो आपने अपने कक्ष में आमंत्रित की थी, वित्त मंत्री जी, जिनके वहाँ आने की उम्मीद नहीं थी, चुपचाप आये और स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव रखा कि वह बिना किसी शर्त के मांगने को तैयार हैं। फिर प्रतिष्ठा का प्रश्न ही कहां रह जाता है ? क्या वे अभी भी यह कह सकते हैं कि हम प्रतिष्ठा के प्रश्न पर अड़े हुए हैं ?

यह सरकार रिपोर्ट में संधोधन करने के लिए तैयार थी। अनेक सदस्य कह रहे थे, "रिपोर्ट को फैंक दो, रिपोर्ट को रद्द कर दो।" एक समझदार और वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा : आप रिपोर्ट में संशोधन कीजिये, आप रिपोर्ट में परिवर्तन कीजिये। सरकार रिपोर्ट में परिवर्तन करने के लिए तैयार है। संसदीय

कार्य मंत्री तक को भी बार-बार इस सदन में वक्तव्य देने की भी अनुमति नहीं दी गई। क्या इस संसदीय प्रक्रिया को हम अपनाना चाहते हैं ? उन्होंने वित्त मंत्री जी को वक्तव्य नहीं देने दिया। उनके विरुद्ध दोषारोपण करते रहे हैं। वे बार-बार एक साथ खड़े हो गये और उन्होंने इस सभा में मात्र एक वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी। क्या हम इसी प्रकार का लोकतंत्र इस देश में चाहते हैं ? वे लोग जिन्होंने हम सभी को चुना है, देश के कोने-कोने से हम पर निगाह रख रहे हैं कि हम पिछले चार दिनों से क्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। मैं अपने माननीय सहयोगी की इस बात का समर्थन करता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध मिलकर लड़ना होगा। यह कोई दलगत मुद्दा नहीं है। जैसाकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक कहा है उन्होंने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। यह राजनीतिक प्रतिक्रिया है। अगर वे इस मामले को चौराहे पर ले जाना चाहते हैं तो हम भी वैसा ही करने को तैयार हैं। इस मुद्दे पर लड़ाई यहीं होने दीजिये। हम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, और कई अन्य स्थानों पर इस राजनीतिक लड़ाई को देख चुके हैं, लेकिन वे वहां सफल नहीं हुए।

संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी ओर से बेहतरीन प्रयास किये लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई थी। अब वे चाहते हैं कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट वापिस ले ली जाये। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कार्यवाही बन्द कर दी जायेगी। सरकार ने कार्यवाही की है और ऐसा करना जारी रहेगा। यदि तर्क के लिए ही हम सोचें कि अगर हम रिपोर्ट वापिस ले लें तो इसका गुणवत्ता की दृष्टि से क्या प्रभाव होगा ? कार्यवाही जारी रहेगी। कार्यवाही की शुरूआत हो चुकी है। अनके मामले दर्ज किये जा चुके हैं। मेरे मित्र श्री वी॰ एस॰ राव कह रहे थे कि यह कोई की गई कार्यवाही रिपोर्ट नहीं है। इसकी एक सिफारिश पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का सुदृढ़ किया गया था। जब हम स्वयं संयुक्त संसदीय समिति में थे, अनेक कार्यवाहियां की गई थी। हम उसमें एक अनुबन्ध जोड़ना चाहते थे। जो कार्यवाही की गई है, उसके बारे में मैं हम संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में ही एक अध्याय जोड़ना चाहते थे। दुर्भाग्य से, हमारे पास समय नहीं था, अन्यथा हमने संयुक्त संसदीय समिति में चर्चा की थी कि जो कार्यवाही की जाये, उसके बारे में हम एक अध्याय जोड़ेंगे। यह इस सरकार की ईमानदारी को दर्शाता है। सरकार दो पृष्ठ की एक साइक्लोस्टाल्ड रिपोर्ड पेश कर सकती थी और वे उसे संतुष्ट हो जाते। लेकिन अब हम सोचते हैं कि हमें इस सरकार की ईमानदारी के कारण सजा मिल रही है।

**[अनुवाद]**

**श्री चाक्को जारी** : हमें इसलिये शिकार बनाया जा रहा है क्योंकि यह सरकार स्पष्ट बात करती है। .....**(व्यवधान)**..... प्रत्येक मुद्दे पर हमने यह कहा कि यह हमारी प्रतिक्रिया है। आप किस बात के लिये हम पर आरोप लगा रहे हैं ? उस दो पृष्ठ के साइक्लोस्टाइल्ड लेख को बजाये हम यह कह सकते थे कि संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुपालन में हमने निम्नलिखित कार्यवाही की है। आपकी ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी ? कुछ साथी अंतरात्मा के बारे में कह रहे हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी अंतरात्मा के बारे में कह रहे थे। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिये कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होती। इस सरकार ने प्रत्येक मामले पर कार्यवाही की है। संसदीय इतिहास में किसी भी सरकार ने किसी प्रतिवेदन को पूरी तरह से स्वीकार अथवा लागू नहीं किया।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : यह सब झूठा है।

**श्री पी॰ सी॰ चाक्को :** सरकार अपनी बात बाद में कह सकती है।

सरकार को किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में मुझे खुशी है आपकी की गयी कार्यवाही प्रतिवेदन का निधन संबंधी के वाक्य से सन्तुष्ट हो सकते हैं। लेकिन कम से कम आज इस सभा में एक चर्चा तो हुई है। इस दल को, इस सरकार को इतिहास में एक ऐसी सरकार के रूप में याद किया जाएगा जिसने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को ईमानदारी से लागू करने की कोशिश की है। .....(व्यवधान)..... मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। यदि किसी स्थान पर जानबूझकर अथवा बिना जानबूझकर संयुक्त संसदीय समिति के बारे में अपमानजनक बात कही जाती है तो हमारी ओर से प्रत्येक सदस्य को खेद होगा। हमारे संसदीय कार्य मंत्री तथा हमारे वित्त मंत्री ने इस बात को खासतौर पर स्पष्ट किया है कि वे इसमें संशोधन करने के लिये तैयार हैं और वे किसी भी अपमानजनक बात को वापिस लेने के लिये तैयार हैं। वे इस बात पर तर्क नहीं करेंगे कि वे बातें अपमानजनक हैं अथवा नहीं। आप हमें शब्द बताइये और हम उनमें संशोधन करने को तैयार हैं।

महोदय यह सरकार प्रतिष्ठा के मुद्दे पर नहीं अड़ी है। कुछ लोग तो संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन को उचित ढंग से समझ ही नहीं पाये। यहां तक कि संयुक्त संसदीय समिति के सभापति, इस समिति के सदस्य और समग्र रूप से समिति इस प्रतिवेदन पर पूर्णतया प्रसन्न और सन्तुष्ट नहीं थी क्योंकि 18 महीनों के बाद भी हम इस बात का पता नहीं लगा पाये हैं, कि किस आखिर धन राशि का इस्तेमाल कहाँ किया गया। हम चाहते थे कि सरकार जांच कराये। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य सरकारी एजेन्सियां जांच में लगी हुई हैं। मामले पंजीकृत किये जा रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड को मजबूत सुदृढ़ बनाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। क्या आप इन सभी बातों को व्यर्थ में गवांना चाहते हैं ? क्या आप इन सभी बातों को नकार देना चाहते हैं ?

आप सरकार द्वारा की गयी तमाम कार्यवाही को स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन इस देश के लोग उसे स्वीकार करेंगे। यदि आप किन्हीं राजनैतिक उद्देश्यों से यह कार्य कर रहे हैं, तो ये राजनैतिक नारे भारत की गलियों में सिखाये जायेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है। .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान :** अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि अभी तो आप एक्शन लें और अगर 1986 से भी कोई करप्शन हुआ है, तो उसकी भी जांच करवाकर एक्शन लेने का काम करें। . ....(व्यवधान).....

[अनुवाद]

**श्री ए॰ चार्ल्स** (त्रिवेन्द्रम) : 1986 में श्री वी॰ पी॰ सिंह वित्त मंत्री थे। सबसे पहले उन्हें त्यागपत्र देना चाहिये। आप सबसे पहले उन्हें त्यागपत्र देने के लिये कहें और

[हिन्दी]

इसके बाद आप यहां पर बात करें। .....(व्यवधान).....

**श्री राम विलास पासवान :** हम चाहते हैं कि आप एक्शन लें और किसी मंत्री ने कोई गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ एक्शन लें।

[अनुवाद]

हम की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में रुचि नहीं रखते। हम तो कार्यवाही चाहते हैं। .....(व्यवधान)..... लेकिन आपको कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए .....(व्यवधान).....

**श्री पी० जी० नारायणन** (गोबिचेट्टिपालयन) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से हम एक ऐसी स्थिति तक पहुंच चुके हैं जहां पर सरकार को स्थिति को संभालने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये। मेरे विचार से यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर सरकार की प्रतिष्ठा पर आडिग रहना चाहिये। जहां पर संसदीय समितियों, विशेषकर संयुक्त संसदीय समिति, की प्रतिष्ठा और विशेषाधिकार की बात आती है, यदि सरकार की गयी कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में शामिल कमियों और त्रुटियों को ठीक करती है तो कोई गलत नहीं होगा। हमारी मांग यह है कि उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये जिनका संयुक्त संसदीय समिति में उल्लेख किया गया है। संयुक्त संसदीय समिति के बारे में सरकार की अपमानजनक टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिये।

एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली के हित में मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि सरकार को एक नया प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए अथवा कोई ऐसा ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए जो कि सभी दलों को संतोषजनक लगे और जो इस संकट की स्थिति को समाप्त कर सके।

जहां तक हमारे दल का संबंध है, हम यह महसूस करते हैं कि संसदीय समितियों से त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है।

हम संसदीय समितियों में शामिल रह कर ही अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में मैं अपने मित्रों का साथ देते हुए आपको यह सूचित करता हूं कि सरकार का संसदीय समितियों तथा स्थायी समितियों और इस संसद के प्रति जो रवैया है, उसके विरोध में हमारी पार्टी सभी संसदीय समितियों और स्थायी समितियों से त्याग पत्र दे देगी। मैं की गयी कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के गुणाव गुणों पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन आकलन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि की गयी कार्यवाही संबंधी यह प्रतिवेदन लोगों की बुद्धिमता का अपमान है। यह संसद से धोखाधड़ी है। यह इस सदन का अपमान है। अंत में, यह इस सदन की उस परम्पराओं पर प्रहार है जोकि संसदीय समितियों के कार्यकरण के मामलों के संबंध में इस सदन ने वर्षों से कायम की हैं।

महोदय, वास्तव में, आपने ही सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़ी स्थायी समितियों के माध्यम से कार्य करने की नयी प्रणाली का सूत्रपात किया है। हमारा यह अनुभव रहा है कि इन समितियों को भी वांछित परिणाम तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा है। इसलिये संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों की तरफ जो दृष्टिकोण दर्शाया जा रहा है, वह एक उदाहरण है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिये। यह एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन था और वास्तव

में, इस सर्वसम्मत प्रतिवेदन को यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें, बहुत ही अशिष्ट तरीक से रद्द कर दिया गया है। उन्होंने संसदीय उत्तरदायित्व के मूलभूत सिद्धान्त का परित्याग कर दिया है। उन्होंने सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्री मंडल के उत्तरदायित्व के मूलभूत सिद्धान्त का परित्याग कर दिया है। ये सिद्धान्त संसदीय प्रजातन्त्र के स्तम्भ होते हैं। यदि सरकार इन स्तंभों को नष्ट कर सकती है तो यह इमारत टिकी नहीं रह पायेगी। अत: संसदीय प्रजातन्त्र के हित में तथा संसदीय व्यवहार के मूलभूत सिद्धान्तों की रक्षा करने के लिये हमारे पास विनम्रतापूर्वक यह कहने के सिवाय और कोई भी विकल्प नहीं है कि हम इन समितियों में नही कर सकते जोकि आपने बहुत प्रसन्नता से गठित की थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमने यह निर्णय बड़े ही संकोच के साथ लिया है।

**श्री ई॰ अहमद (मंजेरी)** : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के लिये यह एक चिंता का विषय है कि यह संसद एक ऐसे गतिरोध पर पहुंच गयी है और हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि हम इस स्थिति से बचने का उपाय खोजें। वास्तव में संसदीय समितियों से निकल जाने का विपक्षी दलों का निर्णय एक दुर्भाग्यजनक, निर्णय है और यदि विपक्षी सदस्य इन समितियों से निकल जाते हैं तो संसद के इतिहास में यह एक बहुत ही अशुभ दिन होगा। सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह ऐसी स्थिति से बचने के लिये तमाम कदम उठाये। इस सभा का अपना सामान्य कामकाज भी चलाना है और विशेषकर कुछ अन्य संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है जोकि आज हमारे देश के सामने है जैसे कि बाढ़, चीनी घोटाला और अन्य ऐसी बातें जिनके बारे में विपक्ष के माननीय नेताओं ने पहले भी उल्लेख किया है। अत: यह समय टकराव का समय नहीं है, बल्कि समन्वय का समय है।

महोदय, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में अनेकों त्रुटियां हैं।

ये त्रुटियां इस प्रतिवेदन में हैं चाहे कोई इसे पसन्द करें अथवा न करें। एक निर्विवाद सत्य यह है कि की गयी कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन में अनेकों त्रुटियां हैं। अत: यह एक ऐसा समय है जब सरकार को अपनी प्रतिष्ठा के मुद्दे पर अड़े नहीं रहना चाहिये। मैं विपक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि उन्हें भी प्रतिष्ठा के मुद्दे पर अड़े नहीं रहना चाहिये। सभा के समक्ष आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इस समस्या को किस तरह से सुलझाया जाये।

महोदय, अध्यक्षपीठ तथा दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के प्रति बड़े आदर के साथ मैं कहूंगा कि सरकार को सभा के समक्ष आकर यह स्वीकार करना चाहिए कि सभा में पहले से प्रस्तुत रिपोर्ट में खामियां हैं। सरकार सभा को यह आश्वासन भी दे कि एक और रिपोर्ट आएगी। यह रिपोर्ट एक अतिरिक्त अथवा अनुपूरक अथवा व्यापक रिपोर्ट हो सकती है जिसमें ये सभी खामियां शामिल की गई हों। जब खामियां हों तो सरकार का कर्त्तव्य है कि इन्हें शामिल करें और सभा के समक्ष उद्देश्य के प्रति निष्ठा व्यक्त करें। ... ..(व्यवधान)..... मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं आप इससे सहमत हों या न हों।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। सरकार ने जो रवैया अभी तक अपना रखा है उसे बदलना होगा। सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। सरकार अपने दृष्टिकोण

को कैसे बदल सकती है ? पहले तो उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि सभा के समक्ष रिपोर्ट में खामियां हैं और दूसरे सरकार सभा को आश्वासन दे कि इन खामियों को अतिरिक्त रिपोर्ट अथवा अनुपूरक रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। सभा के समक्ष इस अनुपूरक रिपोर्ट के पेश होने तक हम मौजूदा चर्चा को स्थगित रखेंगे और अनुपूरक रिपोर्ट पेश होने पर हम इस मामले पर विस्तारपूर्वक, अच्छी तरह चर्चा कर सकते हैं। महोदय, यहां पर पहले ही एक चर्चा हो चुकी थी। हमने सभा में आंशिक रूप से इस मामले पर चर्चा कर ली है। मैं मानता हूं कि यह पूर्ण चर्चा नहीं थी इसलिए, जैसा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और इस सभा के वरिष्ठतम सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने सुझाया है, सरकार जब एक और रिपोर्ट पेश करे जिसे आप अनुपूरक अथवा अतिरिक्त या व्यापक रिपोर्ट कह सकते है और जिसमें पर्याप्त संशोधन शामिल हों और यह विस्तृत रिपोर्ट हो तब इसके बाद हम इस रिपोर्ट पर पूर्ण चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल हमें इस मुद्दे का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और हम सभा में अन्य मामलों पर चर्चा कर सकते हैं।

महोदय, मैं नहीं जानता कि समितियों से हटने के विपक्ष के निर्णय का समर्थन किया जाएगा या नहीं। महोदय, इस देश को एक बहुत ही गंभीर और नाजुक मुद्दे का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, बाबरी मस्जिद लीजिए। मेरे विचार से इससे अधिक गंभीर कोई अन्य मुद्दा नहीं था। लेकिन फिर भी मैं और उस समय पार्टी में जो भी थे वे सरकार या समितियों से अलग नहीं हुए हैं। इसलिए जहां तक मेरा संबंध है समितियों से हटने के लिए यह समय उचित नहीं है। फिर भी, मैं इस सभा के समक्ष यह कहता हूं कि इस समय हम सभी को टकराव का रवैया अपनाने की बजाय सहयोग का रवैया अपनाना चाहिए।

मुझे आशा है और मैं संसदीय कार्य मंत्री अथवा अन्य संबंधित मंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि वह सभा के समक्ष आएं और सह स्वीकार करें कि खामियां है और सभा को आश्वस्त करें कि एक नई रिपोर्ट सभा में पेश की जाएगी। तब तक अगर आवश्यक हो तो हम इसे अन्तरिम रिपोर्ट मान सकते हैं और हमें इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री पीयूष तीरकी** (अलीपुरद्वार) : अध्यक्ष जी, यह कोई पार्टी का विषय नहीं है। यह एक नेशनल ईश्यू है और इस नेशनल ईश्यू के लिये चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या विरोधी पार्टी के लोग हों, उनमें से यह कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे देश में इस तरह की लूट होती रहे। जहां तक रूलिंग पार्टी के सदस्यों की बात है, वे भी नहीं चाहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में हो।

ऐसा हुआ है कि जब से मनुष्य जाति हुई है तभी से यह सब समस्याएं हैं। बात वह नहीं है। चोरी, लूट पहले से होता आया है लेकिन जब दोषी पकड़ा जाता है तो उसे छोडा नहीं जाता है। जेपीसी ने दोषी को पकड़ लिया है। बहुत मर्डर होते हैं, बहुत बलात्कार होते हैं किन्तु जो पकड़ा गया तो सिर्फ यह कहकर उसको छोड़ा नहीं जा सकता कि यह होता आया है। आप कांग्रेस के मेम्बरान को बचाने के लिए कायदे-कानून ला रहे हैं, जेपीसी की रिपोर्ट की आलोचना कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अपनी सरकार से कहें कि ऐसे दुराचारी चाहे मंत्री हों या अफसर हों, यही मौका है उनको शुद्ध रूप से जनता के सामने आने के लिए। यह नहीं कि भ्रष्टाचार को

दबाएं और उसके पक्ष में बोलें। इसलिए अपनी पार्टी की ओर से मैं भी कहता हूं कि इस भ्रष्टाचार के विरोध में हमारी पार्टी के सदस्य सभी संसदीय समितियों से रिज़ाइन करते हैं और आगे के लिए मैं इस सरकार को कहता हूं कि यह आपकी पार्टी की बात नहीं है बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है और इसको दूर करने के लिए जेपीसी ने जो कदम उठाया है उसको मान लें इसी में आपकी भलाई है।

**श्री शिबू सोरेन (दुमका) :** अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में हम लोग सबसे आखिरी न्याय के लिए इस संसद में पहुंचे हैं। यह छोटी सी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात कि प्रतिभूति घोटाले में जो समिति बनी थी, उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जब इतने बड़े घोटाले में कोई चोर नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, सांसदों का हस्तक्षेप ही इसका सबसे बड़ा मूल कारण है। समितियों की रिपोर्ट क्या, हम सांसदों को चाहिए कि हम संसद से ही रिज़ाईन करें। हम लोगों ने पिछली बार देखा बोफोर्स कांड जो 65 करोड़ का था, उस पर कुछ करें या न करें लेकिन यह तो 5000 करोड़ का घोटाला है। थोड़ा सा भी कहीं से पता न चले तो संसदीय समिति बनाने का क्या फायदा है, रिपोर्ट बनाने का क्या फायदा है और हम लोग जो बहस करते हैं इसका क्या फायदा है ? यहां कोई बात बोलने का फायदा नहीं है। देश के लोग क्या कहेंगे कि संसद में कहते हैं कि 5000 करोड़ घोटाले में फलां को पकड़ा जाएगा लेकिन एक व्यक्ति भी नहीं पकड़ा गया। इसलिए यह बड़े अपमान की बात है। हम लोग जनता को क्या जवाब देंगे ? सारा देश जल रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि जो संसदीय रिपोर्ट बनी है और इसमें जो मेम्बर हैं जिनका दावा है कि दोषी व्यक्तियों की पहचान होनी चाहिए तभी हम लोगों की इज्जत बचेगी, यह ठीक है। वरना हम लोगों को संसद में आने और इस प्रकार की प्रणाली बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

**जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** मुझे खुशी है कि इस मुद्दे पर संक्षिप्त लेकिन सार्थक वाद-विवाद हुआ है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आपके कक्ष में तथा बैठकों में भी मैं पहले कह चुका हूं कि हमने प्रतिष्ठा का कोई मुद्दा नहीं बना रखा। हम सुझाव सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे विचार खुले हैं और मैं कहता हूं कि इस संक्षिप्त चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने कुछ बहुत ही उपयोगी सुझाव दिये हैं और हम इन सभी सुझावों को पूरी तरह ध्यान में रखेंगे और इन मामलों पर सार्थक कार्यवाही करेंगे।

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) :** ये मुद्दे क्या हैं ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** अनेक मुद्दे उठाए गए हैं। मैं इन मुद्दों का उल्लेख करना अथवा इन पर तर्क करना नहीं चाहता। निःसन्देह इन मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। हमने इन मुद्दों को नोट कर लिया है। हम संसद तथा संसदीय समितियों की सर्वोच्चता कायम करने में किसी से पीछे नही हैं।

[हिन्दी]

माननीय वाजपेयी जी ने संसदीय मर्यादाओं की बात की। संसदीय मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए वाजपेयी जी हमेशा प्रयत्नरत रहे हैं, काफी उन्होंने प्रयास किया है और हम लोगों ने भी अपनी तरफ से इस काम में पूरा प्रयास किया है कि संसदीय मर्यादाओं की रक्षा हो। मैं समझता हूं कि समस्त अपोजीशन की तरफ से, समूचे विपक्ष

की तरफ से इस बात का प्रयास किया जाता रहा है कि संसदीय मर्यादाओं को अक्षुण्ण बनाये रखा जाये क्योंकि बिना संसदीय मर्यादाओं के हम लोग चाहे कोई कार्य करें, संसद को चलाने का, संसदीय प्रणाली को चलाने का, वह सफल नहीं हो सकता। इसलिये किसी प्रकार से संसदीय प्रणाली की या संसदीय समितियों की गरिमा को कम करने का, उनकी शक्तियों को कम करने का हमारा उद्देश्य नहीं है, न हमारी तरफ से ऐसा कभी प्रयास हुआ है और न होगा। मैं यहां इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारी तरफ से हर प्रकार से ऐसी कार्यवाही की जायेगी जिससे कि संसद की, संसदीय परम्पराओं की, संसदीय समितियों की गरिमा बढ़े। यदि उसमें कही किसी तरह की कोई कमी है तो हम उसे दूर करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं।

हम लोग आपके सामने अच्छी तरह से कहना चाहते हैं कि इस कार्यवाही रिपोर्ट में यदि कहीं ऐसा लगता है कि कार्यवाही नहीं हुई है तो हम लोग आगे कार्यवाही करेंगे। इसमें लीपा-पोती का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं चाहा और मैं समझता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी कभी इसे अपनी पार्टी का प्रश्न नहीं बनाया है बल्कि एक राष्ट्रीय प्रश्न मानकर हम सब लोगों ने इस पर चर्चा की है और उसी का फल है कि जब यह कमेटी रिपोर्ट हमारे सामने आयी तो वह सर्व-सम्मत रिपोर्ट थी और उस सर्व-सम्मत रिपोर्ट के आधार पर ही, अपने विवेक से, समझ-बूझ कर हम लोग जो कार्यवाही कर सकते थे, वह हमने की है। ऐसा हम लोग कभी नहीं कहते और हम दावा भी नहीं करते हैं कि हमने जो कुछ कहा है वह सब सही है या उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। यदि कहीं कोई कमी रह गयी है तो उसे दूर करने के लिये हम तैयार हैं। यदि कहीं कोई अतिरिक्त कार्यवाही करनी आवश्यक है तो उसके लिये भी हम लोग तैयार हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

जहां तक भ्रष्टाचार से लड़ने का सवाल है, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये ही तो इस सदन ने और हमारे दूसरे सदन ने इस बात का निर्णय लिया था कि दोनों सदनों की

[हिन्दी]

एक संयुक्त समिति बनायी जाये और सब लोगों ने मिलकर, सहयोगपूर्वक, सौहार्दपूर्ण वातावरण में समस्त कार्यवाही को पूरा करने के बाद हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदय, ऐसी अनेक बातें हैं जो बताई जा सकती थीं। लेकिन मैं आपके समक्ष यह छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन से संबंधित कार्यवाही रिपोर्ट पर जिसे 26 जुलाई, 1994 को सभापटल पर रखा गया था, विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श करने के बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ मामलों में इस प्रतिवेदन पर आगे कार्यवाही की जाए, सरकार चाहती है कि उचित समय पर सभा के समक्ष इस बारे में खामियों को शामिल करने वाला अनुपूरक प्रतिवेदन लाया जाए। ..(व्यवधान)..

**श्री श्रीकान्त जेना (कटक) :** उचित समय क्या है ? .....(व्यवधान).....

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** इस दौरान मौजूदा कार्यवाही रिपोर्ट सभा के पास एक अन्तरिम रिपोर्ट के रूप

में रहेगी और अनुपूरक रिपोर्ट मिलने के बाद सभा उचित समय पर अन्तिम रिपोर्ट पर विचार करने के लिए निर्णय ले सकती है। .....(व्यवधान)..... महोदय, मुझे आशा है कि यह सभा को स्वीकार्य होगा। मैं यह निवेदन करता हूं कि सम्पूर्ण सभा जो चाहती है हम वही कार्यवाही करेंगे .....(व्यवधान).....

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, आपने हमें अवसर दिया कि हम इस रिपोर्ट के गुणों पर नहीं बल्कि सरकार के रवैये के प्रति अपने विचार व्यक्त कर सकें। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। लेकिन सरकार द्वारा अपनाए गए मत को देखते हुए हम केवल तुष्ट करने वाले शब्दों से संतुष्ट नहीं हैं। सरकार रिपोर्ट वापस न लेने पर अड़ी हुई लगती है। इस सत्र के अन्त तक इस सभा की कार्यवाही के भाग लेना हमारे लिए बहुत कठिन है। अतः हमने निर्णय लिया है। कि इस सत्र के अन्त तक हम सभा से बहिर्गमन करते हैं .....(व्यवधान).....

[हिन्दी]

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने आपके द्वारा बुलाई गई बैठक में जो चर्चा हुई थी और उसमें सरकार ने जो प्रस्ताव रखा था वह प्रस्ताव उन्होनें अभी पढ़कर बता दिया, उसे वे सदन के सामने ले आए। मैं चाहता हूं कि यह प्रस्ताव श्री इन्द्रजीत गुप्ता के जिस प्रस्ताव के उत्तर रूप में आया था, वह प्रस्ताव भी सदन के सामने आना चाहिए। इसलिए कि इन्द्रजीत गुप्ता जी ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की थी। मगर सरकार ने उसको सफल नहीं होने दिया।

अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड पूरा होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** हां, बताइए।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मैं उसको पढ़ना चाहता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने जो प्रस्ताव रखा था दलों के नेताओं की बैठक के सामने, वह इस प्रकार है :-

[अनुवाद]

"संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन से संबंधित कार्यवाही रिपोर्ट जो कि अमुक अमुक तिथि को सभा पटल पर रखी गई और इस बारे में विभिन्न विपक्षी दलों से परामर्श करने के बाद चूंकि कुछ मामलों के निर्णय इतने व्यापक नहीं है कि संसद सदस्यों की अपेक्षा पूरी कर सकें, सरकार अब कार्यवाही रिपोर्ट में संशोधन, वृद्धि करने तथा ऐसी संशोधित रिपोर्ट को उचित समय पर सभा के समक्ष लाने के लिए तैयार है। इस दौरान मौजूदा कार्यवाही रिपोर्ट को अन्तरिम रिपोर्ट मान लिया जाए और अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकृति देने अथवा इसे अस्वीकृत करने का निर्णय सभा उचित समय पर ले सकती है।"

[हिन्दी]

यह प्रस्ताव श्री इन्द्रजीत गुप्ता की ओर से आया था। हमें तो आज सबेरे तत्काल इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा गया था। हम तो इसे अपने संसदीय दल की बैठक में रखना चाहते थे, लेकिन तत्काल निर्णय लेने के कारण नहीं रख सके, परन्तु यदि दोनों प्रस्तावों की तुलना करेंगे, तो शासक दल की ओर से जो यह कहा

गया है कि प्रतिपक्ष रीजनेबल एटीट्यूड नहीं अपना रहा है, यह आरोप गलत सिद्ध होगा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक जो रास्ता निकालने की कोशिश की थी, उस मर्यादित, सीमित प्रस्ताव को भी सरकार ने नहीं माना क्योंकि सरकार समझौता नहीं चाहती। सरकार हठधर्मी पर अड़ी हुई है। .....**(व्यवधान)**.....

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान :** यह प्रस्ताव नहीं है। .....**(व्यवधान)**.....

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको भी अलाऊ करूंगा। अभी आप शुक्ल जी को बोलने दीजिए।

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** अध्यक्ष जी, यह सही है। .....**(व्यवधान)**.....

अध्यक्ष जी, जो वाजपेयी जी ने पढ़कर सुनाया है, श्री इन्द्रजीत गुप्ता जी का प्रस्ताव उसको अक्षरश: हम मानने के लिए तैयार हैं। जो आपने पढ़ा है, हम उसको पूरा का पूरा मानने के लिए तैयार हैं। हम उसको अक्षरश: मानते हैं।.....**(व्यवधान)**.....

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको भी बोलने का समय दूंगा। अभी आप आडवाणी जी को बोलने दीजिए।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि जिस समय आपके प्रयत्न से स्थायी समितियों का निर्माण हो रहा था, तो विपक्ष के सभी लोगों ने उसका स्वागत किया था क्योंकि हम चाहते थे कि संसद .....**(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ) :** जो कुछ भी इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है उन्होंने उसे पढ़ दिया है। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। क्या वह इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब यह समाप्त हो गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** यह समाप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** क्योंकि संसद, जहां-जहां पर स्टेंडिंग कमेटीज, पार्लियामेंट्री कमेटीज विकसित हुई है, वहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अधिक प्रभावी होकर काम करती है। आज बहुत बड़ा धक्का लग रहा है पार्लियामेंट्री कमेटीज की व्यवस्था को। न केवल जे॰ पी॰ सी॰ का अपमान हुआ है, उसकी अवमानना हुई है, उसकी इंसल्ट हुई है, बल्कि मैं मानता हूं कि सरकार के इस रवैये के कारण संसदीय समितियों की सारी व्यवस्था को, उस इंस्टीट्यूशन को चोट पहुंच रही है।

मुझे स्मरण है कि एक बार विपक्ष के सभी लोगों ने कंसल्टेटिव कमेटी से अपने को बिथड्रा किया था, डिसएसोसिएट किया था। आपको स्मरण हो या न हो, लेकिन इस सदन के जो पुराने मैम्बर हैं, सोमनाथ जी को स्मरण होगा कि समझौता तब हुआ था जब सरकार ने माना कि कंसल्टेटिव कमेटी में भी अगर कोई निर्णय सर्वसम्मत होगा, तो सरकार स्वीकार करेगी।

आज दुर्भाग्य से सर्वसम्मत निर्णय को न मानने के कारण गतिरोध है। पहले गतिरोध तब दूर हुआ था जब सरकार ने माना था कि अगर कोई सर्वसम्मत निर्णय होगा तो सरकार जरूर मानेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार इस बात को महत्व नहीं देती और इसी के कारण ये समस्यायें पैदा हुई। विपक्ष खुशी से संसदीय समितियों से इस्तीफा नहीं दे रहा है। सरकार इस के लिये दोषी है। मेन इशू भ्रष्टाचार का है। इसलिये विपक्ष इस पर समझौता करने के लिये तैयार नहीं हुआ।

यहां तक आज अखबार में छपा है कि यहां बहुत से लोगों ने अपील की कि अपना निर्णय बदल दीजिये और इस पर पुनर्विचार करिये लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नाम से जो बात छपी है, मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत लेकिन अखबार में छपा है कि विपक्ष ने चाहा था कि गैट के समझौते को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाये। नहीं खड़ा कर सके, इसलिये उन्होंने इस मामले को उठा लिया।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह गलत बात है। आप इस पर मत जायें।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : गलत बात है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यह बात छपी है। इसलिये मैंने उल्लेख किया कि सरकार का रवैया ही कुछ ऐसा था, चाहे अध्यक्ष महोदय ने इस गतिरोध को दूर करने के लिये बहुत से प्रयत्न किये हों लेकिन सरकार इस गतिरोध को दूर करने की इच्छा नहीं रखती थी और अपनी बात पर अड़ी रही। उसके कारण ही हमने विरोध किया।

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष महोदय, अभी इन्द्रजीत बाबू जी के नाम से एक पत्र पढ़ा गया। उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हम एक बजे सभी पार्टियों के लोग बैठे थे। हमारा साफ नजरिया है। इन्द्रजीत बाबू इसमें हमारे साथ रहे। मैं नहीं जानता कि कैसे गलतफहमी पैदा हुई लेकिन साफ बात है कि यह जो ऐक्शन टेकन रिपोर्ट रखी गई है, यह निर्गुण है। इसे सगुण बनाने के लिये चार सुझाव इन्द्रजीत बाबू जी ने बार-बार कमेटियों में रखे। उन चार बातों को जोड़ने के साथ ही यह सगुण रिपोर्ट हो जाती है। शब्दावली की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। हमारा हमेशा यह स्टैंड रहा है कि इस ऐक्शन टेकन रिपोर्ट को वापस लेना चाहिये। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि इसके चलते इस सदन में इस बहस को आगे चलाना हमारे लिए तकलीफ दायक होगा और फँसने वाला मामला होगा। इसीलिए राष्ट्रीयमोर्चे और वाममोर्चे के लोग इस सदन को बायकाट करते .....(व्यवधान).....

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : आप का निर्णय अपनी जगह है लेकिन कृपया कम से कम दूसरों को भी तो सुनिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप की इच्छा थी इसलिए हम आ गए हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री महोदय की बात से मैं जो कुछ समझ सका हूं वह यह कि उन्होंने अपनी बात करते हुए यह कहा था कि वह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कि मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि यद्यपि आप को याद दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं वही कहने जा रहा था।

**इन्द्रजीत गुप्त :** मैंने यह स्पष्ट कह दिया था कि यह अन्य वामपंथी दलों और जनता दल के मित्रों द्वारा अनुमोदित किये जाने पर निर्भर करेगा। यह मेरा व्यक्तिगत प्रस्ताव था; यह उन सभी दलों अथवा सदस्यों की तरफ से नहीं था। अब यदि उनमें से कोई भी सदस्य इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है या उस पर उनके मन में कोई संदेह है या कोई आपत्ति है तो उसका समय निकल गया है। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं बात को और स्पष्ट कर दूं कि प्रस्ताव श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दिया था। उन्होंने कहा था कि वह प्रस्ताव उनका अपना है और यह कि उन्हें दूसरों से भी परामर्श करना है। सम्भवत: हम सभी की यह धारणा थी कि इस पर आम सहमति हो जाएगी।

मैं समझता हूं कि श्री सैफुद्दीन चौधरी और निर्मल कान्ति जी भी वहां थे। मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस समय सरकार ने भी यह कहा था कि यह स्वीकार करने योग्य हुआ तो वह उसे स्वीकार कर लेगी। इन्द्रजीत जी ने भी यह कहा था कि वह दूसरों के साथ भी इसकी चर्चा करेंगे, यह बात साफ हो जानी चाहिए।

अब दूसरी बात यह है। वास्तव में आज मैं खुश भी हूं और नाखुश भी। खुश इसलिए हूं क्योंकि कम से कम हम विचारों का आदान-प्रदान कर सकें और अपनी बात रख सकें, इस प्रकार बातें साफ हो सकी। खुशी का कारण यह भी है कि सभी नेता–श्री शुक्ल जी एवं सहयोगी उनके सहयोगी समितियों की बैठक में उपस्थित हुए थे और बाहर भी मिले थे; उन्होंने समस्या के समाधान के लिए भरसक प्रयास किया जिससे समस्या का कोई हल निकल सके। मैं समझता हूं कि वे अपने स्वयं के विचारों के बावजूद समस्या के समाधान के लिए निष्ठापूर्वक भरसक प्रयास करते रहे और अपने विचारों पर भी अडिग रहे। इसलिए मैं प्रसन्न हूं।

परन्तु मैं अप्रसन्न हूं क्यों कि नेताओं ने सभा में यह घोषणा कर दी है कि वे विधायी समितियों से अलग होना चाहते हैं और यह सभा के किसी भी सदस्य के लिए आनंद अथवा खुशी की बात नहीं हो सकती जिन्होंने ऐसा विचार किया है। संभवत: उन्होंने भी बड़े ही दु:खी मन से और अनिच्छा से ऐसा किया होगा। मैं इस बारे में बहुत ही अप्रसन्न हूं।

जहां तक तीसरे प्रश्न का सम्बन्ध है। आपने सभा में घोषणा कर दी है। पर्रन्तु मैं समझता हूं कि इसके बाद भी हमें वार्ता करने का आग्रह चाहिए और समस्या के समाधान के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। .. ...(व्यवधान).....

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** महोदय, हम किसी भी जिम्मेदाराना या विवेकशील सुझाव केंद्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करेंगे। हमने हमेशा ही समस्या समाधान के लिए सहयोग किया है। जब भी आप ने चाहा है तभी हम बैठकों में उपस्थित हुए हैं परन्तु सरकार के रवैये को देखते हुए हम इस सत्र के अन्त तक चर्चा में भाग लेने में असमर्थ हैं .....(व्यवधान).....

**1.47 म॰ प॰ (इस समय श्री शरद यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)**

**1.47 म॰ प॰ (इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)**

**[हिन्दी]**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (लखनऊ) : जैसा मैंने कहा था, श्री इन्द्रजीत गुप्त ......**(व्यवधान)**.....

**अध्यक्ष महोदय :** कल वाजपेयी जी नहीं थे, इसलिए थोड़ी उनकी बात सुन लें।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** पहले से जो मैंने कहा था, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैंने कहा था कि श्री इन्द्रजीत गुप्त का प्रस्ताव पहली बार आज सबेरे हमारे सामने आया और हमें पार्टी के स्तर पर उस पर विचार करना था इसलिए हमने उसे स्वीकार नहीं किया है लेकिन मैं श्री शुक्ल के रवैये में जो अचानक परिवर्तन हुआ है, उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने कमेटियों से इस्तीफा देने का फैसला किया, इसके बाद इन्होंने श्री इन्द्रजीत गुप्त का प्रस्ताव मान लिया। आपको याद हो, अध्यक्ष महोदय, अब आपको इस बात की गवाही देनी पड़ेगी कि जब आपके चैम्बर में .....

**अध्यक्ष महोदय :** वह गलत हो या सही हो, मैं यह मानता हूं कि आप प्रैशर डालेंगे तो वह मान्य करेंगे और वह आपसे विनती करेंगे तो आप मान्य करेंगे।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** इसलिए हम थोड़ा और प्रैशर डाल रहे हैं कि यह रिपोर्ट वापस ले लें। अगर वापस न लेंगे तो हमें भी सदन के बाहर अन्य मित्रों के साथ जाना पड़ेगा। .....**(व्यवधान)**.....

**1.48 म॰ प॰ (इस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और कुछ माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।**

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** यह जो बात हुई थी, यह सुबह के आपके एनाउंसमेंट के पहले की बात है। यह किसी कि बात पर मान्य नहीं हुई और किसी के प्रैशर में कोई बात नहीं मानी गई है।

.....**(व्यवधान)**.....

**श्री जार्ज फर्नान्डीज** (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, जितनी भी बातें अलग-अलग खेमे से हुई हैं, उन बातों में कहीं भी हम लोग मौजूद नहीं थे .....

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं-नहीं, आप थे। आपको बुलाया है, इन्द्रजीत गुप्त जी से पूछिये।

**श्री जार्ज फर्नान्डीज :** और इसलिए हमें इस बात की खुशी है कि हमें इन चीजों की जानकारी नहीं थी।, सदन में जो बातें अभी सामने आई हैं, उन बातों से समाधान होने की कोई बात नहीं है और आपने जो कहा कि आपको खुशी है कि यहां पर बात हुई। लेकिन हम समझते हैं कि यह जो सारा काम सुबह से चला है, वह गुस्सा दिलाने का काम है। उसमें किसी प्रकार से समाधान होने की बात नहीं है। हम तो सरकार से शुरू से अपेक्षा

कर रहे हैं कि यह लोग इस रिपोर्ट को वापस लेने का काम करेंगे, मगर सरकार ने अनेक प्रकार की हरकतों को सदन के बाहर और आपके साथ मिलकर जो बात होती थी, उसके बाहर करने का प्रयास किया। यह बात बताई गई कि अगर रिपोर्ट को वापस लिया जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। .....(**व्यवधान**)..... फिर यह बात बताई गई कि जिन लोगों को इस्तीफा देने के लिए, मंत्रियों को हटाने के लिए कहा जाता है तो आपकी सरकार इस्तीफा दे दे और इनका कुल मिलाकर यह कहना था कि इस रिपोर्ट का कबूल करने का अर्थ यह होता है कि सरकार को त्याग-पत्र देना होगा और फिर से चुनाव कराने होंगे।

मुझे नहीं मालूम कि इस सरकार में त्याग-पत्र देने की कितनी हिम्मत है और यह सरकार लोगों के बीच में जाने की कितनी हिम्मत रखती है। लेकिन हम तो इस सरकार को जरूर कहेंगे कि या तो इस रिपोर्ट को वापिस लिया जाए और अगर रिपोर्ट को वापिस लेने की या प्रधान मंत्री जी को उस रिपोर्ट पर अगल करने की हिम्मत न हो, और सदन को बर्खास्त करना हो तो सदन को बर्खास्त करें और लोगों के बीच में जायें। फिर लोग इस सरकार का भविष्य और इस देश का भविष्य तय करें।

इन्हीं शब्दों के साथ हम भी, हमारा दल भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेगा और हम सदन से निकल जाते हैं।

**1.51 म॰ प॰ (इस समय श्री जार्ज फर्नान्डीज़ और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)**

**[अनुवाद]**

**श्री मणि शंकर अय्यर** (मईलादुतुराई) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संयुक्त संसदीय समिति ने इस सभा के जिस सदस्य को दोषी ठहराया है, क्या उस सदस्य का यहाँ बोलना उचित है ? संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जार्ज फर्नान्डीज को अभ्यारोपित किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**[हिन्दी]**

**श्री बूटा सिंह** (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था, वाजपेयी जी सदन में प्रैजेंट रहते, तो उनके सामने यह बात मैं कहता। सदन की मर्यादा भी मुझे इजाजत नहीं देती। कल आपके चैम्बर में जब बिजनैस एडवाइजरी की रिपोर्ट के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस वक्त यह जो प्रस्ताव इन्द्रजीत गुप्ता जी की तरफ से आया है, इसके बारे में मैंने और शिवचरण माथुर जी ने आपसे प्रार्थना की थी। आपको याद होगा, श्री जसवन्त सिंह जी, जो बी॰ जे॰ पी॰ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में, उन्होंने आपके सामने कहा था, जो इन्द्रजीत लायेंगे, हम बी॰ जे॰ पी॰ की तरफ से उसका पूरा-पूरा समर्थन करेंगे। यह कह कर के वे उठे थे। तो हमने ऐसा माना कि इन्द्रजीत जी सभी विपक्षी दलों की ओर से बिचौलिए का रोल अदा कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका प्रस्ताव एक सोचा-समझा प्रस्ताव था जिसमें बी॰ जे॰ पी॰ का समर्थन था। यदि जसवन्त सिंह जी ने यह अश्वासन नहीं दिया होता, तो संभव था कि हम लोग बी॰ जे॰ पी॰ के लोगों से भी बात करते। मैं इस बात को रिकार्ड पर लाना चाहता हूं......

**अध्यक्ष महोदय :** बी० जे० पी० से सुबह बात हुई है।

**श्री बूटा सिंह :** जसवन्त सिंह जी ने पहले कह दिया था कि हम मानेंगे। इसलिए उनका इस तरह से चला जाना ऐसा लगता है कि उनकी जो आपसी सियासी दौड़ है, वे उसमें लगे हुए हैं। मन उसका इसमें नहीं है।

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि पूरी तरह से विपक्ष की बात मानने के बावजूद भी, यह कहने के बाद भी हम इसको एक अन्तरिम रिपोर्ट मानते हैं और बड़ी रिपोर्ट इस के बारे में आ सकती है, सब जो बातें आपने कही हैं, उन सब को छोड़कर और जो कार्यवाही की गई है, उसके बारे में बहुत सी बातें हम करने को तैयार हैं, इसके बाद भी प्रतिपक्ष ने इस बात का निर्णय किया वे यहां बैठना नहीं चाहते हैं। यह सदन के लिए खेद की बात है और मैं आशा करता हूं कि उन्होंने यह जो उत्तेजनावश बात कही है, इसके ऊपर के पुनर्विचार करेंगे।

आपने देखा होगा कि जो हमने अपनी तरफ से प्रस्ताव पेश किया था, उसको वाजपेयी जी ने कहा कि उसके बदले जो इन्द्रजीत जी का पूरा प्रस्ताव, जैसा प्रस्ताव है, उसको मन्जूर कर लिया जाए। दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं था, शाब्दिक अन्तर था। मुझे सरकार की तरफ से उसको मन्जूर करने में कोई आपत्ति नहीं थी, हमने उसको मन्जूर कर लिया। उसके बाद गुप्ता जी ने उठ कर कहा कि मैं वापिस लेता हूं, जबकि वाजपेयी जी ने उसको मन्जूर करने के लिए पेश किया था। पता नहीं क्या सोच कर कहा कि हम नहीं करेंगे, हम वापिस जायेंगे। पिछले दस मिनट में जो कुछ कार्यवाही हुई, यह मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आई। जिस तरह से वे बात चाहते थे, मन्जूर होंने के बाद, उनके ही सुझावों को मन्जूर करने के बाद, वे अपने ही सुझावों को अमान्य करके बाहर चले गए, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हम लोगों उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे ठन्डे दिमाग से इस बारे में सोचें। हमारा हम सब का उद्देश्य यही है कि हम इस देश के प्रशासन, से भ्रष्टाचार को जितना कम कर सकें, उतना कम करने का प्रयास मिलकर करना चाहिए। इस मुद्दे को दलीय मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं, संसद की जो गरिमा है, संसदीय समितियों की जो गरिमा है, उसकी रक्षा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उसमें प्रतिपक्ष को भी हमारा साथ देना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इनकी अपील आप उनसे करें और बुला कर एक बार फिर से उनसे बात कर लें। यदि वे मन्जूर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे संसद की गरिमा बढ़ेगी। जिस तरह से वांछित फल हम चाहते हैं इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, उन वांछित फलों को प्राप्त करने का हमारा जो प्रयास है, उसमें बड़ी सहायता मिलेगी।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपका प्रश्न मान्य करता हूं, हम और आप मिलकर जैसे पहले बात कर रहे थे तो वैसे ही अब भी बात करेंगे।

**1.54 म॰ प॰**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

**इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6122/94]**

**आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब संबंधी विवरण**

**शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल)** : मैं आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवदेन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

**[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6123/94]**

**इंस्टिट्यूट फार दि फ़िज़िकली हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर विलम्ब से रखने संबंधी विवरण।**

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फार दि फ़िज़िकली हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार दि फ़िज़िकली हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6124/94]**

**गुड़ (नियन्त्रण) आदेश, 1994**

**खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :** मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत गुड़ (नियंत्रण) आदेश, 1994, जो 13 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 374 में प्रकाशित हुआ था, कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6125/94]**

**प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचना**

**श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ ए॰ संगमा) :** मैं प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1041, जो 30 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ स्नातक और तकनीकी प्रशिक्षुओं के लिए उत्पादन इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक प्रबन्ध को अभिहित व्यवसाय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6126/94]**

**महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचना**

**जल भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सा॰ का॰ नि॰ 1(अ), जो 3 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन कर्मचारी (वाहन खरीदने के लिए अग्रिम राशि की स्वीकृती) विनियम, 1993 का अनुमोदन किया गया है।

(2) सा॰ का॰ नि॰ 36(अ), जो 27 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशो धन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(3) सा॰ का॰ नि॰ 59(अ), जो 3 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा पाराद्वीप पत्तन न्यास (विभागाध्यक्षों की भर्ती) (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया है।

(4) सा॰ का॰ नि॰ 66(अ), जो 4 फरवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (विमान चालक अनुज्ञापन और नियंत्रण) (पहला संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(5) सा॰ का॰ नि॰ 71(अ), जो 8 फरवरी 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके

द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी हल्दिया गोदी परिसर के अतिरिक्त (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(6) सा॰ का॰ नि॰ 378(अ), जो 12 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा काण्डला पत्तन न्यास कर्मचारी आवास निर्माण के लिए अग्रिम राशि विशेष परिवार सहायता निधि (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(7) सा॰ का॰ नि॰ 394 (अ), जो 21 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के पश्चात अभिदायी बहिरंग और अतंरंग चिकित्सा सुविधा) (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

**[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6127/94]**

**मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए किया गया समझौता ज्ञापन**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : कैप्टन सतीश शर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं :–

(1) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6128/94]**

(2) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6129/94]**

(3) बामेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6130/94]**

(4) इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6131/94]**

(5) बोंगाई गांव रिफाइनरी और पैट्रो कैमिकल्स लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6132/94]

(6) भारतीय तेल निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6133/94]

(7) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6134/94]

(8) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6135/94]

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के लिए किया गया समझौता ज्ञापन।

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)** : मैं मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय मे बीच वर्ष 1994-95 के लिए किए गए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6136/94]

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब सबंधी विवरण।

**कपड़ा मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6137/94]

**राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत अधिसूचना कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के धारा 50 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) फल और सब्जी परियोजना अधिकारी (आचरण, अनुशासन और अपील) विनियम, 1994, जो 29 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीईएल : एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।

(2) फल और सब्जी परियोजना अधिकारी (नियुक्ति, वेतन और भत्ते) विनियम, 1994, जो 29 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीइएल : एनडीडीबी में प्रकाशित हुए थे।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6138/94]**

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब संबंधी विवरण :

**मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : मैं, श्री के॰ वी॰ तंग्का बालू की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6139/94]**

**उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951, आदि के अन्तर्गत अधिसूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवाकार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुमुल वासनिक)** : मैं श्रीमती कृष्णा साही की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अंतर्गत ऑटोमोबाइल उपकर (संशोधन) नियम, 1993, जो 29 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 341 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6140/94]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उनपर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6141/94]**

**दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण और वार्षिक प्रतिवेदन आदि पर समीक्षा**

**उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विकास) में राज्य मंत्री (श्री ए. अरुणाचलये)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6142/94]**

**अधिसूचना जिसमें दिनांक 15.6.94 की अधिसूचना संख्या का. आ. 431(अ) की वैधता को बढ़ाने संबंधी राष्ट्रपति का आदेश अन्तर्विष्ट है।**

**वित्त मंत्रालय में राज्य में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या का. आ. 487 (अ), जो 30 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 15 जून, 1994 की अधिसूचना संख्या का. आ. 431(अ), जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबन्धों के अंतर्गत जारी की गई थी, की वैधता को 30 नवम्बर, 1994 तक बढ़ाने का राष्ट्रपति का आदेश अंतर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6143/94]**

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम 1994, जो 12 मई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना का॰ आ॰ 369 (अ) में प्रकाशित हुए ये।

(दो) आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 1994, जो 30 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 490 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6144/94]**

(3) केन्द्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1994, जो 17 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 516(अ) में प्रकशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 1994, जो 17 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 560(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6145/94]**

(4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा॰का॰नि॰ 505(अ), जो 10 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 506(अ), जो 10 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतिम माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 529(अ), जो 24 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मई, 1992 की अधिसूचना संख्या 204/92-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 531 (अ), जो 24 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 दिसम्बर, 1986 की अधिसूचना 513/86-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 470(अ), जो 24 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का॰आ॰ 471(अ), जो 27 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यातों

के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनियम दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6146/94]

**संघलोक सेवा आयोग का वर्ष 1992-93 का तैंतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और उपर्युक्त प्रतिवेदन के अध्याय आठ में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार न करने के कारण**

**कार्मिका, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा)** : मैं संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) संघ लोक सेवा आयोग के वर्ष 1992-93 का तैंतालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6147/94]

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अध्याय आठ में उल्लिखित संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार न करने के कारण स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6148/94]

**भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा आदि।**

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6149/94]

**जनगणना (संशोधन) नियम, 1994 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं :-

(1) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत जनगणना (संशोधन नियम, 1994, जो 19 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा॰का॰नि॰ 589(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6150/94]**

(2) अधिसूचना संख्या यू॰ 14011/160/89-दिल्ली, जो 3 जून, 1994 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी दिनांक 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू॰ 14011/160/89-दिल्ली (एक) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6151/94]**

**केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा आदि**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :** मैं सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) केन्द्रीय अयोग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6152/94]**

(3) (एक) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6153/94]**

(5) (एक) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6154/94]

(7) (एक) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6155/94]

(9) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6156/94]

(11) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6157/94]

(13) (एक) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय योग अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6158/94]**

(15) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6159/94]**

(17) (एक) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6160/94]**

(19) (एक) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स एण्ड कस्तूरबा हास्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स एण्ड कस्तूरबा हास्पिटल, सेवाग्राम के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6161/94]

**पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण आदि।**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6162/94]

(3) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6163/94]

(5) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 6164/94]

(7) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6165/94]**

(9) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6166/94]**

(11) (एक) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सूरथकल के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6167/94]**

(एक) क्षेत्रीय इंजीरियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6168/94]**

(15) (एक) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6169/94]**

(17) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6170/94]**

(19) (एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल॰ टी॰ 6171/94]**

**1.55 म॰ प॰**

## विधेयकों पर अनुमति

**महासचिव** : मैं दसवीं लोक सभा के नौवें और दसवें सत्रों के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 14 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1994

(2) कॉफी (संशोधन) विधेयक, 1994

(3) विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) संशोधन विधेयक, 1994

(4) खान और खनिज (विनियम और विकास) संशोधन विधेयक, 1994

(5) मणिपुर पंचायती राज विधेयक, 1994

(6) उपदान संदाग (संशोधन) विधेयक, 1994

(7) प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1994

(8) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 1994

(9) प्रतिलिप्यिधिकार (संशोधन) विधेयक, 1994

(10) कॅयर उद्योग (संशोधन) विधेयक, 1994

**1.55 $\frac{1}{2}$ म. प.**

## कार्य मंत्रणा समिति

## 42वां प्रतिवेदन

**श्री शिव चरण माथुर :** (भीलवाड़ा) महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 42वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम मध्याह्न भोजन के लिए सभा को 3 बजे म. प. तक के लिए स्थगित करते हैं।

**1.56 म. प.**

**तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए म. प. 3 बजे तक के लिए स्थागित हुई**

**3.03 म. प.**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 3.03 म. प. पर पुनः समवेत हुई।**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**श्री उमराव सिंह (जालंधर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था सबंधी एक प्रश्न है।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रस्ताव जिसे संसदीय कार्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं। मेरे विचार से सभा ने इसे स्वीकृति दी थी। मेरे विचार से अध्यक्षपीठ मुझसे सहमत होंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आप विनिर्णय के लिए कुछ देर प्रतीक्षा कर सकते हैं।

[अनुवाद]

**3.04 म. प.**

## मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य

**(एक) देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति**

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :** महोदय, मैं देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति तथा सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास के लिए किए जा रहे उपायों के सम्बन्ध में बयान देने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

1994 का दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में 28 मई, 1994 को शुरू हुआ। यह इस बार तीन दिन पहले आ गया था। 30 जून, 1994 तक यह पूरे देश में शुरू हो गया। इस प्रकार यह अपने सामान्य समय से लगभग पन्द्रह दिन पहले शुरू हुआ। मौसम विज्ञान की दृष्टि से सारे देश को 35 उपखण्डों में विभाजित किया गया है। इन 35 उपखण्डों में से 18 में 1 जून से 20 जुलाई तक समग्र तौर पर बारिश सामान्य से बहुत अधिक हुई है।

415 जिलों में से 174 जिलों में वर्षा बहुत ज्यादा हुई, जब कि 112 जिलों में सामान्य तौर पर हुई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों-पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के मैदानों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों और मराठवाड़ा में वर्षा कम हुई है। उड़ीसा, बिहार के पठार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा जम्मू और कश्मीर में भारी वर्षा हुई है। इसमें वर्षा अलग-अलग मात्रा में 114 प्रतिशत तक हुई है।

इस वर्ष की वर्षा के बारे में एक विशेष बात यह रही है कि जिन क्षेत्रों में पहले कम वर्षा हुआ करती थी, अब की बार उनमें ज्यादा हुई है, जैसे सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान और कर्नाटक के उत्तरी अन्दरूनी हिस्सों में खूब बारिश हुई है। दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, जहां पहले खूब बारिश होती थी, इस बार उनमें कम हुई है। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा, गुजरात राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के निचले हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में मानसून सक्रिय रहा है। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के बहुत से भागों में भी वर्षा हुई है।

इस वर्ष मानसून की शुरूआत जून के प्रारम्भ में असम में बाढ़ हुई। गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में मध्य जून तक बारिश होती रही और बाढ़ आई। देश के अधिकांश भागों में जुलाई में सतत वर्षा से गुजरात, कर्नाटक और केरल में स्थिति और अधिक खराब हो गई और आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पंजाब राज्य में बाढ़ से तबाही भी हुई।

इन बाढ़ों से देश में 539 जानें गई हैं। शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है। राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति को हुई क्षति का आकलन किया जा रहा है। अनन्तिम आकलन के अनुसार 4.56 लाख हैक्टेयर का फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि बाढ़ से 45 लाख व्यक्ति बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं तथा 1.5 लाख से भी अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 21,000 मवेशी मरे हैं।

संबंधित राज्य सरकारों ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल बचाव व राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। राहत कार्य अभी चल रहे हैं बहुत से राज्यों में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकाप्टरों तथा नौकाओं की मदद से बचा लिया गया है। राहत शिविर खोले गए हैं तथा भोजन के पैकेट वितरित किए गए हैं। राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था भी की है तथा महामारियों के फैलाव की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य की देखभाल करने संबंधी सुविधाएं दी गई हैं। हम राज्य सरकारों से सतत सम्पर्क बनाए हुए हैं। जब भी राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए, हमने इस संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए उनको अपेक्षित आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों तथा अन्य सामग्री मुहैय्या कर उनके स्टाक की पूर्ति करने की व्यवस्था की है।

अत्यधिक अथवा अपर्याप्त वर्षा को स्थिति से निबटने की दृष्टि से अपेक्षित तैयारियां करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मानसून शुरू होने से पूर्व 8 जून को सभी राज्यों में राहत आयुक्तों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया। इसके दौरान हुई बैठक में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों के स्तर पर सम्भावित नुकसान से बचाव की तैयारी के प्रबन्धों की विस्तार से समीक्षा की गई। सम्मेलन में राज्य सरकारों को मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्रवाई करने तथा अनिवार्य जिन्सों जैसे-खाद्यान्न, मिट्टी का

तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां आदि तथा कृषि उत्पादन संबंधी जरूरी सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहने को कहा गया था।

कुछ राज्यों से बाढ़ की स्थिति के बारे में रिपोर्टें प्राप्त होते ही राज्यों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय राहत आयुक्त को अध्यक्षता में 5 जुलाई, 1995 को आपदा प्रन्ध दल की बैठक हुई। दल की उसके बाद नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों में प्रभावित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं ओर उनमें बाढ़ की समस्याओं तथा प्रत्येक राज्य को अपेक्षित पूरक सहायता की समीक्षा की जाती है। इस संबंध में संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। इन परिचर्चाओं के फलस्वरूप असम और राजस्थान को खाद्यान्नों का विशेष स्टाक उपलब्ध कराया गया है तथा उड़ीसा सरकार को मिट्टी के तेल की विशेष आपूर्ति की गई है।

सेना, वायु सेना तथा नौ सेना ने भी पानी में फंसे लोगों को निकालने तथा भोजन के पैकेट गिराने और अनिवार्य वस्तुओं को आपूर्ति हेतु हैलिकाप्टरों तथा नौकाओं की व्यवस्था करके मदद की। सीमा सड़क संगठन की सीमावर्ती इलाकों में सड़क अवरोधों को हटाने में सहायता की।

प्रधान मंत्री जी ने 18 जुलाई को हुई एक बैठक में स्वयं स्थिति की समीक्षा की तथा उनक निर्देश पर कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय मंत्री नियुक्त किए गए थे। मैंने स्वयं महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा किया और मेरे साथी श्री अरविंद नेताम ने जून, 1994 में गुजरात का दौरा किया था तथा स्थिति की समीक्षा की थी।

नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रत्येक राज्य को एक विशिष्ट राशि, जो आपदा राहत निधि के रूप में जानी जाती है, आबंटित की जाती है। आपदा राहत निधि में केन्द्र और राज्यों द्वारा 3:1 की औसत से अंशदान किया जाता है। इस निधि में केन्द्रीय अंश की राशि प्रत्येक वर्ष चार बराबर तिमाही किस्तों में 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्तूबर और 1 जनवरी को दे दी जाती है। इसके लिए यह नहीं देखा जाता कि प्राकृति आपदा घटित हुई या नहीं हुई। इससे राज्य सरकारों के पास हर वक्त धनराशि उपलब्ध रहती है और इससे वे आपदा आने पर राहत और पुनर्वास की व्यवस्था करने के समर्थ रहती हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत राज्य सरकारों को सहायता की किस्म और मात्रा, जो कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा निर्धारित की जाती है, का निर्णय लेने के पूरे अधिकार दिए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान, आपदा राहत निधि की प्रथम दो किस्तें सभी राज्यों को पहले दे दी गई हैं।

वर्तमान बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार ने आपदा राहत कोष की दूसरी और तीसरी किस्तें गुजरात सरकार को जून, 1994 में अग्रिम रूप से दे दी हैं। आपदा राहत निधि की तीसरी किस्त कर्नाटक को भी जुलाई, 1994 में दे दी हैं। हमने केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत निधि की तीसरी और गुजरात को चौथी किस्त दे देने की भी सिफारिश की है।

कृषि मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष कार्य कर रहा है जो कि प्रत्येक राज्य की स्थिति की निरन्तर निगरानी कर रहा है। मुझे जानकारी मिल रही है और स्वयं स्थिति का जायजा ले रहा हूँ तथा राहत कार्यों में आने वाली जटिल स्थिति से निपटने के लिए समय-समय पर हिदायतें जारी कर रहा हूं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम स्थिति से प्रभावकारी ढंग से निपटने में राज्य सरकारों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

[अनुवाद]

**श्री ई॰ अहमद** (मंजेरी) : दो विपक्षी सदस्यों ने चूंकि नोटिस दिये हैं, अत: 4.00 म॰प॰ पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जानी है। इसे अब लिया जा सकता है। अत:, मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि इस पर चर्चा अब की जाये क्योंकि यह एक गंभीर स्थिति है।

केरल में अब भी बाढ़ की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं सरकार के प्रति तीव्र असंतोष व्यक्त करता हूं क्योंकि कृषि मंत्री ने वहां का दौरा नहीं किया। उन्होंने अन्य अनेक राज्यों का दौरा किया है।

केरल में बाढ़ में 108 लोगों की जानें चली गईं। बाढ़ के कारण सैकड़ों लोग घायल हो गये थे। हजारों घर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं। केरल में बाढ़ से 30,000 से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार ने उन्हें राहत शिविरों में रखा है।

हमारे मुख्य मंत्री द्वारा लगातार अनुरोध किये ाने और आश्वासन दिये जाने के बाद भी कृषि मंत्री को केरल का दौरा करने का समय नहीं मिला। हम जानना चाहते हैं कि केरल में बाढ़ की स्थिति के बारे में इस सरकार ने क्या किया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर आज 4.00 बजे विचार किया जायेगा।

**प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** (मवेलीकारा) : केरल में बाढ़ के कारण 108 से भी अधिल लोगों की जानें चली गई। कृषि मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वह केरल का दौरा करेंगे लेकिन दुर्भायवश वह ऐसा नहीं कर सके। मेरा अनुरोध यह है कि उन्हें तत्काल केरल का दौरा करना चाहिये।

केरल के मुख्य मंत्री ने 100 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की है, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। केरल में बाढ़ पर अभी नियंत्रण नहीं किया गया है; वह अब भी वहां बढ़ रही है। इन बाढ़ों से करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है।

पुन: मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें तत्काल केरल का दौरा करना चाहिये। दूसरे, जितनी धनराशि देना संभव हो, उतनी धनराशि तत्काल केरल को दी जानी चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर आज 4.00 बजे चर्चा की जायेगी। जो माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हों, वे तब भाग ले सकते हैं।

**3.12 म॰ प॰**

## मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—जारी

### (ii) बोकारो इस्पात संयंत्र में औद्योगिक दुर्घटना

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री सन्तोष मोहन देव)** : माननीय महोदय सदन को यह सूचित करते हुए मुझे गहरा दु:ख हो रहा है कि "सेल" के बोकारो इस्पात संयंत्र में दिनांक 23.7.1994 को एक दुर्घटना हुई जिसमें 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

दिनांक 23.7.94 को 1240 बजे बोकारो इस्पात संयंत्र की इस्पात गलनशाला नं॰ 1 में रिसकुलेटिंग वाटर लाइन में अचानक रिसाव हो गया जिससे वहां भाप और गर्म पानी फैल गया। इससे उक्त वाटर लाइन के आस-पास काम कर रहे 29 व्यक्ति बुरी तरह जल कर घायल हो गये।

इस दुर्घटना में जलने में 13 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी जिनमें 11 ठेका श्रमिक, एक प्राइवेट ठेकेदार और बोकरो इस्पात संयंत्र का एक कर्मचारी था।

दुर्घटना होने के तत्काल बाद सभी घायल व्यक्तियों को बोकारो जनरल अस्पाल में ले जाया गया। 5 व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल छुट्टी दे दी गयी थी जबकि शेष घायलों को बाद में चरणों में छुट्टी दे दी गयी। इस समय पांच व्यक्तियों को अस्पताल के इन्टेंसिव बर्न यूनिट (आई॰बी॰यू॰) में उपचार हो रहा है।

"सेल" ने निदेशक (प्रचालन), सेल की अध्यक्षता में पहले ही एक जांच समिति गठित कर दी है। संभावना है कि समिति अपनी रिपोर्ट 9.8.1994 को प्रस्तुत कर देगी। बिहार सरकार ने दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं, जो बोकारो के एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रबन्ध ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे के अतिरिक्त प्रत्येक मृतक के एक-एक आश्रित को रोज़गार देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त, सभी मृतकों और घायल व्यक्तियों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने की भी मंजूरी दी गयी है।

दुर्घटना के बाद अधीक्षक (अनुरक्षण) और प्रबन्धक (अनुरक्षण) जो बायलर क्षेत्र के प्रभारी हैं, को जांच होने तक निलम्बित कर दिया गया है।

पूरे संयंत्र में सुरक्षा कार्यप्रणाली को और अधिक कड़ी करने के लिए तत्काल कदम उठाए गये हैं। इस्पात गलनशाला में 23.7.94 को 1640 को 1640 बजे पुनः उत्पादन शुरू हो गया। संयंत्र में स्थिति सामान्य है। ट्रेड यूनियनों और आफीसर्स एसोसिएशन शान्ति और सामान्य स्थिति बनाये रखने में सहयोग कर रही हैं।

[अनुवाद]

**3.15 म॰ प॰**

## समिति के लिए निर्वाचन

**श्री जी॰ वेंकट स्वामी पेड्डापल्ली** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करे।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करे।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**3.16 म० प०**

## नियंत्रक महालेखा परीक्षक
## (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें)
## संशोधन विधेयक*

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियंत्रक महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां, तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1971 में और संशोधन करने वाला एक विधेयक पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) विधेयक, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

**3.17 म० प०**

## नियम 377 के अधीन मामले

**(एक) विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्गो सेवाएं और कार्गो विमान सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता**

**श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील** (अमरावती) : ऐसा समझा जाता है कि केन्द्र ने राज्य सरकारों से अपनी औद्योगिक नीति की तरह ही निर्यात नीति तैयार करने, विशेष प्रोत्साहनों की घोषणा करने और राज्यों से निर्यात को दुगना करने की दृष्टि से निर्यात निष्पादन के लिए अपेक्षित लागत प्रभावी उपाय करने के लिए कहा है।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने पहले ही कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक एकीकृत योजना बनाने के लिए अनेक कार्यबलों का गठन करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, कंटेनर के विकास और विदेशों में प्रचालन के लिए कार्गो सेवाओं पर अपेक्षित बल नहीं दिया गया है। कार्गो सेवाओं के अभाव के कारण गुजरात और महाराष्ट्र में फालतू दूध का खाड़ी देशों को निर्यात नहीं किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त देश से अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं किया जा सकता है। फलों, सब्जियों और समुद्री उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने की काफी गुंजाइश है। लेकिन कार्गो सेवाओं के अभाव के कारण निर्यात नहीं हो पा रहा है।

*दिनांक 2.8.1994 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खंड 2 में प्रकाशित।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पृथक कार्गो सेवाओं और कार्गो जहाजों की व्यवस्था की जाए। विश्व की अधिकांश मुख्य एअरलाइन्स के पृथक कार्गो डिवीजन और कार्गो जहाज हैं।

**(दो) आवश्यक मामलों में मानव अंग प्रतिरोपण के लिए अनुमति देने हेतु एक विधान बनाने की आवश्यकता।**

**श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** (शोलापुर) : अनेक पश्चिमी देशों ने अपने देशों में मानव अंग प्रतिरोपण की अनुमति दे रखी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस तरह का विधान बनाए ताकि हम उन हजारों लोगों की जान बचा सकें जिन्हें ऐसे प्रतिरोपणों की अत्यन्त आवश्यकता है।

ऐसा कानून लागू हो जाने पर बहुत दानी सामने आएंगे। इससे बहुत से लोगों के दुखों का अंत होगा और बहुत सी जानें बचाई जा सकेंगी।

**(तीन) शैक्षणिक पाठयक्रमों की वर्तमान परीक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करने और उत्तर पुस्तिकाओं का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता।**

**श्री पी॰ पी॰ कालिया पेरूमल** (कुड्डालोर) : उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने की मौजूदा प्रणाली मूल्यांकन कर्ता को निरंकुश और यथेच्छ अधिकार देती है। कुछेक मामलों में तो उत्तर पुस्तिकाओं का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। मूल्यांकन कर्ताओं के निरंकुश प्राधिकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। उत्तर पुस्तिकाओं विशेषरूप से हायर सैकण्ड्री परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि प्रभावित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन करवाने का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए परीक्षाओं की वर्तमान प्रणाली में प्राकृतिक न्याय की मांग का बंचन है। अत: इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि परीक्षा प्रणाली की मौजूदा कमियों को दूर करने और प्रभावित छात्रों के अनुरौध पर उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के अवसर प्रदान करने के लिए तत्काल एक कानून बनाया जाए। ताकि प्राकृतिक न्याय की मांग पूरी हो सके।

**(चार) 1993-94 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए केरल राज्य को 1994-95 के दौरान की गई धनराशि का प्रयोग उपयोग करने के आदेशों को पुन: मान्य ठहराने की तथा 1994-95 के लिए धन-राशि जारी करने की भी आवश्यकता**

**प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन** (मुकुन्दपुरम) : सरकार ने केवल राज्य में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए 1.45 करोड़ रुपए जारी किये हैं। यह राशि वास्तव में राज्य ग्रामीण विकास विभाग को जारी की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की गई राशि, राज्य के योजना विभाग को अन्तरित करने का प्रस्ताव रखा है जो भारत सरकार ने मार्गनिर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के लिए मुख्य विभाग है। यह राशि मार्च, 1994 में जिला समाहर्ताओं को नहीं दी जा सकी क्योंकि औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बहुत ही कम समय मिला।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस राशि के 1994-95 के दौरान उपभोग करने के लिए पुन: आदेश जारी किये जाएं। मैं सरकार से उपरोक्त योजना के लिए वर्ष 1994-95 में देय 29.00 करोड़ रुपए भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

03.24 म० प०

## भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक जारी

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम श्री गुलाम नबी आज़ाद द्वारा आगे विचार हेतु प्रस्तुत विधेयक मद संख्या 29 को लेंगे।

[हिन्दी]

**श्री उमराव सिंह** (जालन्धर) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब को बधाई दूंगा कि वे इस देश में एयरपोर्ट एथोरिटीज की जगह एक एथोरिटी बनाने का यह बिल लाये हैं।

अभी हमारे देश में दो एथोरिटीज काम कर रही हैं। इनके अलावा स्टेट्स में भी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने भी एयरपोर्ट्स वगैरह खोले हुए हैं। अब एक एथोरिटी बनाने में एथोरिटी का काम बायबल हो जायेगा, मजबूत हो जायेगा। उसके साथ-साथ बहुत अच्छा काम होने की सम्भावना नजर आ रही है। दुनिया के जितने एडवांस कण्ट्रीज हैं, उनके मुकाबले में हमारे एयरपोर्ट्स में बहुत सी बातें हैं, जो अभी होनी बाकी हैं।

हमारे जहाजों की आमदोरफत दिल्ली, बम्बई में ही नहीं इन्टरनेशनल एयरट्रैफिक में भी है, वहां भी ज्यादा हो गई है। आने वाले समय में हमें ऐसा नजर आ रहा है कि यहां टूरिज्म और बढ़ेगा और आने-जाने वाले लोगों की संख्या और बढ़ेगी। जितनी भी एयर ट्रैफिक में लोगों की गिनती बढ़ती है, उतनी ही हमारी एयरपोर्ट्स पर जरूरियात बढ़ती है, वे हमें लोगों को देनी चाहिए। आज से 20-25 साल पहले छोटे-छोटे जहाज होते थे, जिनमें 100-105 लोग बैठते थे और अब ऐसे जहाज हो गए हैं, जिनमें 300-400 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसलिए जरूरी है कि उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए हमारे एयरपोर्ट्स फुल्ली इक्विप्ड हों और उनमें लेटैस्ट इक्विप्मेंट होने चाहिए। इसके साथ-साथ मुसाफिरों को पूरी-पूरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। मुझे खुद भी बाहर के देशों में जाने का मौका मिला है, उनको देखते हुए हमारे एयरपोर्ट्स पर फुल्ली इक्विप्डहों उनमें लेटैस्ट इक्विप्मेंट होने चाहिए। इसके साथ-साथ मुसाफिरों को पूरी-पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मुझे खुद भी बाहर के देशों में जाने का मौका मिला है, उनको देखते हुए हमारे एयरपोर्ट्स पर इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। खास तौर से जब पैसेन्जर चैक-इन करते हैं , उस समय से लेकर और जब वे अपना सफर तय करके अपने डैस्टीनेशन पर पहुंच जाते हैं और जब उनको अपना समान लेना होता है, इस व्यवस्था में हम लोग बहुत पीछे हैं। अपने लगेज को लेने के लिए हमको दो-ढाई घन्टे वेट करना पड़ता है, जबकि सफर सिर्फ एक घन्टे का होता है। इसलिए हम अपने एयरपोर्ट्स को जितना ही अच्छा बनायेंगे, उतना ही अच्छा होगा।

3.29 म॰ प॰

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

हमारे देश में डोमैस्टिक ट्रैफिक भी है और इनमें इन्टरनेशनल ट्रैफिक भी हैं, उनको हम डोमैस्टिक एयरपोर्ट्स पर लुकआफटर करते हैं। इसलिए इन एयरपोर्ट्स की भी प्रापर हैंडलिंग होनी चाहिए। जब भी कोई मौका आता है। तो इस बात की जरूर चर्चा होती है कि एयरपोर्ट्स पर सुविधायें नहीं हैं ओर सामान को निकालने में काफी देरी लगती है। खास तौर से जब हमारी ओपन-स्काई-पालिसी हो गई है और हमारे प्रधान मंत्री, श्री नरसिंहराव और पर्यटन मंत्री, श्री गुलाब नबी आजाद जी के आने के बाद पिछले दो-तीन सालों में एयर टैक्सी बस सर्विस ज्यादा बढ़ गई है। हमारे अपने जो नेशनल कैरियर्स हैं, एयर-इंडियया और इंडियन-एयरलाइन्स, इनमें भी काफी अन्तर आ गया है। इसके साथ-साथ डोमैस्टिक और इन्टरनेशनल ट्रैफिक में भी काफी अन्तर आ गया है।

अब लोग ज्यादा गिनती में आने शुरू हो गये हैं इसलिये हमें यह बात देखनी पड़ेगी कि आने वाले 5,10 एवं 20 साल में हमारे डोमैस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैफिक की पोजिशन क्या होगी। हमारी जो एयरपोर्ट की अथोरिटी है वह चाहे जितने भी अच्छे ढंग से बनाई गई हो लेकिन उसमें यह देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में क्या वह ठीक तरह से काम कर सकेगी ? मैं समझता हूं कि इस प्लानिंग की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि जितना हर साल ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है उसके साथ-साथ जो आज फेसिलिटी हमारे एयरपोर्ट पर है उसको और बढ़ाने की जरूरत है और जो हमारे नये एयरपोर्ट तथा नये टर्मिनल बन रहे हैं उनमें जो फेसिलिटी दी जा रही हैं उसमें जैसे बेस लगाये जा रहे हैं उससे सीधे दूसरे जहाज में चले जाते हैं।

महोदय, हमारे देश में वर्षा बहुत ज्यादा होती है और जब जहाज खड़ा होता है तो पैसेंजर को आने-जाने में दिक्कत होती है। बम्बई, दिल्ली में नये टर्मिनल बन रहे हैं उनसे बहुत सहुलियत मिल गई है मगर ऐसी सहुलियत दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी होनी चाहिये, क्योंकि दूसरे मुल्कों में छोटे-छोटे एयरपोर्ट पर ऐसी फेसिलिटी है। एयर ट्रांसपोर्टेशन में फेसिलिटी होती है। मैं समझता हूं कि फ्लाइट इनफोरमेशन और अन्य कई सहुलियत के इंस्टुमेंट आ गए हैं तो हमारे एयरपोर्ट पर भी सहुलियत होनी जरूरी है। जितने भी स्पेसिफिक इंस्टुमेंट्स हैं अगर वैसी ही सहुलियत एयरपोर्ट अथोरिटी प्रोवाइड करेगी तो जहाजों को उतरने और चढ़ने में आसानी होगी। हमारे यहां जो लोग बाहर से आते हैं उन पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहां जो लोग बाहर से आते हैं उनका पहला इमप्रेशन एयरपोर्ट से ही पड़ता है जैसे ही वे उतरते हैं उससे अंदाजा लग जाता है कि इस देश में कितनी तरक्की हुई है, यह देश कितना आगे है। अब खास तौर पर यह जो इलेक्ट्रोनिक का समय है इसके लिये कौन-कौन से गेजेट्स जरूरी हैं वे लगानी चाहिये। इसके लिये वायबल और स्ट्रॉग अथोरिटी होनी जरूरी है वही इस तरफ कदम उठा सकेगी और देश के लिये सोच सकेगी तथा हमारे जितने भी एयरपोर्ट हैं उनको डेवेलप कर सकेगी।

महोदय, मुझे यहां पर यह कहने में भी हिचकिचाहट नहीं है, हमने कई बार मंत्री जी से कहा है कि जिस इलाके से लोग बाहर गए हुए हैं उनके इलाके में फेसिलिटी दी जानी चाहिए ताकि उनका बाहर से आना-जाना आसान हो। इस हाउस के सारे मेम्बर जानते हैं कि जितने जालंधर, होशियारपुर ओर कपूरथला से लोग बाहर गए

हुए हैं, आप इंग्लैंड, अमरीका, कैनेडा, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट में कहीं भी चले जाएं वहां हजारों-लाखों लोग जालंधर और उसके नजदीक के इलाके से गये हुए हैं।

जब ये लोग वापिस आते हैं तो इनको काफी तकलीफ होती है, इनको दूर जाना होता है और एअरपोर्ट पर इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यहां पर चैकिंग का जो सिस्टम है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इम्मीग्रेशन और कस्टम चैकिंग में बहुत दिक्कतें आती हैं, जिसका असर बाहर अच्छा नहीं पड़ा है। एक तरफ तो हम एनआरआईज को यहां पर सहूलियतें देने की बात कर रहे हैं, पालिसी लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों का बाहर अच्छा असर नहीं पड़ता है और देश की बदनामी होती है। आज एनआरआईज करोड़ों रुपया हमारे यहां इनवेस्ट करने के लिए तैयार हैं, विदेशी मुद्रा हमारे यहां आ सकती है, लेकिन उन लोगों को कुछ सुविधाएं अवश्य दी जानी चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि नई अथारिटी नए एअर-पोर्ट्स के लिए प्लानिंग करें और उन इलाकों का विशेष ध्यान रखा जाए जहां से ज्यादा लोग बाहर गए हुए हैं। हमारे यहां से बहुत लोग बाहर गए हुए हैं और उनका यहां पर आना-जाना लगा रहता है, लेकिन उनको यहां पर पूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं और इतना किराया लगाकर वे लोग यहां पर आते हैं, उनका रहने का भी इतना खर्च होता है, लेकिन सहूलियतें न होने की वजह से उनको निराशा होती है और उनको यहां आने में दिक्कतें आ रही हैं। मैं कहूंगा कि जालंधर में को नेशनल और इंटरनेशनल एअर मैप पर लाया जाए। आज आप देख लीजिए कि एअर इंडिया, लुफ्थहंसा, ब्रिटिश एअरवेज से जितनी फ्लाइट्स आती हैं, उनमें 30-40 प्रतिशत पंजाब के ही लोग होते हैं और उनमें भी अधिकतर जालंधर तथा आसपास के क्षेत्रों के लोग होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जालंधर में एअरपोर्ट बनाने से इंडियन एअर लाइंस को बहुत लाभ होगा, क्योंकि दिल्ली आने के बाद लोग इंडियन एअर लाइंस की फ्लाइट से जालंधर जाया करेंगे। इस काम के लिए बाहर के जो हमारे एनआरआईज हैं, वे भी सहायता करने के लिए तैयार हैं और मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे इसके लिए एनआरआईज एसोसिएशंस के साथ प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि किसी न किसी रूप में अवश्य वहां से सहायता मिलेगी।

पंजाब में अमन और शांति स्थापित करने में गुलाम नबी आजाद जी का बहुत योगदान है और वहां पर शांति लाने के लिए आजाद जी गांव-गांव से हमारे साथ घूमे हैं और वहां के लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसी तरह से यदि जालंधर में एअर-पोर्ट स्थापित कर दिया जाएगा तो वहां के लोगों में इनके लिए इज्जत और प्यार और अधिक बढ़ जाएगा और इनको वहां पर सदा याद किया जाता रहेगा।

सभापति महोदय, इन बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

मुझे आशा है कि यह जो अथोरिटी बनेगी, उसमें ऐसे मैम्बर्स लिए जाएं जो अच्छी तरह से एडवाईज कर सकें और अथारिटी अच्छी तरह से काम कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर सकता हूं।

[अनुवाद]

**डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर)** : सभापति महोदय, मैं माननीय नागर विमानन और पर्यटन मंत्री, श्री गुलाम नबी आजाद जी को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1993 प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता

हूँ। इसके साथ ही, मैं प्रधान मंत्री महोदय को भी संयुक्त उद्यमों के माध्यम से नागर विमानन के क्षेत्र में भारत रूस सहयोग हेतु समझौता करने के लिए उनके द्वारा की गई पहल के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। हाल ही में जब हमारे प्रधान मंत्री रूस के दौरे पर गये थे, तो उस दौरान भारत और रूस के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। हमें इस समझौते एवं अपने प्रधान मंत्री महोदय पर गर्व है। भारत एवं रूस के बीच संयुक्त उद्यम जल्दी ही स्थापित कर लिया जाएगा तथा इससे हमारे देश में नागर विमानन के चहुमुखी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

महोदय, यद्यपि यह विधेयक इस सभा के समक्ष इससे पहले पेश किये जाने की उम्मीद थी। फिर भी इस विधेयक को लगभग एक वर्ष पहले इस सभा के समक्ष 23 अगस्त, 1993 को लाया गया था। मंत्री महोदय ने दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 को राज्य सभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में इस विधेयक को लाने के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को साफ-साफ बता दिया था। अपने उस उत्तर में, मंत्री महोदय ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण में विलय क्यों किया जाएगा तथा इस विलय से देश को कुल मिलाकर क्या लाभ होगा। उन्होंने पहली बात यह कही थी कि इस विलय से विमानपत्तनों के स्वीकृत विकास के लिए संसाधनों का बेहत्तर निदेश एवं उपयोग करने में मदद मिलेगी तथा इससे संसाधनों का एकीकृत ढ़ंग से बेहत्तर निवेश सम्भव हो जायेगा। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही थी कि इससे विमानपत्तनों का प्रशासन बेहतर होगा, प्रबंधन मजबूत होगा तथा इसमें एकता और बढ़ेगी। इससे वैमानिक संचार एवं हवाई यातायात सेवाओं सहित विमानपत्तनों का प्रशासन बेहतर होगा तथा प्रबंधन मजबूत होगा। इस विलय से भारत में नागर विमानन प्रबंधन बेहतर होगा।

महोदय, कई बार विपक्ष के सदस्य इस विलय की आलोचना करते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने राज्य सभा में जो उत्तर दिया था, उसमें इस विधेयक को लाने के उद्देश्यों का अत्यंत सस्पष्ट रुप से उल्लेख किया है। उन्होंने एक और बात यह कही थी कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की सक्षमता से कार्यकुशलता में सुधार किया जा सकता है।

महोदय, इस कदम से कार्यकुशलता में सुधार होगा। चौथी बात यह है कि प्रस्तावित एकीकरण से यह सम्भव हो पायेगा कि एक ही जगह का काम कई जगह न हो। 'अतिव्याप्ति' (ओवर लैप) से मेरा मतलब है भ्रष्टाचार के दावों में समय की बर्बादी। इससे बेहतर संचालन तथा जनशक्ति का अत्यंत कुशल उपयोग सुनिश्चित हो पायेगा। यदि यह दो संगठन अलग-अलग विद्यमान रहते हैं, तो जनशक्ति का बेहतर उपयोग सम्भव नहीं होगा क्योंकि दो संगठनों में जनशक्ति के दो अलग-अलग समूहों की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु एक ही संगठन में जनशक्ति का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पांचवीं बात यह है कि विमानपत्तन सुविधाओं के एकीकृत विकास की जिम्मेदारी एक ही ऐसे प्राधिकरण पर होगी, जिसका कि संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण होगा। एक ही प्राधिकरण संसाधनों के निदेश पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करेगा।

1971 तक, महानिदेशक नागर विमानन न केवल विनियमन संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार था बल्कि देश में विमानपत्तनों के निर्माण एवं प्रबंधन तथा हवाई यातायात के लिये जिम्मेदार था, नियंत्रण एवं अंतरिक्ष प्रबंधन की जिम्मेदारी भी उसी पर थी।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण-एक स्वायत निकाय-की वर्ष 1971 में स्थापना देश में बड़े विमानपत्तनों के निर्माण एवं प्रबंधन के लिए की गई थी। 01.04.1972 से चार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों यथा दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, एवं कलकत्ता भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था। बाद में, त्रिवेंद्रम विमानपत्तन को भी इस प्राधिकरण की स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्ष 1985 में, सरकार ने स्वदेशी विमानपत्तनों एवं हवाई यातायात नियंत्रण को भी इसी के समान समझने का निर्णय किया तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन किया। अब इन दोनों प्राधिकरणों का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, 1993 के अंतर्गत निरसन किया गया है।

महोदय, इस विधेयक में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपक्रमों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अंतरित करने और सौंपने का प्रस्ताव किया गया है।

इन दो उपक्रमों को स्वीकृत किये गये सभी लाइसेंस, परमिट, कोटा तथा रियायतें, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदान किये गये समझे जायेंगे। इस विधेयक के लक्ष्यों एवं कारणों के कथन में यही कहा गया था।

महोदय, मुझे विपक्षी दलों के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये तर्क समझ में नहीं आते। वे सदस्य इस समय सभा में उपस्थिति नहीं हैं। विपक्षी दल के एक सदस्य श्री लोकनाथ चौधरी ने यह कहा है कि राष्ट्रीय विमापत्तन प्राधिकरण घाटा-उठाने वाला उपक्रम है तथा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण लाभ-कमाने वाला उपक्रम है और यदि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है अथवा इनका एकीकरण हो जाता है, तो ऐसा करना जरासंध के दो हिस्सों को जोड़ने जैसी बात होगी। ऐसा कहा गया है कि यदि एक हिस्सा कमजोर हो, तो दूसरा हिस्सा भी अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। यह उनकी अवधारणा है। लेकिन मंत्री महोदय ने इसके उत्तर में यह कहा है कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 1991-92 में 17.72 करोड़ रुपये का लाभ दर्शाया था; वर्ष 1992-93 में इसने 11.76 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1993-94 में 17.33 करोड़ रुपये का मुनाफा दिखाया था। अतः, यह घाटा-उठाने वाला उपक्रम नहीं है तथा न ही घाटा-उठाने वाले किसी उपक्रम को लाभ कमाने वाले किसी अन्य उपक्रम में विलय किया जा रहा है। यह ऐसी बात नहीं है। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा है कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में क्रमशः 17.72 करोड़ रुपये, 11.76 करोड़ रुपये तथा 17.33 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। अतः, यह दलील न्याय संगत नहीं है। भाजपा के एक सदस्य ने यह दलील दी है कि ऐसा करने से हमारे सी॰ पी॰ एम॰ दल को फायदा होगा, न कि पूंजीपतियों को जो उनको सह दे रहे हैं, उन्हें इससे लाभ नहीं होगा। देश की समूची वायु सेना की देखभाल सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार इसका ध्यान रखेगी। उनका कहना है कि बड़े उद्योगपति वायु-सेना को अधिग्रहण कर लेंगे तथा तभी वायु-सेना का विकास किया जा सकता है। यह अवधारणा बिल्कुल गलत है। यह न तो सी॰ पी॰ एम॰ के लिए लाभप्रद होगा और न ही भाजपा के लिए। कुल मिलाकर इससे सारे देश को लाभ पहुँचेगा। सही अवधारणा यही है।

समितियों के गठन के बारे में मेरी यह राय है कि इन समितियों में संस॰ के ऐसे सदस्य होने चाहिये, जो इस संगठन की देखरेख कर सकें। समिति में एक सदस्य राज्य सभा, दो सदस्य लोक सभा तथा एक-एक सदस्य आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ एवं भारतीय वायु-सेना से शामिल किया जाना चाहिए। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होना चाहिए। यदि प्रबंधन बेहतर है तथा यदि यह प्राधिकरण सही ढंग से कार्य करता है, तो इससे हमारे देश के विमानपत्तनों का कार्यकरण बेहतर होगा। मैं मंत्री महोदय के समक्ष अपने राज्य से संबंधित समस्याएं रखना चाहता हूं। भुवनेश्वर को जाने वाली विमान-सेवाएं रविवार को बंद कर दी गई हैं। इसी वज़ह से हम, सोमवार को इस सभा में नहीं पहुंच सके। आपको हमारी समस्याओं को समझना चाहिए। इसमें सुधार किया जाना चाहिए तथा भुवनेश्वर को जाने वाली विमान-सेवाएं पुनः बहाल करनी चाहिएं। भुवनेश्वर से पोर्टब्लेयर तक एक विमान-सेवा होनी चाहिए। यह हमारी प्रमुख उम्मीद है। भुवनेश्वर विमानपत्तन के विकास की परियोजना सरकार के पास लम्बित है। इस परियोजना की मंजूरी दी जानी चाहिए। यह परियोजना अभी तक लम्बित पड़ी है। इसकी योजना स्वीकृत कर दी जाएगी। समूचे भुवनेश्वर विमानपत्तन का विकास किया जाएगा। अमरदा एवं झारसुगुडा विमान-पाट्टियों का सर्वेक्षण किया जाए तथा वायुदूत की उड़ान के लिए योजनाएं बनाई जायें। मैं यह बात आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ब्रिटिश-काल से यह दो पट्टियाँ ऐसी पड़ी हुई हैं जिन्हें कि मामूली-सी मरम्मत के बाद सुधारा जा सकता है तथा यदि इनमें थोड़ा-सा भी सुधार हो जाता है, तो देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ के लिए वायुदूत की सेवाएं शुरू करना अत्यंत सुविधाजनक होगा। भुवनेश्वर से राउरकेला की एक वायुदूत सेवा को रद्द कर दिया गया है। राउरकेला से कलकत्ता तक की वायुदूत-सेवा को पुनः बहाल किया जाये। यह सेवा स्वीकृत क्यों की गई थी ? यह सेवाएँ क्यों हटा दी गई ? आज स्थिति यह है कि यह सेवाएं आज चल रही हैं, तो अगले दो दिन ये सेवाएं नहीं चलेंगी। ऐसी स्थिति है। अतः, यह पर्यटकों तथा यात्रियों के लिए सुविधाजनक नहीं है। इसी वजह से, भुवनेश्वर से राउरकेला, कलकत्ता से राउरकेला तथा पोर्ट-ब्लेयर तक वायुदूत की नियमित विमान सेवाएं होनी चाहिये। भुवनेश्वर से अमरदा, भुवनेश्वर से झारसुगुड़ा भुवनेश्वर एवं पोर्ट-ब्लेयर के बीच विमान-सेवाएं होनी चाहिये। हमारा प्रांत अत्यंत उपेक्षित राज्य है। उड़ीसा के सभी सदस्यों ने मंत्री महोदय से यह अनुरोध किया है तथा उनसे बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद, उन्होंने हमें यह कह कर सांत्वना दी है कि वह इस पर विचार करेंगे। मंत्री महोदय से मैं यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें सर्वप्रथम तो इस योजना की स्वीकृति दे देनी चाहिए। हमें शांत करने के लिए यह काफी नहीं है। उन्हें उस विमान सेवा को बहाल कर देना चाहिए। यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर एक बहुत बड़ा पर्यटक केन्द्र है। यहां पर्यटक बड़ी संख्या में भारत के विभिन्न स्थानों और विदेशों से भी आते हैं। भुवनेश्वर और वाराणसी में भारत और विदेशों से अधिकाधिक पर्यटक आते हैं। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर तुरन्त विचार करें। उन्हें, अपने उत्तर में यह बताना चाहिए कि इसे बहाल कर दिया गया है।

मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि विपक्षी सदस्य सरकार की पूर्ण रूप से आलोचना कर रहे हैं। जो कुछ

भी सरकार देश के लिए अच्छा करती है उसकी यह निन्दा करते हैं। वे ऐसा महसूस करते हैं कि यह सब ठीक नहीं है। उन्होंने सभा का बहिष्कार किया है। यही उनका इरादा है। वे सच्चाई छिपाना चाहते हैं। बोफोर्स के मुद्दे पर क्या हुआ ? उन्होंने सरकार को दबाने का प्रयास किया उन्होंने दबाव डालने के हथकंडे अपनाने का प्रयास किया। इस मुद्दे पर भी उन्होंने दबाव डालने के हथकंडे अपनाने का प्रयास किया इसलिए कि यह चुनाव के समय उनके लिए लाभकारी होगा।

[हिन्दी]

सिंधु के पीछे पाप छिपे न
नीच छिपे न बड़पन गाई
सभा के भीतर पंडित छिपे न
सूरत छिपे न बादल छाई

[अनुवाद]

सच्चाई क्या है ? एक दिन तो अवश्य ही सामने आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार इस पर बहुत स्पष्ट हैं। वह उस व्यक्ति के विरुद्ध बहुत ही कड़ा कदम उठाएंगे जो कि उसमें दोषी पाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री पहले ही यह बता चुके हैं कि यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो, उसे दण्डित किया जाएगा। विपक्षी पार्टियां की गई कार्यवाही रिपोर्ट पर चर्चा करने की अनिच्छुक हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। यदि इस पर चर्चा की जाती है तो सच्चाई क्या है सारा देश जान जाएगा। यदि सच्चाई का खुलासा हो जाएगा तो उनका खेल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सभा का बहिष्कार किया है। मैं उनकी इस कार्यवाही की निन्दा करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**4.00 म० प०**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

## देश के अनेक भागों में बाढ़ के कारण जान और माल का भारी नुकसान

**सभापति महोदय :** अब यह सभा उपर्युक्त विषय पर नियम 193 में अधीन चर्चा आरंभ करेगी। उस चर्चा के लिए दो घन्टे का समय निर्धारित है।

| | |
|---|---|
| श्री नीतीश कुमार | अनुपस्थित |
| श्री गुमानमल लोढा | अनुपस्थित |
| श्रीमती गीता मुखर्जी | अनुपस्थित |
| श्री लोकनाथ चौधरी | अनुपस्थित |
| श्री बसुदेव आचार्य | अनुपस्थित |
| श्री आर० एम० भंगारे | अनुपस्थित |
| श्री पी० सी० थामस | अनुपस्थित |

**प्रो॰ के॰ वी॰ थामस** (एरणाकुलम) : महोदय, मुझे खेद है कि बहुत से माननीय सदस्य, जिन्होंने बाढ़ की समस्या पर चर्चा के लिए नियम 193 के अधीन नोटिस दिया था वे सभा से अनुपस्थित हैं और वह सदस्य भी जो देश में गंभीर स्थिति और विशेषकर अपने राज्यों की स्थिति पर अपनी-अपनी भावनाएं अभिव्यक्त नहीं कर सके।

माननीय कृषि मंत्री बलराम जाखड़ देश में बाढ़ की स्थिति पर वक्तत्व दे चुके हैं। मानसून, जो मई के अन्त तक शुरू हो चुका था और जो अभी भी चल रहा है ने देश के विभिन्न भागों में तबाही मचायी है। केरल से लेकर असम तक हमें प्रतिदिन ये समाचार मिलते रहते हैं कि लोग मारे गए हैं, सम्पत्ति नष्ट हो रही है और कृषि को भारी क्षति पहुंची है।

9 जुलाई के **पैट्रियट** समाचार पत्र में एक रिपोर्ट "फ्लैश फ्लड्स कलेम्ड 29 लाइन्ज इन नॉर्थ एण्ड नार्थ-ईस्ट" शीर्ष से छपी थी। 13 जुलाई को उड़ीसा के बारे में एक और रिपोर्ट छपी थी। जिसका शीषर्क था, "फ्लड्स इन कोस्टल उड़ीसा" तत्पश्चात् 13 तारीक को "स्टेट्समैन" में एक समाचार छपा था जिसका शीर्षक था" मध्य प्रदेश फ्लड सिच्युएशन इन वेरी ग्रिम। दक्कन हेरल्ड में कहा गया कि कर्नाटक में पुन: बाढ़-दस दस मरे, गांव बाढ़ से तबाह हैं, यातायात बंधित है, अचानक आई भीषण बाढ़ ने मालाबार जिले में तटीय प्रदेशों में भीषण तबाही मचायी। 14 को पुनः **हिन्दुस्तान टाइम्स,** में कहा गया कि मध्य प्रदेश में बाढ़ ने छह लोगों की जान ली। 18 को "बाढ़ से मरने वालों की संख्या 600 के ऊपर पहुँच गई है। प्रतिदिन हमें यह सूचना मिल रही है कि लोगों की सम्पतियाँ नष्ट हो रही हैं और उनकी जानें जा रही हैं। जैसा कि आज हमें यह मालूम हुआ है कि 600 से अधिक लोग मर चुके हैं। गुजरात में 117, मेरे राज्य केरल में 108, कर्नाटक में 56, मध्यप्रदेश में 13 है। यह निर्दयतम प्राकृतिक विपत्ति है जिसको राष्ट्र सेल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ने समस्याग्रस्त लोगों की सहायता के लिए तात्कालिक उपाय किए हैं। 18 तारीक को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में देश में बाढ़ की समस्या की समीक्षा की गई और चार केन्द्रीय मंत्रियों को बाढ़ग्रस्त राज्यों में भेजा गया। श्री ए॰ के॰ एन्टनी को उड़ीसा भेजा गया, और श्री मल्लिकार्जुन को कर्नाटक भेजा गया, श्री पी॰ ए॰ संगमा मध्य प्रदेश गए, और श्री सुखराम हिमांचल प्रदेश गए उस समय माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे और वहां से गुजरात चले गए। माननीय प्रधानमंत्री यह निर्देश दे चुके हैं कि जो लोग इस प्राकृति आपदा में मारे गए हैं उनके संबंधियों को 50,000 रू॰ दिए जाएं। वह प्रधानमंत्री राहत कोष से 15 करोड़ रुपए ऐसे भुगतानों के लिए दे चुके हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से 50,000 रुपए उन लोगों को दिए जा चुके हैं जिनके सम्बन्धी मर गए हैं।

इस समय बाढ़ की स्थिति बड़ी गंभीर है। यद्यपि सभा में कई बार प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा हो चुकी है, यह बहुत कम अवसरों में से ऐसा एक अवसर है और अधिक यथार्थवादी होना है। केन्द्रीय सहायता जो राज्यों को प्राकृतिक आपदा राशि के रूप में दी जाती है वह वित्त आयोग द्वारा इस प्रकार निर्धारित की गई है कि 75% केन्द्र से दी जाएगी और 25% राज्यों को स्वयं ही जुटानी पड़ेगी। प्रत्येक राज्य को एक निश्चित राशि दी गई है। मेरे गृह राज्य को एक निश्चित राशि दी गई है। मेरे गृह राज्य केरल के लिए 31 करोड़ दिए गए हैं। इसका

मतलब यह हुआ कि हमें केन्द्रीय सरकार से 23.25 करोड़ रुपए मिलेंगे जब कि राज्य सरकार को 7.75 करोड़ रुपए स्वयं जुटाने होंगे। वित्त आयोग का यह निर्णय अति अवास्तविक है। क्या आप यह समझते हैं कि जिसमी राज्य में प्राकृति आपदा हो बाढ़ हो, तो हम केवल नौवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के आधार पर ही कार्य करें। उदाहरणार्थ क्या आप यह कहेंगे कि केरल में जो बाढ़ आएगी वह 31 करोड़ की सीमा के भीतर निपटने तक आनी चाहिए ? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 19.7.94 को माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि केरल राज्य के उस समय के आकलन के अनुसार केवल दो मदों से ही 110 करोड़ रुपए तक की हानि हुई थी, जिसमें एक तो फसल की हानि है जो लगभग 65 करोड़ रुपए है और दूसरी सार्वजनिक सम्पत्ति की हानि है जो 45 करोड़ रुपए तक की है इसके अलावा और भी बहुत नुकसान हुआ है। दिनांक 19.7.94 का यह हमारा आकलन है। अकेले केरल में 19.7.94 का 110 करोड़ रुपए का आकलन है। नौवें वित्त आयोग के अनुसार, नहीं आपकी हानि 31 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।' मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अवास्तविक है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस निर्णय पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब भारत सरकार को स्थिति के बारे में यथार्थ परक होना चाहिए और वित्त आयोग के मानदंड के अलावा भी कुछ सहायता दी जानी चाहिए। सहायता बढ़ाने के बहुत से और भी रास्ते हैं। इस सम्बन्ध में मेरे एक-दो सुझाव हैं।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित समेकित जल-विभाजक (वाटररोड) प्रबन्धन योजना आरंभ की है। वर्ष 1993-94 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के प्रबन्धन के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और लगभग 57,000 हैक्टेयर भूमि इस प्रबन्ध के अन्तर्गत लायी जा चुकी है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार तुरन्त पर्याप्त राशि राज्य सरकारों को नौवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राशि से अधिक दे। यहां तक कि इस समेकित जल विभाजक प्रबन्धन कार्य योजना में 50% केन्द्रीय अनुदान और 50% केन्द्रीय ऋण हैं।

मेरे विचार से यह एक तरीका है जिसके द्वारा राज्य सरकारों की तत्काल सहायता की जा सकती है।

दूसरी प्रकार की सहायता प्रधानमंत्री के राहत कोष से दी जा सकती है। प्रधानमंत्री पहले ही राज्यों की मदद के लिए 15 करोड़ रुपये ज़ारी कर चुके हैं। मेरे विचार से और अधिक राशि जारी करनी होगी। इसलिए, जब प्राकृतिक आपदाएं आएं तो केन्द्र सरकार को वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर राज्य सरकारों की मदद के लिए एक निश्चित राशि तय करने का मौजूदा तरीका वास्तविक नहीं है। सरकार को वास्तविक योजना तैयार करनी चाहिए और समय पर वास्तविक मदद देनी चाहिए।

मैं अपने राज्य, केरल के बारे में बोलना चाहता हूँ। वहां पर स्थिति अत्यधिक खराब है। केरल में पिछले दस वर्षों में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। हमारे पास मौजूद आंकड़ों के अनुसार 22 जुलाई 1994 तक बाढ़ से 14 जिले प्रभावित हुए हैं अर्थात पूरा केरल राज्य ही इससे प्रभावित हुआ है। प्रभावित गांवों की संख्या 1,278 है। प्रभावित जनसंख्या 4,82,875 है। 108 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 190 व्यक्ति घायल हुए हैं। पांच व्यक्ति लापता हैं। 38,455 परिवारों के घर खाली कराए गए। 517 राहत शिविर खोले गए। इन राहत शिविरों में 49,450 परिवार रह रहे हैं।

4.13 म० प०

**[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]**

10,550 मकान पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो गए इन मकानों की कीमत 288.6 लाख रुपये है। 13,797 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं इनकी कीमत 251.12 लाख रुपये है। पशुधन की हानि लगभग एक लाख रुपये है। 18,820 हैक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, 65 करोड़ रुपये मूल्य की फसलों की हानि हुई है। 45 करोड़ रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान हुआ है।

इस प्रकार, केरल की यह स्थिति है और भारत सरकार केवल 23.25 करोड़ रुपये दे रही है। इससे हमें मदद नहीं मिलेगी। अत: तत्काल केरल सरकार को उचित सहायता दी जाए।

दूसरे, इस संबंध में मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष समुद्र द्वारा हो रहे भूमि कटाव की स्थिति रखना चाहता हूं। समुद्र द्वारा भूमि कटाव प्राकृतिक आपदा का ही एक भाग है। पहले, समुद्र कटाव वाले स्थानों पर नई दीवारें बनाने के लिए केन्द्र सरकार हमें 50 प्रतिशत सहायता देती थी और मरम्मत कार्य के लिए हमें लागत राशि का एक तिहाई दिया जाता था। अब दोनों को समाप्त कर दिया गया है। समुद्र कटाव रोकने का कार्य पूर्णत: राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। क्या समुद्र कटाव के इस कार्य को रोकना हमारे सुरक्षा कार्य के तहत नहीं है क्योंकि यह भी हमारी सीमाओं का एक भाग है ? आपको हमारे समुद्री तटों की सुरक्षा का कार्य केवल राज्य सरकारों पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। राज्य सरकारों की हालत बहुत खराब है। नि:सन्देह मैं इस बात से सहमत हूं कि केन्द्र सरकार की भी वित्तीय समस्याएं हैं। लेकिन समुद्री कटाव विरोधी कार्य केवल राज्यों को ही न सौंपे जाएं क्योंकि अनेक पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। विशेषकर केरल जैसे राज्य में तो हमें एक पैसा भी खर्च करना वास्तव में मुश्किल लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे पास व्यय करने के लिए कोई धनराशि नहीं है। इसलिए अगर पहले दी जा रही सहायता बहाल नहीं की जाती है तो केरल जैसे राज्य बुरी तरह प्रभावित होंगे और पूरा तटीय क्षेत्र बह जाएगा। मैं पुन: केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें पहले तो तत्काल नौवें वित्त आयोग द्वारा तय मानकों से अधिक सहायता दी जाए और दूसरे समुद्री कटाव को रोकने के कार्य हेतु कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। और अन्त में हमें प्रधानमंत्री राहत कोष से तथा समेकित जल विभाजक प्रबन्धन कोष से भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएं।

**श्री ई० अहमद** (मंजेरी) : सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र तथा साथी जी के० वी० थामस द्वारा व्यक्त विचारों से मैं पूर्णत: सहमत हूं। उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया है और केरल में जो कुछ हुआ उसका वास्तविक चित्रण किया है।

महोदय, हम माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ का अत्यधिक आदर करते हैं। उन्होंने हमारे राज्य का हमेशा बहुत ध्यान रखा है। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस बार जबकि हमारा राज्य

1962 की बाढ़ के बाद ऐसी अभूतपूर्व बाढ़ का सामना कर रहा है तब श्री जाखड़ जी अपने प्रिय राज्य केरल का दौरा करने के लिए समय नहीं निकाल पाए। मैंने 'प्रिय' इसलिए कहा है क्योंकि जब भी केरल में कोई महत्वपूर्ण मुद्दा राजनैतिक अथवा कोई अन्य मुद्दा उत्पन्न होता तो-डा० बलराम जाखड़ स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कहने पर और अपने आप भी केरल जाते थे। लेकिन मैं नहीं जानता कि इस बार उन्हें क्या हुआ। मुझे अचरज हो रहा है कि जब हम ऐसी भयानक स्थिति का सामना कर रहे हैं तब वह कैसे हमारे राज्य को भूल गए। मैं यहां यह बात कहना चाहूंगा कि 109 लोग अपनी जान गंवा बैठे, पांच लोग अभी भी लापता हैं, लगभग 200 लोग घायल हुए हैं और 50,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। इस प्रकार केरल में बाढ़ की स्थिति की व्यापकता का आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि बाढ़ नियन्त्रण के प्रभारी हमारे माननीय मंत्री को यहां दिल्ली में चैन की नींद कैसे आ जाती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने राज्य को आश्वासन दिया है कि श्री बलराम जाखड़ केरल का दौरा करेंगे। विभिन्न राज्यों में स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे अनेक केन्द्रीय मंत्री भेजे गए हैं लेकिन किसी को भी केरल नहीं भेजा गया है। निःसन्देह, मुझे याद है कि केरल से हमारे एक मंत्री श्री ए० के० एंटोनी ने राज्य का दौरा किया था। मैं यह भी जानता हूं कि ऐसा करना उनका कर्त्तव्य है। लेकिन बाढ़ सबंधी कार्य के प्रभारी मंत्री श्री बलराम जाखड़ को अभी तक हमारा राज्य का दौरा करने के लिए वक्त नहीं मिला है। मैं यही नाराजगी व्यक्त करना चाहता हूं। यह उनकी भूल भी हो सकती है और मुझे आशा है कि वह केरल के प्रति की गई गलती को सुधारने का प्रयास पूरी ईमानदारी से करेंगे। वह ऐसा कैसे कर पाएंगे ? ऐसी स्थिति में हम केवल 23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से कैसे संतुष्ट रह सकते हैं ? मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय कहेंगे कि 9वें वित्त आयोग द्वारा यही सहायता आवंटित की गई थी। लेकिन अगर वह वित्त आयोग तथा योजना के मार्गदर्शन के तहत चलेंगे तो हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। मैं जानता हूं कि योजना आयोग एक विधायी निकाय मात्र नहीं बल्कि इसका महत्त्व इससे अधिक है। फिर भी मैं इसके महत्व को मानता हूं। आप हम से यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम लोगों के पास जाएं और कहें कि आयोग इस प्राकृतिक आपदा में हमारी मदद करने में असमर्थ है। केरल जैसा राज्य, जो कि पहले ही अपनी वित्तीय तंगी का सामना कर रहा है, इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है ? क्या केन्द्र सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा में राज्य की मदद करे ?

मैं यह कहना चाहूंगा कि समुद्र द्वारा हमारी काफी सीमा का कटाव हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से जब भी सीमा पर कोई विवाद होता है तो सरकार उस पर करोड़ों रुपये व्यय करती है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार उस राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए पहल क्यों नहीं करती जिसका समुद्र द्वारा कटाव हो रहा है। क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं ? इसके विपरीत, सबकुछ राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है।

केरल में क्या स्थिति है ? सभी जानते हैं कि केरल में वित्तीय स्थिति ऐसी है कि खजाने से आजीविका चलती है। जब भी हम केन्द्र से कोई सहायता प्राप्त करते हैं तो उसे सर्वप्रथम अधिकारियों को वेतन देने और ऐसे अन्य उद्देश्य पूरे करने हेतु उपयोग किया जाता है। इन सभी कमियों और कठिनाईयों के बावजूद राज्य सरकार ने युद्धस्तर पर इस समस्या का समाधान करने हेतु समुचित कार्यवाही की है। वहां पर हमारे राज्य के मंत्री हर समय शिविर लगाए हुए हैं। उन्होंने जनता को एकजुट किया है लेकिन भारत सरकार की क्या भागीदारी है ?

इसमें भारत सरकार की क्या भूमिका है ? क्या केरल इस देश का भाग नहीं है ? मुझे इस बात की खुशी है और इसके लिए मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि अन्य राज्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। मुझ इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन केरल राज्य के साथ ऐसा वर्ताव क्यों नहीं किया जाता ? आप केरल के साथ भी अन्य राज्यों के समान वर्ताव करें।

[हिन्दी]

**श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) :** वे मध्य प्रदेश भी नहीं गये हैं।

**श्री ई॰ अहमद :** परन्तु मध्य प्रदेश से आप और श्री अर्जुन सिंह जैसे महान नेता हैं, जो कि काफी वरिष्ठ नेता हैं।

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) :** परन्तु मेरे पास धन नहीं है।

**श्री ई॰ अहमद :** आप अपने राज्य के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। खैर, मैं यहां मंत्री महोदय के दौरे की बात नहीं कह रहा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यही समय है जब केन्द्र सरकार आगे बढ़कर राज्य की सहायता कर सकती है। अभी भी निरन्तर बारिश हो रही है तथा उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है तथा अभी भी अनेक मकान नष्ट हो रहे हैं। लोग इधर-उधर भटक रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के मालापुरम तथा कन्नूर जिलों में अनेक स्कूली इमारतें तथा अन्य महत्वपूर्ण संस्थायें प्रभावित हुई हैं। ये सब लोग बेघर हो गये हैं। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस बाढ़ पर गंभीरता से विचार करें। किसी मंत्री को अफसरशाही दृष्टिकोण पर नहीं चलना चाहिए मानवीय आधार के अतिरिक्त उन्हें किसी और दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए। उन्हें दया दृष्टि अपनानी चाहिए। मेरा भारत सरकार तथा माननीय मंत्री महोदय जो कि राज्यों का बहुत ध्यान रखते हैं, से बार-बार निवेदन है कि वे इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में हमारी सहायता करें।

कृषि मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि प्रधान मंत्री राहत कोष के अतिरिक्त कुछ ऐच्छिक राशि भी रखी जायेगी। मैं नहीं मानता कि यह बात योजना आयोग पर लागू होगी या भारत सरकार पर। माननीय वाणिज्य मंत्री जो योजना आयोग के डिप्टी चेयर मैन भी हैं, यहां उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई ऐच्छिक कोष होना चाहए जिसे केवल ऐसी ही स्थितियों से निपटने के लिए रखा गया हो। कोई नहीं बता सकता कि कब बाढ़ आयेगी। एक रेलवे लाईन पर कितनी लागत आयेगी, इसका आप आकलन कर सकते हैं परन्तु बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ऐसी आपदाओं के मामले में यह केवल योजना आयोग पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए कि इस सम्बन्ध में क्या मानदंड निर्धारित करने हैं क्योंकि कई बार आवश्यकता निर्धारित सीमा से अधिक हो सकती है।

ऐसी आकस्मिकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, इसलिए महोदय, मेरा माननीय मत्री जी से निवेदन है कि वे इस सदन को इस बात का आश्वासन दें कि वे राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध करावायेंगे जिसके लिए माननीय प्रधान मंत्री महोदय को भी निवेदन किया गया था। हमने 150 करोड़ रुपए की सहायता मांगी थी, आपने हमें केवल 23 करोड़ रुपए दिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया है। इसलिए कृपया इस सम्बन्ध में सदन को आश्वासन दीजिए।

[हिन्दी]

**श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** (दुर्ग) : सभापति महोदय, इस सदन में हर साल बाढ़, सूखा और फेमिन पर चर्चा होती है। अभी कृषि मंत्री महोदय ने विस्तार से बताया है कि हमारे देश में इस वर्ष किन-किन हिस्सों में बाढ़ आई है, 600 से अधिक लोग मारे गए हैं तथा फसलों के नुकसान का भी जायजा लिया जा रहा है। यह भी सही है कि जो बाढ़ हमेशा अगस्त में आती थी, इस बार समय से पहले जुलाई में ही आ गई है, जिसकी वजह से परिस्थिति और अधिक खराब हो गई है। जितने 600 से अधिक लोग इस बार बाढ़ में मारे गए हैं और हर बार मारे जाते हैं, कुछ अकाल में मर जाते हैं, कुछ भूकंप में मर जाते हैं, तो मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि एक प्रधानमंत्री केलेमिटी रिलीफ फंड बनाया जाए और जिस तरह से रेल दुर्घटनाओं में मृत्यु होने पर एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाता है, इसी तरह से प्राकृतिक आपदाओं में मारे जाने पर भी एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए।

इसी तरह से बाढ़ से जो फसलों को नुकसान होता है, इस बारे में भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब कोई उद्योग घाटे में चला जाता है तो सरकार उस उद्योग को हर तरह से सहायता प्रदान करती है। हर साल आसाम आदि राज्यों में बाढ़ से करोड़ों की फसल का नुकसान होता है। इस साल भी केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों में बाढ़ का प्रकोप हो रहा है। किसान फसल की बुआई भी नहीं कर पाए हैं, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं ही बताया है। किसान के लिए तो फसल ही सब कुछ होती है और फसल का नुकसान होने से किसान का तो सारा साल ही बरबाद हो जाता है। इएलिए मेरा सुझाव है कि फसल का जो नुकसान होता है, उसके बारे में मुआवजा देने के लिए भी सरकार को कुछ न कुछ अवश्य सोचना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि एक एकड़ के लिए किसान को 5-10 या 20 हजार का मुआवजा दे दिया जाए, लेकिन कुछ न कुछ मुआवजा किसान को अवश्य दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह से बाढ़ और सूखे से हुए नुकसान को हर साल आंका जाता है और कुछ रिलीफ कार्यक्रम तत्काल सहायता देने के लिए अस्थायी तौर पर सरकार चलाती है। लोगों को मजदूरी तथा मकान बनाने के लिए लकड़ी आदि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता है। मैं मंत्री महोदय तथा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अकाल और बाढ़ दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और इनके समाधान के लिए जब तक छोटी-बड़ी नदियों पर नालों पर स्टाप डैम नहीं बनाए जाएंगे, तब तक बाढ़ और अकाल की समस्या का स्थायी समाधान हम नहीं कर पाएंगे।

अधिक स्टाप डैम होने से पानी रखने की व्यवस्था होगी जबकि आप दस बड़े बाँध बनाकर नहीं कर सकते हैं। जहां पर फ्रांस का राज्य था तो वहां पर बड़े डैम नहीं बनाए जाते हैं बल्कि स्टाप डैम बनाए जाते हैं। स्टाप डैम होने से हर 80-100 मील के बीच में उनका पानी स्टोरेज हो जाता है। हमारे देश में बड़े-बड़े बांध बनाने की कोशिश करते हैं जिससे लाखों गरीब आदमियों के मकान और भूमि चली जाती है लेकिन उनको काम पैसा मिलता है। जितना उनको पैसा मिलता है तो उनको उतनी जमीन नहीं मिल पाती है। जब बड़े बांध बनाए जाते हैं तो गरीब परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। हमारे देश में जहां पर आवश्यकता हो तो भले ही

कुछ बड़े बांध बनाए जांए। मेरे दुर्ग जिले में एक शिवनाथ नदी है जिसका पानी उड़ीसा में चले जाने से वहां नुकसान होता है। मेरे जिले में सात-आठ स्टाप डैम बनाए जाएं जिससे वहां पानी रुक जाए और उड़ीसा को नुकसान न हो। ऐसा हर नदियों में होता है। स्टाप डैम पर पानी इकट्ठा हो जाने से कई लाभ होते हैं। बड़े बाँध बनाने से उनको मुआवजा देना पड़ता है। स्टाप डैम बनाने से वहां पर पर्यावरण खराब नहीं होता और जंगल बच जाते हैं और गरीब लोगों को घर बर्बाद नहीं होता। हमारे देश में पांच लाख 76 हजार गांव हैं। वहां पर अधिक से अधिक स्टाप डैम बनाए जाएं जिससे पानी को इकट्ठा किया जा सके। हजारों स्टाप डैम बनाने में हमारे देश में वर्षा अधिक होने से बाढ़ से नुकसान नहीं होगा। इस समस्या के स्थाई हल के लिए स्टाप डैम बनाने में सरकार अधिक पैसा लगाए। फाईनेंस कमीशन ने यह निर्धारित किया है कि अमुक राज्य को इतना पैसा मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह पैसा बहुत कम है। इसके अलावा कई राज्यों में और भी पैसा देने की आवश्यकता हुई है।मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है लेकिन सरकार के पास सही आंकड़े नहीं पहुंचे हैं; छत्तीसगढ़ में सात-आठ जिले, रजनादगांव, रायपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, बालाघाट, रायगढ़, बिलासपुर तथा मंडला है जहां पर नुकसान हुआ है। इतना अधिक यहां पर नुकसान हुआ है कि निश्चित रूप से तीन-चार लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 50-70 हजार घर टूट चुके हैं और फसल भी बर्बाद हुई हैं। इसके साथ सड़क, पुलिया और बांध तथा नहरें भी टूट गई हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी सितम्बर में सड़क, पुलिया, बांध और नहरों के लिए पर्याप्त पैसे भेजें।

उनके लिए जल्द से जल्द पैसा भेजें जिससे वहां पानी को रोक कर आने वाली रबी की फसल को बचाया जा सके। सरकार के पास कुछ रिपोर्ट भी आ चुकी है। वहां पर बाढ़ से छत्तीसगढ़ के सात-आठ जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं इसलिए वहां आप तुरंत पचास-साठ करोड़ रुपये भेजें, क्योंकि वहां धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है।

मुझे पूरा विश्वास है कि बलराम जाखड़जी वहां जायेंगे और वहां के लोगों की कठिनाइयों से अवगत होंगे। वहां पर जो लोग मरे हैं उनके आश्रितों को एक-एक लाख रुपया, आहतों को भी कुछ पैसा मुआवजे के रूप में मिलना चाहिए और जिनकी फसल को क्षति पहुंची है उनको भी मुआवजा दिया जाये।

मेरा पुन: मंत्रीजी से अनुरोध है कि वे वहां जरूर जायें, वे खुद कहते हैं कि अगर कोई मुसीबत आयेगी तो बलराम बचायेगा, इसलिए आप वहां जायें और वहां पर्याप्त धन देकर आयें।

[अनुवाद]

***श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उदीपी)** : सभापति महोदय, हाल ही में आई बाढ़ ने अनेक राज्यों में विनाश किया है। कर्नाटक उन राज्यों में से एक है जो कि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस वर्ष केरल में मानसून तीन दिन पहले आरम्भ हो गया। कर्नाटक में सामान्यत: मानसून 7 जून को आरम्भ होता है तथा इस बार मानसून 30 मई को ही आ गया ? तीसरी बार लगातार बाढ़ आई है। वास्तव में इस मानसून के दौरान जितनी वर्षा हुई, वह पिछले 60 वर्षों का रिकार्ड तोड़ गई।

*मूल रूप से कन्नड़ भाषा में दिए भाषण के अंग्रेजी रूपांतर का हिन्दी अनुवाद

जो गांव ऊंचाई पर हैं उनको आंधी तथा तूफान ने प्रभावित किया है तथा जो लोग निचले क्षेत्रों में रह रहे हैं, विशेषकर जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर स्थित हैं, उन्हें बाढ़ ने प्रभावित किया है। 15 दिन पहले की एक रिपोर्ट के अनुसार 60 लोगों की जानें गई हैं इस समय यह संख्या बहुत बढ़ गई है। 22 जिलों में से 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 88 तालुकों में 2546 गांव बाढ़ के कारण काफी मुश्किल में हैं। सम्पूर्ण राज्य में कुल 2399 मवेशी मारे गये तथा कुल 1073 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 127,516 हैक्टेयर भूमि पर खड़ी फसल नष्ट हो गई है। अनेक किसानों ने पहली बाढ़ के पश्चात् बुआई आरम्भ कर दी थी। दुर्भाग्य वश यह भी दूसरी बाढ़ के द्वारा नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त समुद्री कटाव ने भी अनेक तटीय क्षेत्रों में विनाश किया है। नदियों के दोनों ओर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। कृषि भूमि पर पानी का जमाव किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गयी है। इस पानी को तुरंत निकाले जाने की आवश्यकता है ताकि किसान लोग कृषि कार्य आरम्भ कर सकें।

केरल राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन भेजा है, तथा 100 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। राज्य सरकार हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों तथा अन्य लोगों की सहायता करने के लिए काफी उत्सुक है। इस के लिए राज्य के पास पर्याप्त राशि नहीं है तथा इसलिए इस स्थिति में केन्द्र सरकार का राज्य सरकार की सहायता के लिए सामने आना चाहिए।

3000 घर पूरी तरह से नष्ट हो गये हैं तथा 15,000 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुँचा है। इन क्षतिग्रस्त घरों को मरम्मत की जरूरत है तथा उन अभागे लोगों के लिए नये घर बनाने की आवश्यकता है जिनके घर नष्ट हो गये हैं कई गांवों की सड़कें तथा बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा उनकी तुरंत मरम्मत करवाने की आवश्यकता है।

बाढ़ राहत के रूप में 500 रुपए प्रति हैक्टेयर मंजूर किए गये हैं। इन बेसहारा किसानों के लिए यह थोड़ी सी राशि बहुत ही अपर्याप्त है। खेतिहर मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं क्योंकि उन्हें कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। इसलिए इन खेतिहर मज़दूरों को बाढ़ राहत कोष से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

देश में बाढ़ नियन्त्रण हेतु उपाय करने के लिए केन्द्र को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सस्थाओं से सम्पर्क करना पड़ेगा तथा मेरे राज्य को एक बड़ी राशि आवंटित करनी होगी। नदियों से गाद निकालने का काम बिना कोई देरी आरम्भ किए जाने की आवश्यकता है अन्यथा भविष्य में बाढ़ आयेगी। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि किसानों को मिलने वाली बाढ़ राहत राशि की दर 500 रुपए प्रति हैक्टेयर से बढ़ा कर 5000 रुपये प्रति हैक्टेयर की जानी चाहिए।

कर्नाटक राज्य में बाढ़ प्राावित क्षेत्रों में हुई क्षति का अनुमान लगाने के लिए भारत सरकार ने एक दल भेजा है, जिसके लिए मैं प्रधान मंत्री का आभारी हूं। मैंने माननीय कृषि मंत्री से भी इस विषय पर बातचीत की थी। लोक सभा के सभी सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय कृषि मंत्री को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया है। दोनों ने भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया है।

महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद और इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री छीतूभाई गामीत** (माण्डवी) : सभापति महोदय, इस साल सारे देश में भारी वर्षा के कारण हमारे देश के कई राज्यों में भयंकर बाढ़ आई है। हमारे गुजरात में भी इस साल अत्यधिक वर्षा होने के कारण दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां हर साल प्राकृतिक विपदाएं—अकाल, बाढ़, तूफ़ान आदि आती रहती हैं। गुजरात में पिछले कुछ वर्षों से अकाल का भीषण प्रकोप बना रहा है और कच्छ और सौराष्ट्र में भारी अकाल रहा। इस साल भी कच्छ में अकाल का प्रभाव था लेकिन मानसून की अच्छी वर्षा शुरू होने से गुजरात के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी मगर मानसून के शुरू के दिनों में 13 जून से 16 जून तक खास तौर पर दक्षिण गुजरात के सूरत, बलसार, डांग, भड़ौच आदि जिलों में अति भारी वर्षा हुई और इस क्षेत्र में जहां सामान्य तौर पर 40 से० मी० वर्षा होती है, मानसून के शुरू के दिनों में ही 40 से० मी० से 50 से० मी० तक वर्षा हुई। इसी प्रकार से दक्षिण गुजरात में 100 से० मी० से अधिक वर्षा हुई है। इसी वजह से गुजरात में अंबिका, पूर्णा, झांकरी, औरंगा आदि नदियों में भयंकर बाढ़ आई। इस बाढ़ के प्रकोप ने पिछले 50 साल के रिकार्ड को तोड़ दिया।

सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र माण्डवी इस भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया है। परिणामस्वरूप हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं तथा उनके मूल्यवान पशु भी बाढ़ में डूब गए हैं। जान-माल और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। फसलों, मकानों और झोपड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। सूरत ज़िले के अलावा सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़, कच्छ, राजकोट, अमरेली, भावनगर आदि जिलों में भी भारी वर्षा होने के कारण भयंकर बाढ़ आई है और इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस भारी वर्षा के कारण गुजरात के 18 ज़िलों में से 10 ज़िले पूर्णत: बाढ़ की चपेट में फंसे हुए हैं। इससे 5,162 गांवों और 12,74,000 लोग प्रभावित हुए हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। इस बाढ़ से मकानों, झोपड़ियों और फसलों तथा पशुओं का नुकसान कुल 300 करोड़ रुपए से अधिक है। भारी वर्षा के कारण करीब 140 लोगों की जान गई है। 48,784 हैक्टेयर ज़मीन में फसल को नुकसान हुआ है। 14,940 पक्के मकान नष्ट हो गए हैं। 7,153 लोगों की झोपड़ियां नष्ट हुई हैं। 32,602 करोड़ रुपए का लोगों की झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा है।

इसके अलावा सार्वजनिक सम्पत्ति जैसे सिंचाई, बांध, नहरें, पुल, सड़कें, गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड की कुल सम्पत्ति मिलाकर करीब 115 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस तरह, गुजरात में आज तक बाढ़ के कारण 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो चुका है। अभी भी, सभापति महोदय, गुजरात में भारी वर्षा हो रही है। गुजरात राज्य की बाढ़ के कारण हुई गम्भीर क्षति को ध्यान में रखते हुये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बाढ़ के प्रकोप का सामना करने के लिये गुजरात सरकार को तुरन्त 200 करोड़ रुपये अंतरिम वित्तीय सहायता के रूप में भारत सरकार उपलब्ध कराये। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी अधिक

से अधिक धनराशि बाढ़-पीड़ितों के लिये दी जाये। बाढ़ से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारजनों को कम से कम एक लाख रुपये की मदद दी जाये। जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उन्हें अधिक से अधिक बीज, खाद, दवाइयां आदि उपलब्ध करायी जाये। गरीब, आदिवासी, हरिजन और खेतिहर मजदूरों का जितना नुकसान हुआ है, उन्हें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिये ऋण दिये जायें और ऋण राशि में बढ़ोत्तरी की जाये। जिन लोगों के उद्योग, दुकानें आदि नष्ट हो गये हैं, उन्हें कम ब्याज पर ऋण की सुविधा उपलब्ध प्रदान की जाये। जिन किसानों की फसलें या पशु बाढ़ के कारण नष्ट हो गये हैं, उन्हें कम ब्याज पर ऋण सुविधा प्रदान की जाये।

इस बार की बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुये हैं, जान-माल, उद्योगों का और सार्वजनिक सम्पत्ति का जितना नुकसान हुआ है, उस नुकसान का जायजा लेने के लिये एक उच्चस्तरीय केन्द्रीय दल गुजरात भेजा जाये।

सभापति महोदय, अंत में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार की बाढ़ से गुजरात राज्य में भारी नुकसान हुआ है, गुजरात की सारी अर्थ व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी है और विकास के कामों को भारी क्षति पहुंची है। बाढ़ से प्रभावित गरीब लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि बाद की स्थिति का सामना करने के लिये गुजरात सरकार को करीब 300 करोड़ रुपये तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

**श्री ए. वेंकट रेड्डी** (अनन्तपुर) : महोदय, यह हैरानी की बात है कि जब देश के अधिकांश भागों में बाढ़ आयी हुई है, तूफान आ रहे हैं और सरकार द्वारा राहत उपाय किए जा रहे हैं, दुर्भाग्यवश अनन्तपुर जिले में भीषण सूखा पड़ रहा है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 1994 में दक्षिण-पश्चिम मानसून में तीन दिन पहले आ गया था और पूरे देश में 30 जून, 1994 तक यह मौसम शुरू हो गया। सामान्य समय से यह लगभग 15 दिन पहले आ गया। मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा अनन्तपुर जिले में वर्षा के बारे में दिए गए वक्तव्य से सहमत नहीं हूं। बाढ़ के कारण अनेक व्यक्तियों की जानें गई हैं और संपत्ति नष्ट हुई है। इसके लिए मुझे बहुत खेद है।

मैं अनन्तपुर जिले का रहने वाला हूं जो कि आन्ध्र प्रदेश का अत्यंत पिछड़ा तथा सूखा प्रवण क्षेत्र है। अनन्तपुर जिले में 520 मि० ली० वर्षा होती है जो कि राज्य में सबसे कम है और देश में यह दूसरा ऐसा स्थान है जहां कम वर्षा होती है। जिले में किसानों ने किसी भी फसल की बुआई नहीं की है और मानसून देर से आने से इस जिले में खरीफ की फसल की बुआई पर प्रभाव पड़ा है।

हम मुख्यत: दक्षिण-पश्चिम मानसून पर निर्भर हैं। दुर्भायवश दक्षिण-पश्चिम मानसून हमारे यहां कम आता है। टैंक, पीने के पानी के कुंए तथा गहरे कुंए सूख गए हैं और लोग पानी तथा खाद्यान्नों की कमी से परेशान हैं। जानवर भी पानी तथा चारे की कमी से परेशान हैं।

पूरी सभा मुझसे इस बात से सहमत होगी कि सूखा का प्रकोप बाढ़ से अधिक भीषण होता है। सूखे के कारण लोगों को पानी तथा खाद्यान्न नहीं मिल रहा है तथा जानवरों को भी चारा और पानी नहीं मिल रहा है। सूखे के कारण किसानों को भारी नुकसान होगा।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने बाढ़ तथा चक्रवात से प्रभावित देशों के लिए विभिन्न राहत उपाय किए हैं तथा इस उद्देश्य के लिए धन भी स्वीकृत किया गया है। यह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन साथ ही देश के किसी भी भाग में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार इन पहलुओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं।

इस संबंध में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह निम्नलिखित उपाय करे :-

(एक) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से कृत्रिम वर्षा संभव है। ऐसे क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं;

(दो) आन्ध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले के पिछड़े सूखा-प्रवण क्षेत्रों में सूखे के कारण जो क्षति हुई है उसका मूल्यांकन करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाए और तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा राहत उपाय किए जाएं; और

(तीन) "अनन्तपुर मरुभूमि बचाव और विकास प्राधिकरण" के गठन को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रस्तावों पर विचार किया जाए।

**श्री पी॰ सी॰ थामस** (मुवत्तुपुजा) : महोदय, इस वर्ष पूरे भारत में इतनी गंभीर प्राकृतिक आपदाएं आई हैं कि अत्यंत प्रभावकारी कदम उठाकर ही प्रभावित लोगों तथा किसानों को कुछ राहत प्रदान की जा सकती है।

अन्य राज्यों के साथ-साथ इस वर्ष केरल भी प्रभावित हुआ है और मेरे विचार से पूर्व वक्ताओं और मेरे दो विद्वान मित्रों, ने केरल से संबंधी अनेक मुद्दे उठाए हैं। यह सत्य है कि जब वहां बाढ़ आई हुई थी वहां नेताओं को भेजा गया था फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि केरल की ओर ध्यान नहीं दिया गया था, कम से कम केरल के अखबारों में भी यही समाचार छपा था। लेकिन हम यही आशा कर रहे थे कि इसकी क्षतिपूर्ति तत्काल देकर कर दी जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण, केरल में पिछले अनेक वर्षों से लगातार बाढ़ और सूखा पड़ा है। वित्त आयोग के निदेशों के अनुसार हमें अधिकतम सहायता केवल 33 करोड़ की ही मिल सकती है जिसमें से एक-चौथाई भाग सहायता केरल सरकार को स्वयं वहन करनी है, इस प्रकार हमें केवल 25 करोड़ रुपये ही मिल सकते हैं। इस मापदंड को बदलना चाहिए। राज्य सरकार ने वित्त आयोग तथा केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि यह मानदंड असंगत है और केरल जैसे राज्य को क्षति की तुलना में इतना कम धन ही मिल सकता है। इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इस संबंध में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिए।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि बाढ़ के कारण देश में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उसमें से एक-चौथाई केवल केरल राज्य में मरे हैं। केरल में 109 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। हजारों घायल हुए हैं और हज़ारों बेघर हो गए हैं। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि फसलों या पौधों का जो नुकसान हुआ है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान केरल के लिए एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं। इसलिए मैं इस पर अधिक बल देना चाहता हूं। जहां तक कृषि में क्षति का संबंध है केरल ऐसा राज्य है जो अन्य राज्यों से भिन्न है क्योंकि यहां मुख्यत: नकद फसलें ही उगाई जाती हैं।

रबड़ के पेड़ अथवा कालीमिर्च की लताऐं अथवा अन्य नगदी फसलों को उगाने में लगातार अनेक वर्षों तक देख-भाल करनी होती है। वह किसान जिसने कई वर्षों तक बागान में कड़ी मेहनत की है, यह देखकर विस्मित होता है कि कुछ ही क्षणों में उसकी मेहनत व्यर्थ हो गई है। यह कुछ ऐसा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते लेकिन जिसे हम जानते हैं कि माननीय मंत्री और सरकार निश्चित रूप से समझेंगे।

**5.00 म॰ प॰**

इस वर्ष, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन अथवा चार विधानसभा क्षेत्र जिसे मुवत्तुपुझा कहा जाता है। बाढ़ से गम्भीर रूप से प्रभावित रहे हैं। एक ऐसी पंचायत है जहाँ एक वार्ड में 55000 रबड़ वृक्ष नष्ट हो गए हैं। ये वृक्ष 200 से अधिक किसानों, जो सभी छोटे किसान हैं, से संबंधित हैं। उनकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। एक रबड़ वृक्ष के लिए जो नष्ट हो जाता है, कम से कम 2000 रुपए का मुआवजा अवश्य दिया जाना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार केवल 40 रुपए प्रति वृक्ष के हिसाब से ही भुगतान कर सकी। यह केवल उस वृक्ष को, जो बाढ़ से नष्ट हो चुका है, काटने और हटाने के लिए है।-यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है और किसान को उचित राहत नहीं दी जाती।

महोदय, मैं समझता हूं कि इस चर्चा में इस स्तर पर कुछ नए पहलू भी लाए जा सकते हैं। वास्तव में, मेरा दल, केरल कांग्रेस ने योजना आयोग को एक दस्तावेज दिया था। यह आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक वैकल्पिक दस्तावेज था। उस समय, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा था कि यह पहला अवसर है कि जब किसी राजनैतिक दल द्वारा एक वैकल्पिक दस्तावेज दिया गया है। इस दस्तावेज में, किसानों के लिए ग्रुप बीमा के बारे में एक अनुरोध किया गया था। यह कुछ ऐसा है, जिसे मैं समझता हूं, दीर्घकालीन आधार पर प्रारम्भ करनी होगी क्योंकि इस समय किसानों के लिए कोई ग्रुप बीमा योजना नहीं है। अत: कोई भी सरकार उन किसानों को कोई उचित सहायता नहीं दे सकती जिनकी नगदी फसलें जैसे अपने बागान नष्ट हो जाते हैं। ऐसी योजना प्रारम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं है। किसानों के संगठन मौजूद हैं, सहकारी बैंक हैं और ऐसी सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठन हैं जो किसानों के साथ काम कर रहे हैं। वे काफी अधिक सहयोग दे सकते हैं और सरकार भी उन्हें सहयोग कर सकती है। मैं समझता हूं कि किसानों को ग्रुप बीमा लागू करने हेतु कोई योजना तैयार तथा अनुमोदित करनी होगी। मैं सोचता हूं कि यही एक ऐसा रास्ता है जिससे कोई भी सरकार उन किसानों को उचित सहायता प्रदान कर सकती है जिनकी बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई है। इस समय, हम केवल केन्द्रीय सरकार के माध्यम से ही सहायता दे सकते हैं।

महोदय, केरल सरकार ने 150 करोड़ रुपए की बाढ़ राहत राशि की मांग की है। पिछली बार, 300 करोड़ रुपए मांगे गए थे लेकिन कोई उचित धन नहीं दिया जा सका। केवल 25 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। इसी कारण मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस पहलू पर अति गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय केरल की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि मानसून अभी तक सक्रीय है और वर्षा केरल में लगातार हो रही है। मैं कल केरल में था। लगातार वर्षा हो रही है और निकट भविष्य में वर्षा रुकने के कोई आसार नहीं हैं। इसलिए, यदि जाखड़ जी केरल की यात्रा कर सकें तो मैं महसूस करता हूं कि यह अच्छा होगा। यदि हम

सम्भव नहीं है तो क्षति का आंकलन करने के लिए कोई केन्द्रीय दल तुरन्त केरल भेजा जाना चाहिए। यदि इसका आंकलन किया जाता है, तो मुझे विश्वास है, यह 100 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए तक बैठेगा। इसलिए मैं आपके मांध्यम से जाखड़ जी से अनुरोध करुँगा कि सरकार केरल राज्य को उचित सहायता प्रदान करे।

उन अन्य राज्यों के संबंध में जहाँ बाढ़ आती रही हैं और वे गम्भीर रूप से प्रभावित रहे हैं, मैं निवेदन करता हूँ कि हमें एक दीर्घकालीन समाधान अवश्य ढूंढना चाहिए जिससे इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटा जा सके। मैं समझता हूं कि यही केवल एक ऐसा रास्ता है जिससे हमें समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना होगा।

**श्री एस॰ बी॰ सिदनाल** (बेलगाव) : सभापति महोदय, इस समय बाढ़ सभी स्थानों पर अभूतपूर्व तरीके से आई हुई है। यह मानव कल्पना से परे एक प्राकृतिक विपदा है और कोई भी सरकार इस तरह सहायता नहीं कर सकती। तथापि, हमारे यहाँ सदियों से सूखा और बाढ़ नियमित रूप से आता रहा है। लेकिन स्थिति से निपटने के लिए स्थायी रूप से कोई प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, मैं सुझाव देता हूं कि स्वतन्त्र रूप से पृथक प्रबन्ध किया जाना चाहिए और एक विशेष पद का सृजन किया जाना चाहिए जिससे स्वतन्त्र रूप से निगरानी, देखभाल पूर्वानुमान और सूखा तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की व्यवस्था की जा सके।

**5.04 म॰ प॰**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

महोदय, इस बार कर्नाटक राज्य बाढ़ से अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित हुआ है और विशेषकर मेरा जिला बाढ़ के कारण गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। कर्नाटक में, जल-ग्रहण क्षेत्र अधिक हैं लेकिन बाढ़ सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आई है। नदी में जल नहीं है लेकिन आस-पास के क्षेत्रों में बाढ़ है।

वास्तव में, मेरे निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम दो नगरों सहित लगभग 20-25 गाँव पूरी तरह जल मग्न हो गए हैं। एक नगर गोकक और दूसरा रामदुर्ग है। दो अथवा तीन दिन तक वे पूरी तरह जलमग्न रहे थे और अनेक मकान ढह गए थे क्योंकि वे मिट्टी से बने थे। जब पानी बढ़ा तो हमने पाया कि तीन अथवा चार गलियां और कुछ गांव नष्ट हो गए हैं। वास्तव में गोकक शहर में तीन गाँव जलमग्न थे। उस स्थान से लोगों को हटाने और उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक प्रबन्ध करना सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है। तथापि, हमने यह काम किया है। छह अथवा सात से अधिक लोगों ने अपनी जानें गवाईं और भारी सम्पत्ति नष्ट हुई। गन्ना, मूंगफली और ज्वार और अन्य सभी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं थी। सूखा कुछ सीमा तक बर्दास्त किया जा सकता है क्योंकि लोग दूसरे स्थानों पर जा सकते हैं और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब वे बाढ़ से प्रभावित होते हैं तो फसलें और जानवर पानी में घिरे रहते हैं और इसका प्रभाव अगले तीन वर्षों तक महसूस किया जाता है क्योंकि भू-कटाव और अनेक अन्य बातें घटित होती हैं। इस हानि के अतिरिक्त, सड़कें भी नष्ट हो जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पूरी तरह नष्ट हो गया है और राज्य सरकार के पास कोई धनराशि नहीं है चूँकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। अत: मैं भारत सरकार से ऐसा तन्त्र स्थापित करने की अपील करता हूं जहाँ आवश्यक कार्य आपातकालीन स्थिति में स्वत: ही किया जा सके। अन्यथा, यह बहुत कठिन हो जाता है।

मैं श्री मल्लिकार्जुन जी का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में खराब मौसम में आए थे और दो अथवा तीन घंटे ठहर सके थे और जिन्होंने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था। बेलगाम शहर में भी, निम्न भूमि जलमग्न है। बाद में, जब शहर विकसित हो रहे हैं और जब भारी वर्षा होती है तो सीमेंट और तार का इस्तेमाल होने से पानी नहीं रिसता और परिणामस्वरूप जल की प्रत्येक बूंद निम्न भूमि में एकत्रित हो जाती है। अब इन क्षेत्रों में पानी दस फुट तक एकत्रित हो जाता है। हमें ऑयल मशीनें तक प्राप्त नहीं हो सकी। पानी को बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और आयल मशीन उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, बेलगाम में हजारों घर गहरे जल में डूब गए थे और अनेक मकान ढह गए थे; उनमें से कुछ अभी तक जलमग्न हैं। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी घटना घटित होते नहीं देखी, यह 50 वर्षों बाद घटित हो रहा है। इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को एक विशेष पद स्थापित करना चाहिए जो वैज्ञानिक रूप से इस की जाँच और निगरानी कर सके और वह बाढ़ से प्रभावित इन क्षेत्रों का भी दौरा कर सके। मेरे राज्य में, तुमकुर जिले से लेकर जहाँ का उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं प्रतिनिधित्व करते हैं, पाँच अथवा छह जिले हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** सूखा और बाढ़ वास्तव में दुखदायी है। तुमकुर में बंगलोर ग्रामीण क्षेत्र, चित्रदुर्ग और बीजापुर में स्थिति खतरनाक है।

**श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :** हम आधे राज्य में लगातार बाढ़ अथवा सूखे का सामना कर रहे हैं। और केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने श्री बलराम जाखड़ से भी अनुरोध किया था जो बहुत ही उदार और अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन उन्होंने भी हमें कोई धनराशि नहीं प्रदान की है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** वह बहुत दयालु भी हैं।

[अनुवाद]

**श्री एस॰ बी॰ सिदनाल :** उन्हें और अधिक उदार होना चाहिये क्योंकि यह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जैसाकि मेरे सहयोगी ने कहा, बड़े बांधों के लिए, जहां 20 वर्षों के बाद गाद जमा हो जाती है, योजना नहीं है। इन बांधों को पूरा करने में 20 वर्ष लग जाते हैं और उनसे फायदा कुछ नहीं होता है। भूमि का भी नुकसान होता है। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार अर्थक्षम है। अगर आप प्रत्येक गांव में जहां पानी बह रहा है, एक छोटा बांध बना लें, नियंत्रण बांध बना लें तो कम से कम यह पानी का फैलाव रुक आएगा और कूपों में पानी ऊपर आ सकता है तथा आपको पानी मिल सकता है। इन सब बातों के लिए कोई योजना अथवा कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। अगर आप इन बातों पर अभी ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। बारिश बहुत कम होती है और कर्नाटक के आधे भाग में नियमित रूप से बारिश नहीं होती है। हमें क्या करना चाहिये ? केवल संसद अथवा बैठकों आयोजित करके कुछ भी नहीं किया जा सकता। यह तो तीर्ता बांटने के समान है। जो सहायता दी जाती है वह तीर्ता के समान ही है। इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। अगर आवश्यक हो तो इन सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिये। इस समस्या पर हम किस प्रकार नियंत्रण पा सकते हैं ? पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। एक स्थायी व्यवस्था की जा सकती है वहां नदियां हैं लेकिन पानी नहीं है। कुछ टैंकों में गाद जमा हुई है। ये सब काम कौन कर सकता

है। राज्य सरकार को टैंकों की गाद हटाने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिये। कम से कम, फिल्टर की व्यवस्था तो की जा सकती है। अगर छोटे क्षेत्र बना दिये जायें तो इसके अपने फायदे होते हैं। आपको मछली मिल सकती है। आपको अच्छा पर्यावरण मिल सकता है। अगर आप पानी का फैलाव रोकने की प्रणाली विकसित करें तो यह जमीन के अंदर जमा हो सकता है। आप नलकूप लगा सकते हैं। अगर यह व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय सरकार कितना पैसा दे सकती है ? इसका कोई स्थायी उपाय तथा प्रणाली होनी चाहिये। इस क्षेत्र के लिए श्री बलराम जाखड़ जी जैसे मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होना चाहिये। इसकी सिफारिशें एक-एक करके लागू की जा सकती हैं। इसके लिए धनराशि बढ़ाई जा सकती है। जब कभी बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तो हम यहां आते हैं और सभा को संबोधित करते हैं। कुछ सहायता दी जाती है। इसका सही ढंग से न तो अनुमान लगाया जाता है। और न ही समुचित तरीके से यह सहायता पहुंचाई जाती है। लोग। हमेशा उत्तेजित होते हैं और सभी क्षेत्र ऐसे ही हैं, जैसे 100 वर्ष पहले थे।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कम से कम बागवानी शुरू की जा सकती है और छायादार वृक्ष लगाये जा सकते हैं ताकि उन्हें 10 से 15 वर्ष के भीतर फल मिल सके। मैंने अनुमान लगाया है कि नियमित फसल के मुकाबले बागवानी ज्यादा फायदेमन्द है। अगर 30-40 इमली के पेड़ लगायें तो 10-15 वर्षों के बाद आपको प्रति वर्ष 40,000 रुपये मिल सकते हैं। इन 10-15 वर्षों के दौरान जीविका के लिए आप कोई और व्यवस्था कर सकते हैं। और भी बहुत सी किस्में हैं, जिन्हें इस प्रकार से उगाया जा सकता है। लेकिन केन्द्र सरकार या राज्य सरकार कोई योजना ही नहीं बनाती। आठवीं योजना में कुछ टिप्पणियां की गई हैं और कुछ धनराशि दी गई है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कुछ श्रमिकों को भर्ती किया गया है। उनके पास कोई स्थायी योजना नहीं है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री को श्री मल्लिकार्जुन को यहां भेजने के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने खराब मौसम में भी यहां आने की तकलीफ उठाई। .

हमारे मुख्य मंत्री ने भी इस क्षेत्र का दो बार दौरा किया। अन्य मंत्री जी इन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।

इस देश में कुछ धर्मार्थ लोग हैं, जिन्होंने कुछ धनराशि दी है। सरकारी पैसा देर से आता है। कर्नाटक सरकार ने धनराशि तत्काल दे दी है और उससे कुछ व्यवस्था भी की जा सकती है।

तीन गांवों का पूर्ण तौर पर पुनर्वास किया जाना है और 50 परिवार तीन-चार दिनों के लिए बिल्कुल पानी में डूब गये थे। उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम कुछ सहायता पहुंचा सकते थे। हमने खंभे लगाये और तारें बांधी। हमने उनके लिए खाना भिजवाया। हम अन्य स्थानों से कुछ स्टीमर लाये और उनके लिए खाना भिजवाया। यह एक अस्थायी व्यवस्था है।

श्री बलराम जाखड़ एक अनुभवी व्यक्ति हैं। वह स्वयं एक किसान हैं। वह किसानों की परेशानियों को जानते हैं।

अतः, मैं सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए श्री बलराम जाखड़ और भारत सरकार कोई स्थायी तंत्र स्थापित करने की अपील करता हूं।

मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**श्री पी॰ सी॰ चाक्को** (त्रिचूर) : मैं बड़े दुखी मन से इस चर्चा में भाग ले रहा हूं। इस वर्षाकालीन सत्र के पहले दिन ही मैंने इस विषय पर चर्चा के लिए एक नोटिस दिया है लेकिन दुर्भाग्य से इस सभा का कीमती समय अन्य महत्वहीन तथा राजनीतिक मुद्दों में व्यर्थ कर दिया गया।

बाढ़ तथा भारी बारिश के कारण देश के 14 से अधिक राज्य प्रभावित हो रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह बहुत दुःख की बात है कि इतने राष्ट्रीय महत्व के मामले पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा रही है।

बाढ़ की स्थिति के कारण मेरे राज्य को जिस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उस पर मेरे राज्य के मेरे मित्र श्री पी॰ सी॰ थामस, प्रो॰ के॰ वी॰ थामस तथा श्री ई॰ अहमद ने प्रकाश डाला है। मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आज देश बाढ़ की अति दुःखद और गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। मुझे खुशी है कि आज इस सभा में वाणिज्य मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं। लोगों की शिकायतों को दूर करने हेतु प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए भारत सरकार जो व्यवस्था कर रही है, उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। प्रत्येक राज्य को जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में इस चर्चा में भाग लेते समय सदस्यों ने बताया है। देश में विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति अलग-अलग है। सभी राज्यों के साथ एक समान बर्ताव नहीं किया जा सकता। मेरा सम्बन्ध एक ऐसे राज्य से है, जो अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे राज्य में छह बार ओवरड्राफ्ट का संकट उत्पन्न हुआ। हमें वेतन का भुगतान करने में भी अत्यधिक परेशानी हो रही है। एक ऐसा राज्य जो अपनी जरूरतें मुश्किल से पूरी कर रहा है, जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा लोगों पर आती है, तो वह राज्य उसका सामना किस प्रकार कर सकता है ? वह राज्य ऐसी स्थिति का सामना कैसे कर सकता है ? यह एक वास्तविक समस्या है। मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है और राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए पूरे मन से आगे नहीं आई है। आंकड़ों को यहां स्पष्ट किया गया है। अतः, मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यह समस्या किसी एक राज्य की ही नहीं है। मेरा राज्य जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, मैं उनके बारे में बताने के लिए बाध्य हूं। मैं जानता हूं कि असम से लेकर केरल तक 14 से अधिक राज्य प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि दिल्ली में भी यमुना में बाढ़ आ गई है और दिल्ली के निचले भाग डूब गये हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी और अन्य नदियों में बाढ़ आ गई है और वे भयंकर विनाश कर रही हैं। केरल केवल बाढ़ से ही नहीं बल्कि भूस्खलनों से भी प्रभावित है। हाल ही में, हमने हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बारे में पढ़ा है। इसका सामना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की सहायता दी थी।

महोदय, दक्षिण-पश्चिम मानसून मध्य-जून से ही शुरू हो गया था। यह केरल में अभी भी जारी है। केरल के उत्तरी भाग जल-निमग्न हैं। केवल गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी बाढ़ का पानी भयंकर विनाश कर रहा है। 108 लोग मर गये।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि 580 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। 580 लोगों में से 1/5 लोग मेरे राज्य के थे। इतने छोटे से राज्य

के 108 लोगों की मृत्यु हो गई। हम प्रभावित लोगों को क्या मुआवजा दे रहे हैं ? योजना आयोग द्वारा प्राकृतिक आपदा के लिए केरल को कुछ वार्षिक आंबटन के रूप में 31 करोड़ रुपये दिये जाते हैं। यह अत्यधिक अव्यवहारिक और अपर्याप्त है। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष महोदय से इस मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। वित्त आयोग तथा योजना आयोग इस बात का निर्णय करते हैं कि "एक्स" धनराशि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए है। प्रश्न यह है कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केरल को केवल 31 करोड़ रुपये दिये गये थे। अगर सरकार का ही फैसला है तो हमें न्याय कहां मिल सकता है ? 31 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में 25 प्रतिशत राज्य सरकार से मिलता है और शेष 23 करोड़ बचते हैं। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सारे केरल राज्य के लिए केन्द्र सरकार से कुल 23 करोड़ रुपये की उम्मीद की जाती है। श्री बलराम जाखड़ ने कहा है कि वह केरल के लिए तीसरी किश्त जारी कर चुके हैं। अगर सारी धनराशि भी दे दी जाये तो भी हमारा जितना नुकसान हुआ है, यह उसका एक अंश भी नहीं होगा।

केवल खड़ी फसलों में ही 65 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा सिंचाई नहरों का भी नुकसान हुआ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि बाढ़ के मामले में लाभ भी हुआ है। उनका कहना है कि यद्यपि खड़ी फसलें नष्ट हो गई है फिर भी अगली फसल अच्छी होगी। लेकिन जिस फसल का नुकसान हो गया है। वह तो हो ही गया। केवल इस नुकसान की राशि ही 65 करोड़ रुपए थी। नहर प्रणाली में अन्य 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अत: इस प्रकार से कुल 110 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त पुलों और सड़कों का जो नुकसान हुआ है उसकी राशि 30 करोड़ रुपए बैठती है। पिछले 30 दिन के भीतर ही छोटे से राज्य केरल को 140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केरल राज्य को कुल 31 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए गए हैं। इनमें से केन्द्र सरकार का योगदान केवल 23 करोड़ रुपए है। हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे ? 108 लोगों की जानें गई हैं। यदि रेल दुर्घटना में कोई व्यक्ति मारा जाता है तो प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार यदि प्राकृतिक आपदा में लोगों की जानें जाती हैं तो उनके परिवारों को क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। केन्द्रीस सरकार की एक आवर्ती निधि होनी चाहिए। वित्त आयोग और योजना आयोग को इसके लिए तरीके ढूंढने होंगे।

मुसीबत में पड़े छोटे राज्यों की सहायता के लिए एक आवर्ती निधि बनानी होगी। राज्य को 140 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और प्रदान की गई सहायता राशि केवल 23 करोड़ रुपए हैं। इसमें से दो किश्तों का पहले ही उपयोग किया जा चुका है और शेष राशि बहुत कम है। इसे अल्प राशि के साथ हम लोगों के समास्याओं के निदान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं ? 50000 लोग अस्थाई शिविरों में रह रहे हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र त्रिचूर है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का आधा भाग तटीय क्षेत्र है। समुद्र से बहुत तेजी से जो कटाव हो रहा है उससे तटीय क्षेत्र बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोडापुरम 'पंचायत' का दौरा किया है और वहां पर समुद्र पर एक किलोमीटर दीवार बनाने पर पांच लाख रुपए लागत आती है और इसके लिए पहले पचास प्रतिशत सहायता केन्द्र द्वारा की गई थी। लेकिन हाल ही में इसे बंद कर दिया गया है। मेरे साथी प्रो० के०

वी॰ थामस ने यह बात कही है। जहाँ कहीं समुद्र पर बनी दीवार की मरम्मत करने की आवश्यकता होती है, तो 30 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। समुद्र पर नई दीवारों के निर्माण के लिये, पचास प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई थी। ये दोनों प्रकार की सहायता पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब राज्यों को समुद्र पर दीवारों को अपने ही खर्च पर बनाना पड़ता है। मैं प्रो॰ के॰ वी॰ थामस के विचार का पूर्ण समर्थन करता हूं कि समुद्र वर्ती दीवारों को अन्तर-राष्ट्रीय सीमाएं समझा जाना चाहिये और समुद्र वर्ती दीवारों के निर्माण के लिये निधि तथा वित्तीय व्यवस्था केंन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी चाहिये। ऐसा नहीं किया जा रहा है।

वर्षा ऋतु के दौरान केरल के अनेक क्षेत्रों जैसे इन्दुक्की, वायनाड़ कालीकट को भूस्खलन की समस्या का सामना करना पड़ता है। केरल को एक ओर समुद्री कटाव का और दूसरी ओर भूस्खलन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सभी नदियों में बाढ़ आई हुई है। सम्पूर्ण राज्य को इतनी भयंकर आपदा का सामना करना पड़ रहा है कि जो गरीब लोग बेघर हो गए हैं उन्हें राशन दे पाना भी राज्य सरकार की पहुंच से बाहर हो गया है। ऐसी स्थिति में 3,5000 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, 15,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, 15000 परिवारों को दूसरी जगहों पर ले जाना पड़ा था, 58,000 लोग अस्थाई शिविरों में रह रहे हैं। वह राज्य सरकार जो अत्यधिक परेशानी और वित्तीय कठिनाई की स्थिति में है वह इस आपदा का सामना कैसे कर सकती है यह पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि यह केवल सहानुभूति ही न दिखाए बल्कि पूरी सहायता की प्रदान करे। यहां पर स्थिति ऐसी है कि केवल नियमों और योजना से ही काम नहीं चल सकता है। यह हर किसी की आकांक्षाओं से परे है। यदि ऐसा कुछ होता है तो उसका समाधान ढूंढना केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपए अंतरिम सहायता की मांग की है। हम जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार के पास भी धन की कमी है और उसे कुछ मानदण्डों के भीतर काम करना है। हमने 100 करोड़ रुपए अग्रिम देने के लिए कहा है। लेकिन इस पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। कृषि मंत्री जी को केरल की समस्या मालूम है। केरल में अक्सर बाढ़ आती है। यह राज्य की चिरस्थाई समस्या है। मुख्य मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए की जो मांग की है वह राज्य को दी जाए और इस संकट की स्थिति, अभूतपूर्व बाढ़ के कारण उत्पन्न आपात कालीन स्थिति का सामना करने के लिए केरल की सहायता की जाए। केन्द्रीय सरकार द्वारा आपातकालीन राहत उपाय किए जाने चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से आपातकालीन राहत उपाय करने का आग्रह करता हूं। जो कदम उठाए गए हैं, मेरे विचार से वह पर्याप्त नहीं हैं। देश जिस संकट की स्थिति की सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

**प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** (मवेलीकारा) : मेरे मित्रों ने लोगों के जिन दुखों का पहले ही वर्णन कर दिया है मैं उनका वर्णन नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। इस सदन में हर वर्ष बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होती है। मैं 1980 से इस सदन का सदस्य हूं। मेरे हिसाब से कोई भी वर्ष ऐसा नहीं है जब इस विषय पर चर्चा न हुई हो। लेकिन अभी भी हमारे पास हर वर्ष आ रही इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। कृषि मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि इस संबंध में एक दीर्घकालिक योजना होनी चाहिए।

तदर्थ अनुदान सहायता और योजना की स्थिति से निपटने के बजाय एक दीर्घकालिक योजना होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष, जो कि यहां पर उपस्थित हैं, ऐसी योजना बनाने पर विचार करेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में यह संभव है। इस बारे में हमें सलाह देने के लिए विशेषज्ञ मौजूद हैं कि इस दीर्घ कालिक योजना को कैसे तैयार और कार्यान्वित किया जा सकता है। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाए।

दूसरी बात यह है कि वह आज जो मुआवजा दे रहे हैं वह अपर्याप्त है यह मानदण्ड कृषि भवन या योजना आयोग में बैठ कर कुछ नौकरशाहों द्वारा निर्धारित किए जा रहे हैं। शायद ये मानदण्ड उन लोगों ने निर्धारित किए हैं जिन्हें कृषि के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरे मित्र श्री थॉमस ने रबड़ उत्पादकों को दिए जा रहे मुआवजे के बारे में कहा है। इन्हें 40 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। रबड़ के एक पेड़ को लगाने और उसे उपजाऊ बनाने की स्थिति तक लाने के लिए पांच वर्ष से अधिक का समय लगता है और किसान को सैकड़ों रुपए इस पर खर्च करना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए जो मुआवजा दिया जा रहा है यह बहुत कम है। यही बात नारियल के पेड़ों के बारे में है। मुआवजे के मानदण्डों को संशोधित किया जाना चाहिए और इसे कम से कम इन पेड़ों को उगाने पर खर्च हुई राशि के बराबर किया जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि बहुत लम्बे अर्से के बाद मुआवजा दिया जा रहा है। बाढ़ एक विशेष समय अर्थात जुलाई और अगस्त में आती है। लेकिन दल बाद में दौरा करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। उसके बाद यह जानने के लिए अध्ययन किया जाता है कि क्या हो रहा है। अन्त में सहायता राशि जारी करने में महीनों का समय लग जाता है। उस समय तक सहायता की जरूरत नहीं रह जाती है। अतः यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि हम जो सहायता देना चाहते हैं वह कितनी जल्दी संवितरित की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी जो स्वयं भी एक किसान हैं और जो इस तरह से कम करने में किसानों की कठिनाइयों को जानते हैं, कि सहायता अविलम्ब जारी की जाए।

मेरे राज्य में केवल 108 जानें गई हैं। यह अद्यतन आंकड़े नहीं हैं। आज मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र से टेलीफोन आया है केरल का दक्षिणी भाग की पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग तथा एम० सी० रोड़ बाढ़ में डूब गए हैं। श्री चाक्को ने उत्तरी भाग में बाढ़ की स्थिति के बारे में बात की। अतः मृत व्यक्तियों की संख्या अब अवश्य बढ़ गई होगी।

मैंने कल समाचार-पत्र में पढ़ा था कि यदि कोई रेल दुर्घटना घटित होती है और उसमें किसी व्यक्ति की जान जाती है तो रेल मंत्रालय प्रत्येक यात्री को दो लाख रुपए मुआवजा देगा। यह भी एक दुर्घटना है क्योंकि बाढ़ में जन जीवन की हानि हुई है क्योंकि हम ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए पर्याप्त रूप मे योजना नहीं बना सके हैं। अतः हमारी अप्रत्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी बनती है। केवल नैतिक ही नहीं एक तरह से जो जानें गई हैं उनके प्रति हमारी सीधी जिम्मेदारी बनती है। अतः भारत सरकार को प्रत्येक मृतक को दो लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए। यदि रेल मंत्रालय मुआवजे के रूप में दो लाख रुपए देता है तो कृषी मंत्री को भी दो लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने चाहिए। बाढ़ में 500 लोगों की जानें चली गई हैं ये सभी भाई-बहिन

गरीब लोग थे। यदि आप इस सूची को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लोग बाढ़ में मारे गए हैं वे मध्यम वर्ग के या धनी वर्ग के लोग नहीं हैं ये गरीब किसान हैं, गरीब खेतीहर मजदूर या वो लोग हैं जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। अतः वह मुआवजा पाने के हकदार हैं। मैं कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि प्राकृतिक आपदा में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में इस प्रस्ताव पर विचार किया जाय चाहे बाढ़ हो या भूस्खलन या बादलों का फटना हो, प्रत्येक मामले में पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मेरे मित्र श्री चाक्को ने राज्य को अपर्याप्त आपदा राहत निधि आवंटित किए जाने का उल्लेख किया है। किसी निकाय के लिए यह निर्धारित करना हास्यास्पद है कि आपदा की सीमा क्या होनी चाहिए। चूंकि आप आपदा की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं तो इसे आप किसी स्तर विशेष तक कैसे सीमित कर सकते हैं ? आप यह कैसे कह सकते हैं कि केरल राज्य के लिए 31 करोड़ रुपये आपदा राहत निधि होगी ? मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण प्रक्रिया ही गलत है। इसके बजाय केन्द्र सरकार को एक आवर्ती निधि बनानी चाहिए, मैं तो कहूंगा कि इस निधि में कम से कम 5000 करोड़ रुपए होने चाहिए और जहां कहीं भी बाढ़ या अन्य आपदा आती है वहां के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। इसे वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए जिसे इस समय आपदा का पूर्वानुमान लगाने या जारी की जाने वाली निधि का अनुमान लगाने के लिए कहा जा रहा है। इस सम्पूर्ण नीति को ही बदला जाना चाहिए। इसके बजाय कुछ निधि प्रधान मंत्री के अधिकार में रखी जानी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर या जहां कहीं भी आपदा घटित हो एक दल वहां का दौरा करे और राहत तत्काल प्रदान की जा सके। ऐसी नई नीति अपनाई जानी चाहिए क्योंकि बाढ़ वर्षा मानदण्डों के अनुसार नहीं आती है, वर्षा मानदण्डों के अनुसार नहीं आती है और जानें किसी भी मानदण्ड के अनुसार नहीं जाती हैं। अतः कृषि भवन या योजना आयोग या योजना आयोग में बैठे नौकरशाह आपदा राहत कोष के बारे में कोई सीमा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अतः आपदा राहत कोष की मूल धारणा को ही बदला जाना चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

जो होना था वह हो गया है; और केरल राज्य के लिये आपदा राहत निधि केवल 31 करोड़ रुपये दी गई है। अन्य राज्यों के लिये भी यह इसी प्रकार सीमित होगी। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं। चूंकि यह निधि अपर्याप्त है, स्थिति से निपटने के लिये केन्द्र सरकार को विशेष राहत दी जानी चाहिये। अन्य राज्यों के बारे में विवरणों का मुझे पता नहीं है लेकिन कम से कम केरल राज्य के बारे में मैं जानता हूं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं जो श्री थामस, जी चाक्को और अन्य सदस्यों ने कही है। वास्तव में जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं, वे अवश्य ही कम होंगे क्योंकि यह वह आंकड़े हैं जो कुछ दिन पहले प्राप्त हुए थे। उसके बाद कई घटनाएं घटित हुई हैं। अभी कल ही में केरल से आया हूं और मैंने यह देखा कि वहां पर मुसलाधार वर्षा हुई थी, और राज्य के दक्षिणी भाग में भी बहुत से इलाके जलमग्न हो गये हैं। अतः मृतक व्यक्तियों की संख्या और भी अधिक होगी। इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुख्य मंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए की मांगी गई विशेष सहायता को तत्काल प्रदान किया जाए जो कुछ भी लेखा-समायोजन किए जाने हैं, वो बाद में किए जा सकते हैं। यह केरल राज्य की अत्यावश्यक मांग है और मुझे विश्वास है कि माननीय कृषि मंत्री इस पर विशेष ध्यान

देंगे। मुझे मालूम है कि वे केरल राज्य पर हमेशा विशेष ध्यान देते हैं और सब भी वह ऐसा ही करेंगे। इसके साथ ही हमें एक आपत्ति यह भी है कि उन्होंने हमारे राज्य का दौरा नहीं किया है। चूंकि उन्होंने हमारे राज्य का दौरा नहीं किया है इसलिए मैं जानता हूं कि वह इस राज्य को 100 करोड़ रुपए की सहायता देकर इसकी प्रतिपूर्ति करेंगे। यदि वह अब दौरा करना चाहते हैं तो बहुत देर हो चुकी है लेकिन यदि दौरा करना चाहते ही हैं तो उनका स्वागत है। इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है कि उनका दौरा लाभदायक होगा। मैं पिछले वर्ष उन स्थानों का दौरा करने उनके साथ गया था। उनका दौरा उपयोगी होगा। मैं जानता हूं वे अब बहुत दयालु हैं और वे कई बार इस राज्य का दौरा कर सकते हैं। लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं कि दौरा करने से पहले कृपया इस सभा में घोषणा कर दें कि 100 करोड़ रुपए की सहायता केरल राज्य को दी जाएगी।

**[हिन्दी]**

**श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) :** माननीय उपाध्यक्षजी, अभी हम अधिक वर्षा से आई बाढ़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में भीषण बाढ़ आई हुई है। काफी लोग हताहत हुए हैं। ज्यादा बरसात होने से भी लोगों को दिक्कतें आ जाती हैं। अभी चन्द्राकरजी बोल रहे थे। उनका कहना सही है कि मध्य प्रदेश में करीब-करीब आधे जिले इस समय बाढ़ में प्रभावित हैं।

अभी भी वहां पर वर्षा हो रही है जिसके कारण कई लोग घर छोड़कर बाहर रह रहे हैं। इस बारे में प्रो॰ कुरियान भी बोले कि नेचुरल कलेमिटीज़ के लिये जो फंड बनाया गया है उसमें मध्य प्रदेश के लिये केवल 37 करोड़ रुपया दिया गया है। मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जहां पर बाढ़ से 38 जिले प्रभावित हुये हैं। तो इस 37 करोड़ रुपये से कुछ नहीं होता है। वहां तो कम से कम 200 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये था। अब तक बाढ़ से 600 से अधिक लोग मर चुके हैं और हजारो-लाखों बेघर-बार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिये। मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा कम है और जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती है तब तक के लिये लोगों के लिये सालभर के लिये रोजगार का प्रबंध करना पड़ेगा और उनके रहने के लिये सारी व्यवस्था करनी होगी। इन सब कामों के लिये पैसे की व्यवस्था करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिनमें लोगों ने लोन से खाद, बीज लिये हुये हैं, उनकी वसूली के लिये बैंकों के आदेश के निरन्तर करना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लोग बाढ़, सूखे या अकाल से पीड़ित हैं, उन किसानों से यह वसूली स्थगित करनी पड़ेगी और जिन किसानों की फसल तबाह हो गयी है, बैंक उनसे वसूली न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर प्लानिंग कमिशन के उपाध्यक्ष श्री मुखर्जी बैठे हुये हैं, उनसे प्रार्थना है कि इस बारे में रीथिंकिंग करनी होगी क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 20-25 जुलाई से पानी पड़ता है लेकिन इस बार यह 10 जून से पड़ना शुरू हो गया और सारी धान की पैड़ी करनी थी, वह नहीं हो सकी है और किसान वहीं के वहीं बैठे हुये हैं क्योंकि न बीज डल पाया है और न खाद ही डाली गयी है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को सालभर के लिये सारी व्यवस्थायें देनी होंगी। बैंकों को लोन की वसूली स्थगित करनी होगी और इस संबंध में फिर से प्लान बनाने की जरूरत है तथा इस मद में मध्य प्रदेश को अधिक से अधिक पैसा मिलना चाहिये जैसा कि

श्री चन्द्राकर जी ने कहा कि रेल यात्रियों के लिये रेल दुर्घटना के समय बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये की रकम मिलनी चाहिये। सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिये कि नेचुरल कलैमिटीज की स्थिति में किसान की फसल तबाह हो जाये, घरबार से वंचित रह जाये और जब उसकी जिन्दगी की पूरी कमायी नष्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सरकार को खुले हाथों से उन किसानों की मदद करनी चाहिये।

जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से क्षेत्रों में रबी की फसल नहीं होती है। मध्य प्रदेश में रबी की फसल नहीं है। मेरे क्षेत्र झाबुआ में दूसरे सिंचाई के साधन नहीं हैं तो फिर किसान उठ नहीं सकता। मैं कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि 37 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को जो आपने नेशनल कैलामिटी रिलीफ के लिए देने की बात कही है इससे काम चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में कम से कम 200 करोड़ रुपया दें ताकि साल भर तक लोगों को रोजगार मिलता रहे और लोगों का काम चलता रहे। यह व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जाखड़ साहब से कहूंगा जैसे दूसरे राज्यों में दौरा करके खुले हाथ से किसानों की सहायता की बात कही है उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता है, मध्य भारत व्हीट का कटोरा है वहां खुले हाथ से किसानों की मदद करने की बात कहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

**श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** (मैसूर) : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। वास्तव में, मैं समझता हूं कि इस विषय को सत्र के पहले दिन समय दिया जाना चाहिए था अथवा सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रथमिकता देते हुए किसी दिन समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनेक अन्य गंभीर समस्याएं उठायी गयी और इस विषय को पहले नहीं उठाया जा सकता। फिर भी, हमें खुशी है कि हमें प्राकृतिक आपदाओं के इस महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार करने का अब अवसर मिला है

मेरा राज्य कर्नाटक पिछले तीन वर्षों से लगातार भयानक बाढ़ की समस्या का सामना कर रहा है। कर्नाटक में भारी वर्षा के कारण काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किए गए अनुमान के अनुसार संभवत: 100 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ है। मेरे विचार में हो सकता है कि नुकसान इससे भी अधिक हुआ है। क्योंकि इन आंकड़ों का आकलन बाढ़ के प्रथम सप्ताह में किया गया था। राज्य के कुछ भागों में, अब भी निरन्तर वर्षा हो रही है। इस असाधारण और अननुमान्य वर्षा के कारण काफी नुकसान हुआ है। पुल और सड़कें बाढ़ में बह गए हैं। खड़ी फसलें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी। यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्गों को भी काफी नुकसान पहुँचा है। इस भारी बाढ़ के कारण मैंगलोर, दक्षिण केनरा, उत्तरी केनरा, चिकमगलूर, मैसूर, गुलबर्गा और बीदर जिलों पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। कावेरी, तुंगभद्रा, काबीनी और होसंगी में पूरे जोर पर बाढ़ आई हुई है और उन नदियों के बहाव में अनेक निचले क्षेत्र बह गए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में पूरे के पूरे घर बह गए मैसूर जिले में तम्बाकू, सूरजमुखी फसलों जैसे वाणिज्यिक और कुछ हद तक गन्ने और धान जैसे खाद्य फसलें भी नुकसान हुआ है।

इस तबाही के परिणाम को बताने के लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी जो कि सरकारी रूप से जुलाई, 1994 में दिए गए हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण लगभग 60 व्यक्तियों और 2300 पशुओं की

जानें गई हैं; 82 व्यक्ति घायल हुए और 2 ,42 मकान पूरी तरह से ढह गए; 14,620 मकान आंशिक रूप से गिर गए; 3345 सिंचाई पम्प सैटों और 95 सिंचाई कूप क्षतिग्रस्त हुए; 1,27,515 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पूर्णतः बर्बाद हो गई; अनुमानतः 35.01 करोड़ रुपये की निजी सम्पत्ति के हानि हुई, 1,840 सरकारी इमारतें, 625 पुल और पुलिया तथा 824 लघु सिंचाई टैंक भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए।

लगभग 2379 किलोमीटर तथा लगभग 1385 किलोमीटर तक की दूरी वाली सार्वजनिक सड़कें भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई। इसके अतिरिक्त समुद्री-कटाव से भी 5.16 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। कर्नाटक विद्युत बोर्ड की स्वयं की सम्पत्ति को भी 6.13 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ है। अब तक सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई कुल क्षति लगभग 65.74 करोड़ रुपए है। 21 जुलाई, 1994 तक निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को हुई कुल अनुमानित क्षति 100.75 करोड़ रुपये की है। एक विवरण पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है।

आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर कर्नाटक राज्य को केवल 27 करोड़ रुपए दिए गए थे और अब तक 25 करोड़ रुपये राहत कार्य पर खर्च किए जा चुके हैं। महोदय केन्द्र सरकार का वार्षिक अंशदान 25 करोड़ रुपये है और राज्य सरकार का वार्षिक अंशदान 60.75 करोड़ रुपये है। तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए शासकीय मुद्दा स्तर पर कार्य करने के लिए लिए तैनात किया गया था कि कम से कम राहत कार्य आरंभ किए जाएं। इन लोगों ने अनेक लोगों का बचाव किया। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऊँचे स्तर के क्षेत्रों में ले जाया गया और उन्हें अति आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। देश के हमारे भाग में हो रही निरन्तर वर्षा से अभी भी नुकसान् हो रहा है। दिल्ली में भी पिछले 2-3 दिनों में भारी वर्षा हुई है। जलग्रहण क्षेत्र में एक सप्ताह से हो रही निरन्तर वर्षा से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

अब तक जो कदम उठाए गए हैं वे बहुत कम हैं। यद्यपि कुछ राहत प्रदान की गई थी। निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों के स्थायी पुनर्वास का कार्य नहीं हो सका। 5 राजस्व अधिकारी तथा अन्य कृषि अधिकारी खड़ी फसलों से हुए नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। जब ये स्थायी राहत कार्य किए जाते हैं तब केन्द्र सरकार को हमारी सहायता करनी पड़ती है। कम से कम राज्य सरकार द्वारा माँगी गई राशि का 60 प्रतिशत प्रदान किया जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने इस दुर्घटना में मरे लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष के अतिरिक्त सहायता प्रदान की मेरे विचार से ऐसे प्रत्येक परिवार को लगभग 1 लाख रुपया दिया गया। लेकिन ये उपाय काफी नहीं हैं। क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो कि निरन्तर बाढ़ तथा उसके अनुवर्ती प्रभावों से प्रभावित होते हैं, उन्हें ऊंचे क्षेत्रों में पहुंचाया जाना चाहिए और उन्हें स्थायी मकान दिए जाने चाहिए। केवल उन्हीं लोगों को ही सहायता नहीं प्रदान की गई जिनकी मृत्यु हो गई बल्कि जिनकी स्थायी फसलें भारी वर्षा के कारण नष्ट हो गई, उन्हें भी सहायता प्रदान की गई ? कर्नाटक में प्रकृति की विडम्बना यह है कि कुछ जिलों में सूखे की स्थिति है और अन्य जिलों में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हो रहा है जिसमें कृषक धान, ज्वार जैसे अपने मुख्य खाद्यानों को भी खो बैठते हैं। राजस्व अधिकारी तथा अन्य कृषि अधिकारी खड़ी फसलों के कारण हुई कुल हानि का अनुमान लगा कर रहे हैं। मूल्यांकन अभी भी जारी है और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, यह मूल्यांकन की राशि लगभग 75-100 करोड़ रुपये तक भी पहुँच सकती है।

महोदय, इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए आबंटित राशि बहुत कम है। इसलिए इस संबंध में योजना आयोग तथा कृषि मंत्रालय द्वारा पुन: विचार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश, हमारे क्षेत्र में जहाँ काफी संख्या में छोटे किसान रहते हैं वे वहाँ भूमि कटाव के कारण काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। भूमि की ऊपरी सतह बह गई है, क्योंकि उनकी यह भूमि निचले स्तर पर है। उनमें से कुछ लोगों के पास तीन एकड़ जमीन है और कुछ के पास इससे भी अधिक भूमि है। महोदय, उस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए कुछ वर्ष और लगेंगे। उनके जीवन-निर्वाह का ध्यान रखते हुए मृदा-संरक्षण के उपाय करने के लिए उन्हें स्टेट बैंकों अथवा मुख्य बैंकों अथवा कुछ अन्य बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने चाहिएं।

एक दिन माननीय कृषि मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि यह वर्षा अन्य खेतों के लिए प्राकृतिक उर्वरक तथा अच्छी मृदा भी साथ लाती है।

जहाँ तक उत्तर भारत के मैदानों का सम्बन्ध है यह बात सच हो सकती है। आगे चलकर वे जानवरों के लिए चारा भी प्राप्त कर सकते हैं। वे मैदानी भूमि को और अधिक उपजाऊ भी बना सकते हैं। किन्तु नीचे स्तर के क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। माननीय सदस्य, विशेषकर केरल और कर्नाटक के सदस्य पहले यह कह रहे थे कि सरकार को उस स्थिति पर पुन: ध्यान देना चाहिए। मैं भी माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि राज्य में जो स्थिति चल रही है उसके बारे में हमारे राज्य का तुरन्त दौरा करें जिससे कि राज्य में चल रही स्थिति का पता चल सके। यह इसलिए नहीं कि आपको उन्हें न केवल सहायता ही नहीं देनी है बल्कि इसलिये भी आपको यह भी देखना है कि आगामी वर्षा के लिए के उस भूमि का संरक्षण करते हैं जिसमें पर्याप्त सम्भव और निवेश अपेक्षित है।

यह भी कहा जाता है कि इस उद्देश्य के लिए जो राशि निश्चित की गई है। उसके अलावा उसके बारे में पुन: विचार करने की आप कहते हैं कि किसी भी प्राकृतिक आपदा में आप स्वयं को किसी मानदण्ड या निर्देश के प्रति सीमित नहीं कर सकते, तो आप को यह आवश्य मालूम होना चाहिए कि कभी-कभी आप को अधिक राशि की आवश्यकता होती है और कभी-कभी कम राशि की आवश्यकता। आप को कुछ तत्कालिक उपायों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। राज्य सरकार ने राहत के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए देने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन दिया था। यदि आप कम से कम 60% तात्कालिक रूप से अग्रिम दे सकते हैं तो इससे हमें बड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि हमारे राज्य में और भी दूसरी कल्याणकारी योजनाएं बहुत लम्बे समय से चल रही हैं। उदाहरण के तौर पर आप जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना आदि को ही लें। आप इस पर भी ध्यान देने की कृपा करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चालू वर्ष के दौरान राज्य के निर्धन लोगों को अधिक खाद्यान्न और मिट्टी का तेल दिया गया है। और आगामी वर्षों में भी दिया जायेगा।

महोदय, हमारे किसानों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि अगले वर्ष भी अपनी भूमि को उपजाऊ बनाये रखने के लिये अपनी लाभकारी स्थिति बरकरार रखने के लिये उन्हें थोड़ा और अधिक समय लग सकता है।

महोदय, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने सहायता दी है। ड्रिप सिंचाई के मामले में, किसानों को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक परियोजना आरम्भ की थी। किन्तु उन किसान को जो आज तक अपने मवेशियों और खड़ी फसलें खो चुके हैं उन्हें तात्कालिक सहायता देनी होगी। दुर्भाग्यवश, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यदि आप हैं, प्रत्यक्ष न सही ऋण माफ करके या ब्याज माफ करके या ऋणों को सहकारी बैंकों का अन्य मुख्य बैंकों में ऋणों को समायोजित करके, इस उद्देश्य से वितीय सहायता देते, है कि किसान लेकर अन्य ऋण लेकर जोत योग्य भूमि का संरक्षण सकें, तो वह बहुत ही उपयोगी होगी। आवासों के सम्बन्ध में, जैसा कि माननीय सदस्य प्रो० पी० जे० कुरियन ने बताया है वे निर्धनतम लोग जिनके मकान नष्ट हो चुके हैं और जिनके पास रहने का अपने मकान नहीं है वे अपने घरों और झोपड़ियों को खो चुके हैं। उन्हें एक सुरक्षित स्थान में कालोनियों के माध्यम से एक स्थाई निवास दिया जाना चाहिए। उन्हें सुरक्षित स्थानों में भी स्थानान्तरित किया जाना चाहिए जिससे कि वे भविष्य में शांतिपूर्वक रह सकें। इस प्रकार की सहायता के बारे में सोचा जा सकता था। वास्तव में, इसके लिए काफी बड़ी राशि की आवश्यकता होगी किन्तु अन्य अनेक तरीकों से उनकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। इसे राजस्व विभाग के माध्यम से, कृषि तंत्र और राज्य तंत्र के माध्यम से सरलता पूर्वक किया जा सकता है, क्योंकि वह राज्य तंत्र ही है, जिसे लोगों की आवश्यकतायें पूरी करनी है और तात्कालिक राहत उपाय देने हैं। वे न केवल दी जाने वाली धनराशि ही निर्धारित कर सकते हैं बल्कि समुचित निदेश, मार्गदर्शन और अनुदेश देकर माध्यम से इस राशि को प्रभावित व्यक्तियों तक यथाशीघ्र पहुंचायी सकते हैं।

फसल ऋण और ब्याज राशि आदि को माफ करना जैसे मेरे ये कुछ सुझाव हैं जो मैंने आप के समक्ष रखे हैं। वे इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय भी इस पर विचार कर सकता है। विस्तार में वे राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों का अध्ययन कर सकते हैं। मुआवज़ा देने का प्रबंध सकते हैं। वे आई टी सी से कुछ कहने के लिये माननीय वाणिज्य मंत्री से हमारे क्षेत्र में निर्यात करने योग्य तम्बाकू बड़ी मात्रा में पैदा की जाती है; यह हमारे कुछ ऐसे तालुकों में पैदा की जाती है जहाँ पर बाढ़ के कारण भारी मात्रा में नुकसान हुआ है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। पूरी तरह से सब बह गया है, पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस तरह वे अपने उजड़े झोपड़े भी खो चुके हैं। इस प्रकार के मामलों में वे आई टी सी को निर्देश दे सकते हैं कि उस क्षेत्र में तम्बाकू उत्पादकों और किसानों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता दी जाए।

माननीय वाणिज्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह योजना आयोग के दूसरे पहलुओं पर भी विचार करें जिससे प्राकृतिक आपदा राशि का पुनर्नवीकरण किया जा सके जो बहुत ही कम है। प्रत्येक वर्ष, इस राशि को अधिक तार्किक पूर्ण ढंग से बाढ़ अथवा किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हैं। सहायता के रूप में उस समय उपलब्ध कराया जा सके। जिसके लिये हमें भागने की आवश्यकता नहीं है और तत्काल सहायता देने के लिये कहने की आवश्यकता नहीं है जो वहाँ उपलब्ध नहीं है। तात्कालिक सहायता का अर्थ है कि एक घर के नुकसान पर 500 रुपए, एक व्यक्ति की मृत्यु पर 5000 रुपए आदि यह किसानों को गरीबों को और मानव जीवन को मुआवजा देने का कोई तरीका नहीं है।

अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह उन विभागों के माध्यम से प्रचुर सहायता के साथ आगे आए जो रोजगार सृजित कर सके और जो अन्य रूपों में भी उनकी मदद कर सके। वे उन्हें अग्रिम सहायता दे सकते हैं जिससे उनको मदद मिले।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कर्नाटक के कुछ भागों में अभी भी सूखा है।

**श्रीमती चन्द्रा प्रभा अर्स :** सूखा की स्थिति अभी भी है। जल स्तर एक निश्चित सीमा तक घट रहा है। परसों यह पुनः बांधों में और दूसरे जलशयों में अधिकतम सीमा तक बढ़ना शुरू हो गया है।

**श्री ओस्कार फर्नान्डीज** (उदीपी) : मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि जब वह उत्तर दें तो इन सुझावों पर भी विचार करें। मंत्री महोदय सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या देने जा रहे हैं ? एक तरफ हम बाढ़ से प्रभावित हैं और दूसरी तरफ सूखे से अपने उत्तर के दौरान उन्हें इम मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह की स्थिति लगभग पाँच-छः जनपदों में है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि सभा की सहमति हो तो क्या हम और कुछ अधिक समय तक बैठ सकते हैं। यहाँ पर बहुत से माननीय सदस्य हैं जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

**कुछ माननीय सदस्य :** सभा स्थगित की जाये। वे कल बोल सकते हैं।

**श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :** हमारे राज्य में, स्थिति अति गम्भीर है। यह राज्य प्राकृतिक आपदाओं और बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है उन्होंने दूसरे तरीके से कहा है। बहुत से सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। जहाँ पर बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता है।

**6.00 म० प०**

भूमि और जल संरक्षण के संबंध में जैसा कि मैंने कहा है ड्रिप सिंचाई के लिए और अधिक सहायता तथा अन्य वैकल्पिक उपाय किये जाने चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस स्थिति पर पुनर्विचार किया जाए और निर्धन और छोटे किसानों की तुलना देश के अन्य क्षेत्रों या राज्यों के किसानों से न की जाए; एकत्र किए गए अद्यतन आंकड़ों के आधार पर समग्र रूप से विचार किया जाए और अपेक्षाकृत अधिक सहायता प्रदान की जाए जिससे कि भविष्य में देश के निर्धन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जालमाल भी जा सके।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा कल 11 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

**6.01 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 3 अगस्त, 1994 12 / श्रावण 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---